राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क २] चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का ४७ वां दिवस [संख्या १५

सोमवार, दिनांक ४ मार्च, १९६८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११-३ को विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[वित्त, श्रम, राजस्व, वन, उपनिवेशन, खाद्य, राजकीय उपक्रम, सिंचाई, समाज-कल्याण, पंचायत व योजना विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न !

प्रश्न संख्या ४०५

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुन्डावत !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४०६

श्री रामकिशन !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४०७

श्री रामानन्द अग्रवाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री फूलचन्द बाफना !

चराई शुल्क की वसूली

४०८ **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सरकारी घास के जोह कट जाने के पश्चात् ग्राम मवेशियों को चराई के लिए बेरोक-टोक खुले छोड़े जाते हैं या नहीं ?

(२) खुले छोड़े जाते हैं तो क्या कोई चराई शुल्क लिया जाता है ?

(३) शुल्क यदि लिया जाता है तो वह शुल्क क्या-क्या हैं और उस शुल्क को कौन वसूल करता है एवं उस शुल्क की रसीद कौन देता है ?

वन मंत्री (राव श्री नारायणसिंह मसूदा): (१) जी नहीं, वन विभाग को बीड़ों में घास कटने के बाद बेरोक-टोक ग्राम मवेशी नहीं छोड़े जाते किन्तु ऐसे मवेशियों को चरने दिया जाता है जिनको वन बन्दोबस्त में बिना शुल्क मवेशी चराने की सुविधा रहती है अथवा जिनके लिए चराई शुल्क दे दिया जाता है।

(२) जहां वन बन्दोबस्त अथवा वन सुविधा सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत निःशुल्क चराई की सुविधायें दी गई हैं उनको छोड़कर अन्य बीड़ों में चराई शुल्क लिया जाता है।

(राव श्री नारायणसिंह मसूदा)

(३) नीलाम में ठेकेदारों को दिये गये अथवा ग्राम पंचायतों को दिये गये घास बीड़ों का शुल्क ठेकेदार अथवा ग्राम पचायत वसूल करती है। अन्य क्षेत्रों में वन विभाग वसूल करता है। जो चराई वसूल करता है वही रसीद देता है। जहां चराई शुल्क लिया जाता है वहां सलग्न तालिका के अनुसार लिया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट सं० १ देखिये)

श्री फूलचन्द बाफना : नं० १ में जो उत्तर दिया गया है जिनको वन बन्दोबस्त में बिना शुल्क मवेशी चराने की सुविधा है तो ऐसे कौन-कौन से लोग हैं जिनको ऐसे हुक्म मिले हुए हैं ?

राव श्री नारायणसिंह : यह बांसवाड़ा, उदयपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदा आदि वन-मण्डलों में इस प्रकार की सुविधा दी गई है कि ३१ मार्च के बाद चराई हेतु वे खोले जाते हैं तो पुराने रिवाजों के मुताबिक फ्री चराई के लिए सुविधा दी जाती है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : ऐसे रिवाज और भी जिलों में थे उनके बारे में आप क्या कहते हैं ?

राव श्री नारायणसिंह : पुराने रिवाजों का सब जगह खयाल रखा गया है और विशेषतया जहां जन-जाति आदि हैं उनको सुरक्षित भी रखा गया है।

श्री फूलचन्द बाफना : नं० ३ में जो उत्तर दिया गया है ठेकेदार चराई वसूल करते हैं तो ठेकेदार कौनसी रेट से वसूल करते हैं ? सरकारी रेट्स हैं वही वसूल करते हैं या उनकी कोई अलग रेट्स हैं ?

राव श्री नारायणसिंह : निर्धारित रेट के अनुसार ही वह कर सकते हैं।

श्री फूलचन्द बाफना : क्या ठेकेदार उसकी रसीद देते हैं ?

राव श्री नारायणसिंह : ठेकेदार को भी रसीद देनी चाहिए।

श्री फूलचन्द बाफना : देते हैं या नहीं ?

राव श्री नारायणसिंह : देनी चाहिए। जो चराई के लिए देते हैं उसी को रसीद देने का है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : जो दरें निर्धारित है उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है। एक ही प्रकार की चराई की दरें वसूल नहीं की जाती हैं और भिन्न-भिन्न प्रकार के स्टेन्डर्ड बनाये हुए है और भिन्न-भिन लोगों से भिन्न भिन्न दरें ली जाती हैं ?

राव श्री नारायणसिंह : भिन्न भिन्न जानवरों की भी भिन्न-भिन्न दरें हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न दरें हैं और एक ही प्रकार की चराई के लिए भिन्न भिन्न दरें हैं।

राव श्री नारायणसिंह : भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न दरें हैं और इनको रेशनेलाइज करने का भी विचाराधीन है।

श्री फूलचन्द बाफना : यह जो रेट्स तालिका में दी गयी हैं यह कौन से समय से कौन से समय तक के लिए हैं ?

राव श्री नारायणसिंह : जो रेट्स हैं वे दो प्रकार की हैं। कुछ तो आधी चराई पर है। जब जोह छूट जाते हैं ३१ मार्च के बाद से वह शुरू होता है और कुछ नवम्बर से शुरू होता है और यह पूरी चराई के हैं। इस प्रकार से भी रेट्स है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री रामकिशन : ४०६ रह गया है।

श्री अध्यक्ष : कई रहे हैं।

श्री रामकिशन : मैं जीने में आ रहा था तो कुछ कॉंग्रेस वाले बीच में आ गये थे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री फूलचन्द बाफना : एक प्रश्न रह गया है, इसमें। यह जो रेट्स चराई के दिये गये हैं यह साल भर में क्या दो बार भी वसूल हो सकते हैं, अलग-अलग पीरियड्स के मिलाकर?

राव श्री नारायणसिंह : दो बार कैसे?

श्री फूलचन्द बाफना : अलग-अलग समय में जैसे ४ महीने का है, २ महीने का है।

राव श्री नारायणसिंह : मैंने कहा कि रेट पूरी चराई की देते हैं तो पूरे होते हैं नहीं तो आधा होता है आधी दर वसूल करते हैं।

श्री फूलचन्द बाफना : आधी और पूरी का क्या मतलब है?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, ऑर्डर प्लीज। श्री गिरधारीलाल व्यास!

सीलिंग की सीमा से ज्यादा जमीन का मामला

४०६. **श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि किसी व्यक्ति द्वारा ग्रा० नं० ३७, ३८, ३६-६ बीघा, ४०-४ बीघा, ४१-१६ बीघा पर नाजायज कब्जा किया गया है?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम कुराबड़, जिला उदयपुर में इनके पास पहले से ही सीलिंग की सीमा से ज्यादा जमीन है?

(३) क्या यह सही है कि उक्त आदमी की उक्त जमीन रेगुलेराइज करने हेतु आसीन्द तहसील से कार्यवाही कर एस० डी० ओ०, गुलाबपुरा के पास भेजी गई है?

(४) क्या यह सही है कि उक्त आराजी से बेदखल करने हेतु तहसील व अन्य राजस्व अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की?

(५) अब राज्य सरकार इनको बेदखल करने के सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है?

उपनिवेशन मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां, श्री प्रतापसिंह द्वारा नाजायज कब्जा किया गया है।

(२) जी हां, ग्राम कुरावड़, जिला उदयपुर में है। इनके नाम अभी ग्राम कुरावड़ में कोई जमीन नहीं है। सीलिंग से ज्यादा जमीन का प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) जी हां।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(४) यह सही नहीं है, मामले में कार्यवाही जारी है।

(५) मामला राजस्व विभाग में विचाराधीन बताया जाता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह प्रश्न नं० २ में कहा कि सीलिंग से ज्यादा जमीन नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम कुरावड़ में उनके पास सीलिंग से काफी तादाद में है। क्या मंत्री महोदय, इसके संबन्ध में जांच कराने के आदेश देंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने इसके संबन्ध में पहले से ही जानकारी प्राप्त कर ली है। उनके पास ३० एकड़ जमीन जरूर थी जो कि २२ जून, १९६६ को बेच दी इसलिए अब उनके पास कोई जमीन नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, जो आदमी जमीन बेच दे उसके बाद में भी इस प्रकार की एलॉटमेन्ट उसके नाम पर हो सकता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एलॉटमेन्ट का इस मामले में प्रश्न ही नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि जिस जमीन पर उन्होंने नाजायज कब्जा किया है उससे उसको बेदखल किया जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह कार्यवाही राजस्व विभाग में चल रही है और यही जयपुर में ही चल रही है। इसकी फाइल प्राप्त करने की कोशिश की थी लेकिन मुझे मिल नहीं पाई है। उसको देखे बिना मैं ऐसा आश्वासन देने में असमर्थ हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या यह सही है कि तहसीलदार और एस० डी० ओ० ने रेगुलेराइज करने की सिफारिश की है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने प्रश्न ३ में उत्तर दे दिया है, जो हां।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो आदमी भूमिहीन की तारीफ में नहीं आता है वैसे आदमी के लिये किस बिना पर तहसीलदार, एस०डी० ओ० और कलेक्टर ने उसकी सिफारिश की है ?

श्री रामप्रसाद लडढा : इसकी कार्यवाही नियमानुसार बिल्कुल की जायगी कोई रियायत उनके साथ नहीं की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रघुनाथ विश्नोई !

तहसील सांचोर का चीनी का निर्धारित कोटा

४१०. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :** [श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) द्वारा पूछा गया] : क्या खाद्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि सांचोर तहसील में पिछले दो सालों में जनसंख्या के आधार पर निर्धारित शक्कर का कोटा पूरा नहीं दिया गया ? अगर हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

(२) जिला जालोर में पिछले दो सालों में माहवार कितना-कितना कोटा दिया गया ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सांचोर के लिए उसमें से कितनी शक्कर दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) क्या यह सत्य है कि पिछले एक साल में सांचोर में कुछ महीनों में बिल्कुल शक्कर नहीं दी गई है ? अगर हां, तो क्यों नहीं ? किन-किन महीनों में शक्कर नहीं पहुँची ?

(४) क्या यह सत्य है कि सांचोर के लिए एक वेगन शक्कर एलॉट कर दी गई थी और फिर वापस एलॉटमेन्ट रद्द करके वह वेगन भीनमाल भेज दिया गया ? अगर हां, तो वह कब एलॉट की गई और फिर रद्द क्यों कर दी गई ?

(५) क्या यह सत्य है कि सांचोर तहसील के लिए थोकबन्द शक्कर का कोटा एक व्यापारी को एक साल के लिए दिया गया था ? क्या यह भी सत्य है कि उनका एग्रीमेन्ट भी हो चुका था और एक-दो माह तो शक्कर दी भी गई थी ? अगर हां, तो वह व्यापारी कौन था ? एग्रीमेन्ट कब किया गया ? शक्कर उसको कब-कब दी गई ?

(६) क्या यह सत्य है कि उस थोकबन्द कोटेदार का शक्कर का एग्रीमेन्ट अब रद्द कर दिया गया है ? अगर हां, तो कब ? रद्द करने के क्या कारण थे ? कोटा रद्द होने से क्या यह सत्य है कि वहां के लोगों को शक्कर नहीं मिल पाई है ? अगर हां, तो इस कठिनाई को कैसे दूर करने का विचार है ?

(७) क्या यह भी सत्य है कि सांचोर का होलसेल शक्कर का कोटा अब दूसरे व्यापारी को मिल चुका है ? अगर हां, तो कब ? क्या अब शक्कर बराबर वितरित की जा रही है ? शक्कर का काला बाजार रोकने के लिए जिले में क्या-क्या सक्रिय कदम उठाए गए हैं ?

उप-मंत्री, खाद्य एवं रसद (श्री रामदेव-सिंह) : (१) यह सत्य नहीं है। राज्य सरकार द्वारा जनसंख्या के आधार पर जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों हेतु मासिक आवंटन किया जाता रहा है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) यह सही नहीं है। जैसा कि उपरोक्त सूची में उल्लेख है कि सांचोर को हर माह चीनी का आवंटन किया गया है। केवल फरवरी, ६७ में खेरिज विक्रेताओं द्वारा आवंटित चीनी न उठाने से उस माह में चीनी नहीं पहुँची।

(४) यह सत्य है कि सांचोर हेतु एक वेगन चीनी का आवंटन किया गया था, जिसे उस क्षेत्र के लिए नियुक्त होलसेलर ने उठाया एवं वितरण भी किया गया। सांचोर का कोई आवंटन रद्द किया जाकर भीनमाल को नहीं दिया गया है।

(५) सांचोर मार्केटिंग सोसाइटी द्वारा कार्य नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप फर्म मोहनलाल चम्पालाल सांचोर को शक्कर का थोकबन्द व्यापारी कोटेदार केवल तीन माह की अवधि हेतु नियुक्त किया गया था। यह नियुक्ति मार्च, ६७ में की गई थी एवं प्रथम आवंटन २४ मार्च, १९६७ को दिया गया था।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय....

Page No. 6

श्री रामदेवसिंह : अभी और हैं।

(६) जी हां। प्रश्न ५ में वर्णित थोकबन्द कोटेदार का कोटा ३ माह की अवधि के पश्चात् जून, १९६७ में रद्द कर दिया था, क्योंकि उक्त कोटेदार का काम संतोषजनक नहीं था। इस व्यापारी को कोटेदार न रखने से सांचोर में चीनी वितरण में कोई कठिनाई नहीं हुई है, क्योंकि वहां के रिटेलरों को भीनमाल के थोक विक्रेताओं से चोनी दिलाई जाती रही थी। इसके पश्चात् तहसीलदार सांचोर को सिफारिश पर मे० छगनलाल कान्तिमल, सांचोर को अक्टूबर, १९६७ में थोकबन्द कोटेदार नियुक्त कर दिया गया है।

(७) जी हां। सांचोर में चीनी का अन्य थोकबन्द कोटेदार अक्टूबर, ६७ से नियुक्त किया गया है। इसके पश्चात् इस क्षेत्र में वितरण सुचारूरूप से हो रहा है। काले बाजार को रोकने के लिए जहां तक सम्भव हो पाया है, पंचायतवार दूकानदार नियुक्त किये जाकर वितरण सम्बन्धित क्षेत्र के सरपंच एवं पटवारी की निगरानी में कराया जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह सांचोर में शक्कर कुछ महीनों तक नहीं पहुँची, इसके क्या कारण थे ?

श्री रामदेवसिंह : सिर्फ एक महीने में नहीं मिली।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उसके क्या कारण थे ?

श्री रामदेवसिंह : आम चुनावों के कारण रिटेलरों ने चीनी नहीं उठाई थी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : श्री मनोहरलाल चम्पालाल की फर्म का कोटा रद्द करने के क्या कारण थे ?

श्री रामदेवसिंह : बात यह थी कि पहले जिलाधीश, जालौर ने सिर्फ इनको तीन महीने ही नियुक्त करने की बात की थी और दूसरे उनके खिलाफ रिटेलर्स की कई तरह की शिकायतें थीं कि टाइम पर चीनी नहीं देता है और परेशान करता है, इसलिए इनको बन्द कर दिया गया।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इस विषय में कोई कमिश्नर द्वारा जांच की गई ?

श्री रामदेवसिंह : यह जिलाधीश द्वारा जांच करके ही किया गया था।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कमिश्नर द्वारा जांच की गई या नहीं ?

श्री रामदेवसिंह : जिले की जांच जिलाधीश ही करता है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जिलाधीश के विरुद्ध शिकायत की गई थी कमिश्नर के पास और उन्होंने इसकी जांच की है, क्या यह सही है ?

श्री रामदेवसिंह : ऐसी मुझे जानकारी भी नहीं है कि कमिश्नर के पास शिकायत की गई।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामचन्द्र आर्य !

Page No. 7

राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के काश्तकारों की जमीन का इन्तकाल

४११. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान काश्तकारी कानून, सन् १९५५ में पास हुआ था उस समय राजस्थान नहर की योजना नहीं बनी थी ?

(२) यदि हां, तो क्या यह सही है कि ५ साल के बाद काश्तकारी कानून को धारा १५ (ए) बनाकर दिये हुए हकूक खातेदारी वापिस छीन लिये गये ?

(३) क्या यह सही है कि तहसील नोहर के सैंकड़ों काश्तकारों द्वारा हाई कोर्ट, जोधपुर में रिट पिटीशन करने से धारा १५ (ए) को हाई कोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई है ?

(४) यदि हां, तो राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के काश्तकारों के नाम जमीन के इन्तकाल बाकी क्यों हैं ?

(५) क्या यह सही है कि सूरजराम पुत्र हीराराम जाट साकिन थालड़का के नाम भूमि का इंतकाल हो गया है ?

(६) यदि हां, तो बाकी काश्तकारों के नाम इन्तकाल कब होंगे ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां। पर राजस्थान नहर योजना का बनना इससे पहले शुरू हो गया था।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां।

(४) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, सन् १९५५ की धारा १५ (ए) उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा अवैध करार दी जाने के पश्चात् भारतीय संसद द्वारा संविधान का सत्रहवां संशोधन पारित कर दिया गया और इस संशोधन के अनुसार राजस्थान कृषि अधिनियम की धारा १५ (ए) सहित पूर्ण संरक्षण प्राप्त हो गया और उच्च न्यायालय के फैसले का कोई असर नहीं रहा।

(५) जी हां। उच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में और संविधान के सत्रहवें संशोधन अधिनियम ६४ के पारित होने के पूर्व इसके खातेदारी का अमलदरामद २६-१२-६३ को उपनिवेशन रेकार्ड में किया गया था।

(६) प्रश्न ४ के उत्तर में जैसा पहले कहा जा चुका है। अतः इस प्रश्न का सवाल ही नहीं उठता।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका सूरजाराम के नाम से इन्तकाल हुआ है और इसी समय सैंकड़ों काश्तकारों का भी उस मिसल के अन्दर नाम है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है कि सूरजाराम का इन्तकाल २६-१२-६३ को हुआ है जो कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद, लेकिन कॉन्स्टीट्यूशन के सत्रहवें एमेंडमेंट होने के पूर्व इस दरम्यानी अवसर में यह इन्तकाल किया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि हाई कोर्ट ने इस सूरजाराम की मिसल को ही मुख्य मानकर बाकी काश्तकारों की रिट पिटीशन को उसके साथ में जोड़ने का लिखा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दूसरे ८३ रिट्स और थे जो कि अस्वीकार किये गये।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि जिस वक्त राजस्थान टीनेन्सी एक्ट बना उस वक्त राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की स्कीम नहीं थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान टीनेन्सी एक्ट बनने के पहले राजस्थान कैनाल योजना का सर्वे, इन्वेस्टीगेशन और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनना शुरू हो गया था।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि उस वक्त जो टीनेन्सी एक्ट बना उसमें यह शब्द लिखे गये कि भाखरा, चम्बल, जवाई और गंग कैनाल के अलावा जितनी भी जमीने हैं उन सब पर खातेदारी दी जायगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सेक्शन १५, राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में यह लिखा हुआ है कि भाखरा, गंग कैनाल और चम्बल या दूसरे जो जवाई वगैरह हैं उनके नाम लिखे हुए हैं और उसके आगे यह लिखा हुआ है:—

"Or any other Project that may be notified by the State Government in this behalf".

और इस प्रोविजन के तहत राजस्थान सरकार ने एक नोटिफिकेशन सबसे पहले निकाल कर इस राजस्थान कैनाल की योजना को कोलोनी डिक्लेयर किया था।

उसके कुछ समय बाद १५ (ए) नया सेक्शन जोड़ कर इसकी पूर्ति की थी।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि धारा १५ (ए) बना कर काश्तकारों को दिये हुए हकूक खातेदारी वापिस छीने गये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो बहुत डिसकस्ड मेटर है। १५ (ए) इसी विधान सभा में पास हुआ है और इस विधान सभा में पास हुए कानून को एक रिट याचिका द्वारा चैलेन्ज किया गया था, उसकी वैधानिकता को चुनौती दी गई थी और उस चुनौती में इस १५ (ए) की धारा को अवैधानिक घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद सेवन्टीन्थ एमेंडमेंट ऑफ दी कॉन्स्टीट्यूशन पार्लियामेंट ने पास किया और पार्लियामेंट ने उस सेवन्टीन्थ एमेंडमेंट के साथ जो नाइन्थ शेड्यूल लगाया है उसके अन्दर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट जिसके अन्दर धारा १५ (ए) भी शामिल है, वैध डिक्लेयर हो गया, उससे उसको प्रोटेक्शन (संरक्षण) मिल गया, और उस संरक्षण मिलने की वजह से जोधपुर हाई कोर्ट द्वारा जो अवैध करने का फैसला दिया गया था वह फैसला भी इस प्रोटेक्शन की वजह से बेअसर हो गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि जिन लोगों ने हाई कोर्ट में रिट किया था उनको और सूरजाराम को बराबर के अधिकार मिलने चाहिए थे, लेकिन अकेले सूरजाराम को अधिकार दिये गये और बाकी वंचित रह गये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अकेले सूरजाराम को अधिकार देने का प्रश्न नहीं है, अगर यह सेवन्टीन्थ एमेंडमेंट नहीं पास होता पार्लियामेंट द्वारा तो औरों को भी अधिकार

Page No. 9

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

मिलते। साथ ही साथ उस गैप में सूरजाराम के अकेले का इन्तकाल हो सका था, अब जिनकी रिट पिटीशन्स थी और उनके इन्तकाल की कार्यवाही चल रही थी कि इसी दरम्यान सेवन्टीन्थ एमेंडमेंट ऑफ दी कॉन्स्टीट्यूशन की धारा में पास हो गया, इस वजह से इसके बाद किसी का इन्तकाल नहीं हुआ होगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि जिन लोगों के खातेदारी हकूक छीने गये हैं सेवन्टीन्थ एमेंडमेंट के अनुसार उनको कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कम्पेन्सेशन देने का कोई प्रश्न नहीं है। जो सेवन्टीन्थ एमेन्डमेंट में कम्पेन्सेशन के सम्बन्ध में जो प्रोवीजो है वह इस पर लागू नहीं होता है। वह प्रोवीजो प्रोस्पेक्टिव है और प्रोस्पेक्टिव का मतलब यह है कि उस एमेंडमेंट के पास होने के बाद अगर कुछ केसेज में जमीन को एक्वायर करना पड़े और वह सीलिंग से कम हो तो उनको मार्केट रेट पर कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा। वह प्रोवीजो इन केसेज पर लागू नहीं होता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस कानून के अन्तर्गत जब उनको खातेदारी अधिकार दिये गये हैं इस स्थिति में यह प्रोवीजो उन पर भी लागू होता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अच्छी तरह से एग्जामिन कर लिया गया है। वह प्रोवीजो लागू नहीं होता।

मेसर्स सोलर केमिकल्स, कानपुर को सोडियम सल्फेट का बेचान

४१२. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि सन् ६६-६७ में मेसर्स सोलर केमिकल्स, कानपुर को उसके स्वीकृत टेन्डर के अनुसार २००० टन सोडियम सल्फेट ३२६ रु० प्रति टन की दर से दिया जाना था ?

(ख) क्या यह सही है कि इस फर्म को माल नहीं दिया गया और यह माल अन्य फर्मों को दिया गया ? यदि हां, तो कितना-कितना और किस आधार पर ?

(ग) जिन फर्म्स को यह माल दिया उनका किस-किस प्रकार का उद्योग है और, वह उद्योग, उद्योग विभाग में कब-कब पंजीयन हुआ है ?

(घ) क्या यह सही है कि टेन्डर में निर्धारित समय के अन्तर्गत माल नहीं उठाने के कारण उनके समय में वृद्धि की गई, और यदि हां, तो कितने माल के लिये किस समय से किस समय तक की वृद्धि बढ़ाई गई ?

(ङ) क्या यह सही है कि अंतिम इन्स्टालमेन्ट उठाने से पूर्व दूसरे वर्ष के माल के लिये टेन्डर मांग लिये गये जिसके अनुसार प्रति टन ४०६ रु० का भाव आया ?

(च) क्या यह सही है कि उपरोक्त समयावृद्धि के कारण राज्य सरकार को

Page No. 10

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

३५००० रु० का नुकसान हुआ ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

उप-मंत्री, राजकीय उपक्रम (श्री प्रद्युम्न-सिंह) : (१) जी नहीं। कुछ स्थानों के लिये प्रति वर्ष निर्धारित है। सूची संलग्न है

श्री भैरोंसिंह : सुनाई नहीं देता है।

श्री अध्यक्ष : सुना नहीं है और स्पष्ट कर दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : आज मिनिस्टर साहब नहीं आये क्या ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : आपको इतनी जानकारी नहीं हुई है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : He is busy in budget affairs.

श्री प्रद्युम्नसिंह : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां। यह सही है कि मेसर्स सोलर केमिकल्स को माल नहीं दिया गया वरन् जिस माल के लिये टेन्डर आमंत्रित किये गये थे वे एकाउन्ट्स प्रोसीजर एवं रूल्स की दृष्टि से स्वीकार करने योग्य टेन्डर नहीं होने पर और चूंकि टेन्डर आमंत्रित करने का यह दूसरा अवसर था, यह उचित समझा गया कि जिस तादाद के लिये टेन्डर आमंत्रित किये गये, उसे स्थानीय औद्योगिक संस्थानों को टेन्डर में अधिकतम प्राप्त दरों पर दिया जावे। अतएव राजस्थान की निम्न स्थानीय औद्योगिक संस्थानों को निम्न तादाद में खुदा हुआ सोडियम सल्फेट देने का फैसला किया गया:—

१. मेसर्स अलवर केमिकल्स, मारवाड़ बालिया (डीडवाना) ... ७०० मे. टन

२. मेसर्स सी० एल० गोयल ब्रदर्स, सांभर लेक ... ७०० मे. टन

३. मेसर्स भारत मिनरल एण्ड केमिकल्स, सांभर लेक ... ६०० मे. टन

(ग) मेसर्स अलवर केमिकल्स, मारवाड़ बालिया यह उद्योग बालिया में सोडियम सल्फेट बनाता है।

मेसर्स सी० एल० गोयल, सांभर लेक एवं मेसर्स भारत मिनरल एन्ड केमिकल्स, सांभर लेक यह दोनों उद्योग सांभर में सोडियम सल्फेट की शुद्धि करते हैं।

फर्म्स के पंजीकृत होने का सम्बन्ध उद्योग विभाग से है।

(घ) सभी फर्म्स ने १५-१२-६६ जो उनकी तिथि थी, उससे पहले पैसा जमा करा दिया था। अतः समय में वृद्धि का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सही है कि गोयल ब्रदर्स ने १९५ मे० टन और भारत मिनरल ने २०५ मे० टन की निर्धारित तिथि १५-१२-६६ से पहले उठाया और अलवर केमिकल्स ने पूरा माल समय पर उठा लिया।

(ङ) जी हां, यह सही है कि आगामी वर्ष के लिये माह दिसम्बर में टेन्डर नोटिस जारी किये गये एवं अंतिम इन्स्टालमेंट उठाने से पूर्व ४०६ रु० का भाव उपरोक्त टेन्डरों में प्राप्त हुआ।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

(ख) यह सही नहीं है चूंकि माल की कीमत १५-१२-६६ को ही पूरी जमा कर दी गई थी। जो माल बिका हुआ हो गया और वह अनुबन्ध समाप्त हो गया। नई दर २३-१-६७ को आई जो अगले वर्ष में माल खुदाने वाला था उसके लिये थी। जिस समय यह नई दर आई उस समय विभाग के पास कोई माल नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सन् ६६, ६७ में मेसर्स सोलर केमिकल्स, कानपुर ने भी एक टेन्डर दिया था ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी हां, टेन्डर दिया था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि टेन्डर के अनुसार इस फर्म को उतना माल दिया जाना था जितना टेन्डर में था जब तक कि उसको कैंसिल नहीं कर दिया जाता ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : उनका टेन्डर पैटर्न के मुताबिक नहीं था इसलिये खारिज कर दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : सोलर कंपनी ने लिख दिया था कि इस आधार पर उनको दिया जाय।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने अर्ज किया था कि ३२९ रु० का हाईयेस्ट टेन्डर आया था, सोलर कंपनी का टेन्डर रूल्स के मुताबिक नहीं था इसलिये खारिज कर दिया गया। दूसरी जिन फर्म्स को दिया गया वे फर्म्स राजस्थान की थीं, सोलर कंपनी के मुकाबले में इनकी कम दरें थी उसके बावजूद भी सरकार ने सोचा कि इनको दिया जाय। पहले जो टेन्डर मांगा गया था उसमें पब्लिसिटी के लिये समय कम दिया गया था इसलिये दुबारा टेन्डर मांगा गया। दुबारा जो टेन्डर आया उसमें सोलर कंपनी का हाईयेस्ट था लेकिन रूल्स और प्रोसीजर के मुताबिक नहीं था इसलिये दूसरों का एक्सेप्ट किया गया। सरकार को इससे नुकसान होने की बात यों नहीं हुई कि सोलर कंपनी का ३२९) रु० का टेन्डर था, हमने दूसरी फर्म्स को भी उसी दर पर दिया।

श्री भैरोंसिंह : जो दुबारा टेन्डर इन्वाइट किया गया उसमें रेट ज्यादा आई ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : दुबारा ३२९) रु० की हाईयेस्ट आई।

श्री भैरोंसिंह : पहले वाले टेन्डर में क्या दर आई थी ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जिनका टेन्डर एक्सेप्ट किया गया उन्होंने समय पर माल नहीं उठाया। टेन्डर में जो एग्रीमेन्ट में समय निर्धारित था उस समय तक माल नहीं उठाया और समय निकलने के बाद माल उठाने का क्या उनको अधिकार था ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है। आप चाहेंगे तो जांच कर लूंगा लेकिन जितना माल दिया था उतने माल के पैसे हमको पहले दे दिये थे।

श्री भैरोंसिंह : मुझे खेद है कि मंत्रीजी को जानकारी नहीं है फिर भी कहते हैं कि वे माल उठा सकते थे। एग्रीमेन्ट के अनुसार डेट तय कर दी गई थी उससे पहले-पहले

(श्री भैरोंसिंह)

सोडियम सल्फेट उठाना था। नहीं उठाया तो अर्नेस्ट मनी जब्त होनी थी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी नहीं, ऐसी स्थिति नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप यह कहते हैं कि मर्जी आवे तब वे माल उठा सकते थे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : माल का पैसा सरकार के पास आ चुका था। माल स्टेशन पर पड़ा हुआ था। इसलिये सरकार को इससे नुक्सान होने का प्रश्न नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जब माल उठाने का टाइम निकल गया तो क्या डीलर्स ने माल उठाने के लिये सरकार से अनुमति ली ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी हां। माल उठाने की अनुमति ले ली थी।

श्री भैरोंसिंह : उनको जब माल उठाने का अधिकार था तो अनुमति क्यों ली ? आप डिप्टी सेक्रेटरी के सर हिलाने से बोल रहे हैं, हाउस की तो तोहीन कर रहे हैं उसकी चिन्ता नहीं है, लेकिन क्या आपसे अनुमति उसने इसलिये ली कि अधिकारियों ने माल नहीं उठाने दिया और यह कहा कि गवर्नमेंट से परमीशन लाओ ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : गवर्नमेन्ट को नुक्सान होने का सवाल नहीं है। टेन्डर में इस प्रकार की कोई शर्त नहीं थी। अग्रिम में हमको धन दे दिया माल के अर्नेस्ट में तो माल कभी भी उठाते इससे हमको क्या नुक्सान था ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सोडियम सल्फेट का मार्केट गिर रहा था इसलिये उसने माल नहीं उठाया ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : भावों के बारे में मुझे मालूम नहीं है लेकिन जो माल उनको दिया गया उसके रुपये हमारे पास पहले ही जमा हो चुके थे।

श्री भैरोंसिंह : सवाल यह है कि जब तक मार्केट प्राइस गिरती रहीं तब तक उन्होंने माल नहीं उठाया और जब प्राइस ३२६ से ऊपर ४८० से भी ऊपर हो गई तो उन्होंने माल उठाया। इसमें गवर्नमेन्ट को घाटा हुआ। गवर्नमेन्ट दुबारा टेन्डर इन्वाइट करती तो उसको इन्कम होती।

श्री प्रद्युम्नसिंह : एग्रीमेन्ट के मुताबिक कोई ऐसी शर्त नहीं थी। मर्जी के माफिक कभी माल उठावे, माल के रुपयों का पेमेन्ट उन्होंने कर दिया था इसलिये नुक्सान होने का कोई प्रश्न नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि टेन्डर में इस बात की शर्त रखी थी कि इतने दिन में अर्नेस्ट मनी जमा करानी होगी और इस तारीख तक माल उठाना होगा ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : टेन्डर की शर्त के मुताल्लिक अर्ज कर चुका हूं, माल उठाने की तारीख की कोई शर्त नहीं थी।

निर्धारित चराई तथा जुर्माने की वसूली के अधिकार

४१३. श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जंगलों में चरने वाले जानवरों की चराई प्रति मास प्रति जानवर की सरकार द्वारा निर्धारित है ? यदि हां, तो गाय, बकरी, भेड़, ऊंट, बैल,

Page No. 13

(श्री विजयसिंह रावत)

सांड, भैंसा, भैंस, घोड़ा व गधा पर अलग कितना कितना चराई शुल्क लिया जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) बिना आज्ञा के कोई जानवर पुराने अथवा नये जंगल चरने चले जावें तो जानवरों के लिए कम से कम व अधिक से अधिक कितना जुर्माना देना पड़ता है प्रत्येक जानवर के नाम के सामने उक्त जुर्माने की धनराशि लिखते हुये सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या जानवरों के जुर्माना करके पैसा एकत्रित करने का अधिकार फॉरेस्ट गार्ड व जमादार या रेन्जर को है ? यदि हां, तो अलग-अलग बतावें कि किस-किस आदमी को कितना-कितना जुर्माना करने का अधिकार है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या नये जंगल बड़े न हो जावें जब तक जानवरों को पुराने जंगलों में चराने की आज्ञा है ? यदि हां, तो अजमेर जिले में इसे क्यों नहीं क्रियान्वित किया गया ?

वन मंत्री (राव श्री नारायणसिंह) :

(१) जी नहीं। कुछ स्थानों के लिये प्रति माह तथा कुछ स्थानों के लिये प्रति वर्ष निर्धारित है, सूची संलग्न है।

(२) बिना आज्ञा रक्षित एवं अरक्षित वन में घुसने पर जुर्माने की न्यूनतम राशि निर्धारित नहीं है। अधिक से अधिक निम्नलिखित जुर्माना राजस्थान वन अधिनियम, १९५३ की धारा ७१ के अधीन किया जा सकता है:-

१. ऊंट २ रुपया प्रति ऊंट।

२. भैंस, भैंसा, घोड़ा, घोड़ी, दछेरा, खच्चर, गाय, बैल, सांड आदि १) रुपया प्रति पशु।

३. भेड़, बकरी, गधा ५० पैसे प्रति पशु व इनके बच्चे। किन्तु यदि कोई व्यक्ति अरक्षित अथवा रक्षित वनों में जिसमें नये पुराने वन शामिल हैं, बिना आज्ञा प्रवेश करें और मवेशी चरावें या मवेशी की घुसपैठ करावें तो वन सम्पदा को पहुँचाई गई हानि के मुआवजे के अतिरिक्त न्यायालय द्वारा वह व्यक्ति राजस्थान वन अधिनियम की धारा २९ तथा ३२ के अन्तर्गत दंड का भागी होता है जो ६ मास तक कारावास या ५००) रुपये जुर्माना या दोनों हो सकती हैं।

(३) वन अधिकारियों द्वारा धारा ७० के अन्तर्गत किये गये जुर्माने की केवल अधिकतम सीमा निर्धारित है जिसकी वसूली धारा ६८ में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार वन अधिकारी कर सकते हैं किन्तु धारा २९ तथा ३२ के अन्तर्गत किये गये वन अपराधों में यदि वन संपदा को हानि का मुआवजा वसूल किया जाना हो तो ऐसा मुआवजा १००) रुपये से अधिक वेतन पाने वाले रेंजर के पद से वन अधिकारी, मंडल वन अधिकारी की स्वीकृति से वसूल कर सकते हैं।

(४) अजमेर जिले में पुराने जंगलों के चराई के लिये खुले क्षेत्रों में भेड़, बकरी, ऊंट के अतिरिक्त अन्य मवेशियों को चराई शुल्क देने पर चरने की अनुमति है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No. 14

श्री विजयसिंह रावत : आपने जो इस प्रश्न के भाग १ के अन्दर कहा कि प्रति मास नहीं है, यह प्रति वर्ष होता है तो क्या सरकार इसके ऊपर विचार करने के लिये तैयार है कि जहां नये जंगल बनाये और नये जंगल बनने से वहां के गांवों की आबादी के मुताबिक, पशुओं की आबादी के मुताबिक चरागाहों की जमीन नये जंगलों के अन्दर आ गई, तो जब जंगल रखे गये थे उस वक्त आज्ञा दी गई थी कि इन जंगलों के अन्दर पांच वर्ष के अन्दर, दस वर्ष के अन्दर जब तक कि नये जंगलों के पेड़ बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक उनको पुराने जंगलों के अन्दर जानवरों को चराने की आज्ञा दी गई, जिन रेंज के अन्दर यह जंगल पड़ते हैं उन गांवों के पशुओं को ही चरने की आज्ञा दी गई ? तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

राव श्री नारायणसिंह : अजमेर के जंगलों के अन्दर, जहां नये जंगल लगाये गये हैं, यह छूट दी जाती है। जहां खड्डे खोद कर नये जंगल लगाते हैं, तो इस प्रकार से पुराने जंगलों के अन्दर चराई के लिए व्यवस्था की जाय-यह जो आपका सुझाव है। इसको पूरी तरह से एग्जामिन किया जायगा कि इसमें किस प्रकार से नये जंगलों के अन्दर और भी इस प्रकार की व्यवस्था की जावे जिससे कि कोई बेतुकी बात नहीं रहे।

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या माननीय मंत्री अजमेर के जंगल से है ?

राव श्री नारायणसिंह : ऐं ?

श्री विजयसिंह : क्या माननीय मंत्रीजी अजमेर के जंगल से हैं ?

श्री नारायणसिंह : क्या फरमा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

राव श्री नारायणसिंह : मैं अजमेर प्रान्त से हूं और उसमें जंगल भी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अजमेर प्रान्त है ?

राव श्री नारायणसिंह : पहले अजमेर राज्य था, अब डिस्ट्रिक्ट है।

श्री विजयसिंह रावत : मैंने प्रश्न के भाग तीन में पूछा है कि रेंजर अधिक से अधिक कितना जुर्माना कर सकता है ? मेरी जानकारी के अनुसार, अध्यक्ष महोदय, क्या होता है कि रेन्जर लोगों पर दो सौ रुपयों का जुर्माना एक साथ कर देता है। बकरियां यदि दो सौ, ढाई सौ पकड़ी गई तो दो-दो रुपया फी बकरी का वह ले लेता है जबकि नियमों के अनुसार वह ऐसा नहीं कर सकता....

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है ?

श्री विजयसिंह रावत : क्या यह सही है ?

राव श्री नारायणसिंह : रेंजर लोग, जितनी क्षति हुई है वन में, उसके अनुसार मुआवजा तय करते हैं और पेपर फारवर्ड करते हैं वन-मंडल अधिकारी को। वन-मंडल अधिकारी उसके अन्दर हेरफेर कर सकता है।

श्री विजयसिंह रावत : क्या यह सही है कि अजमेर जिले के अन्दर यह आमतौर पर प्रेक्टिस रही है, और इस सम्बन्ध में जिला परिषद् की मीटिंग के अन्दर जिला परिषद् के

(श्री विजयसिंह रावत)

माननीय सदस्यों ने इस बात को उठाया था कि रेंजर लोग बकरियों को पकड़ते हैं और वहीं का वहीं जुर्माना ले लेते हैं और वह उसके चालान पेश नहीं करते हैं, जैसा कि मंत्री महोदय फरमाते हैं ?

राव श्री नारायणसिंह : अगर इस तरह की बात होगी तो उसकी जानकारी की जायगी और उस पर एक्शन लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री विजयसिंह : एक प्रश्न और है। जो मेच्योर्ड जंगल हैं जो पुराने जंगल हैं, जिनमें वृक्ष अच्छी तरह से लगे हुए हैं, उनके चारों तरफ नये जंगल लगा दिये हैं और अजमेर जिले में, जैसा कि आपको अनुभव होगा, जानवरों की चराई के लिए बहुत कम जमीन है। क्या ऐसी व्यवस्था आप करने को तैयार हैं कि पुराने जंगलों में चराई के लिए, गाय, भैंस और बैलों को चराने के लिए अनुमति दी जाय ?

राव श्री नारायणसिंह : इस समय पुराने जंगलों के अन्दर उन गांवों को रियायत दी जाती है कि जिन गांवों की भूमि उन पुराने जंगलों में घिरी हुई है। अब नये जंगल लगाये गये हैं, वह जगह-जगह लगाये गये हैं यह माननीय सदस्य को भी मालूम है कि घास की किल्लत प्रति वर्ष बढ़ती चली जा रही है और उसके लिए फॉडर रिजर्व इत्यादि के लिए प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता है, जो विचाराधीन है और उसके अन्दर सहयोग पंचायत का और जन-साधारण का वांछित है।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी और करनी है। बलवंता एक गांव है, नसीराबाद केन्टूनमेंट, छावनी जहां पड़ती है, उस गांव की यह हालत है, कि वहां के दो ग्वाले भी मर गये हैं, उसके पास पांच-पांच पेड़ लगा कर नये जंगल बना लिये हैं लेकिन मवेशियों को पुराने जंगलों में चराने के लिए छोड़ने नहीं देते हैं। उधर जाते हैं तो चांदमारी होती है मिलिट्री वालों की। तो बलवंता, दांता और बीर है—इससे उस गांव के लोग परेशान हैं क्योंकि न तो उनको पुराने जंगलों में जानवरों को चरने देते हैं और न चरागाह के लिए जमीन है जबकि नये जंगलों में पांच-पांच पेड़ लगाये हैं ....

श्री अध्यक्ष : क्या मंत्री महोदय को इसकी जानकारी है ?

राव श्री नारायणसिंह : इस बात की जांच करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

हरिगढ़ नाले का सर्वे तथा रामगंज मंडी की सिंचाई योजनाएं

४१४. **श्री जुझारसिंह (रामगंजमंडी) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) रामगंजमंडी के ग्राम रघुनाथपुरा के पास हरिगढ़ नाले का सर्वे कब से किया जा रहा है और इस योजना से कितना रकबा कितने-कितने गांवों में सिंचित किये जाने की सम्भावना है ?

(२) रामगंजमंडी के अमभार नालेपर रियासत के समय अमभार गांव में बनाया गया बांध कब से टूटा पड़ा है और इसको ठीक नहीं करवाये जाने के क्या कारण हैं ?

(३) रामगंजमंडी तहसील में सरकार द्वारा कितनी सिंचाई योजनायें विचाराधीन हैं और किन-किन स्थानों पर ?

Page No. 16

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) इस योजना का सर्वेक्षण सन् १९६९ में प्रारम्भ किया गया तथा अब इसकी नींव सम्बन्धी अनुसंधान चालू है। इस योजना से लगभग ४५०० एकड़ भूमि में वार्षिक सिंचाई होने का अनुमान है। ग्रामवार व्योरा अभी सम्भव नहीं।

(२) लगभग ३० वर्ष से। इससे फलों की सिंचाई नहीं हो सकती। पहले भी केवल शिकार के काम के लिये ही बनाया गया था।

(३) फिलहाल प्रश्न के भाग (१) में वर्णित योजना ही विचाराधीन है।

श्री जुझारसिंह : आपका जो अनुसंधान जारी है नींव के सम्बन्ध में यह कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ? इसकी कम्प्लीट सर्वे कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका अनुसंधान या कम्प्लीट सर्वे हो जायगी और जल्दी ही इसको करा सकेंगे लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत हमारे सामने है वह यह है कि इसका सबमर्जेन्स मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसलिए उसकी स्वीकृति लेने के लिए इन्टर-स्टेट कन्वेन्शन के हिसाब से पूछना पड़ता है। उनकी स्वीकृति लेने के लिए कई बार लिखा है लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं आई है। यह भी प्राप्त करनी होगी।

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि जितना भी सर्वे हुआ है यह मध्य प्रदेश में हुआ है और वह बिना स्वीकृति के कर रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मध्य प्रदेश में जितना हुआ है इसका सर्वे, यह बाउन्ड्री लाइन है, सबमर्जेन्स का भाग मध्य प्रदेश में कुछ आता है, कुछ राजस्थान में है। केनाल राजस्थान में बनेगी, उसका सर्वे हुआ है और जो बांध बनेगा वह राजस्थान के हिस्से में बनेगा, जिसकी फाउन्डेशन का सर्वेक्षण राजस्थान के हिस्से में होगा, मध्य प्रदेश के हिस्से का सर्वेक्षण नहीं करना है। जो सबमर्जेन्स में आने वाला हिस्सा है उसको इजाजत मध्य प्रदेश से ले लेनी है।

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि इस असेम्बली में एक सवाल के ऊपर यह जवाब दिया गया है कि मध्य प्रदेश का कोई गांव, कोई रकबा सबमर्जेन्स में नहीं आ रहा है ? यह पानी जितना स्टोरेज होगा, वह मध्य प्रदेश में होगा, तो किस गांव का कितने रकबे का और कितनी काश्त की जमीन का डूबने का सवाल है, इस बात की सर्वे कराके देख लिया है कि कोई इलाका मध्य प्रदेश का डूब में नहीं आ रहा है और इसलिए उसको नुकसान नहीं होने वाला है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी जानकारी के अनुसार ही मैंने उत्तर दिया है। पहले विधान सभा में इस तरह का उत्तर दिया है तो मुझे बतायें। उसमें कोई इस प्रकार की स्थिति है तो मैं जानकारी प्राप्त कर सकता हूं। अभी लेटेस्ट रिप्लाई मुझे बताया गया है उसके अनुसार मैंने निवेदन किया है कि हरिगढ़ के पास का क्षेत्र इसके सबमर्जेन्स में आता है।

श्री जुझारसिंह : इसका जवाब तो आप देंगे। दूसरा जो प्रश्न का भाग है, उसमें अमझार के नाले के लिए फरमाया कि वह ३० वर्ष से बिगड़ा पड़ा हुआ है, इससे सिंचाई की योजना पासिबल नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस बांध के बन जाने से लिफ्ट इर्रीगेशन में पांच-दस गांव आते हैं।

Page No. 17

(श्री जुझारसिंह)

डाइरेक्टली इरिगेशन नहीं हो, लेकिन जो स्टोरेज होगा तो उससे पांच-दस आस-पास वाले गांवों में लिफ्ट इरिगेशन के साधन बढ़ जाते हैं। इस निगाह से क्या सरकार इस बांध को बनाने की आज्ञा देगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इस पर्टीक्यूलर साइट के बारे में कहा जाता है कि दोनों तरफ बैंक्स तीस-तीस, चालीस-चालीस फुट, पचास-पचास फुट ऊंचे हैं, उन बैंक्स के ऊपर दोनों तरफ तीस-तीस, चालीस-चालीस, पचास-पचास फुट बैंक्स की ऊंचाई है और ३० फुट से नीचे तो इसलिये नहीं हो सकती कि जो बांध टूटा हुआ है, जिसको बनाने का आप कहते हैं, इतने ऊंचे बैंक्स होने की वजह से फ्लो इरिगेशन तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया और लिफ्ट इरिगेशन की बात आप कहते हैं तो अभी वहां लिफ्ट इरिगेशन के लिये बिजली ही वहां है और न लिफ्ट इरिगेशन की वहां के लिये कोई योजना ही वहां बनाई है। चम्बल की दूसरी लिफ्ट इरिगेशन योजनाएं हैं, उनके लिये भी फण्ड्स नहीं हैं तो इस गैर चालू योजना को तो हाथ मे लेना मुमकिन नहीं है।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो सूचना दी है तीस चालीस फीट, ५० फीट ऊंची है यह गलत है।......

श्री अध्यक्ष : कितने फीट की ऊंचाई है ?

श्री जुझारसिंह : मुश्किल से १५-२० फीट की ऊंचाई है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बांध जो बना हुआ था, इसकी ऊंचाई कितनी थी ?

श्री जुझारसिंह : बांध इन्टेक्ट है, उससे लगती हुई जमीन है, वहां से पानी निकल गया है किनारे तोड़ कर, बांध टूटा नहीं है, बांध इन्टेक्ट है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : डायरेक्ट फ्लो इरिगेशन हो तो हम हाथ में ले सकते हैं, लिफ्ट इरिगेशन को हम हाथ में नहीं ले सकते।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, बंधी हुई चीज पड़ी हुई है, वह टूटा नहीं है, थोड़े से खर्चे से उससे इरिगेशन हो सकता है। कुमारपुर गांव के पास सड़क को रोक देने से... ......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : महाराज उम्मेदसिंहजी ने इसे बनवाया था, इससे ५०० गज की दूरी पर शिकार के लिये शानदार कोठी उनकी बनी हुई है। कोठी की सुन्दरता बढ़े और शेर वहां आयें, शिकार के लिये वहां शेर आये इसलिये इस कोठी को बनाया था। वहां शेर ही नहीं रहे तो शिकार का प्रश्न हो पैदा नहीं होता। ऐसी हालत में लिफ्ट इरिगेशन के नाम पर महलों की सुन्दरता को बढ़ायें और शेरों के लिये पानी पीने का प्रबन्ध करें तो यह संभव नहीं है।

श्री जुझारसिंह : मैं शिकार के लिये नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिंचाई के लिये कह रहा हूं। शिकार के लिये अभी भी वहां गेम सैंचुरी लगी हुई है... ....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लेकिन इसके लिये फोरेस्ट मिनिस्टर विचार करेंगे कि बनायें या नहीं बनायें।

श्री जुझारसिंह : न मुझे शेरों से मतलब है न शिकार से, मैं तो बांध के बारे में कह रहा हूं। और जो मंत्री महोदय ने कहा

(श्री भुभारसिंह)

कि बांध उम्मेदसिंह के समय में बना हुआ है, यह भी गलत है, बांध मर्जर से चार पांच साल के अर्से में शुरू हुआ था। वहां बिजली की भी आवश्यकता नहीं है, ड्रेनेज बनी हुई है उनसे सिंचाई हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! प्रश्न संख्या ४१५।

श्री दौलतराम सारण :

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रियों की टूट-फूट की रिपेअरिंग के लिये तो हमारे यहां व्यवस्था की गई है फिर बन्धों की टूट-फूट की रिपेअरिंग के लिये व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है ?

श्री भैरोंसिंह : टेन्डर्स इन्वाइट किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : टेन्डर्स बहुत ऊंचे हैं। नैक्स्ट ! श्री हरिवल्लभ शर्मा।

ग्राम ईसरदा में सिवाय चक बंजड़ भूमि का कब्जा

४१६. **श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम ईसरदा, तहसील सवाई माधोपुर में खसरा नम्बर, १६४८ में से १० बीघा भूमि श्री प्रभूसिंह पुत्र श्री धोकलसिंह राजपूत निवासी ईसरदा को दिनांक १४-.-६५ ई० को सिवाय चक बंजड़ अलॉट की गई थी और उसी वर्ष उसे इस जमीन पर कब्जा दिया जाकर नक्शा देह में तरमीम की जाकर इस जमीन का खसरा नम्बर १६४ ·$\frac{१}{१}$ डाला गया ?

(२) क्या यह सही है कि इस अलॉटी को दिनांक १४-९-६६ को इस जमीन का पट्टा भी दे दिया गया और एलॉटमेंट की साल से ही उक्त एलॉटी से इस जमीन का लगान लिया जाता रहा ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त प्रभूसिंह स्यालू संवत् २०२२ से ही इस जमीन को काश्त करता रहा और उसो ने संवत् २०२४ में भी इस भूमि में स्यालू काश्त की ?

(४) क्या यह सही है कि दिनांक ६-१०-६७ ई० को तहसील द्वारा पटवारी भेज कर उक्त भू-खण्ड की काश्त को सरपंच ग्राम पंचायत ईसरदा की मदद से नष्ट करा दिया गया ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

(५) क्या यह सही है कि उक्त श्री प्रभूसिंह ने दिनांक ९-१०-६७ ई० को ही जिलाधीश महोदय सवाईमाधोपुर एवं मंत्री महोदय को रजिस्ट्री द्वारा तथा तत्पश्चात् दिनांक ९-११-६७ को स्वयं ने जिलाधीश महोदय के यहां शिकायती प्रार्थना-पत्र दिए ? यदि हां, तो इन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? और दोषी पटवारी को क्या सजा दी गई ?

उपमंत्री राजस्व (श्री गंगाराम) :

(१) ग्राम ईसरदा, तहसील सवाईमाधोपुर में खसरा नम्बर १६४८/१ में से ११ बीघा सिवाय चक बंजड़ श्री प्रभूसिंह को नहीं किन्तु श्री प्रभूनारायणसिंह पुत्र श्री धोकलसिंह राजपूत निवासी ईसरदा के नाम दिनांक १४-७-६५ को आवंटित की गई और इस जमीन पर ता० २५-५-६६ को कब्जा दिया गया। पटवार नक्शे में खसरा नम्बर १६४८/१ पहले से ही अंकित है। नक्शा देह में तरमीम की जाकर इस जमीन का नया खसरा नम्बर नहीं बदला गया।

(श्री गंगाराम)

(२) यह सही नहीं है कि एलॉटी को इस जमीन का पट्टा दिनांक १४-६-६६ को दिया गया बल्कि तथ्य यह है कि पट्टा दिनांक १४-६-६६ को तैयार किया जाकर तारीख १५-६-६६ को दिया गया। एलॉटी से अब तक इस भूमि का लगान जमा नहीं हुआ है।

(३) यह सही नहीं है कि प्रभुनारायण-सिंह ने स्यालू सम्वत् २०२२ व २०२३ में उक्त आवंटित जमीन पर काश्त की। उसने स्यालू सम्वत् २०२४ में खसरा नम्बर १६४८/१ में आवंटित भूमि में से २।।) रकबे पर तथा खसरा नम्बर १६४८/२ व चरागाह भूमि में १।।) ४ रकबे पर काश्त की।

(४) जी नहीं। आवंटित भूमि में कोई काश्त नष्ट नहीं की गई।

(५) जी हां। मामले की जांच की जा रही है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : कौन अधिकारी मामले की जांच कर रहा है ?

श्री गंगाराम : जिलाधीश इस सम्बन्ध में जांच कर रहे हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अब तक ५ महिनों में जांच पूरी नहीं होसकी कि काश्त भिलवाई तो किसने भिलवाई ?

श्री गंगाराम चौधरी : काश्त भिलवाई नहीं गई।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : तो फिर जांच किस बात की हो रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : इस बात की जांच की जा रही है कि रकबा नं० १६४८/२ जो चरागाह है, उस पर काश्त की गई। वहां चरागाह में १.१४ बिस्वा अपना समझ कर उन्होंने काश्त की है जब कि वह चरागाह है, इस बात की जांच की जा रही है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अभी तक वहां कोई अधिकारी जांच करने के लिये नहीं पहुँचा है, किसी प्रकार की जांच नहीं की गई है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह तो कलेक्टर जांच करवा रहे हैं, कोई न कोई पहुँचा होगा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रभुनारायण-सिंह हाउस होल्ड में आर्डरली है ११ बीघा काश्त को भिलवाया गया है, उसने खुद ने दर्खास्त दी है केवल तारीखें दी जा रही हैं, और कब्जा करने की कोशिशें की जा रही । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे यह आश्वासन दें कि कब तक जांच पूरी करा दी जायगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जांच कब तक पूरी हो जायगी, यह तो मैं नहीं कह सकता पर जल्दी से जल्दी करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

अनुसूचित जातियों के लिये पृथक् छात्रावास

४१७. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कुल कितने छात्रावास हैं ?

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

(२) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि अनुसूचित जातियों के लिये पृथक् से छात्रावास रखने की व्यवस्था से ऊंच-नीच व भेदभाव की भावना को प्रोत्साहन मिलता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस व्यवस्था को समाप्त करने का विचार रखती है ?

समाज कल्याण मंत्री (राव श्री नारायणसिंह) : (१) समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछड़े वर्गों के लिये कुल १०२ राजकीय एवं १०७ अनुदानित छात्रावास चलाये जा रहे हैं।

(२) ये छात्रावास इन वर्गों की विशेष सुविधाओं के लिये चलाये जाते हैं। इनसे ऊंच-नीच व भेदभाव की भावना को प्रोत्साहन मिलने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, इतने वर्षों के बाद भी आजादी के २० वर्षों बाद भी अभी तक अलग-अलग छात्रावास चलाये जा रहे हैं, यह बेकार क्रिमिनल वेस्ट है, तो क्या मंत्रीजी ठीक नहीं मानते कि जितने पिछड़ी जाति के छात्रावास हैं, उन सब छात्रों को जो आम छात्रावास हैं, उनमें रखा जाय, जिससे कि यह भेदभाव दूर हो।

राव श्री नारायणसिंह : मंत्री तो संविधान का प्रावधान है उस ही के अनुसार विशेष कार्यवाही करने के लिये प्रयत्नशील है, संविधान के अनुसार इनको विशेष सुविधा मिल सके इसलिये ऐसा किया जाता है। आम छात्रावासों में इन छात्रों को जगह दी जाय इसके लिये पोस्ट मेट्रिक स्टुडेन्ट्स के लिये प्रयत्न किये गये थे, साइन्स स्टुडेन्ट्स केलिये भी किया गया, उसमें काफी दिक्कतें आईं, काफी जोर लगाया गया, जो छात्रावास वाले दूसरी जगह-जगह नहीं पा सके उनको और जगह स्थान देकर दूसरी श्रेणी के छात्रावासों में रखना पड़ा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपने फरमाया कि वहां कुछ दिक्कतें आईं तो इसका क्या यह मतलब नहीं हुआ कि हरिजन और आदिवासी छात्रों को दूसरे छात्रावास लेने को तैयार नहीं हैं। संविधान का आखिर तो मकसद यही है कि छूआछूत बिलकुल मिटे। इनके छात्रावास अलग-अलग रहेंगे, तो यह भेदभाव, यह छूआछूत कैसे मिटेगी ?

राव श्री नारायणसिंह : यही तो प्रयत्न किया जा रहा है कि छूआछूत मिटे, इसके लिये जनमानस तैयार किया जा रहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता की भावना की मैं कद्र करता हूं। मेरी क्षण भर के लिये भी इच्छा नहीं है कि पिछड़ी जातियों को शिक्षा के मामले में प्रोत्साहन नहीं दिया जाय, इन्हें अवश्य प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। परन्तु क्या २० वर्ष बाद भी आप यह उचित समझते हैं कि यह एग्रेगेशन की भावना, यह जुदागाना रखने की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को आप हमेशा के लिये कायम स्थापित रखना चाहते हैं। यह क्या हमारे देश की ऐकता के लिये, भावात्मक एकता के लिये ठीक भावना है। क्या इसमें कोई परिवर्तन लाना आवश्यक नहीं समझते ? आवश्यक समझते हैं तो आजमाइशी तौर पर कोई मिलीजुली व्यवस्था, छात्रावासों की करने का सरकार का विचार है ?

राव श्री नारायणसिंह : यह सेग्रेगेशन का प्रश्न नहीं है। विशेष सुविधा प्रदान करने का प्रश्न है जो संविधान के अन्तर्गत है। माननीय विरोधी दल के नेता ने यह फरमाया कि आजादी के बीस वर्ष बाद भी इस तरह की सेग्रेगेशन की भावना रहे तो यहां जन मानस की बात आती है। आज बहुत खेद के साथ देखना पड़ रहा है कि जाति के लिहाज से ही सारी बातों का अवलोकन करते हैं। तो आज जनमानस को बदलने की आवश्यकता है। समाज कल्याण विभाग से प्रयत्न यह किया जाता है कि जो तथाकथित सवर्ण जातियों को स्थान है वही स्थान पिछड़ी जातियों को दिया जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरे ख्याल से सरकार का जो यह मत है, हालांकि अलग-अलग मत मतांतर रखने का आपको अधिकार है, बड़ा अजीब है। मेरा तो २० बरस का व्यक्तिगत अनुभव है कि जातिवाद को प्रोत्साहन मिला है और वह आगे आया है। और कहीं-कहीं जातिवाद इस हद तक बढ़ा है कि जो हमारे लिये, हमारी शान के लिये और भविष्य के लिये भी मेरे खयाल से अच्छा नहीं है। अगर आप इन जातियों को प्रोत्साहन दें तो दें अवश्य, लेकिन इनको अलग-अलग रख कर सेग्रेगेशन के बेसिज पर, मैं समझता हूं यह तो दूसरा अपारथेड हो रहा है। अगर इस व्यवस्था को आप आगे बढ़ायेंगे तो मेरे ख्याल से यह समाज और देश के लिये निश्चित ही हानिकारक सिद्ध होगा।

राव श्री नारायणसिंह : मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि सेग्रेगेशन की व्यवस्था का नाम देकर अगर आप पिछड़ी जाति वालों को कुचलना चाहें वह भी तो उचित नहीं होगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : लेकिन जिस जातिवाद की भावना को आप खत्म करना चाहते है उसको ही प्रोत्साहन मिल रहा है, आपके मन्शा के विपरीत भी यह भावना बढ़ रही है।

श्री रामकिशन (वैर) : आपने कहा कि कुछ कठिनाइयां आई तो वे कौनसी कठिनाइयां थीं ?

राव श्री नारायणसिंह : प्रवेश देने के इशू पर कठिनाई आई। उनके पास अकोमोडेशन नहीं रहा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप यह क्या जरूरी नहीं मानते कि हर छात्रावास में इस तरह से सीट्स सुरक्षित रख देना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर ! आर्डर ! नेक्स्ट। श्री गंगासहाय।

करोड़ी कुण्ड पर बांध निर्माण पर व्यय

४१८. **श्री गंगासहाय (कठूमर सु०) :** क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है की खोह ग्राम, क्षेत्र कठूमर के स्थान करोड़ी कुण्ड पर बांध निर्माण कार्य का उद्घाटन केन्द्रीय संचार व सूचना मंत्री (भूतपूर्व) के द्वारा हुआ था ?

(२) अब तक उक्त बांध कार्य पर सरकार का कितना धन खर्च हो चुका है ? कितना कार्य किया जा चुका है ? यदि कार्य नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ ?

(श्री गंगासहाय)

(३) क्या यह सही है कि इस कार्य पर ३०० मजदूर लगे थे ? ये मजदूर कितने समय तक कार्य करते रहे ? इनको कुल कितनी रकम का भुगतान मजदूरी के रूप किया गया ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा):

(१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गंगासहाय : जनवरी १९६७ में यह काम हुआ है। मंत्रीजी झूठ बोल रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि सिंचाई विभाग में ऐसा कोई तालाब नहीं है, कोई काम एक दिन भी नहीं कराया, मजदूरी भी नहीं कराई ।

श्री रामकिशन : राज बहादुरजी जब चुनाव लड़े थे तब इस तालाब का काम क्या उन्होंने प्राइवेट तरह से करवाया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे नहीं मालूम।

श्री रामकिशन : पंचायत समिति ने कराया होगा।

श्री अध्यक्ष : उसको सिंचाई मंत्री कैसे बता सकते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पंचायत समिति से ऐसा मालूम हुआ है कि उसका सर्वे कराया था। कुल २०० रुपये सर्वे में खर्च हुवे। तकमीने वगैरा के लिये असिस्टेन्ट इन्जिनियर, सी० डी० को भेज दिया गया ।

श्री रामकिशन : यह बहुत गम्भीर बात है, दो सौ रुपये खर्च हुये हों या दस रुपये हुए हों। चुनाव के समय यह काम कराया गया है मतदाताओं को बहकाने के लिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सर्वे के बाद टेक्निकल एप्रूवल के लिये सी० डी० के असिस्टेन्ट इन्जिनीयर के पास भेजा जिनके प्रमुख स्वयं माननीय सदस्य हैं।

श्री रामकिशन : मैं आपको सूचना दे दूं कि पंचायत समिति से न तो सर्वे होता है न टेक्निकल सैंक्शन होती है।

सदस्य (एक माननीय सदस्य): अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत बता रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका सिंचाई से क्या ताल्लुक है ? मैंने तो...

श्री अध्यक्ष : और प्रोबलाइज किया।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री श्रवणलाल ।

हिण्डौन शहर व देहातों में दिवाली पर चीनी का वितरण

४१९. **श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) क्या यह सत्य है कि हिण्डौन शहर व देहातों में गत दिवाली पर चीनी वितरित नहीं की गई थी ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री श्रवणलाल)

(२) क्या यह भी सच है कि जिले में करीब-करीब सब जगह चीनी वितरित हुई थी ?

(३) क्या यह भी सच है कि चीनी ग्राम जनता को न दी जाकर शहर के हलवाइयों को दी गई थी ? यदि हां, तो कितनी बोरी ?

(४) क्या यह सच है कि हलवाइयों से एक बोरी चीनी के ऊपर १०० रुपये एस० डी० ओ० हिण्डौन ने लिये हैं ? यदि हां, तो इस अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उप मंत्री, खाद्य (श्री रामदेवसिंह): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिये इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत ही गम्भीर मसला है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन सूचना प्राप्त नहीं है तो जवाब कैसे देंगे ?

श्री श्रवणलाल : इस सवाल को दिये हुए आज दो तीन महीने हो गये और सवाल चीनी का है।

श्री अध्यक्ष : आगे का सवाल बहुत महत्वपूर्ण आ रहा है।

श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री रामकिशन : ४२० कौन बनेगा ?

श्री श्रवणलाल : ४२० कौन हैं ? मंत्री या प्रश्नकर्ता।

कस्बा लाडनूं में जलप्रदाय योजना के कार्यालय व टंकी के निर्माण में आई भूमि

४२०. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कस्बा लाडनूं, जिला नागौर में जो जलप्रदाय योजना का कार्यालय और टंकी बनी हुई है वह जमीन किसकी है तथा उस जमीन की किस्म क्या है तथा उसका लगान क्या वसूल किया जाता है ? सूची सम्वत् २०१० से लेकर अब तक की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) पिछले सेटलमेन्ट के समय खसरा बन्दोबस्त में यह जमीन किसी व्यक्ति के नाम से दर्ज थी या राज्य सरकार के कब्जे में थी ?

(३) क्या इस सेटलमेन्ट के समय कोई रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती का केस सेटलमेन्ट विभाग में चला ? यदि हां, तो आखिरी फैसला क्या हुआ ?

(४) क्या यह भी सही है कि इस जमीन को एक्वायर करने बाबत कोई कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कार्यवाही किस स्टेज पर चल रही है ?

(५) क्या इस जमीन के मालिक की हैसियत से सरकार से किसी ने कोई मुआवजे की मांग की है ? यदि हां, तो किस व्यक्ति ने कितने मुआवजे की किस रूप से कब मांग की है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम) : (१) लाडनूं जलप्रदाय का कार्यालय व टंकी बनी हुई है उसका खसरा नं० १५३७ जो दो भागों में विभाजित है उत्तरी भाग का क्षेत्रफल ५/३ बिस्वा है। चारों ओर दीवार से (कम्पाउन्ड से) घिरा हुआ है और इसमें जलप्रदाय योजना के कार्यालय क्वार्टर्स, हौज, ट्यूबवेल एवं टंकी बनी हुई है। दक्षिण भू-भाग इसका क्षेत्रफल ५।।) १ बीघा है और यह पड़त पड़ा हुआ है, इस भू-भाग पर किसी प्रकार का आहता तार अथवा दीवार का बना हुआ नहीं है। वर्तमान रिवीजन बन्दोबस्त में खसरा नं० १५३७ का क्षेत्रफल ११)४ बीघा आया इसकी किस्म बारानी अलिफ है और भूमि दर ५५ पैसा प्रति बीघा के हिसाब से रखी गई है। जिसकी कुल जमा ६.१६ रुपयों की कायम की गई है। जिसका लगान पुरानी दर से संवत् २०१० से २०२१ तक का वसूल हो चुका है। उसके बाद का जमा नहीं हुआ है। इसका इन्द्राज खातेदारी में मालचन्द पुत्र जीवराज, कौम महाजन (ओसवाल) के खातेदारी में दर्ज किया गया था।

(२) पिछले बन्दोबस्त में २००६ लगायत २०२५ की खतौनी बन्दोबस्त में खसरा नं० १५३७ पर फूलचन्द, माणकचन्द पि० रिधिकरण सा० देह, प्रेमसुख वल्द मोतीलाल, सुगनचन्द वल्द जोरावरमल सा० देह, मनसरवाला, गणपतराय, हीरालाल बेटा पोता डायमल कौम श्रावगी, सा० देह पट्टा गिरदा खातेदार के नाम का इन्द्राज हैं।

(३) खसरा नं० १५३७/१, ।।।) १ भूमि बाबत गणपतराय पुत्र डायमल श्रावगी साकिन लाडनूं के प्रार्थना-पत्र पर मिसल नं० ११८४/६७ बनकर उस पर सहायक रेकर्ड ऑफिसर ने दिनांक २७-२-६७ को आदेश दिये कि उक्त भूमि प्रार्थी के नाम से खारिज करके वाटर वर्क्स, राज्य सरकार के नाम दर्ज किया जाय। इस आदेश के अनुसार कागजात बन्दोबस्त में अमलदरामद किया जाकर दुरुस्ती कर दी गई।

(४) हां, यह सही है, जिस स्थान पर पानी की टंकी व जलप्रदाय विभाग का कार्यालय आदि बना है उसको अवाप्त करने के लिये सचिव, मेडिकल पब्लिक हेल्थ विभाग, राजस्थान को निवेदन किया गया था मगर उन्होंने यह उत्तर भेजा है कि भूमि का कब्जा ले लिया गया है। इसलिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही नहीं हुई।

(५) इस भूमि के मुआवजा की मांग फूलचन्द, मानिकचन्द निवासी लाडनूं ने भूमि की कीमत एक दफा दो रुपया बताई फिर चार रुपये प्रति वर्गगज से लेने के लिये सहमत हुआ। उसमें यह भूमि आबादी की मानी मगर राजस्व रेकर्ड में यह भूमि आबादी की न होकर काश्त की होने से इतनी रकम मान्य नहीं। मुआवजा संबंधी प्रश्न मेडिकल व हेल्थ विभाग में विचाराधीन है।

(१२ मध्याह्न)

श्री विजयसिंह (मकराना) : ठीक १२ बजे हैं और ४२० का जवाब है। अगर श्री जसराज इसका जवाब दें तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री भैरोंसिंह : ४२६।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : चार सौ बीसी कर रहे हैं, ४२० का जवाब दिया गया है, ४२० तो समाप्त हुआ तो क्या वास्तव में समाप्त हुए ?

प्रश्न संख्या ४२१

श्री अध्यक्ष : राजवी श्री रूपसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री नाथूराम !

डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले के छात्रावास

४२२. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले में समाज कल्याण विभाग के कितने छात्रावास हैं ?

(२) इन छात्रावासों में कार्य कर रहे अधीक्षकों में से कितने आदिवासी, अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं ?

(३) इन छात्रावासों के अधीक्षकों की शैक्षणिक योग्यता क्या है ? प्रत्येक अधीक्षक के सम्बन्ध मे बताने का कष्ट करें व सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या यह सही है कि ये अधीक्षक हायर सेकेन्डरी या इससे ऊंची कक्षा के विद्यार्थियों का मार्ग-दर्शन करने में सक्षम नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऊंची योग्यता के व्यक्तियों को रखने का इरादा रखती है ?

(५) आदिवासी क्षेत्र के लिए आदिवासी अधीक्षक ही हों, क्या इस प्रस्ताव से सरकार सहमत है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (राव श्री नारायणसिंह) : (१) डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले में समाज कल्याण विभाग के ११ छात्रावास हैं।

(२) इन छात्रावासों में कार्य कर रहे अधीक्षकों में से ४ अनुसूचित जाति के एवं अनुसूचित जन-जाति के अधीक्षक हैं।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) छात्रावास अधीक्षकों का मुख्य कार्य छात्रावासों में खाने, पीने, कपड़ों, पुस्तकें आदि की व्यवस्था करना होता है। ये कार्य इन छात्रावासों में नियुक्त अधीक्षक भलीभांति कर रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के समस्त छात्रावासों में अधीक्षक नियमानुसार नियुक्त किये गए हैं जिनको हटाकर उनके स्थान पर अन्य अधीक्षकों की नियुक्ति करना संभव नहीं है।

(५) जी नहीं। प्रत्येक जाति के कल्याण कार्य के लिए उसी जाति का व्यक्ति रखना न तो संभव ही है और न ही वांछनीय है। भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न पदों पर विभाग में जाति-पांति के भेद की नियुक्ति की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री नाथूराम : क्या यह सही है कि आदिवासी जो मैट्रिक से भी अधिक पास हैं उनको नहीं रखा जा रहा है ?

Page No. 26

राव श्री नारायणसिंह : ऐसी बात नहीं है। मैट्रिक से आगे वाले होते हैं तो रखे जाते हैं।

श्री नाथूराम : जो मुझे सूचना मिली है, जैसा कि बांसवाड़ा के कॉलेज के साथ होस्टल चल रहा है और इंटर पढ़ाने की व्यवस्था है, आज आदिवासी और हरिजन बी० ए० और एम० ए० लड़के बेकार बैठे हैं, उनको नहीं दिया जाता है जबकि कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के छात्रावास में रखे हैं, तो मार्गदर्शन के लिए कम से कम उनकी योग्यता वाली व्यवस्था तो होनी चाहिये। क्या मंत्री महोदय व्यवस्था करेंगे ?

राव श्री नारायणसिंह: कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों के लिए यूं तो साइंस और गणित आदि की कोचिंग और गाइडेन्स की व्यवस्था की गई है और छात्रावासों के जो अधीक्षक हैं, वे, मैं समझता हूं...

श्री अध्यक्ष : उनमें निरीक्षण शक्ति होनी चाहिये।

राव श्री नारायणसिंह : बजाय कोरे एकेडेमिक क्वालीफिकेशन्स छात्रों में अच्छी तरह से मानस तो समझें, इस बात की ज्यादा आवश्यकता है बजाय कि एम० ए० और एलएल० बी० के।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि छात्रावासों को छात्रों के लिए जो अनुदान या दूसरी सुविधायें दी गई हैं, वे समय पर नहीं दी जाती ?

राव श्री नारायणसिंह : यह बिल्कुल ठीक नहीं है।

श्री नाथूराम : आज २० साल हो गये। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में लाखों आदिवासी रहते हैं, ११ छात्रावास खुले हैं। आज १० साल से मांग रही है कि जहां सेकेन्डरी स्कूल्स चल रहे हैं वहां छात्रावास बनने चाहियें, हायर सेकन्डरी स्कूल्स चल रहे हैं वहां होने चाहियें और जो कॉलेज हैं, वहां कम से कम १०० लड़कों का छात्रावास होना चाहिये लेकिन आज इस मांग की समाज कल्याण विभाग द्वारा पूर्ति नहीं हो रही है, तो क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि छात्रावासों की विशेष व्यवस्था करेंगे ?

राव श्री नारायणसिंह : यह अलग से प्रश्न है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : मैं जानना चाहता हूं कि जहां छात्रावासों में आपने विद्याविनोदिनी, मैट्रिक और हायर सेकेन्डरी के अधीक्षक रखे हैं, क्या शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रकार का प्रावधान है कि जो भी इस प्रकार के छात्रावास के वार्डन्स या सुपरिन्टेन्डेन्ट रखे जायं वे क्वालीफाइड हों और उनमें इस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए कि जो उन छात्रों को गाइड कर सकें ?

राव श्री नारायणसिंह : शिक्षा विभाग की बात अलग है लेकिन ये जो छात्रावास के अधीक्षक रखे गये हैं वे पी० एस० सी० की सिलेक्शन द्वारा नियुक्त हैं, उनको निकाला नहीं जा सकता, नियमानुसार रखना पड़ता है जिस प्रकार रिक्त स्थान होते हैं, उपयुक्त अधीक्षक चुनने का प्रयत्न किया जाता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : चलते तो हैं समाज कल्याण विभाग के तहत लेकिन योग्यता उनमें होनी चाहिए जिस प्रकार की शिक्षा विभाग अपने छात्रावासों के वार्डन्स

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

की रखता है। तो समाज कल्याण विभाग अपनी नीति में सुधार करने का प्रयत्न करेगा ?

राव श्री नारायणसिंह : कौनसी नीति ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : जैसी शिक्षा विभाग-की है।

राव श्री नारायणसिंह : एकेडेमिक क्वालीफिकेशन्स की नीति एक....

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि आपके विभाग में जो छात्रावासों के वार्डन्स की वेतन शृंखला निर्धारित की गई है, वह क्या देते हैं ?

राव श्री नारायणसिंह : बहुत कम है मैं मानता हूं एल० डी० सी० के बराबर करीब-करीब है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छात्रावासों में जो कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, उनका केवल मात्र एक ही आधार है और वह यह कि अनिवार्यरूपेण कि वे कांग्रेस दल के समर्थक होने चाहिए ? क्या इस नीति के सिद्धान्त के आधार पर ही नियुक्तियां की जाती हैं ?

राव श्री नारायणसिंह : यह तो माननीय विरोधी दल के नेता का दृष्टिकोण मात्र है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जैसा प्रश्नकर्ता ने पिछली बार इस सदन में कुछ प्रकाश डाला था कि कई एम० ए० और एलएल० बी० हैं, वे दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, यह दूसरी बात है, कांग्रेस के समर्थक नहीं हैं इसलिए उनको छात्रावासों में कोई स्थान नहीं दिया जाता है।

राव श्री नारायणसिंह : रिजर्वेशन्स सर्विसेज में लेने के लिए की गई हैं। १२-१/२ प्रतिशत का रिजर्वेशन तो ऊंचे पदों के लिए है बाकी चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए १५ प्रतिशत है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं बता सकता हूं कि राजपत्रित पदों के अंदर ६ प्रतिशत, अराजपत्रित में १६, मिनिस्टीरियल में १७ और चतुर्थ श्रेणी में ४५ प्रतिशत कर्मचारी भर्ती हैं।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि जिस प्रकार का जवाब...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यदि मंत्री महोदय चाहें तो मैं लिखित रूप में इस समस्या पर विस्तृत रूप से स्पष्टतः प्रकाश डाल सकता हूं कि इन छात्रावासों में जो कर्मचारी हैं, वे बिल्कुल भेड़ और बकरी अंगूठा छाप की तरह इन्सान बिठा रखे हैं, एक व्यक्ति की उंगली पर नाच नचाना चाहते हैं तो उनको नाचना पड़ता है और जरा भी समर्थन करने में कसर रखी नहीं तो फौरन बाहर निकाला जाता है। क्या यह व्यवस्था आपकी सरकार के लिए शोभनीय है ? आखिरकार जनता और पिछड़ी हुई जातियों के हित के लिए यह व्यवस्था आपकी है, इसके अंदर सब बराबर हैं। लेकिन कांग्रेस दल को तो प्राथमिकता दें और दूसरों को बिल्कुल जहनम में भेजना, यह कौनसी व्यवस्था है ?

राव श्री नारायणसिंह : कांग्रेस का कोई मेम्बर छात्रावासों में नहीं है, कांग्रेस का कोई सदस्य छात्रावास का अधीक्षक नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मंत्री महोदय एक सज्जन व्यक्ति हैं, मैं उनको एम्बैरस नहीं करना चाहता लेकिन स्पष्टतः मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत है।

श्री नाथूराम : क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग में १२-१/२ प्रतिशत रिजर्वेशन का पालन नहीं हो रहा है?

श्री श्रवणलाल : नहीं।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि राजपत्रित अधिकारियों की ६ प्रतिशत ही भर्ती क्यों है? क्या राजपत्रित अधिकारी नहीं मिलते हैं शिड्यूल्ड कास्ट्स में?

श्री श्रवणलाल : जिस प्रकार से मंत्री महोदय ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए ४५ प्रतिशत बताया तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनमें नगरपालिकाओं के अंदर जो लिए जाते हैं......

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : दुर्व्यवस्था की पराकाष्ठा है इन छात्रों के लिए कि जो घासलेट, सब्जी, तेल इत्यादि सामान मिलता है वह भी कर्मचारी और नेतागण बिल्कुल हजम कर लेते हैं।

एक माननीय सदस्य : विरोधी दल के नेता ने जो कहा है बिल्कुल गलत है, किसी भी छात्रावास में चलिए .. ..

(शोरगुल—शट-अप की आवाज)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं स्पेसीफिक इन्स्टेन्सेज दे सकता हूं। जहां पर गबन हुए हैं। माननीय सदस्यों का अधिकार है कि मेरा विरोध करके शट-अप कहें लेकिन आखिरकार मैं सदन का सदस्य हूं, मुझे भी कहने का अधिकार है, मैं आपको स्पेसीफिक इन्स्टेन्सेज मामले बता सकता हूं जहां पर ऐसे गबन हुए हैं और उन गबनों पर लीपापोती की गई है और मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया है और अनुसूचित छात्रों को बिना किसी सुविधा के रखा जाता है।

एक तरह से गुलामी की व्यवस्था बताई जाती है। इस आजाद हिन्दुस्तान के अन्दर यह कलंक है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर ! आॅर्डर !! प्रश्नकर्ता।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, छात्रावासों में मक्की का आटा नहीं मिलता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, माइलों और माइलों के अन्दर जाने क्या-क्या....

श्री नाथूराम : बच्चों को समय पर खाने की चीजें नहीं दी जाती हैं। ऐसे अध्यापकों को तुरन्त हटाने की कार्यवाही करेंगे, अध्यक्ष महोदय ....

समाज कल्याण मंत्री (राव श्री नारायणसिंह) : इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं....

एक माननीय सदस्य सुना नहीं, क्या कह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये जरा मेहर-बानी करके शान्त रहें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर !!

राव श्री नारायणसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी व्यवस्था छात्रावासों में है और जिसके लिये माननीय सदस्य भावना व्यक्त कर रहे हैं, विरोधी दल के नेता ने भी अपनी भावना व्यक्त की है। मैं यह नहीं कहता कि सारी व्यवस्था बिल्कुल त्रुटि-विहीन है। उस त्रुटि को देखते हुये विचार किया गया है। एज्यूकेशन कमीशन नियुक्त किया गया है, जो इस प्रकार की व्यवस्थायें हैं, उनमें सुझाव दे कि इनको किस प्रकार सुधारी जायं। जिला लेवल कमेटी को भी हिदायत दी गई है कि जो दुर्व्यवस्था है छात्रावासों के अन्दर, उनका बहुत ही क्लोजली अध्ययन करें और जहां तक हो सके उनकी दुर्व्यवस्था को सुधारा जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया उसका मैं आभारी हूं किन्तु मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि जो दलगत नीति है उससे ऊपर उठना चाहिये। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है मंत्री महोदय, किन्तु इसके लिए एक कमीशन रखा जाय और आदिवासियों से ही जांच कराई जाय। उसके साथ १-२ मंत्री हो सकते हैं, वरिष्ठ अधिकारी हो सकते हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन निष्पक्षरूप से जांच होनी चाहिये और जो दुर्व्यवस्था है उसको दूर करनी चाहिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, जो बात विरोधी दल के नेता ने कही है वह राजनैतिक फायदे के लिये कही है। वे इस बात का फायदा उठाना चाहते हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर !

(भयंकर शोरगुल, अश्रव्य)

(बहुत जोरों की आवाज में) माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज !

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : अध्यक्ष महोदय, आप होस्टल में जाकर देखें....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय विरोधी दल के नेता स्थान ग्रहण करें।

(शोरगुल, अश्रव्य)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो आसींद से आये हैं, उनका दृष्टिकोण ठीक नहीं है। जो आरोप उन्होंने मुझ पर लगाये हैं, या जो आरोप मुझ पर लगाना चाहते हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सदन के सदस्य के नाते मेरा भी यह अधिकार है कि मैं कुछ कह सकूं। मेरा तो यही कहना है कि इसे दलगत राजनीति से ऊपर उठायें और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो दुर्व्यवस्था दिनोंदिन बढ़ती जा रही है, यह शिक्षा का अनर्थ हो रहा है, मैं यह मानकर चलता हूं। मेरा निवेदन है कि कमीशन के द्वारा जांच करवाई जाय और जांच कराने के पश्चात्

Page No. 30

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

ठोस सुझाव रखें जिनके द्वारा पिछड़ी जाति का हित हो। यही चेष्टा है और यही मेरा निवेदन है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं भी यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! माननीय सदस्य।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! (बहुत जोर से) माननीय सदस्य। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न से कई माननीय सदस्यों में उद्विग्नता हुई है और खास तौर से माननीय सदस्य श्री नाथूरामजी, उन्होंने भी इसे कु-प्रबन्ध, प्रबन्ध या कोई सा भी प्रबन्ध हो बार-बार संकेत किया है, जिसकी पुष्टि कई माननीय सदस्यों ने की है। ऐसी स्थिति में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों की भावना का आदर करते हुये आप जो कुछ भी सुझाव ग्रहण करें, इस स्थिति को सुधारने का शीघ्रातिशीघ्र प्रयत्न होना चाहिये।

(विरोधी पक्ष की ओर से तालियां)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि जो उनके हिसाबात हैं, उनका १०-१० वर्ष से ऑडिट नहीं हुआ है। उनका भी ऑडिट करवायें।

श्री आलमअली खां (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक कमीशन नियुक्त किया जाय जिसके अध्यक्ष माननीय श्री नाथूरामजी को रखा जाय और उनसे ही जांच करवाई जाय। घबराते क्यों हैं, इस तरह से ?

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तो रह ही गया।

श्री अध्यक्ष : १५ प्रश्न शेष हैं। श्री केशरीसिंह हाड़ा !

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है, अध्यक्ष महोदय !

श्री अध्यक्ष : आपके स्थगन प्रस्ताव पर मैं बाद में व्यवस्था दे दूंगा। श्री हाड़ा !

(माननीय सदस्या के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या ! अब चूंकि मेरा निवेदन है कि आज नॉन-ऑफिशियल प्रस्ताव है उसमें माननीय सदस्य अधिक से अधिक समय लेना चाहेंगे। मैं प्रश्नों को समाप्त करता हूं।

श्री आलमअली खां : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : कौनसा ?

श्री आलमअली खां : छात्रावासों में जो घोटाले हुए हैं, उसके लिये श्री नाथूरामजी की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया जाय और उसकी पूरी जांच करवाई जाय। यह बहुत महत्व का है, अध्यक्ष महोदय !

श्री अध्यक्ष : कई प्रश्न रह गये महत्त्वपूर्ण।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट ४ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

व्यय में कटौती

४०५. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राज्य की मौजूदा माली हालत को देखते हुए सरकार ने व्यय में कटौती करने के कई निर्णय लिये हैं ?

(२) कृपया बतायें कि कौन-कौनसे निर्णय लिये गये ?

उत्तर

(१) हां।

(२) व्यय में कटौती करने के लिये ९७ लाख के मितव्ययता प्रस्ताव तो पार्लियामेंट में प्रस्तुत किये गये राज्य सरकार के १९६७-६८ के बजट में ही सम्मिलित कर लिये गये थे। इसके पश्चात् बजट के घाटे की पूर्ति व महत्वपूर्ण योजनाओं के लिये और अधिक वित्त की आवश्यकताओं को देखते हुए गैर-योजना व्यय में १ करोड़ ३५ लाख व योजना व्यय में १ करोड़ १० लाख की कटौतियों के और निर्णय लिये गये थे। इन कटौतियों की राशि प्रत्येक शीर्षक के सामने वर्ष १९६७-६८ के आय-व्ययक अनुमान भाग २ में दिखाई गई है।

बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य

४०६. श्री रामकिशन (वैर) : क्या श्रम मंत्री य. बताने की कृपा करेंगे:—

(१) इस समय राजस्थान में कुल कितने शिक्षित तथा अशिक्षित व्यक्ति बेरोजगार हैं व उनको रोजगार देने हेतु क्या योजना है ?

(२) तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में बेरोजगार बढ़े हैं या घटे हैं ? अगर बढ़े हैं, तो उसके मुख्य-मुख्य क्या कारण हैं ?

(३) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत या लक्ष्य बेरोजगारों को रोजगार देने का था व उसमें कितना पूरा हुआ ? संपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति क्यों नहीं हो सकी ?

उत्तर

(१) राज्य में कुल बेरोजगारों की कोई गणना नहीं हुई है इसलिये यह संख्या बताना सम्भव नहीं है।

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विकास कार्यक्रम द्वारा रोजगार साधनों में निरन्तर वृद्धि की जा रही है।

(२) कुछ बढ़े हैं, इसके मुख्य कारण ये हैं:—

१. जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि।

२. अनुमानित योजना व्यय में कटौती।

(३) तृतीय योजनाकाल में इस प्रकार का लक्ष्य नहीं रखा गया था पर यह न्यूनतम उद्देश्य रखा गया था कि कम से कम श्रम-शक्ति में आने वाले नये व्यक्तियों को नियोजित किया जावेगा। यह अनुमान लगाया गया था कि तृतीय योजनाकाल में ७.४ लाख व्यक्ति श्रम-शक्ति में सम्मिलित हो जावेंगे। यह अनुमान १९६१ की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण प्रारम्भिक रूप में थे। इस लक्ष्य के विपरीत, योजना आयोग द्वारा प्राप्त मानक के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि ६.९९ लाख व्यक्तियों का अतिरिक्त नियोजन किया गया।

(श्रम मंत्री)

मूलतः आपत्तकालीन स्थिति के कारण योजना के प्रावधान में कटौती के कारण पूरा नहीं हुआ।

सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनके आश्रितों की तकलीफों का निवारण,

४०७. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राज्य सरकार को सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनके आश्रितों की तकलीफों के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है? यदि हां, तो रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) इस रिपोर्ट में राजस्थान के निवासी सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों की किन-किन तकलीफों का उल्लेख किया है?

(३) क्या राज्य सरकार ने इन तकलीफों को दूर करने के लिये कोई कदम उठाये हैं? यदि हां, तो क्या-क्या?

(४) क्या यह सही है कि चीन और पाकिस्तान से युद्ध में हताहत सैनिकों अथवा उनके आश्रितों के कितने ही केस ऐसे हैं जिनमें उनको अभी तक घोषित सहायता नहीं मिली है? यदि हां, तो ऐसे केस कितने हैं?

उत्तर

(१) जी हां, प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) १. पेन्शन,
२. कृषि-भूमि आवंटन,
३. भू-खण्ड आवंटन,
४. शिक्षा सुविधाएं,
५. चिकित्सा सुविधाएं,
६. पुनर्वास।

(३) जी हां, रिपोर्ट में की गई सिफारिशों में से अधिकांश की क्रियान्विति की जा चुकी है।

(४) ८ मामलों में आर्थिक सहायता देना एवं ५६ मामलों में भूमि आवंटन करना बाकी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

चने के छिलके व चूरी की निकासी

४१५. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या चने का छिलका, चूरी आदि की राजस्थान से बाहर निकासी बन्द है? यदि हां, तो कब से?

(२) क्या इसकी चालू वर्ष में निकासी खुली की गई थी? यदि हां, तो कब से कब तक?

(३) क्या इसकी निकासी पर कोई शुल्क लगाया गया था? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? यदि हां, तो क्यों?

(४) कुल कितनी चूरी, छिलके का स्टॉक है और निकासी खुली करने पर कितने बाहर भेजे गये?

(श्री दौलतराम सारण)

(५) निकासी खुली करते समय क्या भाव थे और बन्द करने पर क्या भाव रहे ? निकासी की छूट देने पर क्या भाव हो गये ?

(६) निकासी पर पाबन्दी क्यों है ?

उत्तर

(१) राजस्थान से चने के छिलके की निकासी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। चना-चूरी की निकासी १७-१२-६५ से बन्द है।

(२) जी हां, १२ मई, ६७ को समस्त जिलाधीशों को लिखा गया था कि यदि उनके जिले में चना-चूरी का पुराना स्टॉक हो तो वे ३१ मई, ६७ तक चना-चूरी के निर्यात हेतु परमिट दे सकते हैं।

(३) जी हां, प्रशासकीय खर्चे आदि हेतु १० रुपये प्रति क्विन्टल शुल्क निर्धारित किया गया था।

(४) उक्त अवधि में कुल चना-चूरी का २२६१३ क्विन्टल का स्टॉक था, जिसमें से १६८४७ क्विन्टल निर्यात किया गया।

(५) चूरी का निर्यात खोलने पर भाव ४५ रुपये क्विन्टल से ८६ रुपये प्रति क्विन्टल थे व बन्द करने पर ४५ रुपये से ७० रुपये के भाव हो गये।

(६) निकासी पर पाबन्दी निम्न कारणों से है:—

(१) चने की निकासी पर रोक है; यदि चना-चूरी की निकासी खुली रहती है तो चूरी के भावों में राजस्थान के बाहर तेजी होने से व्यापारी वर्ग वालों को चूरी कर निर्यात कर देते हैं।

(२) चना-चूरी का निर्यात खुला रहने से चने के भावों में भी तेजी आती है तथा राजस्थान के अन्दर चना आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है।

वूलन मिल, बीकानेर

४२१. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार-शहर) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर वूलन मिल की बाबत जो योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनी थी वह कुल कितने करोड़ रुपये की थी व उसमें कितने स्पिन्डल लगने थे व कितने आदमी काम पर लगाये जाने को थे ?

(२) उक्त स्कीम के स्थान पर कौनसी व कितनी लागत की वूलन मिल बनाई गई है ?

(३) इसमें जो मशीन इस्तेमाल की गई है वह देशी है या विदेशी ? इसमें किस प्रकार का धागा बनाया जायगा और उसमें किस प्रकार के कपड़े बनेंगे ?

उत्तर

(१) तीसरी पंचवर्षीय योजना में ५००० स्पिन्डल की एक वूलन मिल बीकानेर में लगाने के अनुमान बनाये गये जो लगभग १ करोड़ रुपये के थे। निश्चित कितने आदमी लगेंगे इसकी कोई योजना नहीं बनी।

(२) १२०० स्पिन्डल की अभी वूलन मिल लगाई गई है जिसके सफल हो जाने पर इसको बढ़ाने के बारे में आगे सोचा जावेगा।

(३) इसमें मशीनें विदेशी इस्तेमाल की गई हैं। इसमें केवल गलीचे व होजरी के मतलब का धागा बनाया जावेगा। इसमें कोई कपड़े नहीं बनेंगे।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

हनुमानगढ़ जंक्शन की नई मंडी का निर्माण

१४३. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) हनुमानगढ़ जंक्शन की नई मंडी के निर्माण में सरकार का कितना खर्च हुआ ?

(२) अब तक मन्डी में कितने मकान व कितनी दुकानें बनी हैं ?

(३) इसके विकास के लिये सरकार के पास क्या योजना है ?

उत्तर

(१) हनुमानगढ़ जंक्शन मण्डी के निर्माण में अब तक ५५,२३,०००) रु० खर्च हुआ है। इस मन्डी में भूमि के विक्रय से माह अप्रेल, १९६७ से दिसम्बर, सन् १९६७ तक १,५७,३८८.४८ रुपये की आय हुई है।

(२) अब तक मण्डी में १९० दुकानें व १३७ मकान बनाये गये।

(३) हनुमानगढ़ जंक्शन मण्डी (ए) श्रेणी मण्डी है और मण्डी के विकास के लिये मास्टर प्लान बनाया गया है जिसमें ८०,००० से लगा कर एक लाख की आबादी के लिये प्रावधान है। मण्डी क्षेत्र में रिहायशी, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों को नियोजन किया गया है। सरकारी दफ्तरों व कार्यालयों के लिये भी अलग क्षेत्र सुरक्षित हैं। इस प्रकार पार्क्स, कॉमन फेसिलिटी सेन्टर्स, कॉलेज, पोलीटेक्निक, अस्पताल, पुलिस स्टेशन के लिये भी प्रावधान हैं। मण्डी क्षेत्र से पानी के विकास (ड्रेनेज) की भी योजना तैयार कराई गई है। हाल ही में स्थानीय दीवानी अदालतों का स्थानान्तरण भी मण्डी क्षेत्र में हो गया है और राजस्व अदालतें व कार्यालय पूर्ववत् यहीं स्थापित हैं। इससे मण्डी क्षेत्र का विकास जो पहले से रुका हुआ था उसमें तेजी आई है। ३७ रिहायशी मकान व १०० सरकारी भवन एवं १९० दुकानें बन चुकी हैं और सिंचाई, कृषि, राजस्व, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मण्डी कमेटी आदि कार्यालय तथा स्टाफ कॉलोनी भी इसी क्षेत्र में बन चुके हैं। इस मण्डी को कृषि उपज मण्डी केन्द्र भी बनाया गया है और इस कदम से भी मण्डी विकास की गति तेज होगी।

पंचायत समितियों के प्रधानों के चुनाव

१४४. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) किन-किन पंचायत समितियों के प्रधानों के दुबारा चुनाव होने बाकी हैं ?

(२) क्या ऐसे प्रधानों के चुनाव कराये जा रहे हैं ?

(३) यदि हां, तो कब तक कराये जायेंगे ?

(४) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) २९ प्रधानों के चुनाव होने बाकी हैं। सूची संलग्न है।

(चुनाव मंत्री)

(२) मामला सरकार के विचाराधीन है।

(३) मामला सरकार के विचाराधीन है।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत व्यय

१४५. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप तैयार किया गया था उसके अन्तर्गत प्रथम दो वर्ष में कुल कितनी धनराशि खर्च की जानी थी और अब कुल कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

(२) उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार इन दो वर्षों में कितनी धनराशि अपने साधनों से जुटाने वाली थी और अब वास्तविकरूप से कितनी जुटा पा सकेगी ? आमदनी के किन स्रोतों में विशेष कमी होने का अनुमान है ?

उत्तर

(१) राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच विचार-विमर्श के बाद नवम्बर, १९६६ में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का आकार अस्थायी रूप से रु० ३१३ करोड़ तय किया गया था। यद्यपि इसका वार्षिक विभाजन निश्चित नहीं किया गया था फिर भी अब तक के अनुभव के हिसाब से पहले दो वर्षों में करीब ३० प्रतिशत व्यय होना चाहिये था जो लगभग रु० ९४ करोड़ होता है। इसके मुकाबले १९६६-६७ में रु० ४८.९० करोड़ व १९६७-६८ में रु० ४० करोड़ खर्च का अनुमान है जो कुल ८८.९० करोड़ बनता है।

(२) नवम्बर, १९६६ में योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित अनुमानों के आधार पर राज्य सरकार को उक्त रु० ३१३ करोड़ की योजना के लिये कुल रु० ८६ करोड़ की धनराशि जुटानी थी व शेष रु० २२७ करोड़ की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में मिलने थे। राज्य के हिस्से की धनराशि का वर्षवार विवरण उस समय तय नहीं हुआ था। अतः अंतिम अनुच्छेद में चाही गई सूचना का प्रश्न ही नहीं उठता है।

कनिष्ठ लिपिकों के दक्षता पार करने हेतु अंग्रेजी टंकरण की योग्यता

१४६. श्री मोतीलाल (रेवदर-सु०) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कनिष्ठ लिपिकों को दक्षता पार (ई. बी.) करने के लिये जिला नियोजन अधिकारी के द्वारा अंग्रेजी टंकरण में २५ शब्द प्रति मिनिट की गतिशुदा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है ?

(२) क्या यह सही है कि हाई स्कूल या हायर सेकेन्डरी में जिन्होंने ऐच्छिक विषय टंकरण लेकर परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें भी पुनः जिला नियोजन अधिकारी के यहां परीक्षा देकर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है ? यदि हां, तो बोर्ड की परीक्षा

(श्री मोतीलाल)

का क्या महत्व है ? और यदि नहीं, तो कितने अंक अंग्रेजी टंकण में प्राप्त करने वालों को जिला नियोजन अधिकारी के यहां परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में गति का उल्लेख नहीं किया जाता है अतः बोर्ड के प्रमाण-पत्र से यह प्रकट नहीं होता कि उक्त कर्मचारी की टंकण की गति कितनी है ? अतः टंकण की गति मालूम करने हेतु जिला नियोजन अधिकारी के यहां परीक्षा कराई जाती है।

विधान सभा सीटों का क्षेत्रफल

१४७. **श्री रामसिंह कुडी** (जायल) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नागौर जिले की नव विधान सभा सीटों के क्षेत्रों का क्षेत्रफल प्रत्येक का कितना-कितना है ? उनमें कितने-कितने मतदाता हैं ? आबादी कितनी-कितनी है ? एक क्षेत्र के दो स्थान अधिक से अधिक दूरी वाले कौनसे हैं एवं दूरी क्या है ?

(२) उदयपुर डिविजन के जिलों की विधान सभा सीटों का क्षेत्रफल आबादी व मतदाता संख्या कितनी-कितनी है ?

(३) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्रों के परिवर्तन या रद्दोबदल का कोई विचार कर रही है ?

(सरकार द्वारा स्थगित करने के लिये प्रार्थना की गई)

चराई की वसूली

१४८. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी-सु०) : क्या वन-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र केकड़ी में ग्राम पंचायत, घटियाली के वन विभाग द्वारा स्थानीय जनता से चराई निर्धारित दरों से ज्यादा वसूल की जाती है ?

(२) चराई की निर्धारित दरें क्या हैं ?

(३) क्या सरकार घटियाली के डूंगर के वन पर चराई सस्ती दरों पर स्वीकार करेगी जिससे स्थानीय जनता की परेशानियां दूर हटें।

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) गाय रु० १.३१ पैसे प्रति वर्ष।
भैंस रु० २.६२ पैसे प्रति वर्ष।
भेड़-बकरी ०.७५ पैसे प्रति वर्ष।

(३) जी नहीं।

राजस्थान अनुसूचित जाति कल्याण मंडल की स्थापना

१४९. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान अनुसूचित जाति कल्याण मंडल की स्थापना कब की गई ? इसके पदाधिकारी व सदस्य कौन-कौन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(२) क्या पदाधिकारियों व सदस्यों को सरकार नामजद करती है ? यदि हां, तो किस प्रकार और किन आधारों पर, कल्याण मंडल का उद्देश्य क्या है ? क्या इसका विधान या नियम बने हैं ? यदि हां, तो उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(३) मंडल को राज्य सरकार और भारत सरकार से हर साल किन-किन कामों के लिए कितना अनुदान दिया जाता है ? आंकड़ों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या मंडल का कभी अधिवेशन भी हुआ है ? यदि हां, तो कब और कहां ? क्या उसमें राजस्थान के अनुसूचित जाति के लोक सभा व विधान सभा के सदस्यों का बुलाया गया था ? वार्षिक विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) राजस्थान अनुसूचित जाति कल्याण मंडल की स्थापना १६ जुलाई, सन् १९५८ को की गई थी। वर्तमान मंडल का पुनर्गठन दिनांक १८-११-९६७ को किया गया। पुनर्गठित मंडल के पदाधिकारियों के सदस्यों की सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां। बोर्ड के उद्देश्य और विधान की सूची क्रमशः 'ब' और 'स' सदन की मेज पर रख दी गई है, जिनके आधार पर सदस्यों की नियुक्ति की जाती है।

(३) इस मंडल को कोई अनुदान नहीं दिया जाता है।

(४) जी हां। बोर्ड की साल में २ बैठकें होती हैं। बैठक में बोर्ड के केवल सदस्य आमन्त्रित किये जाते हैं। गत बैठक के विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

सथूर के नाकेदार का तबादला

१५०. **श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला बूंदी के डी. एफ. ओ. श्री गोपीनाथ पिल्ले ने सथूर के नाकेदार (जकाती) श्री नन्दसिंह का तबादला सथूर से गर्डदा आदेश नं० २९९१ से किस तारीख को किया ?

(२) क्या यह सत्य है कि नाकेदार (जकाती) का १८-१०-६६ को ही डाट्न्दा से सथूर ट्रान्सफर हुआ था ? यदि हां, तो इसका स्थानान्तरण क्यों किया गया ? क्या यह ट्रान्सफर नियमानुसार किया गया है ?

(३) क्या यह सत्य है कि श्री नारायण जकाती खीन्या था और क्या ५ साल के कार्य-काल में खीन्या से उसका तीन बार तबादला किया गया और तीनों बार केन्सिल करवा लिया गया ?

(४) श्री बिहारीलाल, रेन्जर बून्दी अपने स्थान पर कितने सालों से है ?

(५) क्या इनका तबादला कर दिया गया है और क्या उन्होंने तबादले पर जाकर चार्ज ले लिया है अथवा छुट्टी पर हैं ?

Page No. 38

उत्तर

(१) दिनांक २९-४-६७ को।

(२) जी नहीं, किन्तु २९-९-६६ को उन्हें डाडून्दा से सयूर लगाया गया था। काम संतोषप्रद नहीं होने के कारण सयूर से ट्रान्सफर किया गया जो नियमों का उल्लंघन नहीं है।

(३) जी नहीं।

(४) अप्रेल, १९६४ से थे।

(५) तबादला हो चुका है। अभी छुट्टी पर हैं।

छबड़ा में पिछड़ी जाति के छात्रावास की व्यवस्था

१५१. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) निर्वाचन क्षेत्र, छबड़ा में आदिवासी जाति तथा आदिवासी जन-जाति की कितनी-कितनी आबादी है ?

(२) आदिवासी जाति तथा आदिवासी जन-जाति की तहसील छबड़ा और छीपाबड़ोद में कितनी-कितनी आबादी है ?

(३) क्या सरकार ने यहां पर इस पिछड़ी हुई जाति के कल्याण व शिक्षा के लिये कोई व्यवस्था कर रखी है ? क्या छात्रावास का प्रबन्ध है ? अगर हां, तो कहां-कहां और नहीं तो क्यों ? तथा क्या सरकार निकट भविष्य में यहां पर छात्रावास खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) निर्वाचन क्षेत्र छबड़ा में पंचायत समिति, छबड़ा तथा पंचायत समिति, छीपाबड़ोद दोनों आती हैं जिनकी अनुसूचित जन-जाति तथा अनुसूचित जाति की आबादी निम्न प्रकार है :—

पंचायत समिति का नाम	अनु० जन-जाति	अनु० जाति
१. छबड़ा	७९६६	७२४८
२. छीपाबड़ोद	११९२३	८८२९
योग....	१९८८९	१६०७७

(२) तहसील छबड़ा व छीपाबड़ोद में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति की आबादी निम्न प्रकार है :—

तहसील	अनु० जन-जाति	अनु० जाति
१. छबड़ा	७९६६	७२४८
२. छीपाबड़ोद	११९२३	८८२९
योग....	१९८८९	१६०७७

(३) उक्त पिछड़ी जाति के लिये छबड़ा में समाज कल्याण विभाग द्वारा एक छात्रावास चलाया जा रहा है। यह छात्रावास १९६१-६२ से ही चालू है। वर्तमान में इस छात्रावास की छात्र संख्या ३० है, और कोई छात्रावास निकट भविष्य में खोलने के न तो कोई प्रस्ताव है और न ही कोई प्रावधान है।

पटवारियों को वेतन आदि

१५२. श्री बृजवल्लभ (दीगोद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि चम्बल सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नियुक्त पटवारियों को रेवेन्यू पटवारियों से वेतन कम मिलता है और अन्य सुविधायें भी कम उपलब्ध हैं जबकि दोनों को बराबर काम करना पड़ता है ?

उत्तर

(१) चम्बल सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नियुक्त पटवारियों की वेतन-शृंखला राजस्व पटवारियों के बराबर आदेश दिनांक १-३-६८ के द्वारा कर दी गई है। जहां तक अन्य सुविधाओं का ताल्लुक है, सरकार के विचाराधीन है।

रतनगढ़ नगर के गन्दे नाले को पक्का बनाने की योजना

१५३. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार रतनगढ़ नगर के गन्दे नाले को पक्का बनाकर उसके पानी को सिंचाई के काम में लेने की कोई योजना रखती है ?

उत्तर

इस प्रकार की कोई योजना इस सिंचाई विभाग के विचाराधीन नहीं है।

बूंदी जिले के पाकिस्तानी मुसलमानों की सम्पत्ति

१५४. श्री केशरीसिंह हाडा (हिण्डोली) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बूंदी जिले से भारत के विभाजन के समय कितने मुसलमानों ने पाकिस्तान की नागरिकता स्वीकार की थी और उनकी सम्पत्ति आज किसके पास है ? तथा यह सम्पत्ति किस-किस गांव या नगर में है ?

(२) क्या कस्टोडियन ने इन पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जमीनें बेची हैं ? यदि हां, तो किसको बेची और किस दर से ?

उत्तर

(१) बूंदी जिले से भारत विभाजन के फलस्वरूप कितने मुसलमानों ने पाकिस्तान की नागरिकता स्वीकार की थी, सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं है। पाकिस्तान गये हुए मुसलमानों की सम्पत्ति बूंदी जिले में संलग्न मानचित्र (अ) और (ब) में वर्णित व्यक्तियों के पास है।

(२) जी हां। संलग्न मानचित्र (ब) में अंकित व्यक्तियों को ४५०) रु० प्रति स्टेण्डर्ड एकड़ की दर से बेची गई है।

भादरा तहसील में बकाया वसूली

१५५. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भादरा तहसील के नहरी क्षेत्र के

Page No. 40

(श्री हंसराज आर्य)

गांवों में कुल कितना मतालबा वसूली से बकाया है ?

(२) उस मतालबे में कौन-कौनसी मद शामिल हैं ?

(३) खातेवार एक सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(१) सम्वत् २०२३ के आखिर तक कुल ८,१८,१५८) रु० का मतालबा वसूली से बकाया है।

(२) उक्त मतालबा में तीन मद शामिल हैं:—

(१) मालगुजारी।
(२) आबयाना।
(३) बैटरमेन्ट।

(३) चूंकि बाकीदारान की सूची हजारों की तादाद में है। अतः इस सूची को जिलाधीश के कार्यालय में देखी जा सकती है।

भालोठ में काबिल काश्त जमीन पर कब्जा

१५६. श्री सूरजमल (सूरजगढ़-सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या झुंझुनूं जिले की खेतड़ी तहसील के ग्राम भालोठ में खसरा नं० ६०१ रकबा करीब १३५ बीघा पुख्ता कोई काबिल काश्त जमीन है ? यदि हां, तो उक्त कृषि-योग्य भूमि किसके कब्जे में है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त भूमि को १९६५ से वहां के कुछ लोग काश्त करते आ रहे हैं ? यदि हां, तो उनको खातेदारी अधिकार प्राप्त हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) क्या सरकार ने उक्त भूमि को वहां के गरीब हरिजन भूमिहीन परिवारों को वितरण (स्थायी तौर पर) करने की व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो आगे सरकार का उस भूमि को भूमिहीन परिवारों को वितरण करने के बारे में क्या इरादा है ?

(४) यदि भूमिहीन परिवारों को भूमि देने का इरादा है तो कब तक दे दी जावेगी ?

उत्तर

(१) ग्राम भालोठ में खसरा नं० ६०१ का कुल रकबा २२८ बीघा ११ बिस्वा पुख्ता है। यह भूमि गोचर है तथा राज्य सरकार के कब्जे में है।

(२) इस भूमि पर सन् १९६५ में कुछ व्यक्तियों ने अनाधिकार कब्जा कर लिया था जिनके विरुद्ध धारा ९१ की कार्यवाही की गई। गोचर भूमि होने के कारण खातेदारी हकूक प्राप्त होने का प्रश्न ही नहीं होता।

(३) गोचर भूमि होने के कारण भूमि-हीनों को वितरण करने का प्रश्न ही नहीं होता है।

(४) गोचर होने की वजह से देने के इरादे का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम नगर में आराजी भूमि का आवंटन

१५७. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि ग्राम नगर, तहसील दूनी में कुछ आराजी पुरातत्व विभाग के अधीन है और उसमें अलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा भूमि आवंटित कर दी गई है? यदि हां, तो कितनी?

(२) राजस्व विभाग का इस भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण है?

(३) क्या यह सत्य है कि वह भूमि आवंटित नहीं की जा सकती है? यदि हां, तो जिन व्यक्तियों को आवंटित कर दी गई है उन्हें क्या सरकार वहां से हटाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(४) क्या पुरातत्व विभाग द्वारा इसकी सूचना पहिले से सम्बन्धित तहसील में दी गई थी और उस भूमि पर कोई बोर्ड भी लगा रखा है?

उत्तर

(१) यह सही है कि कुछ भूमि ग्राम नगर में पुरातत्व विभाग के अधीन है। पुरातत्व विभाग के अधीनस्थ कोई भूमि तहसील द्वारा आवंटित नहीं की गई है।

(२) राजस्व विभाग का इस भूमि को आवंटन करने या अन्य प्रकार के हस्तक्षेप करने का दृष्टिकोण नहीं है।

(३) जबकि भूमि पुरातत्व विभाग के अधीन की है तो आवंटित नहीं की जा सकती है, जब आवंटित ही नहीं की गई तो किसी को हटाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(४) इस भूमि का मौके पर कोई demarcation नहीं हो रहा है न कागजात पटवार में इस विषय का कोई अमलदरामद हो रहा है। अलबत्ता मौके पर ९-३ जगह खम्भों पर बोर्ड लगे हुए हैं और इन्हीं से यह प्रकट होता है कि यह भूमि पुरातत्व विभाग के अधीन है।

पी. डी. आर. के तहत वसूली के पेंडिंग मामले, जिला नागौर

१५८. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

नागौर जिले में पी. डी. आर. एक्ट के तहत वसूली के कितने मामले पेण्डिंग हैं? सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख, जिससे वसूली होनी है उसका नाम, वल्दियत एवं सकूनत व राशि जो वसूल होनी है, उसका ब्योरा देते हुये एक विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। उक्त रकम कब से बकाया है, वह तिथि भी अंकित करावें?

(सरकार द्वारा स्थगित करने के लिये प्रार्थना की गई)

पाली तहसील में बाढ़ से हुई हानि

१५९. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पाली तहसील के किन-किन गांवों

(श्री मूलचन्द डागा)

में बाढ़ से हानि हुई ? उन गांवों की सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(२) किन-किन गांवों में कितने-कितने घर नष्ट हो गये ? उसकी सूची भी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(३) उन लोगों को सहायता दी गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) पाली तहसील के ६० गांवों में हानि हुई जिनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(२) पाली तहसील में ५ गांवों में ६६ घर नष्ट हुए जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । अन्य गांवों के मकानों को आंशिक क्षति पहुंची है ।

(३) ५३ गांवों के ऐसे लोगों को सहायता दी जा चुकी है । शेष १३ गांवों में सहायता देने का कार्य अभी तक जारी है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी)

राजस्थान खाद्य निगम द्वारा नागौर जिले को अनाज का अलॉटमेंट

१६०. **श्री रामसिह कुडी (जायल)** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) राजस्थान में खाद्य निगम की स्थापना कब हुई ?

(२) राजस्थान खाद्य निगम के माध्यम से नागौर जिले को ३१ दिसम्बर, ६७ तक कितना अनाज—गेहूं, चना व बाजरा तथा आटा, मैदा, सूजी व दालें, कब-कब व कितनी-कितनी मात्रा में दी गई एवं ऐसे प्रत्येक अलॉटमेन्ट का वितरण किस किन तहसील में कितना-कितना किस समय से लेकर किस समय तक किया गया ? आईटमवाईज बताने का कष्ट करें तथा वितरण करने वाली ऐजेन्सी यानी खुदरा बिक्री करने वाले व्यापारी या संस्था का नाम भी प्रत्येक अलॉटमेन्ट के सन्दर्भ मे बताने का कष्ट करें ।

(३) इन अलॉटमेन्ट्स का माल प्रत्येक का कितने उपभोक्ताओं को प्राप्त हुआ ?

(४) यदि कोई माल बिना वितरण रजिस्टर या परमिट या राशन कार्ड के किसी व्यापारी को वितरण हेतु एक साथ दिया गया हो तो वह क्या माल था व कितना माल था ? तथा किस तारीख को किस व्यापारी को किस अधिकारी के आदेश से दिया गया है ?

उत्तर

(१) खाद्य निगम की स्थापना अक्टूबर, ६५ में हुई । कार्य करना १ जनवरी, ६६ से शुरू किया ।

(२) आईटमवाईज सूची संलग्न है ।

(३) इन अलॉटमेन्ट्स का माल उनके नाम के आगे अंकित उपभोक्ताओ को प्राप्त हुआ :—

१. देशी गेहूं	४०,०००	उपभोक्ताओं को ।
२. चना	१,००,०००	"
३. बाजरा	१,२५,०००	"
४. आयातित गेहूं	४,७०,२३२	"
५. आटा	४,१३,२४४	"
६. मैदा-सूजी–	४०%	हलवाई
	४०%	बेकरी
	२०%	उपभोक्ताओं को

(खाद्य मन्त्री)

(४) जिलाधीश, नागौर कार्यालय द्वारा बिना वितरण रजिस्टर या परमिट या राशन कार्ड के किसी व्यापारी को वितरण हेतु एक साथ कोई माल किसी अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

पंचायत समिति, दूदू को स्कूल भवन बनाने हेतु अनुदान

१६१. **श्री सुवालाल चौधरी** (दूदू) : क्या पंचायत विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत हसनपुरा, पंचायत समिति दूदू को सन् ६०-६१ में तहसील फुलेरा द्वारा १०००) रु० तथा ग्रामवासियों से चन्दा व श्रमदान के रूप में १००३, रु० स्कूल भवन के बनाने के लिए अनुदानस्वरूप प्राप्त हुआ है ?

(२) क्या यह सही है कि मौके पर उक्त राशि २००३, रु० का कार्य नही हुआ है ?

(३) क्या यह भी सही है कि पंचायत द्वारा उक्त राशि का हिसाब भी दिया जा चुका है ?

(४) अगर हां, तो क्या पंचायत से रकम वसूली की कार्यवाही की जायगी ?

(५) अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) ग्राम पंचायत हसनपुरा को वर्ष १९५७-५८ में १०००) रु० दिये गये थे।

(२) मौके पर जमीन में नीवें भरी जा कर लगभग ५ फुट ऊपर तक चुनाई हुई है। बाकी कार्य अधूरा पड़ा हुआ है।

(३) जी हां।

(४) हिसाब का दाखला हो चुका है।

(५) हिसाब दाखिल की कार्यवाही हो जाने से रकम वसूली का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(१२.१९ म. प.)

अधिक अनुदानों की मांगों १९६५-६६ तथा अनुपूरक अनुदानों की मांगों १९६७-६८ का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : वित मंत्री अधिक अनुदान की मांगों १९६५-६६ तथा अनुपूरक अनुदानों की मांगों १९६७-६८ का उपस्थापन करेंगे।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री) : मैं अधिक अनुदानों की मांगों, १९६५-६६ तथा अनुपूरक अनुदानों की मांगों, १९६७-६८ के विवरणों का उपस्थापन करता हूं।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री अमृतलाल यादव।

श्री अमृतलाल यादव (परिवहन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम, १९५२ की धारा ३ (२) के अन्तर्गत गृह (ख-१) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. १ (१) १/एच० (बी०-गृह-१) ६७ दिनांक ६ जनवरी, १९६८ सदन की मेज पर रखता हूं।

स्थगन प्रस्तावों संबन्धी व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा, सदस्य, विधान सभा ने विद्युतमंडल को औद्योगिक स्थायी आज्ञाओं से विमुक्त करने की सरकारी घोषणा के कारण राज्य के श्रमिक वर्ग में असन्तोष बढ़ने संबन्धी स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला इतने अविलम्बनीय लोक महत्त्व का नहीं है कि सदन की पूर्व-निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर आज इस पर विचार किया जावे। इसके अतिरिक्त इस विषय को बजट पर होने वाली बहस तथा श्रम विभाग से संबन्धित मांग पर वाद-विवाद के दौरान कटौती प्रस्ताव के जरिये उठाया जा सकता है।

अतः मैं इसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल व श्री केदारनाथ शर्मा ने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है कि द्वितीय वर्ष एम० बी० बी० एस० के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय ने प्रारंभ में अपनी विज्ञप्ति द्वारा जून में परीक्षाओं का निर्देश दिया था और अब अचानक अप्रेल में परीक्षायें निश्चित कर दीं जबकि विद्यार्थी जून तक के लिये निश्चिन्त थे, जिससे विद्यार्थियों में तीव्र असन्तोष है। यह मामला इतने अविलम्बनीय लोक महत्त्व का नहीं है कि सदन की कार्यवाही स्थगित करें, आज इस पर विचार किया जावे, पर मैं चाहूंगा कि इसके बारे में कल मंत्री महोदय वक्तव्य दें।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : इस संबन्ध में मैंने पहले भी प्रथम वर्ष एम० बी० बी० एस० के छात्रों द्वारा की गई हड़ताल के बारे में प्रस्ताव दिया था, आज दिया है वह सेकण्ड ईयर के छात्रों के संबन्ध में है।

श्री अध्यक्ष : इस संबन्ध में पहले जो प्रस्ताव दिया था उसका स्टेटमेन्ट आज होगा चूंकि आज आपने एडीशनल तथ्य दिये हैं उनकी जानकारी करनी पड़ेगी इसलिये दूसरे प्रस्ताव पर कल वक्तव्य देने के लिये कहा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : दोनों पर साथ-साथ दे दें तो ठीक रहेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, पांचों मेडिकल कॉलेज के अन्दर हड़ताल चल रही है इसलिये सरकार को जल्दी ही अनाउन्स करना चाहिये क्योंकि स्थिति गंभीर हो सकती है, छात्रों में ज्यादा असंतोष बढ़ जाय। विद्यार्थियों के इम्तहान का समय है। उनका एक-एक दिन कीमती है, तमाम स्टुडेन्ट्स की हड़ताल है। पांचों कॉलेज की स्थिति गंभीर रूप धारण करती जा रही है। अतः मंत्री महोदय आज ही वक्तव्य देने के लिये तैयार हों तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : मैं सारी स्थिति को समझ गया। पहले स्थगन प्रस्ताव पर तो आज ही वक्तव्य होने को है लेकिन दूसरा स्थगन प्रस्ताव आज ही मिला है और मैंने इसको शीघ्रातिशीघ्र वक्तव्य के लिये कहा है। मैं समझता हूं इन दोनों को कल ले लिया जाय। आज शाम को लेने में मैं समझता हूं नॉन-आफिशियल बिजिनेस है, उसको कर्टेल करना होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या मंत्री महोदय दोनों पर आज वक्तव्य देने की स्थिति में हैं नहीं क्या ?

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है, कल दे दिया जायेगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया वह बहुत महत्त्वपूर्ण है, उस पर सदन में बहस होना जरूरी है ताकि सदन को पता लगे कि राजस्थान का प्रशासन राजस्थान की सरकारी नौकरशाही किस प्रकार राज्य पर हावी हो रही है और किस प्रकार मजदूरों के हकों पर कुठाराघात हो रहा है ? एक केस कोर्ट में चल रहा है। सरकारी मशीनरी ने गलतियां कीं उनको ठीक करने के लिये २७ तारीख को काले कारनामे किये उस पर जरूर बहस होनी चाहिये उसका जवाब मंत्री महोदय को देना चाहिये।

इसके अलावा, श्रम मंत्रालय ने जिस प्रकार की कार्यवाही की है, श्रम मंत्री श्रमिकों के नेता हैं वे यदि श्रमिकों का भला नहीं कर सकते तो उनको इस पद से हट जाना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरी बात जो आपने कही है उससे मैं भी सहमत हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किया है और स्टेटमेंट के लिये भी मैंने अनुमति नहीं दी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक स्थगन प्रस्ताव मेरा भी है....

श्री अध्यक्ष : अलवर की गुण्डागर्दी के लिये ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : कच्ची बस्तियों के बारे में...

श्री अध्यक्ष : कच्ची बस्तियों के बारे में आज जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है।

स्थगन प्रस्तावों पर स्टेटमेंट दो हैं रामानन्द अग्रवाल गुण्डागर्दी के लिये...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह इल्जाम इन पर है या ये किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह तो सभी माननीय सदस्य समझते हैं।

रामचन्द्र आर्य : नोहर में गुण्डागर्दी के सम्बन्ध में, इन दोनों के संबन्ध में सुविधानुसार स्टेटमेंट देने के लिये कहा है। इनको कल पर रख दिया जाय।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर, पश्चिम) : मैंने प्रस्ताव दिया था २२ ता० को अजमेर के राजस्व अधिकारियों और जिला प्रशासन के बीच रस्सा-कस्सी चल रही है। दोनों की एक-दूसरे को तबादला करवाने की कोशिश चल रही है। बोलियां चल रही हैं, हजारों की बोलियां चलेंगी।

महरबानी करके अजमेर नगर परिषद् राजस्थान की सर्वप्रथम नगर परिषद् है, जिसका ५६ लाख का बजट होता है। २२ तारीख को प्रस्ताव दिया था। बोली लग रही है। लोग दस से पन्द्रह हजार रुपया देना चाहते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : गुण्डागर्दी के मंत्री कहां गये हैं अध्यक्ष महोदय ?

श्री भैरोंसिंह : गुण्डागर्दी के मंत्री और माननीय सदस्य दोनों आपस में तय कर लें।

श्री अध्यक्ष : मैं कह नहीं सकता, आपने जैसे शब्द कहे मैं विवश हूं।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : मेरा स्थगन प्रस्ताव बांसवाड़ा जिले की वसूली के लिये था...

श्री रामकिशन (वैर) : मंत्रीजी ने जवाब दे दिया उसके बाद भी वसूली हुई है उसका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : यह मेरी जानकारी में नहीं है, मैं जाकर प्रसेस करूंगा। कब लिया जाय ?

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत सदन का ध्यान अकाल राहत कार्य न खोले जाने के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद की बात है राजस्थान में चतुर्थ आम चुनाव के समय अकाल राहत कार्य के नाम पर लाखों रुपयों का अपव्यय किया गया, उस समय राजकोष को किस तरह से खर्च किया गया । मैं इस विवाद में न पड़कर इस समय जो हालत है जहां-जहां भी अकाल घोषित किया गया वहां पर कार्य न खोलने के सम्बन्ध में प्रकाश डालूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने कुछ जिलों के कुछ गांवों के अन्दर जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर जहां पर लगातार पांच वर्षों से अकाल पड़ता आ रहा है और फिर इस साल वर्षा के अभाव में उनको अकालग्रस्त घोषित किया गया लेकिन खेद का विषय तो यह है अकालग्रस्त घोषित होने के बावजूद केवल कागजी आॅर्डर्स जिला अधिकारियों के पास चले गये लेकिन उनका इम्प्लीमेन्टेशन अभी तक नहीं हुआ ।

मैं आपके सामने अजमेर का उदाहरण पेश करूं । नांद और मांगलियावास ये गांव हैं जिनका फासला २२ मील के करीब है । इस २२ मील तक एक मजदूर को १४ आना और १ रु. २ आना मजदूरी के लिये २२ मील जाना पड़े यह सम्भव नहीं हो सकता । अजमेर के १०० गांव ऐसे हैं जिनमें दो गांवों के बीच अकाल नहीं घोषित किया गया, आजू-बाजू के गांवों में किया गया । पांच माइल के एरिया के अन्दर राहत कार्य खोले जायं ऐसा सरकार का आदेश है । इसके बावजूद भी पांच मील भी आना-जाना मजदूर के लिये मुसीबत है इस बारे में जिला लेवल पर इस बात का प्रस्ताव आया तीन माइल के एरिया के अन्दर रखा जाय । तीन माइल एरिया के बाहर जो गांव ऐसे हैं जहां एक गांव के अन्दर अकाल पड़ गया किसी गांव में बारिश हो गई और इस कारण से बहुतसे गांव ऐसे हैं जिनमें बीच में अच्छी फसल हुई है और आज बीच में कुछ गांवों में अकाल पड़ा है इसलिये वहां मजदूरी के लिये उनको काम का प्रबन्ध करना है । कन्टोनमेन्ट का काम सरकार करावे या तालाब का करावे इरिगेशन का करावे या दूसरा कोई राहत कार्य चालू करें । मजदूरों को मजदूरी करने दूर न जाना पड़े इसलिये प्रत्येक गांव में कोई छोटा-मोटा काम चालू करे या अधिक दूर न हो नजदीक पड़े ऐसे स्थान पर काम चलाया जावे ।

चलाने को तो जहां अकाल नहीं था वहां भी भूतपूर्व वित्त मन्त्रीजी ने काम चालू

(श्री विजयसिंह रावत)

करवा दिये थे। वहां के सरकारी अधिकारियों ने ५५ गांवों की लिस्ट दी थी पर वित मन्त्रीजी ने ७३ गांवों में अकाल राहत कार्य चलवा दिये थे और अनाप-शनाप पैसा खर्च कर दिया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री विजयसिंह रावत : इस पर मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता। तो चुनाव के दिनों में जनता की बड़ी आवाज होती है। वोट लेने के लिये जहां आवश्यकता न भी हो वहां भी अनाप-शनाप पैसा खर्च होता है।

जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर जानवरों को चारा-पानी नहीं मिल रहा है और लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ५१२ गांव वहां हैं जिनमें से ४०२ में अकाल पड़ा है। वहां इनका प्रबन्ध सरकार को करना चाहिये। बांसवाड़ा, खेरवाड़ा, डूंगरपुर में अकाल राहत के लिये आदेश दिये गये, वादा किया पर क्रियान्वित करने में देरी की। लगातार सात साल से अकाल है, पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जब देश गुलाम था तब इन कामों के करने में सरकार काफी सतर्क थी। काफी प्रबन्ध वे करते थे और तुरन्त करते थे।

मैं उस समय की सारी विगत में नहीं जाना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज जब ऐसी हालत है कि अकाल राहत का कार्य दो महीने पहले खोला जाना चाहिये था वहां गिरदावरी रिकार्ड आने के बाद अखबारों में निकल जाने के बाद भी दो महीने तक कुछ नहीं किया गया और जब किया भी गया थोड़ा बहुत तो अजमेर जिले में १० हजार रुपये भेजे गये। चार जगह काम चला। चार दिन चलाकर उनको फिर बन्द कर दिया। फिर सैंक्शन के लिये भेजा गया। अब कब सैंक्शन मिलेगी, काम कब चलेगा ?

जहां अकाल लगातार पड़ता जा रहा है वहां अधिकारीगण लगान है और दूसरी वसूली है उनको वसूल करने में तो लगे हुए हैं पर उसी गति से अकाल राहत कार्य खोलने का काम नहीं करते। लोगों को कुछ दूर जाना पड़े महिला को चौदह आने आदमी को एक रुपया दो आने मिले, इससे मुझे शिकायत नहीं। पर अकाल राहत कार्य में कुछ काम लोगों को मिले यह जरूरी है।

जहां-जहां काम नहीं खोले हैं वहां हालत खराब है। महामारी हो रही है। जानवरों के पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, चारे की व्यवस्था नहीं, आदमियों के लिये नजदीक काम की व्यवस्था नहीं। सरकार को इस ओर शीघ्र ध्यान देना चाहिये।

इसके साथ मेरा और निवेदन है कि सरकार ने यह जो कहा है कि यह काम सिंचाई विभाग से करावेगी और फिर तहसीलों के मार्फत करावेगी पर होता क्या है। कलेक्टर सिंचाई विभाग को ऑर्डर देते हैं पर वे एक-एक महीने तक रिपोर्ट नहीं देते। तो समय पर राहत मिले इस ओर सरकार और पूरा सतर्क रहना चाहिये। खरीफ की फसल यों ही निकल गई। रबी की फसल आने वाली है। आज लोग

(श्री विजयसिंह रावत)

अपने-अपने गांव छोड़कर मालवे में जाने लग गये हैं। तो कम से कम आप इतना तो करिये कि लोगों का मनोबल ऊंचा रखने के लिये सही और तुरन्त व्यवस्था की तरफ आप ध्यान दें और जो व्यवस्था आप कराना चाहते हैं उसे शीघ्र ही क्रियान्वित कराएं। यह कारवां आपका सरकारी कर्मचारियों का बैठा है। इससे आप पूरा काम करवाएं। इतना कहकर मैं अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : बहस नहीं होगी इस पर।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो तथ्य रखे हैं मैं भी निवेदन करना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत हो तो।

श्री अध्यक्ष : कर दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : वह जांच आपके पास पड़ी है। उसका क्या हो रहा है। वह एक नसीराबाद के अकाल के सम्बन्ध में पिछले साल में प्रश्न उठाया गया था और उसकी जांच के लिये आपसे निवेदन किया था।

श्री अध्यक्ष : उस सम्बन्ध में जांच हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : यह कब तक होगी ? इसका कभी अन्त ही आता नहीं दिखता है ? मामला बड़ा गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष : वह ऐसा ही है। तथ्यों का प्रश्न है वहां तक तो अन्वेषण कर लिया है और दूसरा करने में देर लगेगी।

श्री भैरोंसिंह : और दूसरा क्या है ? तथ्यों के सम्बन्ध में जांच करके सदन को बताने का निवेदन किया था और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सामने जब कोई मसला आता है तो यह विश्वास तो होता है कि इसका फैसला जल्दी से जल्दी हो जावेगा। अगर अध्यक्ष महोदय के सामने भी मामला रखा जावे और उसमें भी विलम्ब होने का सवाल आवेगा तो सरकार और उसके अधिकारी को कह सकने का भी कुछ आधार नहीं रह पावेगा। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि इसी सत्र में जांच करके जो भी निर्णय हो सुना दें। और अगर आप अभी देना चाहें तो हम तैयार हैं। आप केवल तथ्यों के आधार पर विधान सभा में जो आरोप लगाये जावें, वे किस सीमा तक सही हैं, किस सीमा तक सही नहीं हैं इसका निर्णय दे सकते हैं। उनके आधार पर किसी को सजा देने का प्रावधान न तो आपके लिये है न सदन को ही है। वह तो न्यायालय के सामने तथ्य जावेंगे तब मामला अन्तिम रूप से निर्णीत होगा। इसलिये आप तथ्यों के आधार पर ही अपना निर्णय जल्दी दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर देना चाहूंगा इस प्रश्न पर। जब यह प्रश्न मुझको दिया गया था तब भी माननीय सदस्यों से मैंने निवेदन किया था कि जो यह दायित्व मुझको दिया जा रहा है वह मुझको अधिक रोचक नहीं लगता। फिर भी मैंने माननीय सदस्यों के उस

(श्री अध्यक्ष)

आदेश को स्वीकार किया। यह जो प्रश्न अभी माननीय सदस्य ने उठाया है उससे मुझको ऐसा संकेत मिलता है कि जैसे जान-बूझ कर मैं उसमें विलम्ब कर रहा हूं। मैं इतना कह सकता हूं कि जितनी सरगर्मी से इस प्रश्न पर जानकारी मुझको लेनी थी मैंने उसमें ली है। माननीय सदस्य ने यह कहा कि सदन को अवगत करा दिया जाये। जो प्रस्ताव उस समय रखा गया था उसमें दो प्रश्न थे। एक तो यह कि मैं उसकी जांच करूं और उस जांच का प्रभाव राज्य सरकार को मान्य होगा और मैं उस जांच का परिणाम राज्य सरकार को सूचित करूं। इसलिए सदन मेरे और राज्य सरकार के बीच में इस प्रस्ताव की जो भाषा थी उसमें नहीं आता। अब मैं विश्वास दिला सकता हूं कि चूंकि उसमें प्रश्न तथ्यों ही के नहीं थे कुछ अन्य भी प्रश्न है, जिनका उल्लेख मैं यहां नहीं करना चाहूंगा। माननीय सदस्य चाहें तो बात कर लें, दूसरे माननीय सदस्य यदि चाहें तो वह भी मुझसे बात कर लें ताकि अन्तिम निर्णय जो भी हो वह विवादग्रस्त न हो और मैं उससे बचना चाहता हूं। इसलिए मैं उस प्रश्न का स्पष्टीकरण यहां नहीं करके मुझसे यदि माननीय सदस्य मिलें तो मैं कर दूंगा। लेकिन जो प्रश्न इस समय है अन्य प्रश्न भी उसके संबंध में भी मैं बराबर अध्ययन कर रहा हूं और मैं विश्वास दिला सकता हूं कि उसको मेरे पास पड़े रखने का प्रश्न कतई नहीं है। ज्योंहि दूसरा प्रश्न जो कि मुझे बेचैन कर रहा है उसका निराकरण मुझे मिल जायेगा तो मैं जल्दी ही राज्य सरकार के पास भेज दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इससे ऐसा लगता है कि इस सत्र में भी क्या जांच की गयी और क्या परिणाम निकला उससे न तो राज्य सरकार ही अवगत होने वाली है और न ही राज्य सरकार के मार्फत यह सदन ही अवगत होने वाला है। उस स्थिति में निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कुछ बहुत ही ज्यादा कन्ट्रोवर्सी इस मामले को लेकर चल रही है, और जनता में जो उसकी प्रतिक्रिया है वह उचित नहीं है। एक तरफ भूतपूर्व मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाये गये जिन आरोपों की जांच माननीय अध्यक्ष महोदय कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं भूतपूर्व मंत्री महोदय को कॉर्पोरेशन का चेयरमेन बनाया जा रहा है जिनके खिलाफ आरोप हैं, धन के दुरुपयोग के आरोप हैं वैसी स्थिति में सरकार तो अपनी तरफ से अवगत नहीं कराकर पहले वाले आरोपों को हटाने की कोशिश कर रही है। उचित तो यह होता कि आप राज्य सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट पहले दे दें तो राज्य सरकार इसको लोक-लाज के नाते स्वीकार करके चलती कि जिसके खिलाफ अध्यक्ष के द्वारा आरोपों की जांच चल रही है उसको यदि कॉर्पोरेशन का चेयरमेन बना देंगे तो उसकी वजह से फाइनेन्शियल लॉसेस को लेकर किस प्रकार के परिणाम निकलने वाले हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले में यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट दें। यह रिपोर्ट यदि आप सरकार को देना चाहें तो उसको दे दें और फिर यह राज्य सरकार और हमारे बीच में चलेगा और हम देख लेंगे कि राज्य सरकार उस रिपोर्ट को इस सदन में प्रस्तुत करती है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी माननीय सदस्य मुझे मिले तो जो विलम्ब हुआ है उसका स्पष्टीकरण कर सकता हूं...

श्री भैरोंसिंह : स्पष्टीकरण नहीं........

श्री अध्यक्ष : और दूसरा प्रश्न इसका सरकार क्या करने वाली है यह दृष्टिकोण मेरी जांच से इसका कोई संबंध प्रतीत नहीं होता ....

श्री भैरोंसिंह : आपका नहीं है जनता का है।

श्री अध्यक्ष : मैंने जैसा पहले भी कहा था कि जो भी जानकारी मैं राज्य सरकार को दूं जांच के रूप में या अपनी मान्यताओं के रूप में वह विवादग्रस्त न हो.... ...

श्री भैरोंसिंह : वह नहीं होगी। सरकार का कमिटमेन्ट है और हाउस का भी कमिटमेन्ट है वह विवादग्रस्त नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : लेकिन मैं उस पर भी बहुत स्पष्ट हो जाना चाहता हूं और इसी आधार पर थोड़ी सी देरी हुई है। बाकी तथ्यों की जानकारी मैंने कर ली है। फिर भी मैं आश्वासन देता हूं कि माननीय सदस्यों की चिन्ता तो मैं इसको नहीं कहता व्यग्रता कहता हूं, उसको दृष्टिगत रखते हुए अध्यक्ष को बांधा नहीं जा सकता क्योंकि यह स्वतंत्र रूप से मुझे दायित्व दिया गया है। लेकिन माननीय सदस्य यह चाहते हैं तो मैं इसको वापिस सदन में रख दूं। बिना जांच के तो मैं रखने के लिए तैयार हूं। इसलिए सत्र का अवधि तो मुझपर लागू नहीं होती, लेकिन मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि जो भी मैं उस पर निर्णय लूंगा वह माननीय सदस्यों को व्यग्रता को दृष्टिगत रखते हुए जितना समय उसमें लगना आवश्यक है उससे कम समय लूंगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक बात तो स्पष्ट हो गई आपने जांच करनी थी वह कर ली और अब केवल सरकार से आपको जांच विवादग्रस्त न हो जाये इस प्रकार का एश्योरेन्स मिलना है वह मिलते ही आप जांच सरकार को दे देंगे तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा..

श्री अध्यक्ष : मैं बीच में रोकना चाहूंगा। आप मेरी स्थिति को कुछ गड़बड़ में डाल रहे हैं। मेरी स्थिति को विवादग्रस्त सरकार नहीं कर सकती। मैं तो अपने सन्तोष के लिये स्वयं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं इसलिये विवादग्रस्त करने का प्रश्न नहीं है किसी का क्योंकि आपको भ्रांति थी इसलिये स्पष्टीकरण करना ठीक समझा।

श्री भैरोंसिंह : सरकार से एश्योरेन्स नहीं लेना ?

श्री अध्यक्ष : नहीं लेना।

श्री भैरोंसिंह : फिर क्या बात रही ऐसी जिससे आपकी रिपोर्ट विवादग्रस्त हो जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : जहां तक मेरी मान्यताओं का प्रश्न है स्वयं के दिमाग में और विवेक का प्रश्न है वह कहीं विवादग्रस्त मालूम न हो। बाकी दूसरों का प्रश्न नहीं है। मैंने विश्वास दिला दिया इसमें।

हां, माननीय सदस्य (श्री गिरधारीलाल व्यास)।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जैसा श्री विजयसिंहजी ने ध्यानाकर्षण

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

प्रस्ताव अकाल राहत कार्यों के सम्बन्ध में रखा मेरी तहसील में भी १६ गांव अभी-अभी राज्य सरकार के द्वारा अकालग्रस्त घोषित किये। हालांकि होने तो बहुत सारे चाहिए क्योंकि कई गांवों में पानी की इतनी विषम स्थिति है कि पीने तक को पानी नहीं है, लेकिन पटवारियों ने जिस प्रकार से जिन्सवारी को या तहसीलदार ने या दूसरे लोगों ने और राज्य सरकार के ऐसे स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन्स थे कि पिछले सालों के जो राहत कार्य किये उसके बाद में आज जो आर्थिक स्थिति का दृष्टिकोण राज्य सरकार रखती है उसके मुताबिक कम से कम गांवों को इस अकाल राहत कार्य में लेने के लिये राज्य सरकार ने कोशिश की। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो गांव इस समय इस अकाल के अन्दर घोषित किये गये उनमें राज्य सरकार ने उन लोगों को रिलीफ देने के लिये कोई कार्य नहीं चलाये। मेरी तहसील में १६ गांव इस अकाल की स्थिति में पानी की कमी की वजह से आये और १२ गांव ऐसे हैं जहां भारी ओलावृष्टि के कारण फसल नष्ट हो गई, उनके लिये कलेक्टर के द्वारा राज्य सरकार के पास रिपोर्ट आ चुकी है। इन दोनों परिस्थितियों में राज्य सरकार को चाहिये था कि जल्दी से जल्दी वहां पर ऐसे राहत कार्य चलाये जाते जिससे लोगों को गुजर-बसर का जरिया मिलता। पिछले ५ सालों में इस सरकार ने काफी अच्छे काम किये हैं। हमारी उम्मीद थी कि इस वर्ष भी जो गांव अकाल की स्थिति में हैं उनमें जल्दी से जल्दी राहत कार्य मिलेंगे और उनकी उदरपूर्ति उसके जरिये से कर सकेंगे। मगर राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में उदासीनता बरती है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो भी गांव आपके द्वारा घोषित किये गये हैं और जो ओलावृष्टि के कारण फसल नष्ट हो गई है उनमें जल्दी से जल्दी राहत कार्य चलाये जायें और रबी की फसल हमारे क्षेत्र में रुपये में ४ आना हुई है, सिर्फ बान की कमान्ड एरिया में छोड़कर और दूसरे पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें ४ आना भी फसल नहीं है। उसमें भी जल्दी से जल्दी जिन्सवार कराई जाये ताकि भविष्य में हमें शिकायत न रहे कि गलत जिन्सवारी हुई। इस समय फसल को देखने से मालूम हो जायेगा कि वहां पर क्या स्थिति है। इसलिये इसकी जल्दी से जल्दी जिन्सवार कराई जाये और जो अकाल की स्थिति खरीफ में जिन गांवों में घोषित की गई है और जिनका अनाज नष्ट हो गया है उनके अन्दर रिलीफ कार्य कराने के लिये जल्दी से जल्दी काम चलायें, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय, स्वतंत्र पार्टी !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी दो शब्द इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। गये साल राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो बहस हुई उसके दौरान अकालग्रस्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में चर्चा की थी उसके साथ ही साथ यह भी मांग की थी कि निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाये।

यह मैं मानता हूं कि सरकार को यह सदन बाध्य नहीं कर सकता कि हर एक चीज की निष्पक्ष रूप से जांच हो, किन्तु उसके साथ-साथ इस सदन की परम्पराएं हैं, और

Page No. 52

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

यह समस्या एक कन्वेन्शन की समस्या भी है। माननीय सदस्य श्री विजयसिंहजी जो नसीराबाद से आये हैं उन्होंने पहले भी आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। आज भी चर्चा करते हुए एक भूतपूर्व राज्य के मंत्री के सम्बन्ध में गम्भीर आरोप उन्होंने लगाये हैं। मुझे भी बहुतसारी बातें जो कुछ कहनी थीं गत वर्ष मैंने कहीं लेकिन खेद का विषय है कि मुख्य मंत्रीजी ने इसकी जांच की, जो मांग मैंने की थी उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने ठुकराने की चेष्टा की आखिरकार अभी भी माननीय सदस्य जो आसींद से आये हैं उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में जांच की जाय। कहीं किस प्रयोजन से जांच हो और कहीं दूसरे प्रयोजन से जांच की व्यवस्था की मांग की जाती है तो सरकार चाहे जो कुछ भी करे, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आसन की ओर से, मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आपके दृष्टिकोण से अगर यह मांग जांच के सम्बन्ध की आपको उचित लगती हो तो आपको कुछ न कुछ सरकार को व्यवस्था देते हुए संकेत करना चाहिए कि यह सरकार की जो लहतलाली है, लीपा-पोती है यह अनुचित है, ताकि सरकार की आँखें खुले नहीं तो सरकार, मेरे खयाल से, मदान्ध होकर बहरी, गूंगी और अंधी हो चुकी है।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति से इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं भी माननीय मंत्री महोदय का झुन्झुनूं डिस्ट्रिक्ट के अकालग्रस्त गांवों के सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कर रही है उस सम्बन्ध में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष, झुन्झुनूं जिले की खेतड़ी और झुन्झुनूं तहसीलों के ७० गांव भयंकर अकालग्रस्त हैं। जिस वक्त अकाल की रिपोर्ट बनाई गई थी और उस समय रेवेन्यू अधिकारियों ने जो जांच की थी उसके बाद वहां की स्थिति और भी भयंकर हो गई है। जिस समय इसका असेसमेंट किया गया था कि कितने पर्सेन्ट अकाल है उसके बाद लगातार वर्षा होने के कारण जो फसलें थीं वे भी नष्ट हो गई थीं। इसलिए झुन्झुनूं जिले के ७० गांवों की स्थिति बड़ी शोचनीय है। वहां पर लोगों के पास न खाने के लिए अनाज है और न लोगों के पास रोजगार है। इसके लिए हमने करीब २० रोज पहले फेमीन एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई थी और उसमें राज्य सरकार को सुझाव दिया था कि पिछले वर्ष जो फेमीन के काम चलाये गये थे और जो अधूरे हैं उनको राज्य सरकार को चालू करना चाहिए, लेकिन बड़े खेद का विषय है कि २० दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक मैं समझता हूं कि कुछ नहीं किया जा रहा है।

मैंने कल ही वहां के जिलाधीश के कार्यालय से मालूम किया तो मुझे मालूम हुआ है कि इस सम्बन्ध में करीब १० दिन गये इसकी मीटिंग रखी गई है। अध्यक्ष महोदय, फेमीन का ऐसा मामला है, फ्लड का ऐसा मामला है, जिसको तुरन्त अटेन्ड किया जाना चाहिए अन्यथा उससे कोई लाभ नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री महोदय का आपके माध्यम से झुन्झुनूं जिले के करीब ७० गांवों के बारे में जानकारी हेतु, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं दो मिनिट अर्ज करना चाहता हूं।

Page No. 53

श्री अध्यक्ष : आपको तीन मिनिट।

एक माननीय सदस्या : आज तो आप बहुत उदार हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : श्री विजयसिंहजी के द्वारा जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश किया गया है कहतसाली के बारे में उस बारे में निवेदन है कि मेरे चुनाव-क्षेत्र में १९८ गांव हैं जिनमें भयंकर कहतसाली है। अक्तूबर ३० के गजट में उनके नाम घोषित हुए हैं, उनमें अकाल घोषित हुआ है, लेकिन आज तक वहां पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है और सरकार की तरफ से जो उपेक्षापूर्ण दृष्टि अपनाई जा रही है और कोई भी सहायता वहां के गरीबों को नहीं मिल रही है तो इस प्रकार से उस इलाके में भूखमरी फैल गई है और लोगों की जानें खतरे में पड़ गई हैं। इससे मैं सम्बन्धित मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस इलाके की जनता की रक्षा के लिए शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जाय और वहां पर राहत कार्य खोले जायं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय !

श्री परसराम मदेरणा (अकाल सहायता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह बात सत्य है कि राजस्थान में गत दो वर्षों से अभाव की स्थिति निरन्तर बनी हुई थी, किन्तु इस वर्ष अभाव की स्थिति बहुत कम है। राज्य के कुल १२ जिलों की ४१ तहसीलों में २३१३ गांव अभावग्रस्त घोषित किये जा चुके है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर एवं अजमेर में कुछ गांवों में लगातार तीन वर्षों से वर्षा नहीं होने के कारण अभाव की स्थिति बनी हुई है। राज्य सरकार इन अभाव ग्रस्त क्षेत्रों के लिए सहायता कार्य सम्पन्न करने हेतु निरन्तर सावधान है। अभाव स्थिति घोषित होने से पूर्व जिलाधीशों को ऐसे स्थानों पर जहां अभाव-स्थिति कठिन है, सहायता कार्य आरम्भ करने के लिए धन-राशि का आवंटन कर दिया गया था। अभावग्रस्त जिलों के अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं जिनका अध्ययन किया जा रहा है। १२ जिलों में अभाव-स्थिति घोषित की जा चुकी है एवं समस्त बकाया की वसूली के स्थगन के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं। राज्य सरकार के पास इस प्रकार की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि लोग अभाव की स्थिति में भूखे मर रहे हैं या गांव छोड़ कर जा रहे हैं। ऐसी स्थिति नहीं होने दी जायगी एवं अभावग्रस्त क्षेत्रों को उचित सहायता शीघ्रतिशीघ्र दिये जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर ली गई है।

यदि राज्य सरकार के सम्मुख जबरन बकाया वसूली के मामले लाये जायेंगे तो उन पर तत्काल कार्यवाही की जायगी। वसूल स्थगन के आदेश पुनः प्रसारित कर दिये जायेंगे।

नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने अजमेर जिले में जो अभाव की स्थिति है उसको लेकर २-४ बातें कहीं। अजमेर जिले में १०२ गांव अभावग्रस्त हैं, और उन १०२ ग्रामों में से केवल ३४ गांव ऐसे हैं जिन ३४ ग्रामों में पिछले तीन साल से अभाव की स्थिति बनी हुई है। अजमेर में राहत कार्य शुरू करने के लिए अजमेर के जिलाधीश को राज्य सरकार की तरफ से १० हजार रुपये की स्वीकृति दी गई थी, और उसके बाद में ५० हजार रुपये की और स्वीकृति की जाकर अजमेर जिले को ६०

(श्री परसराम मदेरणा)

हजार रुपये की स्वीकृति राहत-कार्य चालू करने के लिए दी गई है। माननीय सदस्य ने यह कहा कि राहत-कार्य तीन मील के रेडियस में खोले जाने चाहिएं, यह न राज्य सरकार की पॉलिसी है, और जो आदेश राज्य सरकार ने जिलाधीशों को दिये हैं और जो आदेश वहां को राहत कमेटी और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट रिलीफ एडवाइजरी कमेटी है उनको भी समय-समय पर इन आदेशों की सूचना दी जाती है कि कम से कम १० मील के रेडियस के अन्दर यह काम होने चाहिएं। अजमेर जिले में अभी चार काम चल रहे हैं राहत के, और चारों ही काम माइनर ईरिगेशन के हैं। इसलिए माननीय सदस्य का यह कहना कि इन चार कार्यों को शुरू करने में या जिन कार्यों को जिला राहत कमेटी प्राथमिकता के आधार पर निश्चित करती है उनको प्रारम्भ करने में वहां का जो सिंचाई विभाग है वह सतर्कता नहीं बरतता है।

(१ म. प.)

मैं समझता हूं उनका यह कहना ठीक नहीं है। जिन कार्यों के बारे में राहत कमेटी सैंक्शन कर देती है और टैक्निकल एप्रूवल आ जाने के बाद उन कामों को शुरू करने में विभाग से देरी होती है तो राज्य सरकार निश्चित तौर पर उसको देखेगी।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि पानी के संबन्ध में कोई राज्य सरकार ने व्यवस्था नहीं की है। जो रिपोर्ट अजमेर जिलाधीश से उपलब्ध हुई है उसमें कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। लेकिन जैसलमेर और बीकानेर के संबन्ध में यह बात जरूर है। वहां पर कुछ दिनों से पानी की किल्लत है उसको दूर करने के लिये राज्य सरकार ने उन जिलों के लिये धनराशि स्वीकृत करके भेज दी है। काम शुरू कर दिया है। बीकानेर जिले में कई जगह और जैसलमेर जिले में भी दो-तीन जगह पानी ट्रकों से पहुँचाया जा रहा है, ट्यूब-वेल्स चालू किये गये हैं। बीकानेर जिले में १८ स्थानों पर राहत विभाग द्वारा वहां पर काम चालू करवाये हैं ताकि लोगों को पानी की दिक्कत महसूस न हो। इसी तरह बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में भी ३३ स्थानों पर ट्रकों द्वारा पानी पहुँचाने का निर्णय लिया गया है और ६ स्थानों पर रेल से टैंक्स के द्वारा पानी उपलब्ध कराया जाय ताकि वहां के नागरिकों को दिक्कत नहीं हो, इस प्रकार के आदेश प्रसारित कर दिये हैं।

इसके अलावा, वहां पर कहां कहां काम शुरू करने की आवश्यकता होगी यह अधिकार हमने वहां की जिला राहत कमेटी को दे दिये हैं। जिला राहत कमेटी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार देखेगी कि किन स्थानों पर राहत कार्य शुरू करने जरूरी हैं; कहां पर लोग बेकार हैं वह स्थानीय जरूरत समझ कर सिफारिश करेगी। डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी के ऊपर यह काम छोड़ दिया है। इस साल के बजट में राहत कार्य के लिये २० लाख रुपयों का प्रावधान रखा है। इनमें से ११,१९,५०० रुपये राज्य सरकार ने भिन्न-भिन्न मदों के लिये भिन्न-भिन्न जिलों में स्वीकार कर दिये हैं।

जहां तक भीलवाड़ा जिले का प्रश्न है, जिलाधीश की रिपोर्ट राज्य सरकार के पास

(श्री परसराम मदेरणा)

आई है उसके अनुसार उन्होंने माना है कि भीलवाड़ा जिले में बहुत थोड़े ग्राम हैं, जहां पर अकाल का प्रभाव है। १६ ग्राम आसीन्द तहसील में और ८ मांडल तहसील में कुल २४ गांव अकालग्रस्त हैं। भीलवाड़ा जिले में बहुत थोड़े गांव ऐसे हैं, जिलाधीश ने लिखा है, वहां की अकाल की स्थिति देखते हुए यदि पूरे जिले में अच्छी फसल है तो उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी कि भीलवाड़ा जिले में राहत कार्य शुरू किये जायं।

जहां तक माननीय सदस्य रामनारायणजी ने झुन्झुनूं जिले के प्रभावग्रस्त गांवों में कार्य शुरू करने की बात का जिक्र किया उनसे निवेदन करूंगा कि जिलाधीश की अब तक की रिपोर्ट, उसके अनुसार यह उचित नहीं समझा है कि पूरे जिले में अच्छी फसल देखते हुए वहां पर राहत कार्य करायें जायं। मुझे एक पत्र भी उनका मिला था। उनके पत्र के अनुसार मैंने जिलाधीश को लिखा है कि माननीय सदस्य ने इस प्रकार की आपत्ति उठाई है कि यदि राहत कार्य नहीं खुले तो वहां के लोगों को नजदीकी प्रान्त में मजदूरी के लिये जाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिये। यदि वहां पर कार्य खोलने की आवश्यकता है तो काम खुलवाने के लिये राज्य सरकार को सूचित करें। उनका जवाब राज्य सरकार को नहीं मिला है ..

श्री हंसराज आर्य : गंगानगर जिले के बारे में।

श्री परसराम मदेरणा : गंगानगर जिले में भी कुल मिलाकर २४७ गांव प्रभावग्रस्त हैं। नोहर में १६८, सूरतगढ़ में ६३ और भादरा में १६। अब तक जो रिपोर्ट आई है उसमें सिर्फ उन गांवों में लैंड रैवेन्यू सस्पेन्ड करने के लिये और दूसरी प्रोसिडींग्ज को रोकने के लिये सरकार से सिफारिश की है। अब तक राहत कार्यों के लिये राज्य सरकार से धनराशि आवंटित करने के लिये नहीं लिखा है इसलिये गंगानगर जिले में धनराशि सैंक्शन नहीं की गई है। जब कभी गंगानगर जिलाधीश के द्वारा इस प्रकार की मांग आयगी तो निश्चितरूप से कार्यवाही की जायगी।

अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि जिले के थोड़े पार्ट में या कुछ पेचेज में अकाल होता है और जिले के दूसरे हिस्सों में अच्छी फसल होती है, तो जहां पर अच्छी फसल होती है वहां पर काश्तकारों को काम करने के लिये कुछ लोगों की आवश्यकता होती है। वहां पर जाकर कुछ लोग कार्य कर सकते हैं। कुछ जिले ऐसे है जहां पर वास्तव में स्थिति गंभीर है जैसा कि नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, जैसलमेर में निश्चित तौर से पूरे जिले में, १०, १२, गांवों को छोड़ कर ५१४ में से ५०२ गांवों मे अकाल की स्थिति है। लेकिन माननीय सदस्य को यह भी पता लगाना चाहिये कि वहां पर पिछले दो साल से अकाल है और जब अकाल की ठीक स्थिति होती है उस समय कार्य खोलते हैं तो पूरे जिले में ३००० व्यक्ति राहत कार्य करने के लिये आते हैं इसका एक कारण यह भी है कि जिला दूर-दूर...

(१.०७ म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

Page No. 56

(श्री परसराम मदेरणा)

तक फैला हुआ है और जिले में राहत कार्य के अलावा प्रोजेक्ट्स में बहुत से कार्य चल रहे हैं और प्रोजेक्ट्स में लोग कार्य करते हैं। वैसी स्थिति नहीं है तो भी जैसलमेर में चार कार्य सिंचाई के और एक कार्य सड़क का खोला गया है इस पर भी मजदूरों की संख्या कम है।

सबसे ज्यादा राहत कार्य बीकानेर में खोले गये हैं। इसका कारण यह है कि बीकानेर में काफी ऐसे गांव हैं, १०० के लगभग जहां पर अकाल की स्थिति है। वहां पर १८ कार्य खोले गये हैं और उनमें ५००० से ज्यादा मजदूर कार्य कर रहे हैं। जब राज्य सरकार के ध्यान में यह बात लाई जाती है कि बीकानेर में राहत कार्य खोले जाने चाहिये इस बारे में रिलीफ कमेटी राज्य सरकार के पास सिफारिश भेजती है और राज्य सरकार उस सिफारिश को ध्यान में रख कर जांच करके धन राशि एलॉट करती है। कहां कहां पर राहत कार्य खोले जाने चाहिये कहां पर नहीं यह काम राज्य सरकार ने अपने हाथ में नहीं लेकर जिला राहत कमेटी को दे दिया है। उसकी सिफारिश पर जब कभी कमेटी ने सिफारिश की है कि धन राशि उपलब्ध कराई जाय, चाहे चारे के लिये हो, चाहे पानी के लिये हो, चाहे ग्रेचुट्स-रिलीफ के लिये हो, चाहे राहत कार्यों के लिये हो, राज्य सरकार ने हमेशा जिलाधीश की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए धनराशि स्वीकृत की है और भविष्य में भी यदि कोई रिपोर्ट आएगी जिलाधीश द्वारा तो राज्य सरकार गौर करके निश्चित धनराशि उपलब्ध कराएगी। आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनके वहां स्थिति ऐसी है कि जिले के १/१० गांव ऐसे हैं कि वहां के लोग गांव छोड़ कर दूसरे स्थानों को जा रहे हैं और भूखे मर रहे हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की स्थिति ऐसी नहीं है। आप और हम सभी जानते हैं कि ३) ४) रु० रोज पर काम करने वाले आदमी दूसरे लोगों को जरूरत हो तो नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति नहीं है कि जिन जिलों में कलेक्टर ने सिफारिश नहीं की है कि वहां पर राहत कार्य खोले जाय वहां पर सुओमोटो राज्य सरकार आदेश दे दे कि राहत कार्य खोले जायें, मैं टेलीफोन पर जिलाधीश को पूछ लेता हूं कि आया वहां पर आवश्यकता है या नहीं...

और इस प्रकार के काम खोले जाने के लिये माननीय सदस्य ने क्योंकि आवश्यकता बताई है, मैं इस बात को जरूरी समझता हूं कि जिला राहत कार्य समिति की मीटिंग बुला कर जल्दी से जल्दी वह राज्य सरकार को अपनी सिफारिशों से अवगत करायें।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली साल कलेक्टर की रिपोर्ट के बगैर ही काम चालू किये गये थे और इस साल कलेक्टर की रिपोर्ट की आपको जरूरत पड़ गई जबकि पिछली साल चुनाव से पहले अपने आप ही यहां से ऑर्डर करवा कर अकाल राहत कार्य खोले, इस साल आप कहते हैं कि अकाल राहत कार्य खोलने की जरूरत नहीं है और जरूरत नहीं होने की वजह से ही कलेक्टर ने रिपोर्ट नहीं की होगी। आपको मालूम होना चाहिये कि लूले, लंगड़े और अपाहिज आदमी जिन गांवों के अन्दर हैं, उनकी क्या स्थिति हो रही होगी? किस तरह से वह गुजारा कर रहे होंगे? आप कहते हैं कि कलेक्टर की रिपोर्ट नहीं है तो फिर

Page No. 57

(श्री रामचन्द्र आर्य)

उन गांवों में कहत घोषित करने की जरूरत क्या थी ? जिन गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया है, जिनमें कहत घोषित किया है और जो राज-पत्र में आया हुए हैं, उनके लिए यदि अब यह कहा जाय कि क्योंकि अकाल राहत कार्य के लिये कलेक्टर की रिपोर्ट नहीं है इसलिये वहां अकाल राहत कार्य खोलने की जरूरत नहीं है। आज आप यह कहते हैं लेकिन गत वर्ष आपको जरूरत थी, क्योंकि आपको चुनाव में जीतना था इसलिये जहां पर कहत नहीं था वहां भी अकाल राहत कार्य खोले गये। इस साल जबकि भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, तीन-तीन साल से भयंकर अकाल जिन गांवों में है, उन गांवों को भी आपने कतई नजर अन्दाज कर रखा है। मैं कहता हूं कि आपकी इस प्रकार की प्रवृत्ति से आप लोगों का आगे चल कर लाभ मिलने वाला नहीं है। आप इस तरह की दलील देते हैं इस सदन के अन्दर, यह शोभा की बात नहीं है, यह आपको शोभा नहीं देता है। आपको जांच करनी चाहिये, उन गांवों की हालत को देखना चाहिये कि उन गांवों की हालत आज क्या है और किस प्रकार का जीवन-निर्वाह करने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। आज उनकी क्रय शक्ति खत्म हो गई है, आज वे कोई चीज बाजार से खरीद नहीं सकते ..

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : उस स्थिति में भी आप उनको मजदूरी दिलाने के लिये अकाल राहत कार्य खोलने का कोई प्रबन्ध नहीं करना चाहते...

श्री उपाध्यक्ष: आॅर्डर प्लीज ! आप अपनी बात थोड़े में कह दें। आॅर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : इसलिए आपने जो दलील दी है, मैं इस दलील का घोर विरोध करता हूं क्योंकि आपने इस तरह से जान-बूझ कर इस सदन को गुमराह करना चाहा है ...

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! आप अपनी बात थोड़े में कह दें।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्योंकि कलेक्टर की रिपोर्ट नहीं है इसलिए हम उन गांवों में अकाल राहत कार्य नहीं खोलेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

श्री हंसराज !

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह आदत पड़ गई है कि सदन के अन्दर इस प्रकार की गलत बातें कहें .

श्री रामचन्द्र आर्य: मैंने कोई गलत बात कही हो तो आप प्रोसीडिंग्स उठा कर देख लीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : बराबर सदन में गलत बातें कहते हैं और हमेशा जोर-जोर से कहते हैं। माननीय सदस्य को शांति के साथ में इस सदन के अन्दर अपनी बात कहनी चाहिए। यह विधान सभा का सदन है, इस सदन में जोर से बात कहें...

श्री रामचन्द्र आर्य : आप मुझे धमका रहे हैं, इसके लिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि मंत्री महोदय, मेरे को धमका रहे हैं या मेरी बात का उत्तर दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री परसराम मदेरणा : आप इस तरह धमकाने की बात कहते हैं, तो इस तरह की हवा बनाने की यहां आवश्यकता नहीं है।

गंगानगर जिले के अन्दर...

श्री उपाध्यक्ष : हंसराजजी भी अपनी बात कह दें। उसके बाद में आप एक साथ उत्तर दे दें।

श्री परसराम मदेरणा : इस साल रिकार्ड उत्पादन है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय हंसराज !

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि गंगानगर जिले में दो सौ से ऊपर गांव अकालग्रस्त हैं, लेकिन आपने एक पैसा भी वहां अकाल राहत कार्य के लिए नहीं भेजा है– यह न्यायसंगत नहीं है। माननीय मंत्रीजी ने फरमाया कि कलेक्टर साहब की रिपोर्ट नहीं है, तो वहां भूख किसानों को लगती है, न कि कलेक्टर को, तो कलेक्टर रिपोर्ट पेश करे या नहीं करे, आपको वहां पर राहत कार्य के लिए पैसा भेजना चाहिए था तब तो न्याय की बात होती। लेकिन आज तक भी पैसा नहीं भेजना न्यायसंगत नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा, मंत्री महोदय गंगानगर की ओर अवश्य ध्यान दें और ध्यान देकर वहां के लोगों को राहत पहुँचाने की व्यवस्था करें।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भी दो प्रश्न हैं जिनका भी उत्तर साथ में दे दें। मेरा एक प्रश्न यह है कि माननीय मंत्रीजी ने बताया कि यह काम तो जिला राहत कार्य कमेटी तय करती है कि कहां पर अकाल राहत कार्य खोलने चाहिए, कहां पर नहीं। मेरा इस सम्बन्ध में यह कहना है कि इस साल बरसात इस प्रकार बरसी है कि एक गांव में बरसी और फिर दस-बारह मील के बाद में बरसी। तो बीच के गांवों में तो अकाल घोषित नहीं हुआ और एक-एक गांव में अकाल घोषित हुआ। तो उन गांवों का डिस्टेन्स बीस मील का है, उनके लिए आखिर अकाल राहत कार्य क्यों नहीं हों ?

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए आप चाहते हैं कि पिछले साल जो नियम थे वे ही लागू किये जायं।

श्री विजयसिंह रावत : हां, इस प्रकार की व्यवस्था हो कि जहां पर लोग अकाल-ग्रस्त हैं उनको अकाल राहत मिले।

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि नसीराबाद में १५० बीघा जमीन है, प्रोपर नसीराबाद के अन्दर ४५० बीघा जमीन के अन्दर कल्टीवेशन होता है। वहां भी लगातार पिछले तीन-चार वर्ष से अकाल पड़ता आ रहा है। नसीराबाद के चारों तरफ अकाल है, लेकिन क्योंकि वहां केन्टूनमेंट है, तो केन्टूनमेंट होने के कारण वहां पर कलेक्टर या अधिकारी है वह जिला कलेक्टर रिपोर्ट उसकी नहीं भेजता है जिसके अनुसार राज्य सरकार अकाल घोषित करे और इसलिए वहां पर वसूली भी हो रही है। क्योंकि वह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के तहत आता है, इसलिए मैं यह चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसके लिए कोई न कोई व्यवस्था करें ताकि वहां राहत कार्य खोले जायं। जो वहां ४५० बीघा जमीन है, या तो उसकी मेड़बन्दी करवा दी जाय या

(श्री विजयसिंह रावत)

जो वसूली उगाई जाती है रेट के बतौर से उसको स्थगित करने की व्यवस्था की जा सके।

तीसरे....

श्री उपाध्यक्ष : आप दो ही प्रश्न पूछ रहे थे।

श्री विजयसिंह रावत : यह सवाल नहीं था। तो तीसरा सवाल यह है कि आपने कहा है कि विभाग कभी देरी नहीं करता है। उपाध्यक्ष महोदय, पांच तारीख को राज्य सरकार की तरफ से आदेश दिया गया था कलेक्टर को कि वह वहां की जिला अकाल राहत कमेटी की मीटिंग बुलाये और मीटिंग बुला कर इस बात की जांच करे कि कितने मजदूर आते हैं और उनके आंकड़े दें। पांच तारीख को उन्होंने हमारी कमेटी की मीटिंग बुलाई और उसमें तय किया गया कि सब विभाग आंकड़े दें, तो इरिगेशन विभाग और दूसरे विभाग थे उनको कलेक्टर ने आदेश दिया कि १७ तारीख को मीटिंग में वे आंकड़े लाकर दें। उसके बाद में १७ तारीख को मीटिंग की गई तो कलेक्टर ने सबको पूछा लेकिन किसी विभाग ने आंकड़े लाकर नहीं दिये कि कहां पर काम हो उसमें से जो दस हजार रुपये स्वीकृत हुए हैं। तो उसके लिए आंकड़े लाने थे कि कितने मजदूर आते हैं। आप कहते हैं कि यह जानकारी मिल जाय, कलेक्टर अपनी जानकारी करके रिपोर्ट पेश कर दे, तो उसके लिए कलेक्टर ने खुद प्रयत्न भी किया लेकिन किसी ने आंकड़े पेश नहीं किये। उसके बाद में कमेटी ने निर्णय किया कि इतने मजदूर आ सकते है। तो जैसा विरोधी दल के माननीय नेता ने कहा था कि आप इसके बारे में जांच करवायें, या आप दौरा करके भी देख सकते हैं कि जहां पर अकाल है वहां पर क्या स्थिति है ? मैं समझता हूं कि अकालग्रस्त आदमी की बुद्धि भी भ्रष्ट होती है, क्योंकि आदमियों के खाने-पीने के साधन नहीं हैं और उनकी हालत खराब है लेकिन आपके अधिकारी ही आपके आदेशों को भंग करें, यह बात समझ में नहीं आ सकती है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था करें और इसकी जांच की आज्ञा दें।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं....

श्री उपाध्यक्ष : थोड़े में ध्यान आकर्षित करिये। यह स्थगन प्रस्ताव है, इस पर लम्बी-चौड़ी चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने सवाल उठाया था उसका उत्तर सही नहीं आया। मैं जानकारी के लिए, मंत्री महोदय, को आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि जिलों में जिला अधिकारी राहत कार्य चालू करने में तत्परता नहीं बरत रहे हैं और इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया था। अभी माननीय मन्त्रीजी ने फर्माया कि मैंने जिलाधीशों को लिख दिया है और वहां से रिपोर्ट नहीं आई। यही मेरा भी आशय था, मेरा निवेदन है कि इस सदन के प्रति आप उत्तरदायी हैं। हम जिलाधीशों से सीधे पूछने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए आपसे निवेदन किया गया कि आप तुरन्त रिपोर्ट मंगवा कर स्थिति को देखें। जिलाधीशों का २५ जनवरी को ध्यान आकर्षित किया गया, उसके बाद में उन्होंने तहसील एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग

Page No. 60

(श्री रामनारायण चौधरी)

१६ फरवरी को बुलाने का आदेश दिया। १६ तारीख को मीटिंग हुई लेकिन उसके बाद में भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैंने जैसा निवेदन किया था कि झुंझुनूं जिले में, झुंझुनूं तहसील में करीब ७० गांव हैं और दो कस्बे हैं, जिनकी आबादी करीब ३० हजार है, तो करीब एक लाख आबादी की जनता आज अकाल से पीड़ित है, और खास जरूरत वहां है वह यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इन गांवों में जो इन्सान हैं, इनके पास में आज चराई की कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि इन गांवों में इस वर्ष लगातार वर्षा होने के कारण चारा जल गया और चारे के द्वारा जो आमदनी होती थी, वह फसल जल जाने के कारण नष्ट हो गई। तो वहां जो अपाहिज, लूले, लंगड़े लोग हैं, उनकी हालत खराब है। आज वहां के बिसाऊ, तरनऊ और मलसीसर–इन तीनों में अकाल है लेकिन यहां अकाल राहत कार्य नहीं है। यह ऐसा इलाका है, जहां १९९३ के बाद गत वर्ष ही फसल अच्छी हुई थी, नहीं तो पिछले तीन-चार साल से वहां बराबर अकाल रहा। ये गांव चूरू जिले से मिलते हुए हैं और चूरू जिले के गांव अकाल में हैं, तो ये भी उससे जुड़े हुए हैं और यहां के लोग अकाल से पीड़ित हैं लेकिन यहां पर उनके लिए कोई रोजगार का साधन नहीं है। मंत्री महोदय ने यह ठीक फर्माया है कि मैंने ध्यान आकर्षित किया था और इसलिए ही लोगों को कुछ आशा थी। लेकिन आज स्थिति बिगड़ने से लोग वहां से गंगानगर की तरफ जा रहे हैं मजदूरी की तलाश में। यह बात सही है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि मंत्री महोदय वहां के लिए आदेश प्रदान करें।

श्री परसराम मदेरणा: उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो बारह जिलों में गांव अकालग्रस्त हैं, उन १२ जिलों में से ८ जिलों के अन्दर अकाल राहत के लिए धनराशि भेज दी गई है और जिन चार जिलों में काम शुरू नहीं किये गये हैं वहां पर ग्रेचुइटस में रिलीफ के फंड्स भेज दिये गये हैं ताकि जो अपाहिज हैं, जो लूले-लंगड़े लोग हैं, जो काम नहीं कर सकते और जो अभावग्रस्त क्षेत्र हैं, उनके लोगों को काम दिलाया जा सके। यह कहना कि ऐसे जो लोग हैं, उनको राहत देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, मैं समझता हूं, यह सही बात नहीं है।

दूसरी बात है, गंगानगर जिले में अकाल-राहत कार्य शुरू करने की बात कही गई। मैं नौहर और भादरा से आने वाले माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूं कि वहां के जिलाधीश ने यह लिख कर नहीं भेजा है कि अकाल राहत कार्य खोलने की आवश्यकता है या नहीं तो फिर यहां से धनराशि की स्वीकृति की जाने की बात भी, मैं समझता हूं, उचित नहीं होगा, इसलिए मैं कलेक्टर को टेलीग्राफिकली कहूंगा कि वह हमें इन्फार्म कर दे कि क्या वह अकाल राहत कार्य खोलने की आवश्यकता समझता है और राज्य सरकार को ऐसी सिफारिश भेजे कि कितनी धनराशि उसके लिए एलॉट की जानी चाहिए, तो इसके ऊपर उनकी रिकमन्डेशन और उनकी सिफारिश आने के बाद में कार्यवाही की जायगी।

नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि अजमेर जिले में बहुत से ऐसे गांव हैं, जहां आसपास में अकाल है लेकिन बीच में अकाल में एक गांव नहीं रहा है....

श्री विजयसिंह रावत : चार-चार, पांच-पांच गांवों में ।

श्री परसराम मदेरणा : चार-चार, पांच-पांच, छः छः होंगे । मेरा निवेदन है कि उन्हीं गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया है जिनका क्रॉप पचास प्रतिशत है । इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सेप्शन राजस्थान में नहीं किया गया है । मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां पर लॉस ऑफ क्रॉप अगर पचास प्रतिशत से कम है तो उन गांवों को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया जा सकता । जो गांव वास्तव में नोटिफाइड नहीं हैं वहां राहत कार्य कैसे शुरू किये जा सकते हैं । यह सदन की हमेशा से मांग रही है कि जिन गांवों में अकाल हो उनमें ही अकाल घोषित किया जाय और जिन गांवों में अकाल की स्थिति नहीं हो वहां अकाल घोषित नहीं किया जाय । इसलिए राज्य सरकार ने उसी के अनुसार जिलाधीश की अगर सिफारिश आई है तो जिलाधीश की सिफारिश के अनुसार अकालग्रस्त घोषित किया है । एक गांव के अन्दर सिर्फ ऐसा नहीं हुआ, एक गांव ऐसा था जिसमें राज्य सरकार ने यह उचित समझा—मैं उस गांव का नाम भूल गया हूं, बरता होगा शायद, उसमें ४९.९९ पर्सेन्ट लॉस बताया था, केवल पॉइन्ट वन पर्सेन्ट लॉस नहीं था क्योंकि एकरेज में उसको कन्वर्ट किया गया, इसलिए चिट्ठी लिखी है कि कहीं इसमें गलती तो नहीं रही है । उसमें क्योंकि आधे बीघे का फर्क था, इसलिए लिखा । उस पर जिलाधीश की पुनः सिफारिश आई कि इसके केल्कुलेशन में गलती रह गई तीन-चार बीघे की, इसलिए केल्कुलेशन गलत रहा, इसलिए अब इसको डिक्लेअर कर दिया जाय । उसके आदेश भी अभी तीन-चार दिन पहले ही जारी कर दिये गये हैं । इसलिए राज्य सरकार इसमें असमर्थ है, और जिन गांवों के अन्दर क्रॉप का, फसल का नुकसान पचास प्रतिशत या उससे ऊपर नहीं है वहां अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया जा सकता और इसलिए ही वहां राहत कार्य शुरू नहीं किये जा सकते ।

नसीराबाद की छावनी की कुछ सैंकड़ा बीघा जमीन की बात ही कही । मैं नहीं कह सकता कि वह किस तरह की जमीन रह गई है गिरदावरी के अन्दर कितना खराबा बताया गया है, यह अकालग्रस्त घोषित किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा—इसको मैं जानकारी करने के बाद ही माननीय सदस्य को उत्तर दे सकता हूं ।

मैं समझता हूं जो मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाये, उन पर इस स्टेटमेंट के बाद उनको संतोष हुआ होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई । गैर सरकारी संकल्प पर विचार ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं क्लेरीफिकेशन के लिए पूछना चाहता हूं । मान लीजिये कि कहीं पर भ्रष्टाचार होता है, नकली मस्टर रोल, फार्म बनते हैं—उस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाय या मांग की जाय कि उसकी जांच की जाय तो मुख्य मंत्री ने मेरी मांग जो थी गये साल उसको ठुकरा दिया, अस्वीकार किया । हम यह चाहेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, कि आसन के द्वारा कि सरकार निष्ठुरतापूर्वक ऐसी मांग को, उचित मांग को ठुकराने का साहस करती है, तो अध्यक्षीय आसन की तरफ से कोई न कोई व्यवस्था मिलनी चाहिए, संकेत मिलना चाहिए नहीं तो हमारा इस असेम्बली में बैठना या नहीं बैठना बराबर है ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री ने किस संदर्भ में, किस कन्टेक्स्ट में, किस भूमिका में माननीय नेता महोदय को जवाब दिया था—यह मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि यह विभाग मेरे पास नहीं था। अलबत्ता, मैं विरोधी पक्ष के माननीय नेता को....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप प्रोसीडिंग्ज देख लीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : विश्वास दिलाना चाहता हूं कि फर्जी मस्टर रोल के बारे में, किसी प्रकार की इर्रेगुलेरिटी के बारे में, अनियमितता के बारे में, राज्य सरकार के पास में, मेरे इस विभाग में आने के बाद में, कोई शिकायत आई है तो शिकायत आने के बाद में तुरन्त ऊंचे से ऊंचे ऑफिसर को जांच करने के लिए मैंने अपॉइन्ट किया है और भविष्य में इस प्रकार की कोई शिकायत आयगी तो राज्य सरकार कोई प्रेस्टिज का सवाल उसको नहीं बनाना चाहती है, किसी ने गलती की है तो निश्चितरूप से उसको दण्ड दिया जाना चाहिए, और राज्य सरकार उसकी जांच करवायेगी।

गैर सरकारी संकल्प पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : गैर-सरकारी संकल्प पर विचार।

श्री हरिवल्लभ शर्मा !

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाईमाधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में एक संकल्प प्रस्तुत किया है। संकल्प यह है :

"यह सदन की सम्मति है कि राजस्थान सरकार द्वारा 'उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय द्वारा प्रसारित उत्तर प्रदेश सार्वजनिक व्यक्तियों की जांच अध्यादेश, १९६७' के समान एक विधेयक इसी सत्र में प्रस्तुत किया जाय।"

राजस्थान विधान सभा में ऐसा संकल्प इससे पहले प्रस्तुत नहीं हुआ है, और उसके कारण भी थे। लेकिन आम चुनाव के पश्चात् जनता की भावनाओं को देखते हुए, जन-प्रतिनिधियों की भावनाओं को देखते हुए—वह भावना उधर के पक्ष वालों की हो या नहीं—यह दूसरी बात है।

श्री विद्धचन्द्र जैन : सबकी भावना है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं निश्चितरूप से मानता हूं कि जिस जनता ने बहुमत द्वारा इस कांग्रेस के विरोध में अपना मत दिया, इस प्रान्त की जनता ने मत दिया उसने और सब विरोधी पक्ष वालों ने इस बात को महसूस किया कि दरअसल जिस प्रकार का आज यह मंत्रिमण्डल और प्रशासन का ढांचा चल रहा है, उसके लिये यह अधिकारी वर्ग उतना जिम्मेदार नहीं है जितना कि दरअसल में मंत्रिमडल के सदस्य जिम्मेदार हैं, और जब तक उनके विरुद्ध कोई न कोई इस प्रकार का कानूनी प्रावधान बनता नही है कि जिसके अन्तर्गत उनके विरुद्ध आरोपों की जांच हो तब तक यह मसला ठीक होने वाला नहीं है और दिन पर दिन हालत बहुत बिगड़ जायगी। उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के आने के बाद हमारे देश में एक आशा और विश्वास आम जनता में बंधा था, यह आशा और विश्वास था कि दरअसल विदेश की गुलामी से मुक्ति पाने के बाद हमारे देश के अन्दर हमारा राज्य होगा, जिसको गांधीजी ने रामराज्य

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

के नाम से पुकारा था। उस समय राजा और महाराजाओं ने भी जन-भावना को पहचाना और समय के तकाजे को पहचाना और स्वेच्छा से अपने-अपने विशाल राज्य जनता के सुपुर्द किये, लेकिन उसके पश्चात् हमारी उन सब विभिन्न रियासतों में मंत्रिमंडल बने, और वहां पापूलर गवर्नमेंट बनने पड़ने बनी तब भी लोगों को उसमें कहीं थोड़ी आशा की किरण नजर आती थी। १९५२ के पश्चात् भी यह कांग्रेस का सौभाग्य था कि करीब-करीब सभी प्रान्तों में कांग्रेस सरकार सत्तारूढ़ हुई। उसके पश्चात् १९५७ तक स्थिति इतनी बिगड़ नहीं पाई थी लेकिन उसके आसार नजर आ रहे थे और यह आसार इसलिये नजर आ रहे थे कि १९५२ के पश्चात् १९५७ के चुनाव के बाद जब कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई तब तक जो गांधीजी के, महात्मा गांधी के सम्पर्क के अधिकतम व्यक्ति थे, उनका धीरे-धीरे किनारे लगना शुरू हुआ और उस प्रकार १९६२ में यह स्थिति पैदा हो गई कि वह व्यक्ति, जिनका त्याग और तपस्या के कारण आम जनता पर प्रभाव था और विरोधियों को भी निष्ठा उनके व्यक्तित्व के प्रति थी, वह धीरे-धीरे किसी न किसी प्रकार से राजनैतिक द्वन्द्व में फंस कर असफल होते चले गये और फिर उनके बश का काम नहीं रहा। १९६७ के पश्चात् एक विभिन्न स्थिति देश में नजर आई और वह विभिन्न स्थिति यह थी कि जनता ने बहुमत से कांग्रेस को ठुकराया और अधिक प्रान्तों में ठुकराया, लेकिन जैसी कि एक आम धारणा है, हम मानते हैं कि शासन के बगैर जैसे यह कांग्रेस जिन्दा नहीं रह सकती, इसलिये कांग्रेस की नजर इस बात पर लगी हुई थी कि येन-केन प्रकारेण अपनी सरकार बनायें। उसके पश्चात् विभिन्न प्रान्तों में जो प्रक्रिया दल-बदल की चालू हुई और कांग्रेस पक्ष की तरफ से शुरू हुई, उसके कारण येन-केन प्रकारेण हमारे राजस्थान राज्य में भी कांग्रेस सत्ता बनी। मैं यह कहूंगा कि जिसके अन्दर सब भ्रष्टाचार हो और जिसमें आयन्दा भी यह धारणा हो कि कुछ भी करो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। इस प्रकार की जहां पर एक धारणा के साथ में जिनको पदारूढ़ किया गया हो और हमारे देश में प्रजातांत्रिक ढांचे में आम जनता की, जनता के विशिष्ट नागरिकों की कोई इस प्रकार की अदालत, आयोग या अभियोग सुनने वाली सत्ता नहीं हो तो यह शोचनीय बात है, इन्सान के अन्दर शैतान दबा हुआ हमेशा नहीं रह सकता उपाध्यक्ष महोदय, इन्सान के अन्दर शैतान दो प्रकार से दबाया जा सकता है। एक तो दैवी शक्ति की भय हो तो शैतान को दबाया जा सकता है। मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं, दैवी शक्ति की उपासना करता हूं, तो यदि उस सत्ता को स्वीकार करके इन्सान ठीक रह सके तो मैं मान सकता हूं कि वह व्यक्ति किसी प्रकार से गिरेगा नहीं, वह व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। पर आज दैवी शक्ति का शब्द तो उपहास किया जाता है। मेरे माननीय सदस्य श्री रामानन्दजी इस समय शायद सदन में नहीं हैं, वे इसे स्वीकार नहीं करते। एक समय जब इसी प्रकार का केस गैर-सरकारी संकल्प पर वादविवाद चल रहा था तो उन्होंने कहा था कि इस प्रकार की बात होगी तो अन्याय के प्रति रोष पैदा करने वाले व्यक्तियों की नसें ढीली पड़ जायगी, वे निराश हो जायेंगे, मुझे मौका नहीं मिला था, उस समय, मैं कहना चाहता था कि यदि यह बात होती तो श्रीकृष्ण महाभारत का युद्ध नहीं करवाते, कुरुक्षेत्र के रणप्रांगण में जब युद्ध के लिये आमने-सामने सेनाएं खड़ी हुई

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

थी तो उस समय अर्जुन के हाथ से धनुष गिर पड़ा था, अर्जुन का सारा शरीर कांप गया था, तो श्रीकृष्ण ने कहा था कि सारे रिश्ते-दारों को खत्म कर दोगे तो भी हिंसा नहीं होगी। अन्याय के प्रति विद्रोह नहीं किया जाय तो वह सबसे बड़ी हिंसा है। इन्सानियत गिर जाय हैवानियत के आगे तो वह सबसे बड़ी हिंसा है।

इसलिये मैं कहता हूं कि एक तो वह मापदण्ड है, जिसमें दैवी शक्ति का भय हो वह अन्याय से, पापाचार से दब सकता है।

यह मनुष्य स्वभाव से स्वाभाविक है कि अपनी पार्टी के आदमियों के साथ पक्षपात करे पर आप अपनी पार्टी के अपने पक्ष के एक आदमी के लिये दो-तीन दिन में जो कार्य कर सकते हैं, वह अपने विरोधियों के लिये तीन-चार महीने में तो करिये, आखिर विरोधियों के साथ भी कुछ तो न्याय करें। पर आज तो येन-केन प्रकारेण शासनारूढ़ रहने की प्रवृत्ति चल पड़ी है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ गया है, अन्याय बढ़ गया है और इसके कारण आज प्रशासन में यहां तक तो स्थिति आ गई है कि मन्त्री महोदय चाहते हुए भी एक स्थानान्तरण नहीं करा सकते। ऐसे कई इन्स्टान्सेज हैं, स्थानान्तरण के ऑर्डर हो जाते हैं, दूसरा अधिकारी चला जाता है, चार्ज तक ले लेता है पर दूसरा अधिकारी जाता है, उससे पहले ही ऑर्डर केन्सिल हो जाते हैं। आज यहां तक प्रशासन गिर गया है, तो मैं मानता हूं कि आज के दिन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, मंत्रियों का आज कोई भरोसा नहीं है, जब एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी छोटी से छोटी चीज में इतने छोटे से छोटे मामले में, स्थानान्तरण करने के बारे में मंत्री महोदय स्वतन्त्र नहीं हैं तो जन-प्रतिनिधियों के प्रति आरोपों की जांच, इन्वेस्टिगेशन में इनसे न्याय की क्या आशा की जा सकती है? जो उच्चकेडर के जनप्रतिनिधि हैं, जैसे जिला प्रमुख, प्रधान और सरपंच इनके आरोप की एनक्वायरी ठीक ढंग से नहीं हो सकती। इस सन्दर्भ में बहुत कुछ कहा जा सकता है पर मैं सदन का अधिक समय न ले कर कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। मेरे ही पड़ोस में आलनपुर के सरपंच ने प्लॉट्स, दुकानात बेचने में एक लाख का घोटाला किया, जिलाधिकारी ने जितना था उसको केन्सिल किया, हाईकोर्ट में रिट हुई, वहां केन्सिल हुआ। व्यासजी उस समय पंचायत मंत्री थे उन्होंने साहस किया, मैं इनके साहस की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने कम से कम उसे सस्पेन्ड तो किया, स्पेशल ऑडिट के लिये पार्टी बैठी तो हजारों रुपयों का गबन पंचायत के रेकार्ड में पाया गया। कलेक्टर ने ४०९ ता० हि० के तहत केस रजिस्टर करने को कहा। कलेक्टर का डी० ओ० गया एस० पी० के पास पर ३ महीने तक कागज कार्यालय में पड़े रहे, फिर तीन महीने के बाद थाने में गये, कलेक्टर ने जैसे-तैसे केस रजिस्टर करा लिया, पर जनता कहती थी कि इस प्रकार का वह बहादुर है जिसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस केस में आज तक सालभर निकल जाने के बावजूद कुछ भी नहीं हुआ है।

पंचायत मंत्री की हैसियत से सस्पेन्ड करा दिया पर गृहमंत्री की हैसियत से ये इस केस का चालान नहीं करा सकते। इसके पीछे कारण है, वह राजनैतिक कारण है अपनी पार्टी का सवाल। किसी जन-प्रतिनिधि

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

के खिलाफ चालान होता है तो विरोधी दल के जन-प्रतिनिधि का चालान होता है, हमारा चालान होता है, यदि किसी जन प्रतिनिधि का गला घोंटा जाता है तो विरोधी जन-प्रतिनिधि का गला घोंटा जाता है। यदि किसी जन प्रतिनिधि के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का निर्णय लिया जाता है तो विरोधी जन प्रतिनिधियों के खिलाफ। आज प्रशासन की तरफ सरकार का एकमात्र दृष्टिकोण यही है कि वह हमारी पार्टी का हर तरह से पक्ष करे, हमारे विरोधियों के खिलाफ हर तरह की कानूनी कार्यवाही करे, कांग्रेसी हो तो उसके लिये कोई नियम नहीं, कोई उप-नियम नहीं, कोई कानून नहीं, विरोधी हो तो सब कुछ है, यह रवैया प्रशासन का रहना चाहिये, विरोधियों को न्याय नहीं मिलना चाहिये। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जनता विक्षुब्ध है, सरकार की इन प्रवृतियों के कारण।

हिन्डौन के प्रधान ने एक लाख की ही गड़बड़ नहीं की, उसके खिलाफ यही एक मामला नहीं उसके साथ ही साथ ३ लाख का बीज वितरण पंचायत समिति से हुआ था, उस मामले को देख लीजिये। किसानों से पैसा वसूल हो गया, पर पंचायत समिति फण्ड में जमा नहीं हुआ, न वह रकम राज्य फन्ड में जमा हुई। राज्य सरकार की ६ करोड़ की ऐसी राशि है, जो पहले पंचायत समितियों को बीज वितरण के लिये दिया गया, उनके कागजात का आज पता नहीं है। किसको बीज दिया गया, किससे वसूल हुआ, इसका कोई पता नहीं है, कोई कागजात नहीं हैं, वह सब राइट ऑफ होगा। जनता कहती है कि खाने वाले खा गये। रहने वाले रह गये। उसकी कलेक्टर ने पूरी जांच की, सील लगवा दी कार्यालय पर, पर जब राजस्थान सरकार के पास सस्पेन्शन के लिये मामला आता है तो सरकार के सामने पार्टी का सवाल आ खड़ा होता है, पार्टी का प्रधान है, पार्टी की प्रतिष्ठा को बड़ा भारी धक्का पहुँचेगा, वह मामला खड्डे में डाल दिया गया, उसकी कोई एन्क्वायरी नहीं हुई।

यही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, वहां जिला प्रमुख के विरुद्ध एक महिला ने बलात्कार की रिपोर्ट की थी।

उसके पश्चात् यह रिपोर्ट नर्स ने डाक्टर को दी डाक्टर ने आपके यहां आई. जी. पी. को फॉरवर्ड की। आई० जी० पी० के पास पहुँचने के बाद २५ दिन तक कोई पता ही नहीं कि उस पर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ अब सुना है कि आई. जी. पी. यह कहने वाले हैं कि वह रिपोर्ट हमारे कार्यालय में नहीं पहुँची। वहां की जनता ने पेम्फलेट छपवा कर बांटे तो सारे अधिकारी घबराये कि क्या हो रहा है? उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ पर यहां से दबाव जाता है।

इस तरह जन-प्रतिनिधियों के खिलाफ जो पोजीशन रखने वाले हैं उनके खिलाफ निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकती। यहां से दबाव जाता है तो सबसे पहले उठा कर उस डॉक्टर की फाइल छीनी जाती है, लोगों से कहा जाता है कि दस-बीस आदमी इनके खिलाफ शिकायत करो कि इसने हमसे दो-सौ रुपये लिये, चार-सौ रुपये लिये, मुझ से ३०० रुपये रिश्वत के लिये, इस तरह उस डॉक्टर पर

Page No. 66

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

दबाव डाला जाता है, उसको धमकी दी जाती है कि या तो एफिडेविट दिलवाओ कि इस प्रकार का कुछ भी नहीं हुआ नहीं तो तुमको और तुम्हारे सारे स्टाफ को जेल भेज दिया जायगा। वह डाक्टर निस्सहाय था, विदेशी था, उसको एफिडेविट देना पड़ा। जिस पुलिस के पास संरक्षण के लिये केस दिया गया था उस पुलिस ने ही उस केस को इस प्रकार दबा दिया, नाजायज दबाव डाल कर, राजनैतिक दबाव डाल कर दबा दिया तो उपाध्यक्ष महोदय....

श्री श्रवणलाल : वह तो प्रगति कर रहे हैं जिला प्रमुख तक ही नहीं अब तो ये सरपंचों तक पहुँचने वाले हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यही हालत सहकारी समितियों के अध्यक्षों की रहती है। हजारों रुपये किसानों से वसूल किए और हजम कर गए, उनकी जेबों में रुपए बोल रहे हैं। हिम्मत नहीं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की, क्योंकि वे कांग्रेस के नेता हैं, मठाधीश बन रहे हैं इसलिए साहस नहीं हो सकता, कोई न कोई एम० एल० ए० लग जाता है और वह दबाव डालता है। इस कारण सारे के सारे मामले दबे हुऐ हैं, खा गए सो खा गये, पी गए सो पी गए। किसानों के जिम्मे बराबर १२ प्रतिशत और उससे दूनी रकम बनती हुई चली जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी भी मेरे यहां केन्द्रीय सहकारी बैंक के सदस्यों ने अध्यक्ष का चुनाव कराया। १९ नॉमिनेशन्स दिए गए, नामजद फॉर्म्स २१ दिए गए। दो आदमियों को लेना था, १९ रद्द किए गए, किसी के प्रस्तावक का प्रतिनिधि-पत्र निकाला, किसी के समर्थक का निकाला, कहीं पर उम्मीदवार का ही प्रतिनिधि-पत्र निकाला गया कि फलाना फॉर्म नहीं है इसलिए रिजेक्ट किया जाता है। टैलीग्राम्स दिए गए लेकिन मुझे मालूम है अच्छी तरह से कि यहां पर आकर किस प्रकार से सहकारी मंत्री का गला घोंटा गया। एक ए० आर० के खिलाफ शिकायतें हुईं, स्थानान्तरण किया गया, दबाव पड़ा, स्थानान्तरण कैंसिल हुआ। दूसरा ग्रूप आया, उसने स्थानांतरण कराया। तीसरा आया उसने कहा कि हमारी बात गिरेगी उसने स्थानान्तरण कैंसिल कराया। भंडार के विकास अधिकारी के मामले में तीन माह में ६ बार ट्रांसफर हुआ और ६ बार कैंसिल हुआ। इस तरह से आपाधापी होती है....

(शेम, शेम की ध्वनि)

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या मामला है कि शेम शेम कर दिया।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : जिस अधिकारी ने विरोध किया उसको हटाया, यहां से दूर भेजा। इन लोगों का काम एक ही होता है कि अपने रिश्तेदार को कहीं न कहीं उस स्थान पर पहुँचाया जाय। यह सब आपाधापी चल रही है जिला स्तर पर। प्रान्तीय स्तर पर क्या हाल है? एम० एल० ए० का मामला साफ है, सिद्ध करने की आवश्यकता ही क्या है? जो सदस्य डिफेक्टेड हैं वहां पर पद मिले हुए हैं, प्रमाणित रिश्वत माहवार दी जाती है। इसलिए दरअसल आवश्यकता इस बात की है कि हमारा आचरण सही हो। लोगों का मानस बिल्कुल भिन्न होता जा रहा है उस पर रोक हो जिससे जो लोग उच्च पदों पर रहते हैं उनका कुछ हो। मुझे यह कहने में हिचक नहीं है कि नारा सुन्दर दिया जाता

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

है कि जनता को, उपभोक्ता को अन्न पहुँचाना है इसलिये निकासी पर रोक लगनी चाहिये, खाद्यान्न बाहर न जाए। तब रोक लगेगी। लेकिन होता क्या है? जिस समय बिक्री में माल आता है उस समय कहते हैं कि कीमत निर्धारित कर दें, इससे कम कीमत में माल नहीं बिकना चाहिये। रोक लगने से कीमतें डाउन होती हैं, फिर न मालूम खट से रोक उठा ली जाती है। आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है? यह एक ही मामला नहीं है। इस सदन में गंभीर आरोप मंत्रिमंडल के सदस्यों के विरुद्ध लगते हैं लेकिन चिंता नहीं है। उसका कारण है वे जानते हैं कि किस ढंग नो रोग वाला कानून है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे हमारे खिलाफ जांच हो सकेगी, स्वयं अपनी जांच के लिये आयोग नियुक्त करें। इसलिये आज वे अपने आप को निरंकुश पा रहे हैं, न अन्दर से अंकुश की व्यवस्था है न बाहर से है। यही एक कारण है। मुझे प्रसन्नता है कि कम से कम उत्तरप्रदेश में चौधरी चरणसिंहजी, जिन्होंने विधान सभा में घोषणा की थी कि मैं इस ढंग का कानून बनाऊंगा जिसमें व्यवस्था होगी कि हम लोगों के आचरण की जांच हो सकेगी। वह उस समय उस कानून को सदन में प्रस्तुत नहीं कर सके थे। उसके पश्चात् अध्यादेश लाये। अध्यादेश किस बात का? स्वयं और स्वयं के मंत्रिमंडल के सदस्यों की जांच कराने का। वह कोई मंत्री वेतन-वृद्धि अध्यादेश नहीं लाये, इस प्रकार का नहीं कि एक्साइज कानून में फलानी धारा हाईकोर्ट ने रिट-पिटीशन में इन्वेलिड करार दी है और उसमें हमारी बात जाने का प्रश्न है, कोई टैक्स का अध्यादेश नहीं लाये, वह ऐसा आर्डिनेन्स नहीं लाये कि अलाभकारी जोतों में तो छूट दे दी और बहाना देकर काश्तकारों पर दुगुनी करा दी और आपकी आज्ञायें ज्यों की त्यों रह गई तो सदन की महिमा कायम रखने के लिये यहां पर घोषणायें की जाती हैं, उन पर कायम रहना चाहिये। इसी प्रकार जो आरोप यहां लगाये जाते हैं प्रमाणों सहित, तथ्यों सहित लेकिन उनका कोई उत्तर नहीं दिया जाता क्योंकि जांच का माध्यम नहीं है। इस आपाधापी से शासन में ढिलाई आई है। मैं मानता हूं कि कुछ मुद्दे और तथ्य ऐसे हैं जो मंत्रिमंडल की वाइकेरियस लायबिलिटी में आते हैं। पकड़ने का काम है तो दूसरे के कंधे पर बंदूक रख कर चलाते हैं। पेपर पर विश्वास देते हैं, पेपर बिल्कुल सही और फोन बिल्कुल उल्टा। वहां पर ऐसा अधिकारी बैठा हुआ है जो गलत ऑर्डर्स को मानने के लिये तैयार नहीं है तो ट्रांसफर ऐसे विभाग में किया जाता है जहां कोई काम नहीं पड़े और देख लिया कि यह हमारे दबाव में आ जायगा, वह यहां रहना चाहिये, यह हेड ऑफ डिपार्टमेन्ट रह सकता है चाहे सीनियोरिटी कितनी पीछे हो कोई परवाह की बात नहीं, कानून बनाने वाले हम, सेवा नियमों में संशोधन करने वाले हम, सो कर देंगे और अधिकारियों की स्थिति क्या होती है? एक दो बार हुक्म मान लिया जाता है उसके बाद में एक गलती अगर कर दी तो अनेक शिकायतें चली जाती हैं, मामले खुल जाते हैं। परिणाम यही निकलता है कि वह फंस जाता है। उसकी इन्क्वायरी कौन करे? अगर विभागीय इन्क्वायरी हो तो भी मंत्रिमंडल के पास, एन्टी करप्शन के पास जाय तो भी मंत्रि-मंडल के पास, जब तक मंत्रिमंडल की मोहर

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

नहीं लगेगी तो चालान कैसे होगा ? वह कार्यवाही कैसे होगी ? मंत्रिमंडल मोहर नहीं लगायेगा तब तक वह अधिकारी रिटायर हो जायगा, किस्सा खतम। तो यह प्रणाली चल रही है।

आज आवश्यकता इस बात की है जैसे इस अध्यादेश में व्यवस्था की गई है और मैं कह देना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल इससे सुखी रहेगा, वह स्थिति नहीं आयेगी कि कोई एम० एल० ए० उन पर दबाव डाले। जो जन-प्रतिनिधि ऊंचे पदों पर रहते हैं उनके इन्वेस्टिगेशन के लिये बिल्कुल इन्डिपेन्डेन्ट संस्थान होना चाहिये। करप्शन चार्जेज हैं या दुराचार की शिकायतें हैं उनकी इनक्वायरी करने के लिये चाहे वह सरपंच हो, प्रमुख हो, मंत्री हो, कोई भी हो, उसके लिये जैसे व्यवस्था अध्यादेश में की गई है कि राज्यपाल महोदय पी० एस० सी० के चेयरमेन के परामर्श से ६० साल से अधिक आयु वाला कोई ऐसा व्यक्ति होगा वह उसका मुख्य अनुसंधानकर्त्ता होगा जिसकी चार्ज के नीचे बिल्कुल इन्डिपेडेन्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होंगे। जो कोई आरोप होगा, राज्यपाल अनुसंधानकर्त्ता के पास भेजेगा, वह अपनी एजेन्सी से इन्वेस्टिगेशन करवायेगा और उसके बाद प्रेलिमिनेरी रिपोर्ट राज्यपाल को देगा। अगर तथ्यहीन बात है तो राज्यपाल वहीं खत्म कर सकता है, लेकिन अगर आरोप सही पाये जाते हैं चाहे कुआचार सम्बन्धी, चाहे भ्रष्टाचार सम्बन्धी उन आरोपों की जांच फिर एक आयोग के द्वारा जिसका पेनल होगा रिटायर्ड जजेज का, उसके द्वारा होगी। पेनल चाहे एक का या दो का बनायें जैसे भी आरोपों की गंभीरता हो उनके अनुसार पेनल्स बनें। नियमानुसार जैसे जाब्ता फौजदारी में दिया हुआ है इन्क्वायरी करें और उसके पश्चात् आयोग अपनी रिपोर्ट भेजेगा और फिर कोर्ट ऑफ लॉ में उसको खड़ा होना पड़ेगा।

मैं यह मानकर चलता हूं कि जो वर्त्तमान व्यवस्था बनी हुई है—करप्शन चार्जेज में वह दिनोदिन जन-प्रतिनिधियों के विरुद्ध होती जा रही है। उसमें निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं होता है। उसका कारण—और कारण यही है कि मंत्रि-मण्डल के सदस्य कुछ नहीं करते हैं। कैसे करें, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर के सामने वे झुक जाते हैं। वे मुंह से नहीं भी कहें लेकिन वे यह जानते हैं कि फलां फलां के नजदीक पड़ते हैं। उन्हें अपना स्थान सुरक्षित रखना है, अपनी नौकरी सुरक्षित रखनी है तो वे आराम से उनको सेल्यूट करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानकर चलता हूं कि सन् १९६७ के पश्चात् जो यह कांग्रेस सरकार बनी है। मुझे आश्चर्य है कि हमारे राजस्व मंत्रीजी जो चुनावों से पहले थे श्री व्यासजी की इस मामले में अच्छी ख्याति थी। वे गृह-मंत्री की हैसियत से, इससे नहीं कि उनके खिलाफ व्यक्तिगत बात कही जाती है, जितना संरक्षण के नाम का तवका अनाप-शनाप चल रहा है क्योंकि अधिकारी एक एम० एल० ए० को उठाकर ले आये। व्यासजी के पास ले आये और कहें कि यह पक्का कांग्रेसी है। कांग्रेस में निष्ठा रखने वाला है। बस प्रोमोशन।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपको कम से कम असली बात तो नहीं कहनी चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : कम से कम ये तो बचे रह गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपके चक्कर में नहीं आये, आपने कोशिश में कमी नहीं रखी।

श्री दामोदरलाल व्यास : हम तो आपको भी लेने की कोशिश करेंगे।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : विरोधी दल के विधायक कहें तो और भी प्रमाण मिल पायगा। मैंने एक डॉक्टर के बारे मे कहा है। दोनों विधायकों ने कहा है कि यह डॉक्टर नहीं चलेगा। आखिर व्यासजी का नाम लगा हुआ है। उन्होंने कह दिया कि हमें कलेक्टर से रिपोर्ट मिली है, एन्टीकरप्शन से रिपोर्ट मिली है, पुलिस से रिपोर्ट मिली है। कोई शिकायत उसके खिलाफ नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पता भी नहीं कि वह एन्क्वायरी कराई भी होगी या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : दूसरे कागजों में सब कुछ खोटा, क्योंकि फाइल बनाने की आदत है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : क्या कारण है? वह बिल्कुल ठीक है। दो महीने में एकदम गिर गया और उसका ट्रान्सफर हो गया उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये आवश्यकता इसी बात की है कि दरअसल मंत्रिमण्डल के सदस्यों के बस की बात नहीं है, आरोपों की जांच की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिये संकल्प प्रस्तुत किया गया है कि उस अध्यादेश का जो १९६७ में उत्तर प्रदेश में राज्यपाल द्वारा जारी किया गया था, उसी के समकक्ष हमारे राजस्थान में इसी सब० में कोई न कोई कानून बनाया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण ?

श्री भैरोंसिंह : इसका समर्थन भी तो करना है। समर्थन के बाद ही तो संशोधन आयेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह !

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं उस संकल्प का समर्थन करता हूं। समर्थन करने की आवश्यकता इसलिये महसूस हुई कि आज प्रशासन में जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, उन गतिविधियों के कारण जनता में यह विश्वास न तो रहा है कि सरकार हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिये कोई न कोई उचित हल कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान जिस समय बना था और राजस्थान विधान सभा में जो राज्य सरकार का पहला बजट प्रस्तुत किया गया था वह लगभग ७० करोड़ का था और उसके बाद धीरे-धीरे यही बजट करीब १३५ करोड़ रुपये तक आ गया है। हमारी गतिविधियां प्रशासनिक रूप से बढ़ी है।-तीन पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यकाल में हमने विकास के कई कार्य किये हैं। इन सब बातों के आधार पर हमारी प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ रही हैं लेकिन प्रशासन के साथ-साथ प्रशासन के प्रति जो इस प्रकार से और जिस मात्रा में जनता में विश्वास होना चाहिये, वह विश्वास धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है और यदि यह कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विश्वास पूर्णतया समाप्त हो चुका है। यह प्रश्न केवल मैं ही नहीं कहता,

(श्री भैरोंसिह)

जितने भी एन्क्वायरी कमीशन नियुक्त किये गये हैं चाहे भारत सरकार ने किये हों, चाहे प्रादेशिक सरकारों ने किये हों, सबने इस बात की पुष्टि की है कि प्रशासन की गतिविधियों में सुधार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जनता की शिकायतों का तुरन्त और उचित तरीके से हल हो। यह खेद की बात है कि हम आज तक इस प्रकार की बात न कर पायें और इस कारण जनता में यह भ्रान्ति उत्पन्न हो गई है विश्वास के विरुद्ध चाहे वह जिला प्रमुख हो, उप-प्रमुख हो, नगरपालिका का अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो और चाहे प्रमुख श्रेणी के नगरपालिकाओं के सभापति हों और चाहे उप-सभापति हों, इन लोगों के आचरण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का प्रश्न उठाया जाय तो हमें उसमें किसी प्रकार का संतोष नहीं हो सकता है। माननीय मंत्री महोदय से बार-बार एक बात कही जाती रही है कि हमें आरोप लगाने से पहले इस बात की जानकारी रखनी पड़ेगी कि सरकारी अधिकारियों का जो डेवलपमेंट स्कीम का इनीशियेटिव बना रहता है वह इनीशियेटिव समाप्त न हो जाय। इस आड़ में सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार को किस प्रकार से कब-अप किया जाय, इस बात का प्रयत्न मंत्री महोदय की ओर से होता रहा है। सरकारी अधिकारियों के लिये सर्विस रूल्स बना रखें हैं, सरकारी अधिकारियों के लिये एन्टीकरप्शन विभाग के कानून बना रखे हैं। इंडियन पैनल कोड के अन्तर्गत उनको सजा दी जाय और पिछले दो वर्षों से सतर्कता आयोग उन लोगों के आचरण के सम्बन्ध में और राज्य सरकार द्वारा भविष्य में क्या कार्यवाही की जाय, इस सम्बन्ध में एक कमीशन नियुक्त किया है। इस विजिलेन्स कमीशन की पॉवर्स रेस्ट्रिक्टेड हैं लेकिन जो कुछ पावर्स हैं उसमें दो प्रतिवेदन विजिलेन्स कमीशन के द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, उससे एक विश्वास आता है कि यदि इसको बढ़ा दिया जाय तो हमको उसके आधार पर सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत करके उसे समाप्त कराने की सहूलियत मिलेगी। लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेशन उस सीमा तक ही सीमित है। एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर सरकारी अधिकारी कितने भ्रष्ट हैं और कितने नहीं हैं, यह बात नहीं है लेकिन यदि कोई कांग्रेसी सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाते हैं तो कहते हैं यह व्यर्थ है, निराधार है। अब ऐसी स्थिति में सारे अधिकारी दुःखित रहते है कि और इससे उनका सारा इनीशियेटिव खतम होता है, स्वयं तो इनिशियेटिव खतम होने की स्थिति बनाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा यह प्रश्न आज से नहीं चला है, ब्रिटिश हुकूमत ने भी इसे स्वीकार किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एन्क्वायरी कमीशन, रायल कमीशन की स्थापना की थी और रॉयल कमीशन ने यह बात ब्रिटिश हुकूमत के सामने प्रस्तुत की थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बात को स्वीकार किया था कि धीरे-धीरे प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और इस भ्रष्टाचार को हटाने के लिये कोई कारगर कदम उठाने चाहियें।

(२. म. प.)

इसके बाद सबसे पहले प्रश्न आया पार्लियामेन्ट में, हाउस ऑफ कामन्स के सामने प्रस्ताव आया। हाउस ऑफ कामन्स ने बिना विवाद के इसको स्वीकार किया और इस बात के लिये सदन को और विशेष अधिकार दिये जायं यह मन्तव्य प्रगट किया कि मंत्रियों के सम्बन्ध में, सदस्यों के आचरण के सम्बन्ध

(श्री भैरोंसिंह)

में, मुविगामों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार से अपना निर्णय लेकर दोषपूर्ण बात सामने आये तो उसको इस बारे में दंडित किया जाय।

इसके बाद हिन्दुस्तान में १९४७ के बाद यह मानकर चलना पड़ेगा और सदन को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रशासन में धीरे-धीरे भ्रष्टाचार बढ़ता गया। अगर प्रारम्भ से ही इसके रोकने की व्यवस्था की होती तो सफलता मिल सकती थी। इसी भ्रष्टाचार के कारण योजनाओं का फिजिकल टारगेट जो उपलब्ध होना चाहिये, भ्रष्टाचार के कारण वे टारगेट उपलब्ध नहीं हो पाये। इसका इलाज केवल तबादले तक ही सीमित रहा, केवल तबादलों से यह भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होने वाला है। हमारे डेवलपमेन्ट के काम जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आदि पर इस भ्रष्टाचार के कारण बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसके कारण प्रीवेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट में संशोधन किया गया ताकि जो यह महसूस किया जा रहा था कि प्रशासन में भ्रष्टाचार है उसे समाप्त किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, जुलाई, १९६२ में श्री हरिश्चन्द्र माथुर, एम० पी० की अध्यक्षता में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिटी की नियुक्ति की गई। उस कमिटी ने ५ सितम्बर, ६३ को अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उस कमिटी ने इस बात को स्वीकार किया कि आज जनता में सरकार के न्याय के प्रति अविश्वास पैदा होता जा रहा है उसका एक पेराग्राफ सुनाना चाहता हूं—पेज २८, पैरा ३१२—

"Often citizens feel that they have no one to approach for redress against the actions of the high-ups, even when their grievances are genuine and supported by ample evidence. There are also a number of occasions when interested people attempt to malign or embarrass those in authority for various ulterior motives by making false allegations against them. In order to inspire confidence in the mind of the citizens and strengthen democracy in the cricumstances obtaining in this country. We consider, it is expedient that an independent and high-powered body be set up to inquire into case of maladministration and corruption and give adequate protection to those who are unnecessarily maligned."

ये दोनों बातें स्वीकार की है कुछ आरोप तो गलत लगते हैं, कुछ सही लगते हैं। लेकिन जो सही लगते हैं उनकी भी जांच नहीं होती तब लोगों में निराशा पैदा होती है। मिनिस्टर्स के करप्शन को डील करते हुए उन्होंने ओम्बुड्समैन व्यवस्था के बारे में सिफारिश की है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिटी ने इस बात को स्वीकार किया है कि मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स उनमें व्याप्त करप्शन को समाप्त करने के लिये बाकी के मुल्कों में जिस प्रकार ओम्बुड्समैन की व्यवस्था है उस ओम्बुड्समैन के फंक्शन्स में लिखा है—

"His jurisdiction should extend to the action of all the Cabinet Ministers, Deputy Minisrers, Civil Servants and all other persons acting in the service of the state, except officers presiding over law courts in as far as the actions taken by them in that capacity are concerned."

Page No. 72

(श्री भैरोंसिंह)

इस कमिटी की रिपोर्ट राज्य सरकार के पास आ गई। उसके बाद में इस प्रश्न के ऊपर पार्लियामेन्ट में कई बार डिसकशन्स हुए हैं। १९५२ में प्रीवेन्शन ऑफ करप्शन बिल रखा गया। उस पर लोकसभा में करप्शन को समाप्त करने के लिये काफी सुझाव दिये गये। उसके बाद सरकार ने कमिश्नर ऑफ इन्क्वायरीज और क्रिमीनल लॉ में अमेन्डमेन्ट किया इसके बावजूद भी केन्द्रीय सरकार ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। लोकसभा में एक रेजोल्यूशन पेश किया गया उस समय जो रेजोल्यूशन पर चर्चा हुई उसमें कई लोगों ने स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार की बीमारी बढ़ती जा रही है, उसके रोकथाम के लिये कारगर व्यवस्था की जाय। फिर ३ अप्रेल, १९६३ में लोकसभा में लॉ मिनिस्टर ने स्वीकार किया था कि हिन्दुस्तान के प्रशासन में भ्रष्टाचार की बू आने लगी है, अतः ओम्बड्समैन जैसी किसी व्यवस्था के आधार पर यहां भी व्यवस्था कायम की जाय। भारत सरकार इस पर विचार कर ही रही थी कि जुलाई, १९६३ में तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गजेन्द्र गडगर ने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इस बात को स्वीकार किया कि जो प्रशासन में भ्रष्टाचार है उसको मिटाने के लिये ओम्बडसमैन की व्यवस्था की जाय। अगर इस बीमारी का इलाज नहीं किया गया तो हमारे प्लान्स सफल नहीं होंगे, विकास नहीं हो पायेगा। हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने भी जिनका भाषण जयपुर में हुआ था जिसको मैंने सुना था। उन्होंने भी इस बात के लिये कहा था कि जिस प्रकार से करप्शन, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में उसके लिये ओम्बडसमैन जैसी व्यवस्था पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसका इतिहास यहीं तक सीमित नहीं फिर लोकसभा में रेजोल्यूशन आया उस समय के गृह मंत्री ने ओम्बड्समैन की व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया उन्होंने विजीलेन्स कमीशन की व्यवस्था करने की बात कही। उसके द्वारा केन्द्रीय और राज्य के मंत्रियों के आचरण की ठीक प्रकार से जांच हो सकती है। उसके बाद प्रश्न आया इस मसले पर किस प्रकार से अमल किया जाय उसके लिये केन्द्रीय सरकार ने के० संथानम की अध्यक्षता में एक कमिटी नियुक्त की उसके टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में उल्लेख किया गया कि आखिर हिन्दुस्तान में बढ़ते हुए करप्शन को किस प्रकार से रोका जा सकता है? उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को जानकारी होगी कि सन्थानम कमिटी ने अपने प्रतिवेदन में जो ओम्बडसमैन की व्यवस्था की है उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं पेज १०१ का सैकण्ड पेरा इस प्रकार है—

"There is a large concensus of opinion that a new tradition of integrity can be established only if the example is set by those who have the ultimate responsibility for the governance of India, namely the Ministers of the Central and State Governments. The problem is difficult and delicate. Ministers are necessarily the leaders of the political party which succeeds in obtaining a majority in elections based on adult suffrage. There is a widespread impression that failure

(श्री भैरोंसिह)

of integrity is not uncommon among Ministers and that some Ministers who have held office during the last 16 years have enriched themselves illegitimately, obtained good jobs for their sons and relations through nepotism, and have reaped other advantages inconsistent with any notion of purity in public life. The general belief about failure of integrity amongst Ministers is as damaging as actual failure. That these Ministers have held office in the name of the Indian National Congress which had evolved the highest notions of personal integrity and service under the inspiration of Mahatma Gandhi has given rise to an exaggerated view of their failure to maintain high standards of integrity. It is a pity that neither the Congress authorities nor the great leaders who took over the Government of India realised the importance of evolving a suitable machinery and procedure for preventing and dealing with such corruption. We are convinced that ensuring absolute integrity on the part of Ministers at the Centre and the States is an indispensable condition for the establisment of a tradition of purity in public services. Therefore, in the interest of the future of public life we consider that the following steps should be taken:"

फिर उन्होंने स्टेप लिया विजीलेन्स कमीशन के बारे में, वे किस प्रकार से आरम्भिक जांच करेंगे और वे किसके माध्यम से जांच करायेंगे। बद-किस्मती से उस रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया गया कि मिनिस्टर्स के खिलाफ जांच नहीं होगी। विधान सभा के दस सदस्य लिख कर दें कि फलां निर्वाचित सदस्य के बारे में जांच की जाय तो जांच के लिये आदेश देंगे।

लेकिन जांच के बाद डिस्पोजल की ऑथोरिटी फिर इन्हीं नेताओं के हाथ में दे हैं जो न इन्डिपेण्डेन्ट हो सकते हैं और न उनके प्रति किसी को विश्वास हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में इस कमेटी ने यह निर्णय किया कि इस प्रकार के रास्ते को एडोप्ट नहीं किया तो एडमिनिस्ट्रेशन में तो असन्तोष फैलेगा ही, जनता में भी रिवोल्टिंग एटीचूड बनेगा।

इसलिये उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया और भारत सरकार के सामने प्रश्न रखा। भारत सरकार ने इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया और इसमें क्या और किस प्रकार से कार्यवाही हो सकती है इस पर आज तक निर्णय नहीं कर पाई। इतना ही नहीं, इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हमारी भारत सरकार ने एक कमीशन एपौइन्ट किया ६६ में जिसने २० अक्तूबर, ६६ को अपनी एक रिपोर्ट पेश की उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी के नाम से भी कहते हैं जिसके चेयरमैन भारत सरकार के वर्तमान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुरारजी भाई देसाई थे। उनके इन्स्टान्स से यह रिपोर्ट भारत सरकार को दी गई। इसमें भी स्वीकार किया गया कि आज लोगों

Page No. 74

(श्री भैरोंसिंह)

के सामने कैसी समस्या है और उसको कैसे मीट किया जा सकता है। इसका एक चेप्टर सदन की जानकारी के लिये मैं सुनाना चाहूंगा जिससे सदन स्वयं महसूस करेगा कि उच्च सत्ता में बैठे हुए चिन्तनशील व्यक्ति भी इन्डिपेण्डेण्टली विचार करते हैं, इस समस्या के बारे में तो वे भी चिन्ता महसूस करते हैं।

उन्होंने लिखा है—

"In essence, therefore, the main issue before us is how to provide the citizen with an institution to which he can have easy access for the redress of his grievances and which he is unable to seek elsewhere. In such cases, the fact remains that the individual himself has a feeling of grievance whatever the nature of the grievance may be, and it is upto the State to try to satisfy him, after due investigation that the grievance is untenable in which case no action is called for, or false in which case he must answer for having made a baseless accusation. The fact that he has had a reasonable opportunity of presenting his case before an authority which is in a different hierarchy from the authority which passes the order and which is independent and impartial, would in itself be a source of satisfaction to the citizen concerned even where the result of investigation is unfavourable to him. In the circumstances of today with the expanding activities of Government, the exercise of discretion by administrative authorities, howsoever large the field may be, can not be done away with nor can it be rigidly regulated by instructions, orders or resolutions. The need for ensuring the rectitude of the administrative machinery in this vast discretionary field is not only obvious but paramount. Where the citizen can establish the genuineness of his case, it is plainly the duty of the State to set right the wrong done to him. The need for giving this approach a concrete form arises from the fact that parliamentary super vision by itself cannot fully ensure to the citizen that ractitude over the entire area covered by administrative discretion. Nor have the various administrative tiers and hierarchies proved adequate for the purpose. A tendency to uphold the man on the spot, a casual approach to one's own responsibilites an assumption of unquestionable superiority of the administration, a feeling of the sanctity of authority and neglect or indifference on of a supyrior authority may prevent the part a citizen from obtaining justice even at the final stage of the administrative system. It is in these circumstances or in instances where he is unable, for some compelling reasons, to seek other remedies open to him, that an institution for redressof grievances must be provided within the democratic system of Government."

यह उस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने लोकपाल और लोकआयुक्त को

(श्री भैरोंसिंह)

नियुक्ति के बारे में सलाह दी है। इस सम्बन्ध में लोकपाल और लोक आयुक्त की नियुक्ति के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के सामने प्रस्तुत की। भारत सरकार ने उसे सिद्धान्ततः स्वीकार करते हुए राज्य सरकारों से राय मांगी और इसलिये मांगी कि इससे उनकी इण्डिपेन्डेन्स पर कितना एन्क्रोचमेन्ट हो, कितना न हो, और इसको कैसे रोका जावे। आज देश में कई व्यक्ति ऐसे मामलों में डिले करते हैं। लोकपाल जैसी व्यवस्था को स्वीकार करने में राजस्थान के मुख्यमन्त्रीजी से जब पूछा जाता है तो उत्तर मिलता है कि इस बारे में अन्य राज्यों से जानकारी मांगी है। उनसे जानकारी मिलने पर हम भी सोचेंगे। इस तरह से इन्होंने अभी तक इस पर अपनी सहमति केन्द्र को नहीं दी है। ये आमादा हैं यू० पी० जैसी व्यवस्था राजस्थान में लागू हो जावेगी तो राजस्थान के मुख्य-मन्त्री इसे मानने वाले नहीं है इसलिये वे जितना अवोइड इसे कर सकते हैं करने की चेष्टा मे वे लगे हुये हैं।

इतना ही नहीं मुझे खेद के साथ कहना, पड़ता है कि आज इस सदन में और बाहर कई मन्त्रियों पर कई प्रकार के आरोप लगाये गये हैं। हमारे मुख्य मन्त्रीजी के खिलाफ भी चार्जशीट भारत सरकार को दी गई है उनके सम्बन्धियों को कोटा में जमीनें दी गई गलत तरीकों से, सादड़ी का सोना काण्ड अभी लोग भूले नहीं हैं।

इसी प्रकार अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध जमीनें लेने, मकान बनाने, काश्त की जमीनों पर नाजायज कब्जा करने, कन्ट्रोल्ड कमोडिटी के माल को देने, उसका ब्लेक करवाने आदि के आरोप हैं और कई पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप है। ट्रान्सपोर्ट में परमिट देने के प्रश्न पर फोरेस्ट विभाग के ठेके देने के प्रश्न पर माइन्स विभाग की लीजें देने के प्रश्न पर कई मन्त्रियों के विरुद्ध गम्भीर से गम्भीर आरोप लगाये गये हैं। फोरिन के लाइसेन्स देने के मामलों में इन्डस्ट्री विभाग के परमिट कोटा लाइसेन्स देने के मामलों में बकाया वसूली के सम्बन्ध में ट्रान्सपोर्ट में परमिट दिये जाने के सम्बन्ध में कई प्रकार के आरोप सदन में लगाये गये।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, इतने गम्भीर मामलों में गड़बड़ी करने के गम्भीर आरोप लगाये गये कि हमारे नेशनल प्रोजेक्ट और डिफेन्स से सम्बन्ध रखने वाले मामलों में बोर्डर रोड़ के बनवाने में, मशीनरी खरीदने के मामलों में कन्ट्राक्ट देने के मामलों तक में मन्त्रियों ने अपने हाथ रंगे हैं।

इस प्रकार के आरोप जहां लगाये जा चुके हैं, फाइनेन्स मिनिस्टर अपनी फाइनेन्स मिनिस्ट्री की पोजिशन का दुरुपयोग करते हुए सरकारी पैसे का दुरुपयोग करवा दे। लोगों को सरकारी जमीनों को लूटने की छूट दे दे, मकान बनवाने के लिये करजा दिलवा दे। मैं नहीं जाना चाहता इस समय इन सारे मामलों की डिटेल में। आवश्यकता पड़ी तो पूरी लिस्ट लेकर आया हूं। कोई सदस्य पूछना चाहे तो निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि यू. पी. जैसी व्यवस्था राजस्थान में कर दें तो कई मन्त्रियों को निर्वाचित सदस्यों को विधान सभा के सदस्यों को और जिला प्रमुखों और उप-जिला प्रमुखों को पंचायत समिति के

Page No. 76

(श्री भैरोंसिंह)

प्रधान और उप-प्रधानों को अदालत के कटघरे में खड़े होकर हिसाब देना पड़ेगा कि २० वर्षों के इस कांग्रेस के शासन काल में जो तुमने लूट मचाई और जो गलत तरीकों से सम्पत्ति हड़पी वह तुम्हारे पास नहीं रह सकती।

एक-एक हजार का वेतन जिस सरकारी कर्मचारी को मिलता है उसको उसका हिसाब बताने की दलीलें दी जाती हैं। मैं मानता हूं यह सही है। अगर उसने कोई बंगला या कोठी बनाली या कार ले ली तो उससे पूछा जाता है कि यह कहां से आया हिसाब बताओ। आज एक मन्त्री का खर्चा हजार रुपये मासिक में नहीं चलता। जिसका खर्चा हजार में नहीं चल सकता उसके पास सेविंग का प्रश्न नहीं उठता। पर फिर भी कई मन्त्रियों के दो-दो लाख के बंगले और कारें जयपुर में खड़े हैं। यदि सरकारी अधिकारी ने मकान बना लिया तो उसके लिये छानबीन की जाती है कि तुम्हारे रिसोर्सेज के अनुपात में मकान की कीमत ज्यादा है। नोटिस देते हैं आप उनको। इन्कम टैक्स के मामले आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मन्त्रियों के भवन और उनकी आमदनी है उसके प्रोपोरशन में ठीक है? नहीं है।

बोर्ड ऑफ मिनिस्टर्स की व्यवस्था की मुख्य मन्त्रीजी ने। वे अपनी आमदनी और असैट की सूचना देते हैं। जमीन कोई खरीदते हैं तो उसकी सूचना देते हैं। असैट में वृद्धि की सूचना देते हैं।

मैं बताऊं। कई बार कहते हैं कि आपकी विरोधी दल को सरकार वालों ने क्या किया है? मध्यप्रदेश की सरकार के मुख्यमन्त्री ने विधान सभा के सत्र में सदन पटल पर सारे मन्त्रियों की असैट की लिस्ट रख दी। न अपने पास रक्खी, न राज्यपाल को भेजी। सदन की मेज पर रख दी। जिस समय सदन की मेज पर लिस्ट रखी गई तो आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि कांग्रेस के लोग आज नहीं चाहते कि हमारी सरकार के मन्त्री और दूसरों के असैट सदन की मेज पर रखे जावें और इस पर उन्होंने इसका विरोध किया पोइन्ट ऑफ आर्डर के ऊपर कि इस तरह असैट की लिस्ट सदन की मेज पर रखने का प्रावधान नियमों में नहीं है। इसलिये इसे अनुमति नहीं दी जावे रखने की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केरल की सरकार ने इस बजट सेशन में स्वीकार किया है लोकपाल और लोक आयुक्त के सुझाव को और इसकी व्यवस्था वहां करने की मुख्य मन्त्री ने विधान सभा में घोषणा की कि इसके लिये सरकार कानून ला रही है और तुरन्त ही इसी विधान सभा के सत्र में उसे पास कर दिया जावेगा। वे तो इस सीमा तक गये हैं कि जो ५२ से आज तक सदस्य रहे हैं और ऐसे पदों पर रहे हैं उनके खिलाफ इस प्रकार की जांच की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, यह केरल का है और इसी प्रकार का उड़ीसा की असेम्बली के अन्दर उड़ीसा के गवर्नर ने स्वयं ने इसकी घोषणा की है कि जिन मंत्रियों के खिलाफ आरोप लग चुके हैं उनके खिलाफ तो हम चालान करेंगे ही लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने भी एक परमानेन्ट व्यवस्था इस लोकपाल और लोक आयुक्त के आधार पर कर दी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति

(श्री भैरोंसिंह)

जा कर इस प्रकार की खिलाफत कर सकता है। इतना ही नहीं जहां पर ये चीजें हुई हैं उनके अलावा इस सदन को जानकारी है कि बिहार की सरकार ने, बिहार के चीफ मिनिस्टर और १२ मंत्रियों के विरुद्ध इन्क्वायरी के बाद एक कमीशन बैठाया और वह कमीशन जांच कर रहा है और उसके अन्दर कई प्रकार से रोड़े अटकाये जा रहे हैं। लेकिन जनता के समक्ष चार्ज शीट पेश करके यह सिद्ध कर दिया कि ८ मंत्रियों ने और मुख्य मंत्री ने मिल कर अपने कार्यकाल में १ करोड़ ९२ लाख के घोटाले किये हैं। यह केवल बिहार की सरकार ने किया। उधर उड़ीसा की सरकार ने उड़ीसा के ३ भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों के ऊपर बीजू पटनायक, बीरेन मित्रा और तीसरे श्री त्रिपाठी के अलावा १२ मंत्रियों के ऊपर आरोप लगाकर कमीशन के सामने मामला रख दिया। यह दो स्टेट्स ने किया बाकी स्टेट्स कानून बनाने में लगी हुई हैं और उनको गिरफ्त में लेना चाहती है। ऐसी स्थिति में चाहे कांग्रेस के लोग यह कह कर चलें कि आज एडमिनिस्ट्रेशन में जिसकी कमी को महसूस किया जा रहा है उसकी पूर्ति विरोधी दल की सरकारों ने सब जगह की है। अब वह इसमें फेल्योर हों मैं नहीं करता संकोच बताने में लेकिन मूल मुद्दे के आधार पर यह निश्चितरूप से कहा जा सकता है कि उन मिनिस्टर्स ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को प्योरीफाई करने के लिए अपने आपको इनवाल्व करते हुए कानून बनाया है और व्यवस्था की है और उसके आधार पर वह भी जल्दी से जल्दी लोकपाल और लोक आयुक्त जैसी व्यवस्था को स्वीकार करने पर तुले हुए हैं। ऐसी स्थिति में मुझे खेद के साथ निवेदन करना पड़ता है कि हमारी सरकार कोई भी व्यवस्था करके नहीं चल रही है। माननीय सदस्य ने जिन्होंने प्रस्ताव रखा है वह प्रस्ताव है उस अध्यादेश के आधार पर जिसको १९६७ के अन्दर उस समय के मुख्य मंत्री श्री चरणसिंह ने गवर्नर को भेजकर गवर्नर के माध्यम से जारी कराया। इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी ने ओम्बड्समैन की दूसरी व्यवस्था की, सन्थानम कमेटी ने करप्शन को दूर करने के लिए कानून बनाने की जो सिफारिश की है और उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने लोकपाल और लोक आयुक्त के संबंध में जिस प्रकार की व्यवस्था दी है उन तीनों व्यवस्थाओं में कुछ खामियां हैं उनके आधार पर जनता की समस्याओं का सही समाधान सही प्रकार से हो जायेगा ऐसा नहीं लगता। इसका समाधान करते हुए यह अध्यादेश प्रस्तुत किया गया है। हालांकि राजस्थान की स्थिति के अनुसार इसमें कुछ संशोधन करने पड़ेंगे।

इसमें दो बातें तो मैं भी स्वीकार नहीं करता। इन्होंने सारा स्कोप ५ वर्ष मे लेकर अब तक का तय किया है। उसके पहले किसी मंत्री ने घोटाले किये हों, किसी ने मुनाफा कमा लिया हो तो वह इसके स्कोप में नहीं आता। मैं चाहूंगा कि राजस्थान सरकार इसमें यह संशोधन कर दे कि सन् ५२ से लेकर आज तक जितने भी मंत्रिमण्डल के सदस्य रहे हैं, उनकी जांच की जाये।

(श्री भैरोंसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक व्यवस्था और है जिसका मैं विरोध करता हूं। वह यह है कि जो भी शिकायत करेगा उसको १००० रुपये सिक्योरिटी के नाम से जमा कराने पड़ेंगे। राजस्थान और यू० पी० की परिस्थितियां भिन्न हैं। यू० पी० और राजस्थान की पर-कैपीटा इन्कम में बहुत बड़ा अन्तर है। यू० पी० की शिक्षा का स्तर और राजस्थान के लोगों की शिक्षा का स्तर है उसमें काफी अंतर है। यू० पी० के किसानों की हालत और हमारे राजस्थान के किसानों की हालत में फर्क है। इस कारण से यू० पी० के अन्दर शिकायत करने वाले को १००० रुपये जमा कराने की व्यवस्था कर दी होगी लेकिन यहां पर यह व्यवस्था करने का मतलब कोई गरीब आदमी शिकायत नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि कोई झूठी शिकायतें करे लेकिन झूठी शिकायत करने वाले पर हम पैनल्टी का प्रावधान कर सकते हैं। उसके साथ में एक हजार रुपये की सिक्योरिटी का दण्ड पहले से व्यवस्था करके रखा जाय इससे लोग शिकायत कम करेंगे। इन दो संशोधनों के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह कानून इतना फूलप्रूफ कानून है कि जिसमें किसी प्रकार का संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक पैनल होगा उसकी नियुक्ति वहां के चीफ जस्टिस से मिल कर राज्यपाल महोदय करेंगे। उसमें मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स के विरुद्ध प्रधान और प्रमुख के विरुद्ध यदि कोई शिकायत आती है तो उस पैनल का जज या तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा या राज्य के उच्च न्यायालय का कोई जज होगा। उसमें अनुसंधानकर्त्ताओं की व्यवस्था की है उसकी नियुक्ति मुख्य मंत्री के हाथ में नहीं रखी बल्कि उसकी नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की सलाह पर राज्यपाल महोदय करेंगे और उसके बाद में जो उप होगा उसकी राज्यपाल महोदय इसी प्रक्रिया के आधार पर नियुक्ति करेंगे और स्टाफ का चयन जिनकी इन्टीग्रिटी के ऊपर शंका नहीं की जा सकती ऐसे अधिकारियों का डिपार्टमेन्ट बनायेंगे। न उनका स्थानान्तरण किया जा सकता है, न रूल्स बदले जा सकते हैं न पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जांच की गयी शिकायत के आधार पर बरखास्त किया जा सकता है बाकी उनको सर्विसेज से नहीं हटाया जा सकता। सर्विसेज की जो एल्योरमेन्ट ५५ वर्ष या ५८ वर्ष में रिटायर करने की होती है उसकी भी व्यवस्था कर दी गयी कि ऐसे लोगों की उम्र ६० साल तक रहेगी। यह इसलिए किया गया है कि लोगों में विश्वास हो जाये कि इस प्रकार की जैसी मशीनरी को रखा गया है कि यदि कोई शिकायत कर दी गयी तो उसकी निश्चितरूप से जांच की जायेगी। इतना ही नहीं आज जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने रिपोर्ट दी है या सन्थानम कमेटी ने रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में यह आधार रहा कि हम असेम्बली या पालियामेन्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव पॉवर्स और दें। एडमिनिस्ट्रेशन को कन्ट्रोल करने में और एडवाइस करने में उनके अधिकारों का क्षेत्र बढ़ाया जाये। उन्होने यह सिफारिश की और इस आधार पर की कि मुख्य मंत्री हो या प्रधान मंत्री हो वह जांच करने के बाद में जैसे विजिलेन्स कमीशन रिपोर्ट

(श्री भैरोंसिंह)

प्रस्तुत करने का जिम्मेदार है वैसे ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जायेगी और उस पर एक्शन लेना प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री पर रहेगा। मूल समस्या का समाधान कोई लोकपाल और लोक आयुक्त की नियुक्ति से नहीं होगा, कोई विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट से या हरिश्चन्द्र माथुर कमेटी की रिपोर्ट से नहीं होगा। इसके लिए तो जब तक इण्डिपेन्डेन्ट एजेन्सी नहीं होगी और जनता को यदि इस प्रकार से आश्वस्त नहीं कर पायेंगे तब तक इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए उस यू० पी० के आर्डिनेन्स में जहां इसकी व्यवस्था की है वहां पैनल की भी व्यवस्था की है। पैनल के लोग कैसे होंगे, उनकी नियुक्ति और सर्विस कन्डीशन्स कैसी होंगी, उनका भी एल्योरमेन्ट समाप्त करने के लिए यह व्यवस्था कर दी गयी है कि किसी जज की नियुक्ति किस मामले में की जाती है तो जब वह जज था और उस समय जो फैसिलिटीज उसको मिलती थीं वह मिलती रहेंगी।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मेरे ख्याल से इस तरह है तो आप एन्डलैसली कह सकते है।

Otherwise everybody has a right to say.

यह मुझे आपत्ति है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपा कर आप अपना भाषण ५ मिनट में समाप्त करें।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बेसब्री को मैं समझता हूं। वह एक संशोधन मूव करने वाले हैं और इसका समर्थन करने वाले हैं।

श्री मूलचन्द डागा : बेसब्री नहीं है। सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना मेरा फर्ज है।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपके अधिकारों की भी रक्षा करूंगा, यह मेरी तरफ से आप मानकर चलें।

उपाध्यक्ष महोदय, इस हालत के अन्दर जिस प्रकार का यह अध्यादेश प्रस्तुत किया गया है उस अध्यादेश को यदि स्वीकार नहीं किया जाता है सदन में और अध्यादेश को अपने बहुमत के आधार पर कांग्रेस पार्टी उसको रिजेक्ट करना चाहती है तो मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के विजिलेन्स कमीशन या एन्टी करप्शन एक्ट से काम चलने वाला नहीं है। आपको चाहिए कि कई बार गलत आरोप लगाये जाते हैं और उनकी जांच होगी और जांच में आरोप सही नहीं पाये जाते हैं तो वे सामने आयेंगे। आप यदि जांच नहीं कराना चाहते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी सरकार स्वयं के ऊपर लगे हुए आरोपों से इतनी भयभीत है कि किसी भी इन्डिपेन्डेन्ट कमीशन को फेस करने की सरकार की ताकत नहीं है। यदि सरकार में ताकत है तो चरणसिंहजी ने जिस प्रकार का यह अध्यादेश मूव किया है और मैसूर गवर्नमेंट ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा जिनके खिलाफ पांच वर्ष पहले चार्जशीट पेश की गई थी और जब उसको डिसकस किया गया था और सदन से कन्फर्म कराया गया था तो विधान सभा में स्वयं निजलिंगप्पा ने इस बात को स्वीकार किया है कि

(श्री भैरोंसिंह)

लोकपाल और लोकायुक्त जैसी कोई व्यवस्था करना चाहिए, उनका कहना न मानें। आपके कांग्रेस के अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा जो स्वयं इस बात को स्वीकार करके चलते हैं उनके कहने को मानें और मंत्रियों के विरुद्ध, सदस्यों के विरुद्ध और बाकी के जो लोग निर्वाचित होकर प्रमुख स्थानों पर बैठे हुए हैं उनकी जांच करने के संशोधनों के साथ जो माइनर एडजस्टमेंट करना पड़े उन संशोधनों के साथ इसको स्वीकार करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें इस सदन में कहना चाहूंगा। आज मंत्रियों के खिलाफ कई चीजें विधान सभा में जनरल प्रश्नों के समय की जाती हैं उन प्रश्नों की जांच नहीं होती। आज विधान सभा में याचिका समिति का सप्तम प्रतिवेदन इस सदन में प्रस्तुत किया गया अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के बारे में। उसमें बस्सी सीतारामपुरा के सम्बन्ध में याचिका समिति ने यह सिफारिश की है कि जयपुर में भूतपूर्व चैयरमेन श्री रामकिशोर व्यास ने और भूतपूर्व चैयरमेन, श्री देवीशंकर तिवाड़ी ने अपने कार्यकाल के अन्दर कई लोगों को मेलाफाइडी मकान (प्लॉट्स) दे दिये हैं और जो वास्तविक अधिकारी थे उनको मकान (प्लॉट्स) नहीं दिये। इस समिति ने यह सिफारिश भी की है कि इन व्यक्तियों के खिलाफ चालान पेश किये जायं।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात और इस सदन में कहना चाहूंगा। मैं नहीं कहता, पर सत्ता के दुरुपयोग की बातें कई तरह की इस हाउस में आती हैं, कई तरह के लोग इस हाउस के बाहर भी इस पर गम्भीरता से विचार करने की चेष्टा करते हैं और की हैं। यह चुनाव के सम्बन्ध में कुमारप्पा ग्राम स्वराज्य संस्थान ने एक पुस्तिका प्रकाशित की है। इस संस्थान में अधिकांश लोग कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं या कांग्रेस पार्टी का समर्थन किसी न किसी रूप में करते रहे हैं उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया है कि पिछले चुनावों में राजस्थान के मंत्रियों ने किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग किया है ? समयाभाव के कारण मैं इसके एब्स्ट्रैक्ट को नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन सदन के कई माननीय सदस्य कुमारप्पा ग्राम स्वराज्य संस्थान की रिपोर्ट को लेकर जायं तो देख लें कि किस प्रकार से अकाल के काम खुलवाये गये हैं, किस प्रकार से स्कूल, दवाखानों का आश्वासन दिया गया है और किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग करके अनावश्यक रूप से सरकार के धन का खर्च किया गया है, यह इसका प्रमाण है।

इसके अलावा, राजस्थान में कई केसेज जो लोगों के नोटिस में हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्यवाही न करने के भय से न तो अखबारों में छपवाते हैं और न विधान सभा में रखवाते हैं। मौका आया तो सारे प्रश्नों पर गम्भीरता से विचार करके यदि इस प्रकार की व्यवस्था राज्य सरकार ने स्वीकार कर ली तो उसके सामने इन प्रश्नों को रखा जायगा।

अन्त में मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ राज्य सरकार से पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रस्ताव में गम्भीरता है। इसका रिजेक्शन जन-मानस पर यह प्रतिक्रिया लायेगा कि निश्चितरूप से सरकार भ्रष्टाचार का समर्थन करना चाहती है,

Page No. 81

(श्री भैरोंसिंह)

मंत्रियों में भ्रष्टाचार को रोकना नहीं चाहती है और बाकी के लोगों को, भ्रष्टाचार की शिकार गरीब जनता को किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता है, इसलिए इसके भविष्य के रिपरकशन्स को देखते हुए, आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन के ढांचे में सुधार लाने की दृष्टि से जो संकल्प रखा गया है, मैं समझता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी !

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प का समर्थन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले जिन्होंने संशोधन प्रस्तुत किये हैं वे बोलेंगे।

श्री डूंगाराम राजोरिया : ५ मिनिट का ही समय दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : इनके बाद में।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सकल्प के संबन्ध में मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि इस सत्र के स्थान पर अगले सत्र तक प्रस्तुत किया है। यह जोड़े जाने के बारे में निवेदन किया है।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी आपकी क्या भावना है ?

श्री रामनारायण चौधरी : भावना मैं निवेदन करूंगा अब।

श्री जयनारायण सालोदिया : भावना का विकास कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव रखा गया है और माननीय वक्ताओं के जो व्याख्यान हुए हैं और उनकी भावना जो उनके व्याख्यानों में प्रकट हुई है वह सराहनीय है ... और उन भावनाओं का मैं समर्थक हूं और समर्थक रहना चाहता हूं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस वक्त देश में चारों तरफ भ्रष्टाचार, पक्षपात, भाई-भतीजावाद आदि आरोपों का बोलबाला है। इस सम्बन्ध में हमारी भारत सरकार ने भी कुछ सैद्धान्तिक निर्णय किये हैं और जैसा कि यह विधेयक उत्तर प्रदेश में आया है वैसे ही भारत सरकार ने भी लोकपाल और दूसरी-दूसरी व्यवस्थाएं जो रखी हैं, उनके बारे में सुझाव दिये हैं। और वे सुझाव भी राज्य सरकारों के पास में आये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि इस समय देश में भ्रष्टाचार और इन बातों का अधिक प्रचार है, लेकिन मेरी यह भी मान्यता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इन तमाम बुराइयों का कानून और कोई व्यवस्था ही कोई उपाय हो या परिमार्जन का तरीका हो, ऐसा मैं नहीं मानता। कानून और कोई व्यवस्था कानूनी की जाय वह एक चीज हो सकती है, लेकिन वह उस समस्या का अपने आप में, कोई समाधान नहीं है। इस समय देश में देश के लोगों के और समाज के मोरल वेल्यूज़ गिर रहे हैं। देश का नेशनल कैरेक्टर गिर रहा है। उस स्थिति में हम कोई कानून बनाने की चेष्टा करेंगे और कानून बनायें या और कोई व्यवस्था निर्धारित करें और उसके जरिये उस चीज को रोकना चाहें, उपाध्यक्ष महोदय, तो मेरी यह मान्यता है, मेरा यह विश्वास है कि वह उससे रुक नहीं

Page No. 82

(श्री रामनारायण चौधरी)

सकती। देश के कैरेक्टर को, देश के मोरल वेल्यूज को ऊंचा उठाना और उनकी तरफ ध्यान रखना आज देश की पोलिटिकल पार्टीज का उनके कार्यक्रम का एक अंग होना चाहिये, उनके कार्यक्रम का एक हिस्सा होना चाहिए, लेकिन पोलिटिकल पार्टीज, इस समय जितने मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल हैं वे सबके सब इस मान्यता के विपरीत आचरण करते हैं। आज हमें यह देखकर दुःख होता है, हमें यह देखकर अफसोस होता है कि एक अच्छा आदमी है उसका उधर के बैठने वाले पक्ष समर्थन नहीं करते हैं, और उधर से कोई अच्छी बात कहता है तो इधर के दल वाले उसका समर्थन नहीं करते हैं या अपने दल की नीति के कारण ऐसा नहीं कर सकते। इससे देश के राष्ट्रीय कैरेक्टर का एक प्रकार से ह्रास हो रहा है जिसकी वजह से देश में मायूसी, देश में उदासीनता आ रही है। मैं यह मानता हूं कि हम कानून के जरिये इन सब बातों को बहुत आसानी से तुरन्त इमीजियेट इफेक्ट में नहीं ला सकते। और रूप में भी पहले नहीं आया है। मिनिस्टर्स, पब्लिकमैन निर्वाचित हैं उनके बारे में कानून नहीं हो सकता है और नहीं है लेकिन जो कानून जिन लोगों के लिये है, जिनके लिये व्यवस्थाएँ हैं उनसे भी वे चीजें नहीं रुकी हैं। आज इस बात के लिये कानून है कि चोरी नहीं होनी चाहिये, हत्या या मर्डर नहीं होना चाहिये लेकिन कानून के होते हुए भी मर्डर रुके नहीं हैं। कानून की ऊंची से ऊंची व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है वहां तक पहुंचने पर भी कितने आदमियों को न्याय मिलता है यह हम सब जानते हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस बात पर बल देना चाहता हूं कि हम जो राजनैतिक दलों के नुमायन्दे हैं, राजनैतिक दलों के नुमायन्दों के रूप में जनता के प्रतिनिधि के रूप में उनकी बातों को बुलन्द करने के लिये आये हैं तो हमें भी कुछ सिद्धान्त हमारे जीवन के बारे में तय करने चाहियें तभी हम उनकी बातों को कहने की स्थिति में आ सकते हैं और उसका असर समाज और दूसरे लोगों पर हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवेशन में आचार्य तुलसी के बारे में उनके आन्दोलन के बारे में एक प्रस्ताव यहां पर आया था उसके बारे में कुछ जिक्र मैं यहां पर करना चाहता हूं। हम उस प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे, उसको पास करके कानूनी रूप देना चाहते थे। जो लोग उसको कानूनी रूप देना चाहते थे उनको इस बात का पता था कि आचार्य तुलसी के क्या सिद्धान्त हैं, उनका क्या कार्यक्रम है, उनका कैसा आचरण है, प्रत्येक व्यक्ति के बारे में उनका क्या दृष्टिकोण है ? यहां पर सब प्रकार के लोगों ने उनके समर्थन में विचार प्रकट किये लेकिन जिन लोगों ने उनका समर्थन किया मैं नहीं समझता कि उन लोगों ने आचार्य तुलसी के सिद्धान्त को १ प्रतिशत भी अपने आचरण में उतारा हो। कहना कुछ और करना कुछ यह एक प्रकार से लोगों का वतीरा हो गया है। आज बड़े से बड़े आदमी के बारे में हम कुछ भी कह सकते है। हमारी जबान खुली है, जबान पर ताला नहीं है। हम इस सदन का उपयोग इसलिये कर रहे हैं कि यहां पर हमको कहने की छूट है, बड़े से बड़े समाज या व्यक्ति के बारे में हम यहां पर कुछ भी कह सकते हैं। मैं इस बात का समर्थक हूं कि इन्सान जो कुछ कहता है उस पर उसको टिकना चाहिये। वह जो

(श्री रामनारायण चौधरी)

सोचता है वही उसको करना चाहिये और जिस बात के लिये समाज में आवाज बुलन्द करना चाहता है उसके लिये व्यक्तिगतरूप से अपने आपको लायक बनाने की जरूरत है, सब बातों को अपने आचरण में उतारने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज भ्रष्टाचार और पक्षपात समाज का एक अंग बन गया है और जब तक हम समाज का आमूल-चूल परिवर्तन करने की दिशा में नहीं सोचेंगे तब तक यह नहीं मिटेगा। आज समाज में हमारे लिये निर्धारित नियम हैं उन पर हम आचरण नहीं करते और हम दूसरे लोगों को आचरण करवाने के लिये प्रेरित करते हैं और उनको उत्तेजित करना चाहते हैं। यहां इसी सदन में पिछले दिनों चर्चा हो रही थी, आज हम जिस समाज या समुदाय में हैं, मैं यदि जैन समाज में हूं या वैष्णव समाज में हूं या एक आदमी इसलाम को मानने वाला है तो मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं इसलाम के नाम पर झगड़ा करूं, हिन्दू के नाम पर झगड़ा कर सकूं। मैं इस बात को नहीं देखता कि इसलाम के बुनियादी सिद्धान्त क्या हैं ? या वैष्णवों के बुनियादी सिद्धान्त क्या हैं ? हम महाराज शंकराचार्य के समर्थक हैं, उनके बारे में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लेकिन उन्होंने क्या कहा था, जीवन को किस प्रकार का बनाना चाहिये, समाज की तरफ हमारा क्या कर्त्तव्य है आदि इन बातों पर हमारा ध्यान नहीं है। आदमी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में उनके जो उपदेश थे उनका आज कोई पालन नहीं करता। आज इन्सान के लिये धर्म से बढ़ कर कोई चीज नहीं है। हमारे समाज में, हमारे देश में एक मान्यता है किसी आदमी से सही बात कहलवाने की जरूरत हो तो उससे यह पूछा जाता है कि क्या तुम सच कह रहे हो तो वह कहता है कि हां मैं सच कह रहा हूं लेकिन इस पर भी हमको तसल्ली नहीं होती इसलिये उस आदमी से यह कहलवाया जाता है कि कहो मैं धर्म से सच कहूंगा। जब वह यह कहता है कि मैं धर्म से सच कहूंगा तो उसका यह असर होता है कि धर्म के नाम से कह रहा हूं इसलिये सच ही कहना चाहिये और सामने वाले दूसरे लोगों को भी यह यकीन होगा कि क्योंकि यह धर्म के नाम से कह रहा है इसलिये सच ही कह रहा होगा। आज जिस धर्म के अवलम्बी हम लोग हैं उस धर्म के बुनियादी सिद्धान्तों को अपने जीवन में उतारने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आदमी के कैरेक्टर का निर्माण करने के लिये भी धर्म के सहारे की आवश्यकता है और आदमी के लिये सबसे बड़ी आवश्यकता चरित्र का निर्माण करना है। आज जो धर्म के सिद्धान्त हैं उनसे भी हम विपरीत जा रहे हैं। आज तमाम तरह की चीजें समाज में आई हैं और वे पनपेंगी। जो हमारी मान्यताएं हैं उन पर हम नहीं चलते, उनका मनन नहीं करते और उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करते तो मैं नहीं समझता कि बहुमत के आधार पर बनाया हुआ कानून है उसका हम किस प्रकार पालन कर सकते हैं। कानून अपने आप में पूरा नहीं हुआ करता। कानून बनाया जा सकता है, उस पर अमल भी हो सकता है, अमल करवाया जा सकता है लेकिन कानून बनाने वाले स्वयं उसके अनुसार आचरण नहीं करें तो कैसी हालत होती है ? कानून के मामले में राजस्थान के लिये यह सदन सर्वोपरि है लेकिन इस कानून का पालन आप किससे करवाना चाहते हैं ? कौन

(श्री रामनारायण चौधरी)

उसका पालन करेगा ? पालन करने वाला व्यक्ति इन्सान होगा, भगवान तो इनके लिये अवतार धारण नहीं करेगा और निर्णय नहीं करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज तो भगवान भी विवादास्पद वस्तु हो गया है। लोग भगवान से धीरे-धीरे दूर क्यों होते जा रहे हैं ? आज की परिस्थिति में जीवन की साधारण से साधारण बात को लेकर लोग यह महसूस करते हैं कि भगवान सबके साथ न्याय नहीं करता। किसी को अमीर बना देता है, किसी को गरीब बना देता है, किसी को लम्बा बना देता है और किसी को ओछा......

एक माननीय सदस्य : ओछा नहीं छोटा।

श्री दौलतराम सारण : गरीब भगवान नहीं बनाता व्यवस्था बनाती है।

श्री रामनारायण : मैं नहीं समझता। कानून के जरिये हम व्यवस्था करना चाहते हैं और जिस प्रकार की व्यवस्था होगी उसके मुताबिक काम को करने के लिये, कानून की मंशा का पालन करने के लिये जिस आदमी को जिम्मेदारी सौंपी जायगी वह आदमी भी इसी देश का होगा, हमारे में से ही होगा हिन्दुस्तान का होगा या राजस्थान का होगा। जिस तरह का वातावरण होगा या जिस तरह का एटमोस्फीयर होगा उस तरह की बात होगी। लेकिन मैं यह बात जरूर महसूस कर रहा हूं कि देश का करैक्टर गिरता जा रहा है...

श्री दौलतराम सारण : योजनाबद्ध तरीके से कमजोर किया गया है।

श्री रामनारायण : उपाध्यक्ष महोदय, हम प्रजातंत्र या लोकतंत्रीय प्रणाली को खत्म करना चाहते हैं, मेरे माननीय दोस्त जिन्होंने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है वे मुझे बहुत निराश और फ्रस्टरेटेड मालूम देते हैं। उन्होंने सरपंचों से लेकर, प्रधान, प्रमुख, नगरपालिका के मेम्बर और चेयरमैन....

श्री जयनारायण सालोदिया : नहीं है। यह नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : एम. एल. एज. और मिनिस्टर्स—इन सभी के बारे में जिक्र किया है यहां पर। यह हो नहीं सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमें जनतंत्र को पनपाना है, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना है हमारे देश में (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) और आगे बढ़ाना है हमें हमारे देश को और इंग्लैंड में जिस तरह के पार्लियामेन्ट्री सिस्टम में गवर्नमेन्ट कायम हुई उसी तरह से हम अपने यहां......

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : (श्री मनोहर सिंह मेहता से) बोल लिये ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : अब बोलूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : पनपाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में आपकी निगाह में आने से यह बात रह गई है कि वहां की डेमोक्रेसी, वहां का प्रजातंत्र धीरे-धीरे पनपा है और आज जो हमें स्थिति यहां देखने को मिलती है, आज हमारे में जो निराशा हम पाते हैं, आज हम जो मायूसी पाते हैं वह स्थिति वहां पर भी उत्पन्न हुई थी लेकिन वहां पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था, कोई

(श्री रामनारायण चौधरी)

लोकपाल या धर्मपाल या इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई थी......

श्री जयनारायण सालोदिया : धर्मपाल ?

श्री भैरोंसिंह : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रिटेन के अन्दर भी एक कमिश्नर फोर एडमिनिस्ट्रेटिव इन्क्वायरी को हाउस ग्रॉफ कॉमन्स ने इस प्रकार की स्थिति में नियुक्त कर दिया था।

श्री रामनारायण चौधरी : वह हमारे यहां भी है और उसके तहत बड़ी-बड़ी इन्क्वायरी हुई है, बड़े-बड़े आदमियों के मामले उनमें गये हैं, लेकिन जनरल वे में हम सोचें कि क्या हमारे यहां की व्यवस्था और समस्या ऐसी हो गई है कि हम किसी की देखा-देखी ऐसा करें ? आप क्या, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह चाहते हैं कि जो कुछ अधिकार हमें मिले हैं, जो कुज अधिकार जनतंत्र ने हमें दिये हैं या जो हमने प्राप्त किये हैं, उनको कोई ऐसा कानून बना कर एक व्यक्ति विशेष के हाथ में दे देना चाहिए और कह देना चाहिये कि मर्जी में आये वह करे—इससे मुझे कोई डर नहीं है। व्यक्तिगत तौर से मैं उससे भयभीत नहीं हूं। यह मैं आपके माध्यम से सदन के सामने कहना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो गया है। काफी बार, तीन-चार बार आपको सूचित कर दिया गया है।

श्री रामनारायण चौधरी : दो मिनिट।

लेकिन एक बात है, जो विचारणीय है, जिस पर हमें मनन करना होगा और हमें एक दृष्टिकोण और एक रास्ता तय करना होगा, वह यह है कि यह सदन है, यह सर्वोच्च है, यह आज एक ऐसा कानून बनाये और कानून बना कर तमाम अधिकार एक आदमी को दे दे तो वह व्यक्ति सारे सदन के बारे में क्या-क्या कर सकता है—इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ऐसा हो सकता है तो जनतंत्र में, जिसमें जम्हूरियत के अन्दर विश्वास करके, एक व्यवस्था अपनाई है उसमें क्या यह होगा, क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि अभियोगों की सफाई नौकरशाही से करानी होगी ? जो नौकर होगा, वह नौकर स्वामी के केस को ट्राइ करे, और स्वामी ट्रायल के लिये नौकर के सामने पेश हो—मैं सिद्धान्ततः इस बात के खिलाफ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आज कई प्रकार की विकृतिमूलक चीजें आई हैं, लेकिन फिर भी यह मानने को जरूरत नहीं है कि हम पीछे चले गये हैं, हम कुछ नहीं कर पाये हैं। देश में बहुत कुछ हुआ है, देश में जनतंत्रीय प्रणाली हमने कायम की है, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं और शान के साथ में बढ़ा रहे हैं। आज लोगों में विश्वास है। माननीय सदस्य निराशा को पहचान सकते हैं, लेकिन मेरे खयाल में ऐसी बात नहीं है, जिन्होंने हमको चुन कर भेजा है, उनके दिल में बड़ी आशा है, उनके दिल में बड़ी उमंग है। लेकिन हम इस सदन के जरिये ऐसी आवाज बुलन्द करें कि सारे मामलों में गड़बड़ घोटाला हो गया है, कुछ नहीं है, यह सारे मामलों में भ्रष्टाचार लबालब हो गया है—इस तरह की भावनाओं का, मैं समझता हूं, जनता पर अच्छा असर नहीं पड़ता है और जनता की भलाई के लिये यह सब चीजें नहीं हैं, यह जनता के लिये घातक हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस प्रसंग और प्रकरण में नहीं जाना

चाहता (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)....

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय समाप्त हुए पांच मिनिट और ऊपर हो गये हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण चौधरी : एक मिनिट ! उस प्रसंग और प्रकरण में नहीं जाना चाहता, मुझे अधिक जानकारी भी नहीं है लेकिन जो बात तय हो जाती है, जिसके बारे में खुलासा हो जाता है। पूरी मुझे भी मालूम है कि यह बात है, यह फेक्ट्स हैं, तथ्य इस तरह से हैं। जब तथ्य इस प्रकार प्राप्त कर लिये गये उसके बाद में भी यदि मैं अपने आपको सन्तुष्ट नहीं करता हूं, तो यह मेरे लिए अच्छी चीज नहीं है किसी प्रसंग में। माननीय सदस्य ने, जो इस सदन के वरिष्ठतम माननीय सदस्यों में से हैं, एक सोने के घोटाले का जिक्र किया। मुझे उसमें जाने की जरूरत नहीं है, किन्तु जैसा कि मैंने देखा है, अखबारों में पढ़ा है, या और कोई जानकारी है उसके आधार पर मुझे पता है कि उसकी भी जांच हो चुकी है। माननीय गृह-मंत्री, गुलजारीलाल नन्दा, जिनके बारे में देश में एक ख्याल है, जिनके बारे में देश में प्रतिष्ठा है, जिनके विषय में यह कोई नहीं कह सकता कि इनको कोई प्रभावित कर सकता है, जिनके बारे में यह नहीं कह सकता कि उनमें इस प्रकार की कोई बात है, उनके हाथ में से यह केस निकल चुका है और उन्होंने यह कहा है कि इसमें कोई तथ्यपूर्ण बात नहीं है, गलत बात है। उसके बाद भी बार-बार इस मामले को सदन में रखें और बड़े-बड़े मुंह से यह बात निकले तो ये अच्छी बातें महसूस नहीं होती हैं। लोग सोचते हैं कि यह सही बात है, इस सही बात को भी गलत बना दिया जबकि गलत बात तो गलत होती है। इस प्रकार से सही बात भी गलत बन जाती है। बड़े मुंह से ऐसी बात निकले जो वास्तव में सही हो, एक सौ एक पर्सेन्ट सही हो तब तो बात उचित होगी और उसका मूल्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ क्योंकि आपका बार-बार आह्वान और चेतावनी पर चेतावनी मुझे मिल रही है कि मेरा समय समाप्त हो गया....

एक माननीय सदस्य : बोलने का समय समाप्त हो गया।

श्री रामनारायण चौधरी : बोलने का समय समाप्त हो गया, इसलिये आपके आदेश का पालन करने के लिये मुझे बैठना पड़ रहा है। मैंने यह जो संशोधन पेश किया है, यह इसलिए पेश किया है कि भारत सरकार इस मामले में सोच रही है और हमारी सरकार भी निश्चितरूप से कुछ न कुछ सोच रही होगी। ऐसी स्थिति में यदि आज इस सदन में प्रस्ताव लाकर सरकार को मजबूर करें कि आप तुरन्त यह प्रस्ताव पास करिये और यू. पी. जैसी व्यवस्था यहां भी करिये, यू. पी. में जो व्यवस्था हुई है और यू. पी. में जिन लोगों ने व्यवस्था की है और जो लोग इसकी प्रशंसा करते थे, वह व्यवस्था करने वाले और प्रशंसा करने वाले आगे भाग गये हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि इस बात पर सरकार सोचे, जल्दी में ऐसी कोई बात करना अच्छा नहीं होगा। हमें इस पर गौर करना चाहिए। इसलिए जिन प्रस्तावक महोदय ने यह प्रस्ताव रखा है और माननीय अनुमोदनकर्त्ता ने जिन तथ्यों के साथ, भावना के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, उनको भी यह समझ लेना चाहिये और बैठ कर इस पर विचार करना चाहिये और सरकार को सलाह

(श्री रामनारायण चौधरी)

देनी चाहिये, इसका अध्ययन करके उनको व्यापक सुझाव देने चाहियें, और यह देखना चाहिये कि वास्तव में क्या व्यवस्था होनी चाहिये ? इसलिये इसमें वक्त की जरूरत है। हमें जल्दी में इस काम को नहीं करना चाहिये क्योंकि जल्दी में कोई काम करने से वापिस आना पड़ता है और रिट्रीट करना पड़ता है। इसलिए मैंने इस भावना के साथ यह संशोधन पेश किया है कि सरकार को समय की जरूरत है और समय उसको दिया जाना चाहिये, इस पर गौर करने के लिये। किस प्रकार की व्यवस्था बनाना चाहते हैं इसलिये उसे वक्त की जरूरत है।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय !

श्री रामनारायण चौधरी : इस भावना के साथ मैंने यह संशोधन पेश किया है। मैं सदन में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक ऐसा मामला है कि इस पर शांतिपूर्वक विचार करना है ..

श्री उपाध्यक्ष : आप दुबारा भाषण शुरू कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया : रिपीट कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : सबको, इस पूरे सदन को—चाहे कोई इधर हों, उधर हों—इस बात के सब पक्षपाती हैं। जो बात है उसका सब समर्थन करते हैं। इसलिये आप किसी को इस बात के लिये मजबूर नहीं करें कि वह आपको इसमें साथ दे सकें। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बहस के बाद प्रस्ताव के माननीय प्रस्तावक महोदय और अनुमोदनकर्ता हमारे शब्दों की सहानुभूति और समर्थन के बाद में आॅनरेबली इसको विदड्रॉ करें और सरकार को परामर्श दें, आप अपनी बुद्धि का परिचय अच्छा ड्राफ्ट बनाने में दें ताकि सरकार अच्छा कानून आगे चल कर ला सके। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा !

(३ म. प.)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय के द्वारा प्रसारित उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्वेण्ट इन्क्वायरी आर्डिनेंस, १९६७ के बारे में ऐसा एक संकल्प पेश किया गया है कि इस प्रकार का एक कानून राजस्थान सरकार भी पारित करे। इस संकल्प में मैंने जो संशोधन पेश किया है उसमें यह बताया है कि कानून को पारित करने के पहले राजस्थान की और समाज की स्थिति का अध्ययन कर लेना चाहिये। मैं समझता हूं कि समाज आज किस तरफ जाना चाहता है, यह जानने की जरूरत है। क्योंकि आप इस कानून के द्वारा समाज को और उसके मूल्यों को पलटना चाहते हैं। आज जो कच्छ का फैसला हुआ है, उसको जनता ने खुली चुनौती दी है। इससे मैं

Page No. 88

(श्री मूलचन्द डागा)

समझता हूं कि कमीशन के जो जजमेन्ट होते हैं और आज दुनिया उस जजमेन्ट को नहीं मानती है। (उप-गृहमन्त्री के एक माननीय सदस्य से बात करने पर) उप-गृहमन्त्रीजी, कृपया आप शान्तिपूर्वक सुनिये...

श्री खेतसिंह : हम सुन रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह नहीं चाहता कि आप सुनें किन्तु कृपया आप शान्ति से बैठें।

श्री खेतसिंह : मैं गौर से सुन रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह है कि अदालतों में फैसले होते हैं, दुनिया उनको भी चुनौती देती है। जो मामले आज उठाये गये हैं, उनके बारे में फैसले हो चुके हैं। आपके नाथद्वारा काण्ड के मामले को लेकर इतनी बड़ी इमारत खड़ी की। ऐसा मालूम होता था जैसे हिन्दुस्तान के अन्दर एक बड़ा भारी घोटाला हो गया हो। उस पर जांच कमीशन बैठा और हजारों, लाखों की दौलत राज्य सरकार के कोष से खर्च हुई लेकिन नतीजा उसका क्या निकला ?

श्री मदनसिंह दांता : हार्ट अटेक हुआ उसका नतीजा।

श्री मूलचन्द डागा : यह हुआ कि आपने जो कहा वह गलत साबित हुआ। वह गलत साबित हुआ फिर भी चुनाव के समय में जो आम सभायें होती थीं, आपने उन सभाओं में इस बारे में लम्बे-चौड़े भाषण दिये हैं। उन्हीं वक्तव्यों को दुहराते रहे और कहते रहे कि कांग्रेस में दुराचार है। कांग्रेस में भ्रष्टाचार है। आपके ऐसा बार-बार बोलने से और आक्षेप से जनता में लोग यह सोचने लगे कि हिटलर के पास गोयबल्स था जो उसके प्रोपेगेण्डा का काम करना जानता था। उसी तरह से आप इस तरह के मामलों को दुहराते रहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या इस तरह का आॅर्डिनेंस लाने से ही उसका सुधार हो सकता है। आप जिस आॅर्डिनेंस की बात करते हैं वह भी उस सरकार के द्वारा जारी हुआ जो आज नहीं है। मैं यह पूछता हूं कि आज यू. पी. में चरणसिंहजी चीफ मिनिस्टर के पद पर नहीं हैं, इसका कारण कौन है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह आॅर्डिनेंस तो इसका कारण नहीं है ? (हंसी)

श्री दौलतराम सारण : सही बात यही है।

श्री मूलचन्द डागा : आपने यह बताया कि इस वक्त कांग्रेस में भ्रष्टाचार है। आप यह बात बराबर कहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट थी, उसके अन्दर जो लोग थे, उसके अन्दर विरोधी दलों के मंत्री थे। उन्होंने क्या कार्यवाही की वहां जो मुख्यमंत्री थे चरणसिंह, वह क्या चाहते थे ?.........

एक माननीय सदस्य : उनकी भी जांच हो जायगी। आप भी इसका स्वागत करें।

श्री मूलचन्द डागा : वह सारे के सारों को करप्ट घोषित करना चाहते थे। यू० पी० का पैटर्न था। उसमें वह चाहते थे कि बड़े-बड़े गुनहगारों को जेल से छुड़ाना चाहिये। सवाल यह है कि आप यह बात कहते हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार है इसलिये आॅर्डिनेंस लागू किया जाये। हम इस आॅर्डिनेंस का

(श्री मूलचन्द डागा)

इसलिये विरोध करते हैं कि यदि ऐसा ऑर्डिनेंस लागू किया जाय तो सामाजिक स्थिति देखकर, लागू किया जाय। मैंने इस ग्रार्डिनेंस का अध्ययन किया है। इस ऑर्डिनेंस के अन्दर हजार रुपये लेने का प्रावधान किया है। मेरे खयाल में यह ग्रार्डिनेंस निकाला है, बिना सारी कानूनी और दूसरी बातों पर गौर किये हुए निकाल दिया है। अब क्यों कि यू० पी० गवर्नमेंट ने एक ग्रार्डिनेंस जारी कर दिया, इसलिये हम लोग जो चाहते हैं कि ऐसा ही ग्रार्डिनेंस राजस्थान में भी लागू कर दिया जाय। मैं कहता हूं कि ग्रार्डिनेंस लगा दिया जाये समाज को देखकर, परिस्थितियों को देखकर, देश को देखकर। यह तो ऑर्डिनेंस निकला है। मेरा खयाल है कि बहुत हड़िली, जल्दी और बिना इस पर ज्यादा गौर किये हुए। यू० पी० की गवर्नमेंट ने इस ग्रार्डिनेंस को जारी कर दिया। उसके कारण से हम लोग जो चाहते हैं, वह हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमें इससे सच्ची बातें नहीं मिल सकतीं। इस ग्रार्डिनेंस में क्या है ? इस ग्रार्डिनेंस में यह है कि आज मान लीजिये यह ऑर्डिनेंस लागू कर दिया जाए तो चाहे जनसंघ पार्टी का अध्यक्ष हो या जिला प्रमुख हो या स्वतंत्र पार्टी का हो, या कांग्रेस का हो, इस ऑर्डिनेंस के लागू होते ही यह होगा कि तुम आराम से बैठे रहो। हमारे पर डायरेक्टर, सेक्रेट्री व गवर्नमेन्ट कोई एक्शन नहीं ले सकती। इस ऑर्डिनेंस को लागू होने के बाद कह देंगे कि यह कांग्रेस पार्टी शासन करती है इसलिए गवर्नमेन्ट का एक्शन लेना वाजिब नहीं है और इसके एक्शन के लिये एक नई कमेटी मुकर्रर की जाती है। यह बड़ी छूट इसमें दे दी गई है। इस ऑर्डिनेंस के लागू होने के बाद ही चाहे म्युनिसिपल चेअरमैन हो, चाहे जिला प्रमुख हो, चाहे प्रधान हो, उसके लिये सस्पेंशन का कानून आज आपका डायरेक्टर, आपका अधिकारी जो कानून को लागू कर सकता है, वह नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें लिख दिया गया है कि इस कानून के द्वारा अमेंडमेंट कर दिया जायेगा वह एक्ट। एक आदमी की हुकूमत होती है, तो वह अपनी पार्टी के आधार पर उन लोगों को सस्पेंड करता है, रिमूव कर देता है। इसलिए हम उस पार्टी में विश्वास नहीं करते। यह बिल्कुल लोकतान्त्रिक प्रणाली के खिलाफ है।

एक माननीय सदस्य : वेरी गुड।

श्री मूलचन्द डागा : लोकतान्त्रिक प्रणाली में आज कांग्रेस हुकूमत करती है। जनसंघ हुकूमत करती है। स्वतंत्र पार्टी हुकूमत करती है। यह लोकतान्त्रिक प्रणाली में हुकूमत करने वाले सारे देश में हुकूमत करते हैं। लेकिन इसमें नियम कर दिया। इसमें यह करना चाहते हैं कि पार्टी की हुकूमत होती है इसलिए जो चुना हुआ आदमी आता है उसको हटाने का प्रावधान एक एक्ट के आधार पर उसी लोकपाल को होगा दूसरे को नहीं। एक ओर आप करप्शन को बढ़ावा देना चाहते है, दूसरी ओर आप चाहते हैं कि करप्शन जल्दी खत्म हो और उसके लिए जल्दी कदम उठाये जायें। इस ग्रार्डिनेंस के जरिये आप चाहते हैं कि रिमूवल, सस्पेंशन और टर्मिनेशन इस एक्ट के अन्तर्गत जांच के द्वारा होगा। लेकिन जांच करने का तरीका कितना लम्बा-चौड़ा रखा है। इसके अन्दर सारे के सारे गिनाये हैं। मंत्री, उप-मंत्री, जिला प्रमुख, प्रेसिडेन्ट, सरपंच और पंचों के लिये रहेगा। लेकिन कोई भी इसके

Page No. 90

(श्री मूलचन्द डागा)

अन्दर प्रावधान नहीं है कि यदि राज्य सरकार का कर्मचारी है, सेक्रेटरी या दूसरा गवर्नमेंट कर्मचारी है, उसके लिए क्या होगा ? यानी एक गलत कदम उठाया मन्त्री ने। मन्त्री ने उठाया लेकिन उसके साथ-साथ जो एसोसिएट करने वाले हैं उनके लिये कदम उठाने के लिए अलग कार्यवाही चलेगी और मंत्री पद के लिए अलग कार्यवाही चलेगी। क्योंकि अगर उसमें सेक्रेटरी गुनहगार है, अगर वहां का डायरेक्टर गुनहगार है या पब्लिक सर्वेण्ट गुनहगार है तो उसके लिए कार्यवाही क्या होगी ? इसलिये यह आर्डिनेंस जारी किया गया है, यह बेवक्त की चीज है। क्या आप यह मानेंगे कि मंत्री के द्वारा जो काम हुआ है वह सारे डिपार्टमेंट से हुआ है ? तो इस ऑर्डिनेंस के अनुसार आप क्या करेंगे ? आपने मंत्रियों के खिलाफ एक सूची रख दी। लेकिन जैसा मैंने कहा, लोग कोकशास्त्र अलमारी में रखते हैं और रामायण टेबुल पर रखते हैं। यह दुनिया में तरीका चल चुका है। दुनिया में बड़ी-बड़ी सभ्यताओं को....

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने कोकशास्त्र पढ़ा है ?

श्री मूलचन्द डागा : मैंने बनते और बिगड़ते देखा है। हम क्योंकि हरिजन का भला करना चाहते हैं इसलिए भलाई करने वाले और उस पर आचरण करने वाले की वाणी और कर्म के फर्क को हम जानते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : इसका मतलब है कि आपने कोकशास्त्र का अध्ययन किया है ?

श्री मूलचन्द डागा : बराबर सब अध्ययन किया है। इसलिए मैं आपको जान सकता हूं कि आप सब अध्ययन किये हुए हैं। ये ऑर्डिनेंस में जो है, इस आर्डिनेंस में दे दिया है कि एक हजार रु० के साथ में दरखास्त पेश करेगा। गवर्नर के पास दरखास्त जाएगी। गवर्नर के पास दरखास्त जाएगी उस दरखास्त के साथ एफीडेविट पर ट्रेजरी में रुपया जमा हो जाए, जिस चालान के साथ रुपया जमा हो जाए उसकी रिसीप्ट लेकर उसमें लगाये। उसके बाद में गवर्नर महोदय के पास दरखास्त पेश होगी। उसकी स्क्रुटिनी के लिए अब उसका क्या प्रोसीजर अख्त्यार किया है। हुआ यह है कि हाईकोर्ट का एक जज उसकी स्क्रुटिनी करेगा। हाईकोर्ट के नीचे जो आदमी काम करता है उसको नियुक्त किया जायगा और नियुक्त होने के बाद वह स्क्रुटिनी करेगा और दरखास्त की जांच करेगा। और जांच करने के बाद अगर ठीक बात पायी गई तो वापिस रिकमेंड करेगा कि इसकी इन्क्वायरी करा ली जाये, जिसमें चीफ इनवेस्टिगेशन आफिसर चाहे तो मदद दे सकता है और उस मामले की इन्क्वायरी कर सकता है। तो आप क्या चाहते हैं कि चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आई० जी० पी० के अधिकार दे दिये जाएं और उसके ऊपर कोई देखने वाला न हो ? उसने जो कर दिया वह खुदा ने कर दिया और वह अपील पेश करने आये। आप बताएं कि आखिर प्रोसीजर में क्या है ? सब मामलों की स्क्रुटिनी के लिए डिस्ट्रिक्ट जज होगा, हाई कोर्ट जज होगा और स्क्रुटिनी के बाद इन्क्वायरी का प्रोसीजर इतना लम्बा-चौड़ा होगा और जांच करने वाला चीफ इन्वेस्टिगेशन आफिसर होगा जिसको आई० जी० पी० के जितने अधिकार होंगे। आज कितना आदमी में सुधार हुआ है और कौन कितना सुधरा हुआ है यह हम सब जानते हैं कि कितना सुधरा हुआ है। आज कोर्ट में लोगों को विश्वास नहीं है।

Page No. 91

(श्री मूलचन्द डागा)

जहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वांचू ने कहा था कि हम बेईमानों को उभार रहे हैं, बेईमान के लिये उनका फल ईमानदार को भोगना पड़ता है, बेईमान मौज उड़ाते हैं और ईमानदार दण्ड भोगता है। लेकिन आज जो समाज चलता है, समाज में जिस प्रकार का वातावरण आज है, समाज में आप भी हैं, समाज में हम भी हैं, आप भी समाज के अंग हैं, हम भी समाज के अंग हैं, जो समाज दूषित हो चुका है, कलुषित हो चुका है, उसे आप चाहते हैं कि यह सरकार कानून बनाकर सुधारे, क्या कानून के आधार पर सुधार हो सकता है? आई० पी० सी० की कौनसी ऐसी सेक्शन है जो किसी भी प्रकार के अपराध के लिये दण्डित करने से मना करती है? आई० पी० सी० की कौनसी ऐसी सेक्शन है जिसमें इस प्रकार के अपराध के लिये कमीशन बैठाने की मना हो? कोई नहीं, गवर्नमेंट कमीशन बैठाती है, गवर्नमेंट ने कई कमीशन्स बैठाये हैं, कब चालान नहीं होता, ९९ परसेंट केसेज चालान होते हैं पर चालान में लोग बरी होते हैं और कहते हैं कि हम बरी हो गये, हमने कोई अपराध नहीं किया। कई लोग हमारे बीच में बैठते हैं, इसलिये वे बेईमान हैं और चोर हैं और विरोधी पक्ष में बैठते हैं, वे सब ईमानदार हैं, यह जो आपका दृष्टिकोण है यह गलत है।

जिस समय यह संकल्प प्रस्तावक महोदय द्वारा रखा गया तो प्रस्तावक महोदय के चेहरे से ऐसा जान पड़ता था कि हरिवल्लभजी बोलते तो थे, पर उससे यही जाहिर होता था कि कांग्रेस को दो-चार गालियां दे डालें यही तरीका है, तो उन्होंने संकल्प से यह तरीका निकाला कि कांग्रेस को दो-चार गालियां दे दें। दो-चार पर लांछन लगा दें, उन्हें बदनाम कर दें, उनकी इज्जत लूट लें, तो इज्जत लूटने की एक इस प्रकार की नीति बन गई है।

छोटे मामले में जज क्या करेगा, यदि कोई छोटा मामला है तो जज कुछ नहीं करेगा। मिसकन्डक्ट के बारे में आप सोचिये, अगर इस प्रकार का कानून बनाया गया तो इण्डिपेन्डेन्ट महकमा इसके लिये होना चाहिये, उसमें कितना खर्चा होगा, एक केस में गवर्नमेंट का चालीस, पचास हजार रुपया और १ लाख रुपया भी खर्च हो सकता है और आपके विटनेसेज देने वाले हैं वे कितनी सही विटनेसेज देते हैं। सारे कोर्टों में गवर्नमेन्ट की तरफ से पुलिस की तरफ से चालान होते हैं, उनमें ५० परसेंट सही होते होंगे पर उनमें ९९ परसेंट में गवाहियां होस्टाइल हो जाती हैं।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) **:** इसीलिये तो हम कहते है कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : सन्थानम रिपोर्ट पढ़लें, लाखों रुपयों की रामायण, कुरान बिक गई पर एक तोले भर भी असर लोगों पर नहीं पड़ा।

आप इसके लिये कानून लाना चाहते हैं, आज यह है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करके एस० पी० को रिपोर्ट करता है, उसको चैलेंज किया जा सकता है,

(श्री मूलचन्द डागा)

उसकी जांच एस० पी० कर सकता है, उसमें अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसको आगे चेलेंज किया जा सकता है, उस पर आई०जी० पी० अपना निर्णय दे सकते हैं आई० जी० के निर्णय को चेलेंज करके होम मिनिस्टर के पास शिकायत की जा सकती है, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कमीशन को दे सकते हैं पर इसके स्थान पर आज लोकतन्त्र में एक जज के हाथ में सारे अधिकार दे दिये जायं यह गलत है। आप कहते हैं पर कोई भी मंत्री अपमान-पूर्ण जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता....

श्री मदनसिंह : गांधीजी ने कहा था, हमने नहीं कहा, हम तो कहते हैं, खूब खाओ।

श्री मूलचन्द डागा : धारा सभा में, विधान सभा में अधिकार नहीं है कि एक बात कह कर जांच करवाये। यह ऑर्डिनेन्स है, जिस पर चर्चा हुई, आप कहते हैं कि इस कानून को लागू कर दो। मैंने इसके सारे चेप्टर देखे हैं, मैं समझता हूं आप इसके चेप्टर देखें तो पता चलेगा कि केवल एक आदमी को पूरे अधिकार इस बात के दे दिये हैं कि वह जो करेगा वही सही। एक एस० पी० अगर गलत एन्क्वायरी करता है तो आई० जी० पी० के पास जा सकते हैं, आई० जी० पी० अगर गलत करता है तो, होम मिनिस्टर के पास जा सकते हैं तो उन सब रास्तों को बन्द करके प्रजातन्त्र में इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स ला कर सुधार करना चाहते हैं, तो इससे सुधार होना असंभव है। इसके साथ ही साथ यह भी हमारे लिये सोचने की बात है कि यह कानून कितना महंगा पड़ेगा। कानून एक मकड़ी का जाल है, उसमें गरीब फंस जायेंगे और अमीर छूट जायेंगे। कोई अपील का प्रोवीजन नहीं है। वह जो फैसला दे देगा वह सही है इसलिये मैंने संशोधन दिया है कि हमें अपनी स्थिति को देख कर ऐसी बात सोचनी चाहिये कि अपने में फैले हुए इन गलत प्रकार के कामों को रोक सकें और समाज का सुधार कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह !

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, बापू कहा करते थे कि मैं १२५ वर्ष जीना चाहता हूं लेकिन जब आजादी आई और जो उन्होंने थोड़े दिनों में हालात देखे अपने लोगों के तो वे कहने लग गये थे कि भगवान मुझे जल्दी क्यों नहीं उठा लेता। पर अगर आज वे जीवित होते, या उनकी आत्मा आज की दशा देख रही होगी तो वे गौडसे की पीठ थपथपाते होंगे कि तैंने बहुत अच्छा किया, आज मैं इनके काले कारनामें नहीं देख सकता। गौड़से ने तो शरीर को छेदा था पर आज हम उनकी आत्मा को छेद रहे हैं।

जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं, उनको जब हम कहते हैं कि रिश्वत क्यों खाते हो तो वे लोग कहते हैं कि आप एम० एल० ए० बन गये, हमें तो आप कहते हैं पर जरा उन लोगों के घरों में जाकर तो देखो जिनके यहां आजादी से पहले २० - २० थैकलियां लगती थीं, वे आज आलीशान बंगले में रहते हैं, उनके बंगलों के सामने कारें खड़ी हैं, उनकी औरतें सोने से पीली हो गई हैं, पहले आप उनको तो रोको।

(३. १८ म. प.)

(श्री केदारनाथ, सभापति पदासीन)

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

हम प्रजामण्डल चलाते थे तो कहते थे :
"धाड़ेती बैठा महलां में,
और चोर मरयां का जेला में"।

जो दो रुपये रिश्वत लेता है, उसके खिलाफ केस चलता है और जो खूब डकारते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है। अधिकारी खूब रिश्वत खाते हैं, निकम्मे हैं, यह आज आम लोग कहते हैं। मैं जानता हूं कि कई अच्छे अधिकारी भी हैं पर कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जिन्होंने एक-एक मीटिंग में साठ-साठ हजार रुपये खाये हैं। पर उनको भी मैं दोष नहीं देता, दोष के मूल में हम हैं। हम उन्हें कहते हैं कि तीन-चार परमिट अमुक-अमुक आदमियों को दिला देना। वे उन तीन-चार आदमियों को परमिट दिला देते हैं पर साथ ही २० ऐसे आदमियों को परमिट देते हैं, जिनसे कि उनको पैसा मिला है। अगर हम एक भी गलत काम नहीं करें तो उनकी कभी इस प्रकार गलत काम करने की हिम्मत नहीं हो सकती।

हमारा यह सदन सारे राजस्थान के लिये प्रकाश-स्तम्भ है, इससे जो प्रकाश जायगा उसका सब पर असर पड़ेगा। तभी तो लोग कहने लग गये कि कहां गये तुम्हारे कौल-करार ?

कौल याद कर भूल मत,
देख चकाणां खोल।
घूंस बढ़ो सोला गुणी,
घुसी सौ गुणी पोल ।।

पर केवल उधर बैठने वालों को दोष देने से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी आत्मा टटोलनी पड़ेगी कि हमें जो मकान मिला है, उसको कहीं किराये तो नहीं दे दिया है, झूठे बिल तो नहीं बना रहे हैं, थर्ड क्लास में सफर करके फर्स्ट क्लास का चार्ज तो नहीं किया है ? चाहे इधर बैठने वाले हों या उधर बैठने वाले हों।

गांधीजी अपना काम गलत हाथों दे गए। उनको मालूम नहीं कि उनके चेले इतने कच्चे होंगे। जनतंत्र कहीं खतरे में न पड़ जाय। इसलिये सब लोगों को सोचना पड़ेगा ऐसे जांच आयोग के लिये, आखिर जांच क्यों न हो ? जांच को हम तीन भागों में बांटते हैं—एक तो जनता, दूसरा जन-प्रतिनिधि और तीसरा जन-सेवक। जनता सर्वोपरि सत्ता है और कहते हैं कि अपमान कैसे होगा मंत्रियों और उप-मंत्रियों का ? क्या रामचन्द्र का अपमान हुआ ? एक धोबी ने कुछ कह दिया सीता पर विश्वास नहीं किया, उसको अग्नि परीक्षा से निकलना पड़ा। आज तक राम इसलिये जीवित हैं। कहते हैं कि जांच आयोग से खर्चा बढ़ जायगा। कितना बढ़ जायगा ? ३६ मंत्रियों की फौज खड़ी कर दी तो खर्चा नहीं बढ़ा ? इसमें केवल मंत्री ही तो नहीं हैं बल्कि विधायक, प्रमुख और जितने भी प्रतिनिधि चुनकर आए हैं उनके जांच की भी व्यवस्था है। मान लें कि मैं एलॉटमेण्ट कमेटी का सदस्य हूं, मैं गलत काम करता हूं, भूमिहीन को भूमि नहीं दिलाता हूं लेकिन जिन्होंने मेरा समर्थन किया है उनको करता हूं। अगर मेरे खिलाफ जांच बिठाते हैं तो मुझे स्वागत करना चाहिये। जो नैनवान हैं उनको आगे की सोचना चाहिये। मैं जानता हू आपका बहुमत है, बहुमत के आधार पर आप ठुकरा सकते हैं लेकिन आप केवल ५ वर्ष का ही नहीं बल्कि १०० साल की सोचें :

"नैनवान सौ कोस तक, आगे नजर दुड़ाय।
आंधा नै दीखे नहीं, पगां हेटली लाय"।।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

अगर आप अंधे हो गये तो पैर के नीचे जो आग लग गई वह दीखेगी नहीं लेकिन जो नैनवान है उसको १०० कोसों तक नजर आयगा। अगर आप इस तरह का जांच आयोग बिठाते हैं तो सदन की गरिमा को बढ़ाते हैं। अपने आशा करते हैं कि जो पी० एस० सी के लोग हैं वे ऐसे हों जिनकी चहार दीवारी के अन्दर हो किसी की सिफारिश नहीं जा सके। सबसे बड़ा रोग यह है कि डे-टु-डे एडमिनिस्ट्रेशन में दखल है और जो कार्यकर्त्ता हैं उनका अधिकार छाया हुआ है। मैं जानता हूं कई मंत्री लोग दूर रहना चाहते हैं लेकिन रहने नहीं देते, कार्यकर्त्ता कहते हैं कि हम अगली बार चुनाव में आपका साथ नहीं देंगे तो पैर कांपने लगते है लेकिन उनको स्पष्ट कह देना चाहिये कि हम विधायक या मंत्री नहीं बनेंगे लेकिन सच्चाई से काम करेंगे। अगर यह हुआ तो हालत सुधरेगी, जितनी हालत हम लोगों की सुधरेगी उसका सारे राजस्थान में असर होगा। इसमें संदेह नहीं भ्रष्टाचार आज रहा नहीं वह शिष्टाचार बन गया है। दूध बेचने वाला पानी मिलाता है, कर्मचारी रिश्वत लेता है, व्यापारी मिलावट करता है और हम जन-प्रतिनिधि गड़बड़ करते हैं तो क्या होगा? इसलिये हम लोग अगर इसका स्वागत करें तो अच्छा होगा। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव आना चाहिये था ट्रेजरी बेन्चेज की ओर से कि हम लोग इस तरह के कमीशन के बारे में अध्यादेश या विधेयक लायेंगे जिसके कारण किसी को भी जांच आसानी से हो सके। अगर इस तरह की व्यवस्था करते हैं तो आपका जीवन ५ साल ही नहीं अधिक भी बढ़ सकता है लेकिन अगर आप इस अभिमान में हों कि बहुमत के बल पर कहीं हिलने वाले नहीं हैं तो जैसे सेठ लोग कहते हैं कि हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है लेकिन संपत्ति को जाते देर नहीं लगती:

"वित्त नहीं नित थिर रहे, धनपति तू मत भूल।
बिकती देखी बहुत की, तकिया तक की तूल"॥

जो करोड़पति सेठ थे तकियों की रूई बेचते नजर आये। आप यह न समझें कि आपका बहुमत हमेशा बना रहेगा। कितनी बेकारी है। गांधीजी की एक-एक बात सभी भूल गये हैं। क्या हम एक साथ बैठें और सोचें कि राजस्थान का भला कैसे होगा और दूसरी जगह हुई या नहीं उसकी चिंता क्यों करें? राजस्थान मार्गदर्शन करेगा तो अच्छा होगा, सुखाड़ियाजी की कीर्ति में चार चांद लग जायेंगे तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने किया है जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसमें यही निवेदन है कि इस सत्र के अंत तक। इतनी देरी भी क्यों की जाय? यह चीज जल्दी से जल्दी होनी चाहिये। यह इतना शुभ संकल्प है जिसके कारण सदन की गरिमा बहुत बढ़ेगी; महत्व बढ़ेगा और इसका प्रकाश यहां पर ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में फैलेगा।

श्री सभापति (श्री मदनसिंह के खड़े होने पर) : जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन पेश किये हैं उनको समय दिया जायगा:—

श्री फतेहसिंह।

श्री दिग्विजयसिंह।

श्री केशरीसिंह।

श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : सभापति महोदय, श्री हरिवल्लभजी ने संकल्प पेश किया है उसमें मेरा संशोधन है कि ६ मार्च तक प्रतिस्थापित किया जाय। भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात्, अंग्रेजों के जाने के बाद, कांग्रेस दल सत्ता में आया। उनसे बड़ी-बड़ी आशायें लेकर चलते थे लेकिन जो आशायें और स्वप्न स्वतन्त्रता के पश्चात् कांग्रेस ने दिखाये, मगर उनका क्या हुआ ? ज्योंही कांग्रेस के मंत्रिमण्डल बने और सन् १९५२ से अब तक राजस्थान में कांग्रेस के ही मंत्रिमण्डल बनते आ रहे हैं। जो लोग इसके अन्दर आये उनकी बहुत ही दयनीय दशा थी. उनकी हालत आज से २० वर्ष पूर्व जो थी उससे आज हजारों गुना अच्छी हो गई है। इसका भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह जनता और हमारे सामने उपस्थित होता है कि क्या कारण है कि आज इतने बड़े हो गये हैं ? आज इनके पास बड़े-बड़े बंगलोज हो गये हैं, इनकी औरतों के पास सोना तक नहीं था। उनके पास हीरों के कंठे हैं। जनता भी आश्चर्य में है और विदेश भी आश्चर्य में है इसलिये यह संकल्प प्रस्तुत किया है। अगर इसे विधेयक के रूप में ६ मार्च से पहले प्रतिस्थापित किया जाय तो देश और जनता का कल्याण होने वाला है। मैं समझ नहीं पाता कि कांग्रेस के सचेतक महोदय और दूसरे माननीय सदस्य इससे क्यों घबराते हैं ? अगर कोई दाग नहीं तो जिस माफिक सोना तपाया जाता है इसी प्रकार ये भी कसौटी पर चढ़कर खरे उतरेंगे। मगर कांग्रेस-जन आज सत्ता के अन्दर डूबे हुए हैं और बहुमत के आधार पर चाहते हैं कि इस माफिक कोई विधेयक कोई संकल्प पारित न हो ताकि उन पर किसी प्रकार की आंच न आये। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस माफिक विधेयक जनतंत्र के हित में अति आवश्यक है। इसलिये दोषी राज्य कर्मचारी भी फल भोगेंगे। क्योंकि ज्यों ही मंत्रीगण सत्ता में आये, ये समझने लगे कि हम सर्वशक्तिमान हैं, हम जिसे चाहें चढ़ा सकते हैं और चाहें उसे गिरा सकते हैं। उस समय जो कर्मचारी थे अधिकांश रियासतों के थे और उनके अन्दर भी एक परिपाटी, एक परम्परा कूट कूट कर भरी हुई थी कि जिस माफिक नरेश आदेश दे उसका पालन करना उनका परम कर्त्तव्य हो जाता है। इसलिये चुनाव से पहले जो केन्द्र में मंत्री थे, उन्होंने जैसे कर्मचारियों को आदेश दिया, उसका पालन करने में कतई भी हिचकायेंगे नहीं।

(३.३० म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्षपदासीन)

अगर उस समय कर्मचारी जो चीफ सेक्रेटरी और दूसरे सेक्रेटरी खुली छूट न देकर हर बात की पाबन्दी कर देते तो आज जो सरकार बदनाम हो रही है, शायद नहीं होती। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहकर यही चाहूंगा कि यह जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है इसको प्रतिस्थापित एक कानून के रूप में किया जाय और इस माफिक की एक प्रणाली कायम को जाय, उससे जो भी प्रतिनिधि हमारे राज्य में हों, उनकी जांच हो सके और उसके बाद अगर वह किसी माफिक उससे सही साबित हो तो उनको दोषी ठहराया जाय, मगर ऐसा होना अति आवश्यक है। यही कहकर मैं संशोधन संकल्प सदन में प्रस्तुत करता हूं।

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसकी मंशा यह है कि

(श्री मदनसिंह दांता)

जो उत्तर प्रदेश में ऑर्डिनेन्स लागू है वैसा ही राजस्थान में भी ऑर्डिनेन्स लागू होना चाहिये। इसके सम्बन्ध में मैं अगर पहले बोलता तो उस ढंग से इस आर्डिनेन्स पर ज्यादा बोलता। माननीय श्री भैरोंसिंहजी ने इसके सम्बन्ध में स्पष्ट, विधिपूर्वक और तर्कपूर्वक जो सारी बातें की, उनसे मैं सहमत हूं कि कम से कम एक हजार का इस ऑर्डिनेन्स में रखा है कि एक हजार रुपया जमा कराना पड़ता है—जो रिपोर्ट देंगे, वह बहुत ज्यादा है। अगर ऐसी कोई बात रखी इस कानून में तो कोई भी हिम्मत नहीं करेगा रिपोर्ट करने की। आज भी एन्टी-करप्शन में १०० रु० देने को तैयार नहीं होते हैं क्योंकि उनको अन्दाज नहीं लग पाता है। उनको तो १०० रु० देने की भी चिन्ता होती है। हजार रुपया वे नहीं दे सकेंगे। गान्धीजी का मर्डर किया, उसका मामला आज तक चल रहा है तो इससे कौन व्यक्ति हिम्मत कर पायेगा। ऐसे-ऐसे सरकारी अधिकारी हैं जो १०-१०, १५-१५ करोड़ की सम्पत्ति खा गये। मैं दोनों सुझावों से सहमत हूं। तीसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि जितनी मेरी निगाहों में जितने उच्च अधिकारी हैं, किन-किन ने रुपयों का गबन किया है, कैसे-कैसे रुपये खाये जाते हैं, वह मैं सदन के सामने नहीं कहूंगा, क्योंकि आज तक जितना कहा उसका असर नहीं हुआ है। मैं विश्वासपूर्वक कहता हूं कि यह ऑर्डिनेन्स बन जाय उस वक्त सही रूप से कह सकता हूं कि किन-किन पदाधिकारियों ने पैसे खाये हैं, कौन-कौन पदाधिकारी भ्रष्ट हैं, इन्होंने किस-किस तरह मकान बनाये हैं। मैं सदन में मय कागजात के पेश कर सकता हूं, आज भी मेरे पास मौजूद हैं लेकिन जब तक ऐसा कोई ऑर्डिनेन्स न बन जाय तब तक कागजात रखना मैं ठीक नहीं समझता हूं। सदन में पहले भी इस प्रकार के आरोप प्रस्तुत किये गये थे, मेरी तरफ से नहीं किसी और की तरफ से चेयर को प्रस्तुत हुये थे। मैं विश्वासपूर्वक कहता हूं कि जो सजा पाने वाला होता है वह सजा नहीं पाता है और जो रिपोर्ट कराने वाला होता है, उसको सजा मिल जाती है इसलिये जब तक उच्च न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी न हो तब तक भ्रष्टाचार जा नहीं सकता है। जो भी भ्रष्ट ऑफिसर हैं, बड़े-बड़े या मंत्री हैं बड़े-बड़े उनकी सही ढंग से एन्क्वायरी हो तो ऐसी एन्क्वायरी उच्च जज ही कर सकते हैं, अन्यथा कभी कोई सवाल उठे, मंत्री महोदय के ऊपर, कोई आरोप लगा सकता है, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता लेकिन यह निश्चित है कि आज मुख्य मंत्री पर आरोप लगे या किसी के ऊपर लगे, उन्हीं के लोग जांच करने वाले होते हैं और उन्हीं के लोग जांच करेंगे तो उपाध्यक्ष महोदय, चाहे राजा-महाराजाओं का जमाना हो, चाहे मुख्य मंत्रीजी का जमाना हो, यह निश्चित है कि उस पर प्रभाव पड़ेगा। माननीय सदस्य डागाजी ने एक तर्क दिया है, मुझे आश्चर्य है कि वे वकील होते हुये भी यह कहते हैं कि जो मामला डी० आई० जी० के सामने जायगा, उस पर सही निर्णय मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर वे डाऊट करते हैं। आज भी कई केसेज सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आखिरी होते हैं। वे सारे सदन को मान्य होते हैं। चुनावों के

Page No. 97

(श्री मदनसिंह दांता)

केसेज सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सबको मानने पड़ते हैं, मैं समझता हूं कि माननीय डागाजी को इसमें क्या अड़चन आ रही है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज को पंचों और सरपंचों से भी नीचे समझते हैं जब कि उनके ही फैसले मान्य होते हैं। उनका यह कहना कि उनमें कोई सच्चाई नहीं होती है, मैं मानता हूं कि ऐसे तर्क के प्रश्न को पढ़ा-लिखा या अनपढ़ दोनों ही नहीं मानेंगे। मैं समझता हूं कि दूसरे प्रदेशों में किसी भी मंत्री पर ऐसे आरोप लगाये, इससे ज्यादा सत्प्रता क्या हो सकती है कि एक ऐसा ऑर्डिनेन्स बनाये। सर्विस के अन्दर उच्चाधिकारियों और मंत्रियों के लिये ऐसी व्यवस्था होती है। मैं नहीं समझता कि हमारे मंत्रियों को यह क्यों बुरा लग रहा है। क्यों नहीं आज ही तय हो? ऐसे-ऐसे घाग मंत्री हैं कि अगर उनको यह पता लग जाय कि हमारी एन्क्वायरी हो रही है तो रात भर में सारे पेपर्स को दबा देंगे। मेरा मतलब किसी विशेष मंत्री से नहीं है। जब राष्ट्रपति शासन हुआ उस समय सेक्रेटेरियेट से कई फाइलें गुम हो गई हैं, क्योंकि उनकी एन्क्वारियां शुरू हुई। वे खुद इस बात को मानते हैं। सरकार का जो एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट है वह खुद करप्ट है। जनता में भी उसका विश्वास नहीं है। हो सकता है माननीय सदस्य भी ऐसे माहिर हों। उसका कारण है कि जैसा राजा, वैसी प्रजा। अगर मंत्रियों में ऐसी बात नहीं है तो मैं समझता हूं कि एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट की क्या जरूरत है। आप समझते हैं कि भ्रष्टाचार नीचे के आदमियों से चला है, मैं कहता हूं कि वे कभी ऐसी हिम्मत ही नहीं कर सकते हैं। भ्रष्टाचार नीचे से नहीं चला है, भ्रष्टाचार चला है ऊपर से। मुख्य मंत्री यह सोचते हों कि यह राजस्थान से चला है, यह तो सैन्ट्रल से चला है। आज तो शासन में यह बात रह गई है कि—या यों कहा कि उनका ऐसा क्राईटेरिया हो गया है कि जो ज्यादा बदनाम हैं, ज्यादा बदमाशी चला सकता है, ज्यादा रुपये खा सकता है। वही उनके ऑर्गेनाईजेशन में काम कर सकता है। अपने-अपने आदमियों को, अपने-अपने ऑफिसरों को ये लोग शासन में रखते हैं। राजस्थान में तो क्या अन्य प्रान्तों में भी इन लोगों ने अपने ऑफिसर बना रखे हैं, अपने अड्डे बना रखे हैं। इस प्रकार का भ्रष्टाचार फैला हुआ है मंत्रियों में। मैं यह नहीं कहता सब ही हैं। उनको भी महसूस होता है। इसका उनके पास कोई उपाय नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक और जो सैन्ट्रल के मिनिस्टर्स हैं, उनके सम्बन्ध में भी ऐसी चीज है। मैं कहता हूं कि आज भी जजेज में क्षमता है। बड़े से बड़े भारत के प्रधान मंत्री हैं, उनके केसेज भी आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के जजेज रोब नहीं खाते हैं। राजस्थान के एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट पर मंत्रियों का रोब चलता है। क्या यह सत्य रह गई है कि सरकारी अधिकारी और मंत्रीगण खाये चलें और उसका कोई इन्तजाम नहीं। यह कोई तर्क नहीं है।

अगर एक मंत्री की जांच के लिये तैयार हैं तो आपको पूरी राज्य सरकार के मंत्रियों की जांच के लिये भी आयोग गठित करना चाहिये। जब भी बजट सेशन आया, मैंने केवलमात्र भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे। अगर भ्रष्टाचार मिट जाय तो जितने देसे योजनाओं पर

(श्री मदनसिंह दांता)

खर्च होते हैं उनका सही लाभ जनता को मिल सकता है। यह सब बातें रिपोर्ट से मालूम होती हैं। अगर माननीय मंत्री महोदय चाहते हैं कि उनके कलंक मिट जायं तो सहर्ष उनको इस चीज को स्वीकार करना चाहिये इसके लिये कानूनी तर्क मत बताइये। मैंने आपको हर सैशन में सुझाव दिया है कि यह भ्रष्टाचार खत्म करने का महकमा है वह विरोधी दल के नेता को दे दिया जाय, महारावल साहब को यह विभाग सौंप दिया जाय। इससे आपकी तारीफ होगी।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया है। वहां की सरकार फेल भले ही हो गई उसके कारण पोलिटिकल डिफरेन्सेज हो सकते हैं। यह बात सब मानेंगे कि उस सरकार पर करप्शन के आरोप नहीं थे। राजस्थान सरकार अपने आप में अपने को पाक समझती है तो यह अच्छा अवसर है राजस्थान के मंत्रियों के लिये, स्वर्ण अवसर है, वे अपने को पाक सिद्ध कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : नापाक तो हैं ही।

श्री मदनसिंह दांता : इनमें से एक को भी सजा मिल गई तो जनता को खुशी होगी। जनता को विश्वास होगा कि वाकई में ऐसे मंत्री हैं जिनको किसी प्रकार के प्रायोग का सामना करने में आपत्ति नहीं है।

पुराने जमाने में भगवान राम ने एक धोबी के कहने मात्र से सीता जैसी पवित्र सती को त्याग दिया था, उनकी जांच के लिये तैयार हो गये थे। राम जैसी तो आप क्या हिम्मत कर सकते हैं लेकिन यह मामूली सी चीज है। इस पर जो संशोधन भैरोंसिहजी ने रखे हैं उनसे मैं सहमत हूं। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा ४.१५ पर समाप्त होगी। उसके बाद उत्तर होगा। उसके बाद प्रस्तावकर्ता प्रत्युत्तर देंगे।

श्री गोरधन सोनी !

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, वास्तव में वह सराहनीय है। हो सकता है उसमें कुछ कानूनी खामियां हों, जैसे हजार रुपया जमा करना आदि। डागाजी ने जो कानूनी दिक्कतें बतायी हैं उन कानूनी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं, खामियों को हटा सकते हैं। यह पवित्र संकल्प है इसे मानना चाहिये और इसके लिये कानून बनना चाहिये। वैसे बड़ी खुशी हुई झुंझुनू से आने वाले माननीय सदस्य ने इस पर भगवान के नाम का जिक्र किया। रामायण और महाभारत की चर्चा की। पुरखों का जब जिक्र होता है तो खुशी होती है लेकिन आज उनकी बातों को कौन मानता है, उनके आचरण पर कौन चलता है। आज चारों ओर भ्रष्टाचार चल रहा है ऐसे समय में, जन-मानस को बदलने का जिक्र किया जाता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं उनके इन बीस बरस के शासन-काल में उन्होंने जन-मानस को बदलने का प्रयत्न क्यों नहीं किया ? उसके चरित्र-गठन की बात आती है, बीस बरसों में भी उनके चरित्र का गठन नहीं कर पाये-आखिर इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? निःसंकोच यह मानना पड़ेगा कि इसके लिये यही सरकार जिम्मेदार है। आज की सरकार न्याय और व्यवस्था के साथ-साथ सारा काम करने लगी। इतना काम

(श्री गोरधन सोनी)

करने के बाद देश नैतिक चरित्र में आगे नहीं बढ़ा इस सारी जिम्मेदारी से आप बच नहीं सकते। पुरातन की बातें करने वाले महानुभाव से कहना चाहता हूं पुरानी एक कहावत है यथा राजा तथा प्रजा" राजा के आचरण का प्रभाव प्रजा पर पड़ता है। आज भी जिस प्रकार के आचरण करने वाले मंत्री होंगे वैसी ही जनता होगी। देश का आम लोग उसी प्रकार का होगा। मंत्रियों के आचरण को सुधारने के लिये, उनकी नाजायज प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के लिये ऐसा संकल्प प्रस्तुत किया गया है जिसको सरकार को सहर्ष स्वीकार करना चाहिये। देश में सुशासन आवे, मंत्री लोग अपने आचरण को सुधारें ताकि वे जनता में आदर्श प्रस्तुत कर सकें-इससे अच्छा काम और कोई नहीं हो सकता। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं देश में जो अव्यवस्था है, मनुष्य आज जो पतन की ओर बढ़ रहा है उसकी खास वजह है मंत्रियों के आचरण में सुधार नहीं होना। तो ऐसी हालत में अधिकारियों के आचरण में सुधार, गवर्नमेन्ट के आचरण में सुधार होना मुश्किल होता है। जब सरकारी अधिकारी अपने दफ्तर में, अपने विभाग के सर्वोपरि मंत्री के आचरण को देखता है तो उसमें कमी होती है, उसके आचरण में कमी महसूस करता है, गलत हरकतों या पक्षपात को देखता है तो वह भी उसी प्रकार का आचरण करने लगता है। उसी के आचरण के मुताबिक नीचे के मुलाजिम भी चलने लगते हैं। अगर ऊपर वाले का आचरण ठीक हो तो किसी की हिम्मत नहीं नीचे वाले की कि वह बुरा आचरण करे। अगर राजस्थान के मंत्री लोग ईमानदार और नेक हों, उनको इस प्रकार के जांच आयोग से घबराने की आवश्यकता नहीं। उनका प्रभाव जन-मानस में कम हो गया उसको ताकतवर बनाने के लिये यह आवश्यक है कि ऐसे आयोग की नियुक्ति की जाय।

आजकल आप देखेंगे, ट्रान्सफर के मामले में मंत्रियों का सिफारिश चलती है। ऐसी हालत में जब अधिकारी देखते हैं कि सिफारिश के अनुसार ट्रान्सफर हो जाते हैं तो दो-चार बातें उनकी मान लेते हैं, उसके बाद स्वयं भी मनचाहा फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। ट्रान्सफर जैसे मामलों में भी मंत्रियों की दस्तंदाजी है तो इससे अधिक अभद्र बात और नहीं हो सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस ढंग की व्यवस्था चल रही है जिसमें सार्वजनिक अधिकारी किस तरह अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। समितियों में जन-धन का कितना दुरुपयोग होता है। आप देखेंगे पंचायत समितियों के प्रधान जो होते हैं वे लोग जीपों का कितना दुरुपयोग करते हैं। विकास अधिकारी को जीप मिलती है लेकिन पंचायत का प्रधान अपने खेत में जीप से जाता है, जयपुर जाना होता है तो जीप से जाता है। वह किसी बात की परवाह नहीं करता। सरकार के सामने ये बातें आती हैं तो सरकार उस पर ध्यान नहीं देती। क्या आपके कान बहरे हैं? राम ने जनता की आवाज को सुना, एक नागरिक के कहने मात्र से सीता को त्याग दिया। आपके राज्य में सारी जनता चिल्लाती है 'प्रशासन में भ्रष्टाचार है। देश में बेरोजगारी है, जनता का शोषण हो रहा है।' कहां आपमें भारतीय परम्परा रही? आप जनता की

(श्री गोरधन सोनी)

बात तक नहीं सुनते, क्या यही आपके जनतंत्र के पनपाने के लक्षण हैं ? यह तो जनतन्त्र पनप नहीं रहा है उसकी समाप्ति का नजारा बन रहा है। ऐसी स्थिति में हम इस प्रस्तुत संकल्प का महत्त्व कम नहीं मान सकते।

इसके अलावा सरकार ने अपने कार्यों का इतना विस्तार कर दिया है, सरकार में आये हुए लोगों को जनता की सेवा-भावना का ख्याल नहीं रहा है, न उनके हित की कामना का सवाल रहा, केवल अपने स्वार्थ विस्तार करने का ख्याल ही रहता है। आज देख रहे हैं इनकी नीति शासन के क्षेत्र को बढ़ाने की चल रही है। कहीं आपने कृषि फार्म खोल दिया है, कहीं सहकारी बाजार, सुपर बाजार, कहीं को-ऑपरेटिव सोसाइटी बनाने में लगे हैं। उसके लिये जनता से पैसा लिया जाता है टैक्स के रूप में और उसका जिस प्रकार से दुरुपयोग होता है यह देखकर दिल को बड़ी पीड़ा होती है।

रीयां में आपका कृषि फार्म है, दस वर्ष हो गये इसको खोले। हर साल यह नुकसान में जा रहा है। दूसरी तरफ समिति के जो प्रधान हैं उनके फार्म में चालीस-पचास हजार से कभी कम मुनाफा नहीं होता है—इससे बड़ी बुरी बात और नहीं हो सकती। इतने आरोप उस पर लगाने के बाद भी किसी प्रकार की उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई। मंत्रियों के आचरण को देखकर ही प्रधान लोग अनुचित काम करने लगे हैं।

मेड़ता म्युनिसिपैलिटी के प्रशासक महोदय हैं, ए० डी० एम० हैं, जिनके खिलाफ हाई कोर्ट के स्ट्रिक्चर हैं कि उनका आचरण अच्छा नहीं, उन्होंने गैर-कानूनी काम किये। उनको एस० डी० ओ० से बढ़ा कर ए० डी० एम० बनाया गया है। ए० डी० एम० नागौर हैं लेकिन मेड़ता में प्रशासक हैं, इस प्रशासक ने लाखों रुपयों का गबन किया है। आज से ३ महीने पहले जनसंघ ने एक पेम्फलेट छपाया जिसमें १५ तरह के अभियोग उस प्रशासक के खिलाफ लगाये गये और वह अभियोग-पत्र मंत्रियों के पास भेजा गया लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया....

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि जो म्युनिसिपल बोर्ड मेड़ता के एडमिनिस्ट्रेटर थे उनके खिलाफ हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्चर्स पास किये हैं कि वह बदमाश हैं। तो वह बदमाश है या नहीं, यह हाई कोर्ट ने कहा है या नहीं इसमें मुझे शंका है। मुझे आशंका है कि हाई कोर्ट ने मेड़ता एस० डी० ओ० के खिलाफ किसी प्रकार के स्ट्रिक्चर्स पास नहीं किये हैं, जनरल उनके लिए इस तरह की बात कहना ठीक नहीं है।

श्री गोरधन सोनी : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि जो स्ट्रिक्चर्स हाई कोर्ट ने पास किये हैं वह फैसला संबंधित मंत्रियों को प्रेषित हो चुका है। अब मंत्री महोदय बतायें कि उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? अगर मैं एक २ करके स्ट्रिक्चर्स बताऊं तो बहुत लम्बा हो जायेगा। मैं कहना चाहूंगा कि आज उसके खिलाफ १५ तरह के आरोप लगाये गये हैं गबन के, भ्रष्टाचार के, पक्षपात के

(श्री गोरधन सोनी)

और ३ महीने पहले पेम्फलेट प्रकाशित हुए और उस पेम्फलेट की कॉपी मंत्रियों को और अधिकारियों को भेजी। क्या राज्य सरकार ने इसके बारे में कोई जांच की? तो मैं आशा करता हू कि वक्त पर इस बात का जवाब दिया जाये और यह बताया जाये कि इस अधिकारी के खिलाफ यह जांच की गयी या नहीं और यदि की गई तो उसका क्या नतीजा रहा?

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा और भी काले कारनामे बताऊं। मेड़ता की जनता इन प्रशासक महोदय से बहुत क्षुब्ध है और जिसके खिलाफ इतने आरोप हैं उस प्रशासक को ए० डी० एम०, नागौर बना दिया और प्रशासक मेड़ता भी उसी को रखा गया ताकि काले कारनामों पर पर्दा पड़ता रहे। इस तरह की हरकतें करने की हिम्मत इसलिए होती है कि मंत्रियों के स्वयं के आचरण उतने शुद्ध और पवित्र नहीं हैं जितने होने चाहिए।

उसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेड़ता तहसील में तहसीलदार डेगाना है उसके खिलाफ भी हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्चर्स पास किये थे और उसके खिलाफ भी कई तरह की शिकायतें हैं, बड़ा भ्रष्टाचार तहसील में चलता है, और उनका ट्रान्सफर भी कर दिया गया था लेकिन ३ साल से ऊपर से वह टिका हुआ है। उसका ट्रान्सफर कर दिया गया था लेकिन वह भी कैंसिल कर दिया गया। तो, उपाध्यक्ष महोदय मैं कहां तक गिनाऊं। अनेक बातें आपके ध्यान में हैं और सदन के भी ध्यान में हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस प्रकार के अधिकारी जिनको ऊपर से तरजीह मिली हुई है और जो उनके प्रिय नेता हैं उनकी ओर से गलत तरजीह देकर, गलत प्रोत्साहन देकर जनता के साथ में वह जुल्म और अन्याय करते हैं। इसलिए यदि हम देश मे सुशासन चाहते हैं और जनता को राहत देना चाहते हैं, तो, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की सख्त आवश्यकता है, इस बात की परम आवश्यकता है कि मन्त्री जो कि विभागों के सर्वोपरि नेता हैं वह अपने आचरण में सुधार करें और इस तरह का संकल्प जो कि सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है उसकी कद्र करें और इस नाते यह स्वर्ण अवसर है कि मंत्रियों के आचरण के विरुद्ध कोई व्यवस्था की जाये। यदि वह पवित्र पाये जाते हैं तो जनता में उनकी कद्र बढ़ेगी। मैं यह कहूंगा कि जो हरिवल्लभजी शर्मा ने संकल्प रखा है वह सुन्दर है और अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उन्हें हम दूर कर सकते हैं। लेकिन यह आवश्यक है कि मंत्रियों की जांच के लिये आयोग जरूर नियुक्त किया जाये जिससे सारे प्रान्त में अच्छा प्रभाव पड़ सके और जनता समझ सके कि शासन बड़े से बड़े आदमी को भी भ्रष्टाचार के मामले में सजा देने से नही हिचकिचायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री डूंगाराम राजोरिया!

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु०): उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। समर्थन करते हुए मैं यह भी निवेदन करूंगा कि यह जो संकल्प

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

इन्होंने रखा है वह संकल्प रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आज के युग में आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि सरकार की देन से भ्रष्टाचार इतना प्रभावशाली हो गया है कि गवर्नमेन्ट के अधिकारी व सत्ताधारी पार्टी तो भ्रष्ट है ही दूसरा असर बाकी जनता पर भी होता जा रहा है। अब इनको माननीय सदस्य बिल द्वारा निकालने की कोशिश में है लेकिन यह शरीर के कपड़ों में से नहीं है जो कि गंदे होने पर दूसरे कपड़े पहनाये जा सकें, या शरीर पर कोई मैल चढ़ गया है तो उसको हटाया जा सके. पेट में कोई ऐसी चीज निगल गये हैं तो उसको जुलाब के जरिये निकाला जा सके। बाकी यह भ्रष्टाचार सरकार की नस नस में ऐसा विराजमान हो गया है जिस तरह शरीर को काटकर अलग करना मुश्किल है वैसे यह भी कठिन है। फिर हमें कोशिश करनी चाहिये। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह जो संकल्प है यह इतना अच्छा संकल्प है कि जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिये क्योंकि भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि इसको कोई भी मान्यता नहीं देगा। और जो इस संकल्प का सत्ताधारी विरोध करते हैं उन को भी समर्थन करना चाहिये इसी में देश का भला है। मैं इसी बीच में कुछ शब्द इसलिए कहना चाहता था कि आजादी मिलने के पूर्व कुछ व्यक्ति थे जिनके दिल में देश के प्रति हमदर्दी थी, देश के गरीबों के प्रति हमदर्दी थी। वह सोचा करते थे कि अंग्रेज गवर्नमेन्ट में देश का गरीब तबका कितना परेशान है, सामन्तशाही प्रथा गलत है इन परिस्थितियों को देखने के बाद दूसरे देशों में जाकर देखा कि जनतंत्र से दुनिया को किस तरह लाभ हो रहा है तो हमें भी हमारे देश में जनतंत्र लाना चाहिए, हमें भी उसका उपभोग करके जनता को राहत देनी चाहिए। वह लोग आज इस दुनियां में नहीं हैं। उन लोगों के देश में नहीं होने का कारण अब जो लोग हैं वह स्वार्थी तत्व हैं। स्वार्थी तत्वों के अलावा और कोई भी चीज नहीं है। अगर स्वार्थी नहीं होते मंत्री महोदय (श्री परसराम मदेरणा) मैं आपसे निवेदन करूं कि आप चाहे मजाक में टाल दें, मैं कुछ नहीं कह सकता बाकी जो आज देश की परिस्थिति है आज का जो गरीब तबका है वह बुरी तरह से पिसा हुआ है....

श्री परसराम मदेरणा : आप मुझे संबोधित करके क्या कर रहे थे ? आप अभी कह रहे थे कि सब के सब अवसरवादी आ गये हैं तो क्या उधर हरिश्चन्द्र और महात्मा गांधी के शिष्य बैठ गये हैं ? मैं सदन में न तो मजाक करता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : दोनों तरफ ही हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप अपने ऊपर क्यों समझ रहे हैं ? आपको अपने ऊपर तो लेना ही नहीं चाहिए था।

श्री विजयसिंह रावत : मंत्री महोदय को इतना आवेश में आने की जरूरत नही है....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप स्थान ग्रहण करें। कहीं आप न आ जायें आवेश में !

(सर्व श्री परसराम मदेरणा, डूंगाराम राजोरिया और विजयसिंह रावत के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

(४ म० प०)

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं आज आपको कहना चाहता हूं, सारे देश के लिए कह रहा हूं कि देश में क्या परिस्थितियां गुजर रही है, देश में क्या हो रहा है, व्यक्ति हमारे हिन्दुस्तान का क्या कर रहा है, यह बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस लिए आप मुझे डिस्टर्ब न करें। आप डिस्टर्ब करेंगे तो मुझे आपके लिए भी कहना पड़ेगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता था कि आज २० साल के बाद भी जो आज़ादी लेने का मूल कारण था उसका आपने उपयोग नहीं किया।

कई माननीय सदस्य : खा गये।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मुझे इसलिए यह महसूस होता है कि मैं उस तबके का व्यक्ति हूं जो तबका भूखा, प्यासा, कपड़े से परेशान है और किसी भी प्रकार से समृद्धि-शाली नहीं है। इसलिए मैं आपसे बार-बार भावावेश में आकर यह बात कहता हूं कि आपका जो शासन है वह इतना गलत काम कर रहा है कि आप इससे निकल नहीं सकते।

अब मैं मंत्रियों और उच्चाधिकारियों के बारे में कहूं। इन लोगों के कारनामे देखने से जनता पर गलत असर हुआ है, आज मंत्रियों व उच्चाधिकारियों को, प्रधानों को जो भी लोग देखते हैं वे यह कहते हैं कि जिन लोगों की तनख्वाएँ है सोमित हैं, उन लोगों के कई मकान कैसे बने हुए हैं और तनख्वाह से ज्यादा खर्च है, और बचत भी रखते हैं तो यह पैसा कहां से आता है? तो इस प्रकार से हर व्यक्ति यह सोचकर चलने लगा है कि आज ईमानदारी की जगह बेईमानी का स्थान होना चाहिए। जो बेईमानी करता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है और ईमानदार व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मैं यह कहना चाहता था कि अगर आप इस देश का भला चाहते हैं, देश के लिए कुर्बानी देना चाहते हैं तो जो परेशान हुई पीड़ित जनता है मुद्दतो से उसको राहत देना है तो भ्रष्टाचार को कम करना पड़ेगा और इसके साथ ही ऐसे संकल्पों को पारित करना पड़ेगा।

अब आप जयपुर में ही देख लीजिये। जितने भी बढ़िया-बढ़िया प्लाट १-२-३ लाख के आपको मिलेंगे और उन प्लाटों पर आप जाकर पूछिये कि यह प्लाट किसका है, यह प्लाट किसका है, यह प्लाट किसका है तो आपको मालूम होगा कि किसी मामूली का वह नहीं होगा जो कि जयपुर का नागरिक है। वे सारे के सारे प्लाट्स गवर्नमेंट सर्वेन्टों के, बड़े अधिकारियो के, मंत्रियों के होंगे। इन लोगों ने तीन-तीन इमारतें खड़ी कर ली है। एक तरफ तो प्लाट बना लेते हैं और दूसरी तरफ जमीनें एलाट करा लेते हैं। वे यह समझते हैं कि चार-चार पीढ़ियों तक हमारे बाल-बच्चों को कुछ न कुछ मिलता रहेगा। इस तरह की यह पोजीशन है।

आप हर साल १३५ करोड़ का बजट खर्च करते है यह बजट कम नहीं है। अगर आप इस बजट का सही उपयोग करते और इस बजट को सही कामों में सच्चाई के साथ आप खर्च करते तो आपका राजस्थान इतना समृद्धिशाली हो सकता था कि आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती और न गरीबों की गरीबी रहती। हर आदमी यहां का खुशहाल हो सकता था। आपने उसका उपयोग सब के लिए नहीं किया और

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

अपने ही तक कुछ ही लोगों तक उसको सीमित रखा और मामूली सा हिस्सा बाहर निकलने दिया जैसा कि राजा-महाराजा इकट्ठा किया करते थे। उसी तरह आप भी इकट्ठा कर रहे हैं। जो बजट जनता के खून और पसीने की कमाई से, टैक्सों के द्वारा, भूमि के लगान के द्वारा इकट्ठा किया जाता है जिसमें हमारे राजस्थान की बहबूदी होती उस बजट को उपयोग में न लाकर कुछ ही लोगों ने दबाकर अपने पास में रखा-यह एक अन्याय किया है। न तो उस रुपये का उपयोग हो रहा है और न देश का विकास हो रहा है। विकास हुआ है कुछेक लोगों का।

इसके अलावा, आज कई सेठ साहूकार ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंन्ट हैल्प करती है। मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के पास पैसा है उनको हैल्प करने की आवश्यकता नहीं थी। पैसे वालों का पैसा बढ़ाने में सरकार सहायता देती है। सरकार को चाहिए था कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनको हैल्प करती। ऐसे ऐसे लोगों के पास जिनके बापदादों के पास एक भी मकान नहीं था आज १०-१० मकान हो गये हैं। वे आज करोड़पति हो गये हैं। उनका अन्दाजा नहीं लग सकता है, दूसरी तरफ आज बेरोजगारों की इतनी संख्या बढ़ गई है कि उसकी सीमा नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं और मैंने पहले भी निवेदन किया था इस विधान सभा में जब कि कृषि मंत्रीजी ने यह कहा था कि अगले साल से पैदावार का स्तर है वह बहुत बढ़ जायगा तो मैंने कहा कि अगले साल से स्तर गिरता रहेगा, इसी प्रकार आज भी मैं यह कहता हूं कि आपकी बेइमानी का दर्जा बना रहा तो लोगों से आप जो यह कहते हैं कि समाजवाद लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे लोग भूखों मरने लग जायेंगे इसमें संदेह नहीं है और आगे चलकर तो मैं यह कहना चाहता था कि इसके अलावा आप पंचायतों में चलिये कि पंचायतों में क्या दशा है? सबसे बड़ी बात तो यह होनी चाहिए थी और ऐसा तरीका होना चाहिए था कि हर आदमी को समानता की दृष्टि से देखना चाहिए। आपने समानता की दृष्टि से न देखकर उनको पार्टी पोलिटिक्स में डाल दिया। उसका नतीजा यह हुआ पंचायत राज्य में कि उसमें भी विरोध पैदा कर दिया और वहां की जनता इससे परेशान है।

तो इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि दूसरे जिन लोगों को आप हैल्प करना चाहते थे उन लोगों को हैल्प न करके अपने ही लोगों की हैल्प करने की कोशिश करते हैं। इसलिए यह जो संकल्प हरिवल्लभजी ने रखा है उसको मन्जूर कर लेना चाहिए, और अगर आप कांग्रेस का अच्छा इतिहास बनाना चाहते हैं तो इस संकल्प को मन्जूर करलें। ५-१० साल क्या मैं तो कहता हूं कि २० साल अब और आपकी सरकार चले परन्तु इस तरह से कि जिस तरह का यह संकल्प है। इससे गरीबों का हित होगा तो आपकी प्रतिष्ठा जो गिर गई है वह बढ़ेगी। आपने इसको इतना बिगाड़ लिया है कि कोई भी आदमी उसको अच्छा नहीं कह सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि यह जो संकल्प रखा है उसको मन्जूर करें और मन्जूर करने के बाद उसको बहुमत से पास करवाने की कोशिश करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

श्री भवणलाल : माननीय उपाध्यक्ष....

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल की तरफ से दो माननीय सदस्य बोल लिये हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष, हमारी तरफ से कोई नहीं बोला है ।

श्री उपाध्यक्ष : सवा चार बजे का समय है इसलिए समयाभाव के कारण सभी माननीय सदस्य तो बोल नहीं सकेंगे ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हमको कोई समय नहीं दिया है ।

श्री रामकिशन (वैर) : यह संकल्प ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारे दल में से कोई नहीं बोला है ।

श्री उपाध्यक्ष : समय सवा चार बजे तक का है वह उस समय तक समाप्त होना चाहिए । उसमें जितने भी दलों के माननीय सदस्य बोलना चाहें बोल सकते हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपके खयालात की तो जानकारी है ।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, यह संकल्प जिस प्रकार का रखा गया है, इस संकल्प को रखने से न तो सदन को खुशी है और न हिन्दुस्तान के लोकतन्त्र के लिए शोभा लगने की बात है कि इस प्रकार की चीजों पर सदन में वाद-विवाद हो, लेकिन जैसी स्थिति इन २० सालों में आई है और हिन्दुस्तान में राजनैतिक और समाज-व्यवस्था में जो कार्य किये गये हैं उस स्थिति में इसके अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता कि सदन के सभी सदस्य चाहे सरकारी पार्टी के हों, चाहे गैर सरकारी या विरोधी दल के हों, वे सारी स्थिति पर गम्भीरता से चिन्तन करें । आज हिन्दुस्तान का जन-मानस इतना ज्यादा कुंठित, इतना ज्यादा परेशान है कि हर राजनैतिक कार्यकर्त्ता के लिए, हर राज-पुरुष के लिए, हर सरकारी कर्मचारी के लिए शंका की दृष्टि रखता है । अच्छे कामों के लिए पुरस्कार नहीं मिलता है और समाज में जो गर्हित कार्य करते हैं उनका समाज में कोई दण्ड नहीं मिलता है । इस प्रकार से हिन्दुस्तान में लोकतन्त्र और हिन्दुस्तान में लोकतान्त्रिक व्यवस्था समाप्त हो सकती है । इस वजह से इस प्रकार का प्रस्ताव लाया गया है । सरकार दूसरे ढंग से विचार करती है । सरकारी पक्ष के माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वह शायद यह मानकर चलते हैं कि विरोधियों ने यह संकल्प रखा है उनकी मन्शा सरकार को बदनाम करने की है । आप उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर कोई कानून बनाने की चीज सोचेंगे तो आप सब को मालूम होगा कि सरकारी पार्टी ही नहीं बल्कि सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिन पर शंका है उन सब की जांच और दण्ड की व्यवस्था की गई है । तो मैं सरकारी पार्टी के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस दृष्टि से इसको नहीं देखें कि यह बिल विरोधी पार्टी की तरफ से आया है इसलिये इसका समर्थन कैसे करें ? इस दृष्टि से इसको नहीं देखें । विरोधी पक्ष की तरफ से कोई विशेष चीज आई हो ऐसी बात नहीं है लेकिन हिन्दुस्तान के राजनैतिक जीवन में जो खराबियां और भ्रष्टाचार आया है उसको मिटाने और स्वच्छ करने का इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है ।

(श्री रामकिशन)

जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है केवल यह मंत्रियों और सरकारी अफसरों तक ही सीमित हो ऐसी बात भी नहीं है। मैं यह भी नहीं कहता कि हरेक मंत्री या हरेक सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट है लेकिन राजनीति में जो विशिष्ट लोग थे उन पर आरोप लगे हैं उनकी जांच हो जानी चाहिये। जैसे बिहार के भूतपूर्व मंत्री थे या उत्तरप्रदेश के भूतपूर्व मंत्री थे या उड़ीसा के मंत्री थे उन पर आरोप लगे और जांच हो रही है। जितने लोगों पर आरोप लगा वे सब कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। उन लोगों को बड़ी सजा तो नहीं मिली लेकिन कइयों को नेहरू योजना से अलग किया गया और कइयों को और तरह से अलग करना पड़ा। कांग्रेस ने भी यह माना है कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और इसी कारण से बहुत से लोगों को अलग करना पड़ा। यह इसलिये जरूरी नहीं है कि आम लोगों को बदनाम किया जाय बल्कि यह इसलिये जरूरी है कि मंत्री पद की प्रतिष्ठा बनाई रखी जाय। इससे आपका फायदा ही होगा, कोई बिगाड़ होने वाला नहीं है और यदि आप समझते हैं कि इससे आपका बिगाड़ होने वाला है क्योंकि गड़बड़ी है तो फिर आप इससे बच नहीं सकते क्योंकि विरोधी दलों की सरकार आयगी तो आपके खिलाफ कमीशन बैठायेगी और जांच होगी। इसलिये अच्छा यही है कि आप अपने जीवन में ही इसको स्वीकार करें। हम भी अपने आप को इसके साथ शामिल करना चाहते हैं। हमको भी इसका लाभ मिलना चाहिये कि हम भी अपने जीवन में और राजनीति में स्वच्छ हो सकें।

इस बिल में कई तरह की व्यवस्था की गई है। विरोधी पक्ष के कुछ लोग बोल रहे थे और कह रहे थे कि जब तक समाज नहीं बदलेगा तब तक यह हालत नहीं बदलेगी। जब तक समाज नहीं बदलेगा तब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। मेरी भी यही मान्यता है। कुछ सामाजिक बंधन है। इसके साथ कई प्रश्न है कि सजा किस प्रकार मिले, जांच का तरीका क्या हो, जांच कौन करेगा जज करेगा या लोकपाल करेगा। ये तरीके तो तय हो जायेंगे लेकिन मूल चीज यदि भ्रष्टाचार को दूर करना है, सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन को स्वच्छ बनाना है तो दो कदम उठाने पड़ेंगे जिनके बिना कुछ नहीं होने वाला है एक तो जो संपत्ति की संस्थाएं है उनको नष्ट करना पड़ेगा। जब तक संपत्ति की संस्थाएं हैं तब तक संपत्ति बढाने की प्रवृत्ति से कोई दूर नहीं रह सकता। जब तक संपत्ति की संस्थाएं रहेगी तब तक वेद शास्त्र भी किसी को उससे दूर नहीं रख सकते और न कानून ही उससे दूर रख सकते हैं। जब तक संपत्ति रहेगी तब तक उसको बढाने की प्रवृति भी रहेगी। मैं इस बिल के साथ एक संशोधन जोड़ना चाहता हूं वह यह है कि पिछले २० वर्षों में चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो चाहे दूसरा व्यक्ति हो उसने जो संपत्ति अर्जित की है उसको जब तक जब्त नहीं किया जायगा तब तक संपत्ति अर्जित करने का मोह नहीं छूट सकता, यह तथ्य है। दूसरा संशोधन यह करना पड़ेगा कि यदि हम वास्तव में भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र में व्यक्तिगत या निजी क्षेत्र में भी संपत्ति की सीमा बांधनी पड़ेगी। जब तक सीमा नहीं बंधेगी तब तक प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में संपत्ति बढाने की कोशिश लोग करते ही रहेंगे। बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य

(श्री रामकिशन)

यह कह रहे थे कि कांग्रेसी मंत्रियों की पत्नियां जवाहरात पहनती हैं। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जब तक जवाहरात को इकट्ठा करने की प्रथा समाप्त नहीं होगी तब तक मंत्रियों की पत्नियां या जिनके पास जवाहरात के जेवर है वे पहनना बंद क्यों करेगी ? मैं यह मानने को तैयार नही हूं कि कांग्रेस में जो लोग बैठे हैं वे सब संत महात्मा बन जांय। उनकी पत्नियां तब तक जेवर पहनना बंद नही कर सकती जब तक जेवरात पहनने का रिवाज है। अगर जेवर पहनना बंद करवाना हैं तो सबसे पहले हमें यह कोशिश करनी पड़ेगी कि जेवर पहनने का रिवाज बंद किया जावे जब तक पूंजी रखने की प्रथा और जेवर रखने की प्रथा को समाप्त नहीं कर देते तब तक इनका मोह नहीं मिट सकता जब तक संपत्ति समाप्त नहीं होती तब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता। पूंजी इकट्ठा करने का मोह बढ़ता ही रहेगा और इस कारण भ्रष्टाचार भी बढता ही रहेगा।

दूसरा मेरा संशोधन और है। हम जो पूंजी वाली संस्थाएं हैं उनको तो नष्ट करें ही लेकिन उसके साथ-साथ एक और प्रावधान करना पड़ेगा जैसा कि उत्तरप्रदेश के बिल में है। उत्तर प्रदेश के बिल में यह बात है पिछले पांच वर्षों के कार्यकलाप की जांच की जायगी। मेरा संशोधन यह है कि जब तक २० वर्ष के कार्यकलाप की जांच नहीं होगी तब तक कोई वास्तविक चीज सामने आने वाली नहीं है। ५ साल में तो कोई निकल भी सकता है। यही नहीं है कि खाली कांग्रेस वाले हो कसूरवार हों दूसरे भी हो सकते हैं। इसके अलावा मेरा निवेदन यह भी है कि आमदनी और खर्च दोनों की जांच होनी चाहिये। पहले जो मकान बना लिया उसकी तो जांच होगी ही लेकिन जो इतना खर्चा करते हैं वह कहां से आता है इसकी भी जांच करना आवश्यक है। मुझे ४००) मिलते हैं तो परिवार के लोग जो इतना अधिक खर्चा करते हैं वह कहां से आता है। औरतें नायलोन की साड़ियें पहनती है। बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढते हैं, औरतें नित नई-नई चीजें खरीद कर लाती हैं, कभी-कभी तो उनको देख कर हमारा मन विचलित हो जाता है। यह सब खरीदने के लिये पैसा कहां से आता है उसकी जांच होनी आवश्यक है। संपत्ति की जांच करें तो उसके साथ-साथ २० साल की आमदनी और खर्च की जांच करनी चाहिये पिछली बिहार सरकार ने भी इस ओर कदम उठाया था। उन्होंने इस चीज को भी शामिल किया था....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो शुरु ही हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : १० मिनट और बोल लीजिये। वैसे सवाचार बजे का समय सरकारी पक्ष से ऊपर देने के लिये निर्धारित किया गया था।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ये अगर १० मिनट और बोलेंगे तो दूसरे कब बोलेंगे। उनको तो समाप्त करिये ..

श्री रामकिशन : मुझको समाप्त नहीं कर सकते।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपके भाषण को समाप्त करने के लिये कह रहा हूं।

श्री रामकिशन : आज हमारे समाज में बुराई है, मैं सरकारी पक्ष के लोगों से निवेदन करूंगा कि राजनैतिक और सामाजिक चीज बनी है तो इससे इन्कार नहीं करना चाहिये। इसमें आपका भला है और साथ ही हमारा भी भला है आज कोई केवल सरकार को ही गाली देता या कांग्रेस को ही गाली देता तो शायद हम खुश हो लेते, लेकिन आज चाहे गलियों में चले जाइये, बाजार में चले जाइये, रेल में चले जाइये, खेत में चले जाइये खलिहान में चले जाइये सब तरफ लोग यही कहते हैं कि राजनीति में जो काम करते हैं वे सब चोर है। हम आपके भले के लिये और हमारे भले के लिये चाहते हैं कि यदि हमने गलत खर्च किया है, गलत तरीके से धन जोड़ा गया है तो इनको जांच के लिये अपने आपको प्रस्तुत करना चाहिये। उत्तर प्रदेश में चरणसिंहजी जब इस तरह का बिल लाये थे तब मेरी उनसे और रामसेवकजी से इस बारे में बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि हम किसी द्वेष के कारण या घृणा के कारण इसको नहीं ला रहे हैं या इसलिए नहीं ला रहे हैं कि कांग्रेस वालों ने चोरियां कीं इसलिये उनको बदनाम किया जाय। यह मंशा हमारी भी यहां पर आज यह बिल लाने की नहीं है। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस के गृहमंत्रीजी जो इसका जवाब देने वाले हैं वे किस प्रकार इसका जवाब देंगे और विरोध करेंगे। मैं समझता हूं वे खड़े होने वाले नहीं हैं और खड़े होंगे तो यही कहेंगे कि मैं इसे मंजूर करने को तैयार हूं।

हमें इस बिल के प्रावधानों की तरफ भी जाना होगा। भैरोंसिंहजी ने कहा कि १००० रु० की रकम ज्यादा है, उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा है। मैं इस तर्क में उनको सहयोग नहीं दूंगा। यदि हम इसमें ज्यादा ढील दें दें तो कोई भी आदमी जो दुश्मनी रखता है १०० या २०० रुपये जमा कराकर कह देगा कि इसकी जांच करो। हम जो सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी से काम करना चाहते हैं राजनीति में उनके कई विरोधी हो सकते हैं। यह बात नहीं है कि इन्सान का तरीका नहीं बदलता हो। २० साल में जो रा‍इयां आई हैं उनकी जानकारी हमको है लेकिन इस अर्से में कुछ परिवर्तन भी हुए हैं, चाहे पूंजीपति हो चाहे और कोई हो सब में परिवर्तन आया है। रकम का सवाल नहीं है- हजार दो हजार रुपया महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। यदि सरकार इसको स्वीकार करती है तो उत्तरप्रदेश ने बनाया हम राजस्थान में और तरह से बना सकते हैं।

सदन में यह भी कहा गया कि यहां कई आरोप लगाये जाते है वे जांच करने पर झूठे साबित हो जाते है। विरोधी पक्ष वाले ऐसी बातों का उपयोग कर लेते हैं। जैसे नाथद्वारा का केस हुआ, सादड़ी का सोना का कांड हुआ, सरकारी पक्ष से जवाब दिया उसका नतीजा कुछ नहीं होता नाथद्वारा के कमीशन की स्थिति दूसरी थी और सादड़ी के सोने के काण्ड की जांच दूसरी प्रकार की थी। लेकिन इस बिल में जो प्रावधान किया गया है उसमें सरकार के द्वारा स्वतन्त्र न्यायाधिकरण बनाया जायगा और उसको स्वतंत्र जांच के लिये सुरक्षा दी गई है। हमारे यहां पर यह जिस प्रकार की जांच की गई, उससे राजस्थान के मुख्य मंत्री सादड़ी के सोने के काण्ड से यह कहला कर बाहर निकल गये कि यह सब

(श्री रामकिशन)

झूठ है। असल में इस प्रकार की जांच से कुछ परिणाम नहीं आ सकते, असल में केन्द्र में यदि इन्दिरा जी की सत्ता नहीं होती तो कुछ अच्छे परिणाम सामने आते। आज इस सरकार के द्वारा जो जांच हुई उनमें जांच के सही परिणाम सामने नहीं आ सकते थे। मैं यह नहीं कहता कि जांच सही नहीं है, झूठी है। लेकिन इस तरह की बातों से सच्ची बात सामने नहीं आ सकती। यदि केन्द्र की सरकार में हम लोग होते और हमारे किसी सदस्य पर आरोप लगता तो हमारे दिमागों से भी वही फैसला होता जो कि सादड़ी के सोने के काण्ड में हुआ है। इससे ज्यादा प्रामाणिक बात नहीं कह सकते थे।

दूसरी बात है कि आज समाज में भ्रष्टाचार बढ़ा है, और समाज की स्थिति बिगड़ रही है। आज यह स्थिति हो गई है, आज कोई मंत्री हो, मुझे पता नहीं, मुख्य मंत्री इस स्थिति को जानते हैं या नहीं, लेकिन माननीय गृह मंत्री जो जानते होंगे और उन्होंने यह बात देखी भी होगी, लेकिन मुझे इस बात की जानकारी है कि सुबह से शाम तक जो लोग हमसे मिलने आते हैं वह एक ही बात कहते हैं कि आप इस मामले में मंत्री महोदय से कह दें। हम कहते हैं कि हम विरोधी दल के हैं, हमसे क्यों कहजाते हो। वह कहते हैं कि हमने और इन्तजाम कर दिया हैं, आप केवल कह दें। मंत्री जी के जो मिलने जुलने वाले लोग हैं, दूसरे लोग हैं वह उनको प्रभावित कर रहे हैं. आप विरोधी दल के है तो आप भी कह दें तो हमारी स्थिति मजबूत हो जायगी। तो आखिर यह स्थिति क्यों पैदा हुई। मैं जानता हूं कि आप इस स्थिति से खुश नहीं, हम भी इससे खुश नहीं हैं। हम इस स्थिति को खत्म करना चाहते हैं, जो स्थिति आज समाज में बनी हुई है उससे बाहर समाज को निकालना चाहिए और इस स्थिति को खत्म कर देना चाहिए। आपमें से जिन्होंने लोकतांत्रिक विचारधारा को अपनाया है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है वह जानते हैं कि भ्रष्टाचार के कारण ही लोकतंत्र इण्डोनेसिया से चला गया, भ्रष्टाचार के कारण बर्मा से लोकतंत्र चला गया, भ्रष्टाचार के कारण कोनिया से लोकतंत्र चला गया, भ्रष्टाचार के कारण लोकतंत्र सीरिया से चला गया। तो मैं नहीं समझता कि भ्रष्टाचार के कारण लोकतंत्र इस देश में समाप्त हो क्योंकि आप भी कोई बड़े सम्पन्न परिवारों के नहीं हैं, आप में से कुछ गरीब और साधारण परिवारों से आये हुए हैं। लेकिन इस देश में लोकतंत्र रहे और लोकतंत्र के रहने के लिए इस देश में हालत पैदा करनी चाहिए, वह धीरे-धीरे समाप्त होती चली जा रही है, इसलिए सत्ता की दृष्टि से और बहुमत की दृष्टि से हर चीज को देखना एक घातक स्थिति है। आज मंत्रियों के सम्बन्ध में, उनके चरित्र के सम्बन्ध में सारे मुल्क में राजनैतिक दृष्टिकोण से हमें सफाई करनी है इस दृष्टि से मैं निवेदन करूंगा और निवेदन ही नहीं पुरजोर निवेदन करूंगा, आग्रहपूर्वक निवेदन करूंगा, विनम्रता से निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। इससे देश में एक गरिमा आयेगी, लोगों में साहस पैदा होगा और लोगों के दिमाग में यह बात आ सकेगी कि मंत्री भ्रष्टाचारी नहीं हैं, यह बात वह साफ करना चाहते हैं, विधायक भ्रष्ट नहीं हैं। मान्य हम कहीं जाते हैं, रेलों में जाते हैं तो लोग हमें

(श्री रामकिशन)

सुना कर कहते हैं। मंत्रियों की, अधिकारियों को निन्दा होती है। लोग हमें सुना-सुना कर कहते है। अभी में नारनौल गया था...

श्री उपाध्यक्ष : उस बात से यू० पी० में सुधार हुआ है।

श्री रामकिशन : वहां उपयोग नहीं हो पाया क्योंकि सरकार गिर गई। चन्द्रभानु गुप्त के कारण समाप्त हुई।

एक माननीय सदस्य : गिराया किसने वह तो छोड़ भागे।

श्री रामकिशन : लेकिन वहां इस प्रकार की स्थिति आ सकती है। यू० पी० को छोड़ें तो बिहार में जांच शुरू हुई, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। के० बी० सहाय का १ करोड़ २० लाख का मामला था. उसकी जांच शुरु हुई जिसको अब आने वाली सरकार ने रोक दिया। वह हाई कोर्ट में गये और न जाने क्या, क्या हुआ, लेकिन आखिर में जांच शुरु हुई। उससे सफाई तो हुई। उसमें और यू० पी० में फर्क है। वहां एक कमीशन बैठाया पुराने मंत्रियों के कार्यों की जांच करने के लिए और यू० पी० मे इस प्रकार का आर्डिनेन्स निकाला तो यू० पी० का विस्तृत दायरा है, जिसमें सारी चीजो को सम्मिलित किया गया है। इसमें कोई विरोधी दल और कांग्रेस को बात नहीं है। इसलिए यह ज्यादा बढ़िया है. यह ज्यादा प्रगतिशील कदम है और इससे ज्यादा अर्थ निकल सकता है। आज स्थिति यह है कि लोग हमें शका की दृष्टि से देखते हैं। नारनौल से आते वक्त जब मे बैठने लगा, तो उसमें एक बाबू साहब अहमदाबाद जा रहे थे, वह पूरी सीट पर सोये हुए थे। मैंने कहा, जरा सा हट जाइये तो मैं भी बैठ जाऊं। मैंने यह नहीं कहा कि आप उठ जाइये, सोइये नहीं। वह बोले नहीं। जब मैंने दुबारा कहा तो वह बोले—हम खादी वालों को जानते हैं। मैंने उससे कहा कुछ नहीं था। कह देता कुछ तो मालूम नहीं क्या कह देते, वह मेरी सुनते नहीं। उन्होंने मेरे बिना कुछ कहे, मुझे सीधे-सीधे, मेरे परिवार वालों के लिए, मेरे मां-बाप के लिए दस पचास गालियां दे दीं। तब मैंने कहा कि मैं तो सोशलिस्ट पार्टी का हूं। तब उन्होने थोड़े से पैर हटाये और कहा कि बैठ जाइये, लेकिन सोने नहीं देंगे। खादी वाले तो होते ही ऐसे हैं। खैर मुझे सोना नहीं था, झगड़ा नहीं करना था, मैं चुपचाप बैठ कर चला आया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थिति हमारे साथ हुई है, इससे पता चलता है कि यह खराबी पैदा हुई है, इसके निराकरण के लिए आपका मन है या नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि इसका समर्थन सरकारी पक्ष से ज्यादा होगा, इस पर ज्यादा बहस नहीं होगी, तर्क नहीं होगा और इस प्रस्ताव को पास कर लिया जायगा। जहां तक इसकी धाराओं का प्रश्न है, राजस्थान की स्थिति के अनुसार इसमें संशोधन वगैरह करने होंगे तो हम बैठ कर यह संशोधन कर सकते हैं। यू० पी० का विधेयक हमारे लिए कोई आदर्श नहीं है। हम यहां की हालत को समझ सकते हैं इसलिए उस हालत के अनुरूप इसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन यदि इसका सिद्धान्त रूप में ही विरोध करेंगे तो राजस्थान में यह भावना फैल जायगी कि राजस्थान के मंत्री और विधायक इस चीज से बचना चाहते हैं। इतनी बात कह

(श्री रामकिशन)

कर, मैं इसकी धाराओं में नहीं जाकर सिद्धान्त रूप से समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी इसको स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री आलमअली : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री श्रवणलाल : पांच मिनट का समय दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था दी जा चुकी है माननीय सदस्यों को कि सवा चार बजे चर्चा समाप्त हो जायगी।

श्री आलमअली : दो चार मिनट मारवाड़ी में सुन लें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा समय बढ़ायें इतने समय में सब अपनी बात नहीं कह सकते हैं।

श्री आलमअली : आपका ऑर्डर तो मानेंगे, लेकिन मैं दो मिनिट में दो बातें कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव पर आज माननीय सदस्यों ने अपने विचार कहे इससे पहले भी भ्रष्टाचार के ऊपर वक्त-वक्त के ऊपर यहां बहस होती रही है और खास तौर से जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य तो जितनी जोर से भ्रष्टाचार के शब्द को कहते हैं, उतनी ही जोर से समय समय पर उन्होंने अपनी बात रखी है। आज उन्होंने खास तौर के ऊपर इस बात की कोशिश की है कि जैसे सरकार का ध्यान भ्रष्टाचार को मिटाने की तरफ है ही नहीं। मैं आपको एक अर्ज करना चाहता हूं कि सन्थानम कमेटी की रिपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की रिपोर्ट भी आई हैं उन पर सरकार ने अपना ध्यान दिया है, बल्कि इससे पहले ही, जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट बहुत पहले ही अलग से कायम किया गया और बहुत ही योग्य, अनुभवी पुलिस ऑफिसर, ईमानदार जो थे, उनको इसका चार्ज दिया गया और उसके बाद वक्त-वक्त पर इसको हमने ज्यादा स्ट्रेन्थन किया है। सन्थानम कमेटी की रिपोर्ट आई, उस वक्त विजिलेन्स कमीशन की स्थापना की गई। इसको माननीय सदस्य जानते हैं। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्वीकार किया है कि विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट पेश हुई उससे इस बात को मानते हैं कि करप्शन के केसेज में उसने काफी दिलचस्पी लेकर उनको सख्ती के साथ डील किया है। हम विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट पर कल यहां पर बहस करेंगे। इससे पहले एक दफा बहस उस पर हो चुकी है। मेरा कहना है कि एक तरफ सन्थानम कमेटी की रिपोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की रिपोर्ट है, तो दूसरी तरफ इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि आखिर जो भी देश के अन्दर जिस प्रकार का कोई एक्शन लिया

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जायगा, इनकी रिकमन्डेशन्स से, वह यूनीफाइड पैटर्न पर होना चाहिये। राजस्थान गवर्नमेन्ट का जहां तक प्रश्न है, उसने इन्कार नहीं किया कि हम एक्शन नहीं लेते। करप्शन के सवालों पर वक्त-वक्त पर उसने एक्शन लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मिनिस्टरों के करप्शन के ऊपर उन्होंने काफी कहा, और दो तीन चीजें जो बार-बार कहते रहते हैं उनको उठाने की कोशिश की है। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि सदन इस बात से वाकिफ है कि जब जब सीरिअस चार्जेज मिनिस्टरों पर लगाये गये हैं, तो बराबर उनकी इन्क्वायरी हुई है और इन्क्वायरी पेश की है मिनिस्टरों ने और अपोजीशन की तरफ से जो चार्जेज लगाये गये हैं वह गलत साबित हुए हैं। सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं नाथद्वारा के मामले में यह बवंडर उठाया गया उस पर इस सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान के जज को अपौइन्ट किया और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, जनसंघ के नेता हैं, उन्होंने नाथद्वारा कमीशन में अपनी खूब कोशिश की और नाथद्वारा कमीशन में मुख्य मंत्री के खिलाफ गवर्नमेन्ट के खिलाफ चार्जेज साबित करने की कोशिश की, लेकिन उसमें वह नाकामयाब साबित हुए। तो यह कहना कि करप्शन को प्रोत्साहन देते हैं, करप्शन की ओर ध्यान नहीं देते हैं, और जो एलीगेशन यहां लगाते हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं — मैं कहता हूं यह सही नहीं है। नाथद्वारा कमीशन में जज मुकर्रर करके यह साबित किया है... जब कभी कोई सीरियस एलीगेशन लगा है तो उसका हम नोटिस लेते हैं। साबित करने की कोशिश करते हैं। परन्तु एक तरफ संथानम् कमेटी की रिपोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी की रिपोर्ट है। दूसरी तरफ पंडितजी ने हवाला दिया। पंडितजी ने बार-बार यह कहा था कि विरोधी दल की आदत पड़ गई है.

श्री मदनसिंह दांता : कब कहा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह करेक्टर एसेसिनेशन करें। यह बात नहीं है कि यह केवल राजस्थान में हो हो। हिन्दुस्तान भर में यह बात है। क्योंकि वह वोटों से नहीं जीत सके तो जो लोग सत्ता में हैं, उनका करेक्टर एसेसिनेशन किया। उन पर गलत और झूठे करप्शन के चार्जेज लगाये। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि करप्शन के चार्जेज मन्त्री के खिलाफ लगाये गये हैं। मुख्य मन्त्री और मन्त्रियों के खिलाफ तो बराबर उनके बारे में सेटिसफाइड किया है और सदन के अन्दर जवाब दिया है और बराबर इस बात के लिये बताया है कि यह चार्जेज सही नहीं हैं। आपने एक केस नाथद्वारे का बताया और दूसरा माननीय मुख्य मन्त्री के लिये बून्दी की जमीन के लिये कहा। बून्दी की जमीन के मामले में रेवेन्यू बोर्ड के एक सीनियर ऑफिसर को अपाइण्टमेंट करके इन्क्वायरी कराई है और इन्क्वायरी की जो रिपोर्ट थी उसको गुलजारीलाल नन्दा जैसे होम मिनिस्टर के पास स्क्रूटिनी के लिये भेजा है और उन्होंने यह कहा है कि कोई केस ट्रेस आउट नहीं होता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कोई नया चार्ज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। ऑर्डर प्लीज।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसलिये इन बातों को लाकर सदन के अन्दर इस बात की कोशिश न करें क्योंकि इनकी जांच हो चुकी है और जांच के अन्दर गलत साबित हो चुके हैं। रहा सवाल करप्शन का तो मैं भी यह मानता हूं कि जो सार्वजनिक काम करने वाले लोग हैं उन पर गलत चार्जेज भी लगाये जाते हैं तो उनकी भी सफाई होनी चाहिये। जैसा कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि सार्वजनिक लोगों का चरित्र अबोव सस्पीशन होना चाहिये। और, उन पर कोई भी चार्जेज लगते है उनकी जांच और जानकारी होनी चाहिये। इस लिहाज से राजस्थान सरकार ने बराबर इस बात की कोशिश की है कि ज्योंही एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी की रिपोर्ट आयी तो जैसा कुछ दिन पहले माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा था कि लोकपाल और लोक आयोग के मामले में दूसरे राज्यों से पूछा है कि वह क्या कर रहे हैं? ताकि एक यूनीफॉर्म पेटर्न कण्ट्री के अन्दर हो और उस आधार पर हम काम करें। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी की रिपोर्ट्स अगर पढ़ेंगे तो उसमें भी यह एक बात स्पष्ट नहीं है कि हम जो एक इस प्रकार का आॅर्गेनाइजेशन सेट-अप करना चाहते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन एजेन्सी क्या होगी? किस प्रकार इन्वेस्टिगेशन होगा और उसके रिजल्ट्स क्या रहेंगे?

श्री भैरोंसिंह : उस रिपोर्ट के साथ जो एनेक्सचर हैं, उसमें एक मोडल बिल दे रखा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं बता रहा हूं। मैंने वह रिपोर्ट पूरी पढ़ी है और माननीय सदस्य ने पढ़ी होगी। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस प्रकार के मामलात की जांच के लिये बहुत ही प्रापर इन्डिपेन्डेन्ट इन्वेस्टिगेशन एजेन्सी होनी चाहिये और उसमें डिसीजन्स देने वाले बहुत इन्डिपेन्डेन्ट बियोण्ड डाउट आॅफ इन्टेग्रिटी ऐसे आदमी होने चाहिये जो फैसला करें तो इन सारी बातों के लिये भारत सरकार एक प्रिन्सिपल और यूनीफाइड पैटर्न तय करेगी और उसके साथ तमाम दूसरे स्टेट अमल करेंगे। राजस्थान सरकार से भी यह अर्ज करना चाहता हूं, इन प्रिंसिपल को आॅपोजीशन नहीं किया है। बल्कि राजस्थान सरकार ने जो भारत सरकार को जवाब दिया था वह यह दिया थाः—

"The State Government generally agrees with the Santhanam Committee that steps should be taken to create healthy atmoshphere where corruption should be eredicated. The Committee has also given direction about the manner in which the allegations should be dealt with."

तो मतलब यह है कि हमने सिद्धान्ततः भारत सरकार को चिट्ठी लिखकर भेजी है। उसमें हमने यह माना है। इसके साथ-साथ मैं आप को एक अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंन्त्री ने पन्द्रह स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि आपने इस मामले में अपने स्टेट में क्या कार्यवाही की है, ताकि हम भी उस पर विचार करें। उन स्टेट्स का अभी तक उत्तर नहीं आया है। केवल तीन स्टेट्स का अभी तक जवाब आया है। इसलिए टेलीग्राफिकली हमने रिमाइण्डर किये हैं ताकि आखिरी निर्णय लेने के पहले हम उनको देख लें। उत्तरप्रदेश का जो आर्डिनेंस है,

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जिसको सदन में रेफर किया है, यह हमारे लिए कोई गाइडिंग फैक्टर नहीं बन सकता है। यू० पी० का आर्डिनेंस है। उनको हमने स्टडी नहीं किया है। परन्तु यू० पी० का आर्डिनेंस उस गवर्नमेंट ने उस वक्त निकाला जिस वक्त वह जाने के लिए तैयार बैठी थी। उसकी कोई रहने की उम्मीद नहीं थी।

श्री रामकिशन : इससे क्या फर्क पड़ता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वही बता रहा हूं, जिसका ढोल बजा रहे हैं, बहुत दिनों से। उसको अगर पढ़ा जाए तो मालूम होगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। तब भी यह जो आर्डिनेंस है इसमें क्या क्या प्रोविज़न्स हैं, उनको बगैर जाने हुए इसकी स्प्रिट का मैं विरोध नहीं करता हूं। इसके साथ में यह भी नहीं चाहता कि जल्द बाजी में आकर कोई इस प्रकार का कानून बना दें कि जिस का आगे चलकर नतीजा अच्छा नहीं निकले। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें मिनिस्टर, पब्लिक सर्वेण्ट्स चुने हुए हमारे एम० एल० एज़ और एम० पीज़ इन सब को प्रोटेक्शन देना है। यह नहीं कि विरोध की वजह से पार्टी की वजह से राजनैतिक वजह से एक दूसरे पर लांछन लगाते रहें और कमीशन पैदा होते रहें और जांच होती रहे। इस प्रकार की बातों का नतीजा अच्छा नहीं होगा। इन तमाम बातों को देखते हुए कुछ न कुछ ऐसे नतीजे पर पहुँचना है जिससे कि आपसे गलत एक्यूज़ीशन न किया जाए और पार्टी पोलिटिक्स राइवलरी की वजह से एक दूसरे पर गलत एलीगेशन्स लगाते हैं वे उस हद तक नहीं पहुँच जाएं कि एन्क्वायरी का मामला बन जाये इसके अलावा जो सही फैक्ट हों और तथ्यों से कही हुई बातें हैं उन पर कोई कार्यवाही करना मुनासिब है। उसके लिए लॉ बनाये जायें। उसके लिये जरूरत है, कि सेण्ट्रल गवर्नमेंट फैसला करे। वह एक पैटर्न बनाये और दूसरे राज्यों के अन्दर उस यूनिफाइड पैटर्न के अन्दर इस तरह के कानून बनाये जायें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बात का प्रश्न है कि राजस्थान सरकार ने इन मुद्दों पर कार्यवाही नहीं की है यह सही नहीं है। यह बात सही है कि गवर्नमेंट राजस्थान आइसोलेट हो कर एक्शन नहीं लेना चाहती है। दूसरे राज्यों में किस तरह एक्शन लें इसके लिए कोई यूनिफाइड पालिसी बने, उसके अनुसार हम करेंगे। मैंने जैसा कहा था अभी कि मा० मुख्यमन्त्री जी ने तमाम राज्यों को चिट्ठी लिखी थी, उनमें तीन का जवाब आया है। तीनों ने यह लिखा है कि अभी हम विचार कर रहे हैं। जिसमें मैसूर राज्य के लिए आप कह रहे हैं। खुद उसका जवाब है कि अभी हम सेण्ट्रल के जवाब का इन्तजार कर रहे हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र का राज्य है। गुजरात है।

श्री भैरोंसिंह : हाउस में कही है यह बात।

श्री दामोदरलाल व्यास : हाउस में कहा है तो हाउस में ही मैं भी कह रहा हूं, यह बात।

श्री भैरोंसिंह : हाउस में कहा है कि हम बिल इण्ट्रोड्यूस कर रहे हैं, यह पेपर्स में आया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कह रहा हूं कि तमाम राज्यों से सलाह मशवरा कर के जब सेण्ट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले लेगी उसके बाद उस युनिफाइड पैटर्न पर हम....

श्री भैरोंसिंह : वह तो मजबूरी हो जाएगी ।

श्री दामोदरलाल व्यास : विचार करेंगे तो ज्यादा ठीक होगा ।

श्री भैरोंसिंह : वह तो मजबूरी हो जाएगी ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मजबूरी कुछ नहीं। सीधी बात है। जो बात उन्होंने कही है वही मैं कह रहा हूं इसमें कोई फर्क नहीं है। हम उसूलन सिद्धान्ततः इसे कहां नही मानते। परन्तु सेफगार्ड लगाने पड़ेंगे। अगर हम बगैर सोचे समझे कार्यवाही कर दें तो जैसी आज कानून के एक्सपर्ट की सलाह है भैरोंसिंह जी, वह कहते हैं कि कान्स्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करने वाली बात। इसलिए इन सारी बातों पर जब तक लीगल डिसीज़न न हो जाए और कन्ट्री में यूनिफाइड पैटर्न बनाने की फिजां न बन जाए उस वक्त तक हम जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। इसमें मिनिस्टरों की ही बात नही है। मिनिस्टरों की है। विधायकों की है। मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट इसमें शामिल हैं। और लोग भी हैं। प्रमुख हैं। प्रधान हैं। सब पार्टीज के हैं। म्युनिसिपल के चेअरमैन भी हैं। तो चुने हुए लोगों पर कोई एक्शन ले लें—लें जरूर। इसमें शक नहीं लेकिन सोच विचार कर। सारे देश में एक पालिसी एडाप्ट की जाए ताकि कानून में जो लिखा जाए उसका आयन्दा जा कर पालिटिकल राइवलरीज़ की वजह से एक दूसरे पर छींटाकसी न हो। इस लिए इस रेज्यूलेशन के मूवर से मैं अर्ज करूंगा कि गवर्नमेंट इस बात को कोशिश कर रही है और इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि हम इस बात के अन्दर जो आज इण्डिया के अन्दर यूनिफाइड पैटर्न हो उसको स्वीकार करें। मैं समझता हूं कि ऐसी सूरत में इस रेज्यूलेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं इस रेजुलेशन के मूवर से अर्ज करूंगा कि वे इसको विड्रा करें।

जहां तक स्पेसिफिक एलीगेशन किसी आफिसर को लेकर किसी डाक्टर को लेकर किसी सरपंच को लेकर किये गये उनका जवाब अलग देना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और मेरे खयाल से यह मुनासिब भी नहीं है। मेरे खयाल में जो माननीय सदस्य मेड़ता से आये हैं, उन्होंने एडीशनल कलेक्टर के लिए कहा। कुछ शब्द कहे, उनको वापिस नहीं दुहराना चाहता। माननीय फूड मिनिस्टर ने उसी वक्त उनको कण्ट्राडिक्ट किया था। मैं जानता हूं कि जहां तक इम्बैजलमेंट का सवाल है, इम्बैजलमेंट साबित नहीं हो सकता। एलीगेशन हो सकता है। यह कैसे माना जाए उस आफीसर के लिए कि उसने इम्बैज़लमेंट कर दिया। उसने चन्दा वसूल किया नेहरू फण्ड के लिए और नेहरू फण्ड के लिए वसूल करके गवर्नमेंट को लिखा कि इतना हमने वसूल कर लिया है इतना आप दे दीजिए। ताकि हम म्युनिसिपल क्षेत्र के विकास के लिए इसे काम में लायें।

गवर्नमेंट ने रुपया नहीं दिया इस लिये रुपया पड़ा रहा, ज्यों ही तबादला हुआ कलेक्टर के यहां जमा करा दिया, बहरहाल उसके खिलाफ कोई एम्बैजलमेंट का सवाल नही था।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मैं अर्ज करना चाहता हूं जांच की बात बता रहा हूं। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि सरकारी अफसरान के खिलाफ हमको इस तरह बहुत लूज तरीके से एलीगेशन्स नहीं लगाने चाहिये। आज जो सरकारी मशीनरी है उसके खिलाफ मामलों की जांच के लिये एन्टीकरप्शन विभाग बैठा हुआ है, विजिलेंस कमिशन बैठा हुआ है, ये डिपार्टमेंट बराबर सरकारी अफसरान के खिलाफ जनता की शिकायतों की जांच करते हैं।

श्री गोरधन सोनी : इस अफसर के खिलाफ सैंकड़ों शिकायतें हैं, एक की भी जांच नहीं हुई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : एक शिकायत आपने की, उसके बारे में मैंने कहा, यह मामला मेरे पास ताजा ही निकला था, मेरे पास फाइल मौजूद थी इसलिये मैंने कहा। और सैंकड़ों शिकायतों को मुझे मालूम नहीं है।

श्री गोरधन सोनी : आपको हाई कोर्ट का फैसला मिला होगा, उसे आपने पढ़ा होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने पढ़ा नहीं।

श्री गोरधन सोनी : पढ़ा नहीं तो फिर क्या मालूम हुआ।

श्री दामोदरलाल व्यास : एक मामला जो सबजूडिस है, उसके सम्बन्ध में मैं एक शब्द भी नहीं कहना चाहता। हाई कोर्ट ने क्या स्ट्रिक्चर पास किया है, इस मामले में मैं नहीं पड़ना चाहता।

दूसरा मामला सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने डाक्टर के बारे में कहा. तबादलों के बारे में कहा कि तबादले करने के अन्दर मन्त्री अपने आपको बहुत कमजोर समझते हैं, दबाव में आ जाते हैं। मैं निवेदन कर दूं कि तबादले हमको करने पड़ते हैं, कभी देरी से, कभी जल्दी से। किसी अफसर के खिलाफ उसको हटाने की मांग करते हैं और यह देखते हैं कि पब्लिक इन्ट्रेस्ट में उसे वहीं रखना चाहिये तो उसे वहीं रखते हैं। बहरहाल पब्लिक इण्ट्रेस्ट से हमें उसको वहीं रखना पड़ता है।

श्री विजयसिंह : आपके उस पक्ष के सदस्य कहें तो उनसे डरते हैं इसलिये तबादले कर देते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : न हम इनसे डरते हैं और न आपसे डरते हैं, आप हमसे ठीक बजा कर काम लेते हैं हम काम करते है, हम डरते हैं, यह मत कहो। प्रशासन में सेंस आफ सिक्योरिटी नहीं हुई तो वह

(सरकारी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

श्री विजयसिंह रावत : आप मनमानी करते हैं, यह हर तरह से साबित है, हम भी एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, जिसका आपने ख्वाब भी नहीं देखा होगा। आपने एक आई. ए. एस. अफसर का एक बार तबादला कर दिया, एक दफा तबादला करने के बाद में एक साल में दस बार तबादला कर देते हैं, अपने लोगों के दबाव में आकर।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह बीच में डिस्टर्ब करते हैं।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

दबाव की कतई बात नहीं, एक आदमी एक पोस्ट पर लगा हुआ गलत साबित हुआ, जनता के हित में नहीं हुआ तो उसको वहां नहीं रखेंगे, एक जगह रखने की गारन्टी नहीं है, जनता के हित में काम नहीं करता है तो हम उसका तबादला भी करेंगे, उसको चार्ज-शीट भी देंगे। पर यह मत समझिये कि इधर बैठने वालों की हम पर जबरदस्ती है। इधर बैठने वाले तबादलों के मामले में बिलकुल नहीं बोलते।

इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय सदन का नहीं लेना चाहता, मैंने केवल मुद्दे की बातें कही हैं।

हम सन्थानम कमेटी की रिपोर्ट पर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म्स कमेटी की रिपोर्ट पर बराबर एक्शन लेने के लिये उतने ही उत्सुक हैं, जितने कि माननीय सदस्य हैं पर जो कारण मैंने बताये हैं, उन कारणों से, जब तक भारत सरकार और अन्य राज्य स्टेडी नही कर लें तब तक इस मामले में जल्दी करना उचित नहीं होगा।

कन्ट्री की फिजां को देखना होगा और विरोधी लोगों की टैक्नीक है, उसे भी नजरन्दाज नहीं कर सकते। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह रेजोलूशन एज इट इज है, वह स्वीकार करने काबिल नहीं है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसे वापिस ले लेंगे।

श्री रामकिशन : आज आपकी वकालत बड़ी कमजोर रही।

श्री विजयसिंह (मकराना) : हमारे मन्त्रीजी ने बताया कि दूसरे राज्यों में क्या होता है यह देख लें, मैं कहता हूं आप दूसरों की नकल क्यों करते हैं? "अग्रे-अग्रे ब्राह्मणाः" यहीं से शुरू कर दें तो क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिवल्लभ शर्मा!

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मन्त्रीजी का स्वभाव और उनकी मजबूती को मैंने आंका था, उसको देखते हुए तो मैं यही समझे हुए था कि वे जल्दी ही इसे स्वीकार करने की घोषणा कर रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपकी बात का जवाब इसलिये नहीं दिया कि उसमें कोई बात ही नहीं थी।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मैंने यह देखा कि वे तबादले करने में स्वयं विवश हैं, सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ कितने ही गम्भीर आरोप हों, उनमें शक्ति नहीं कि वे उनके सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकें। मैंने ३ उदाहरण रखे थे उनमें से एक का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया।

वे स्वयं स्पष्ट रूप से मानते हैं कि सार्वजनिक व्यक्तियों के सम्बन्ध में इस प्रकार की कार्यवाही होनी चाहिये, केवल समय और प्रारूप के बारे में अपनी दिक्कत मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत की है, इस प्रकार मैंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसके सम्बन्ध में यह बात तो निश्चित है कि वे सिद्धान्ततः तो इस बात को मानते हैं कि इस प्रकार की कोई कानूनी व्यवस्था, कानून बनाना चाहिये जिसके द्वारा प्रभावशील सार्वजनिक पदों पर कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच हो सके। उनको दिक्कत केवल यह है कि इस प्रकार का कानून कब बनाया जाय,

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

किस प्रकार का उसका प्रारूप हो. इस बारे में उनको आशंका है। मैं यह मान कर चलता हूं कि मन्त्री महोदय ने यह अध्यादेश पढ़ा भी या नहीं पढ़ा। इस बारे में जो कहा है उससे उनको संतोष है या नहीं, मैं यह मान कर चलता हू कि मेरे समर्थक श्री भैरोंसिहजी ने इस अध्यादेश की अच्छी तरह से व्याख्या की है। यह प्रारूप इस अध्यादेश का दिया गया है, वह ऐसा है कि इससे आम जनता के जन-प्रतिनिधियों के खिलाफ निराधार आरोपों पर जांच की कार्यवाही नहीं चलाई जाय, इस प्रकार की इसमें व्यवस्था की है। मेरे ख्याल से इतना अच्छा पूर्ण कानून दूसरा आ नहीं सकता। विचार ही विचार में बीमारी बढ़ती जा रही है और मैं समझता हूं कि यह बीमारी जब बहुत अधिक बढ़ जायगी, उस समय इस प्रकार का कानून लाते हैं तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रहता।

मैं मान कर चलता हूं कि जिस प्रकार दूसरे राज्य की सरकार ने इस पर पहल की है राजस्थान सरकार भी जो हर प्रगतिशील कदम में अपने को अग्रसर होने का दावा करती है, इसमें भी अग्रसर होकर कदम रखे। इतनी देर हो गई है वही काफी है, अब देर नहीं करनी चाहिये।

मैं अपना संकल्प वापिस नहीं लेते हुए इसे पुरजोर शब्दों में सदन से मांग करता हूं कि इसे स्वीकार करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कह दिया न कि वापिस लेता हूं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : आप नहीं को नहीं सुनेंगे व्यासजी।

श्री उपाध्यक्ष :

संकल्प पर मतदान

प्रश्न यह है कि :

"इस सदन की सम्मति है कि राजस्थान सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय द्वारा प्रसारित "उत्तर प्रदेश सार्वजनिक व्यक्तियों की जांच अध्यादेश, १९६७" के समान एक विधेयक इसी सत्र में प्रस्तुत किया जाय।"

जो पक्ष में हों "हां" कहें।

इस संकल्प को स्वीकार किया जाय।

(विरोधी पक्ष की ओर से "हां" की ध्वनि)

जो विपक्ष में हों "ना" कहें।

(सरकारी पक्ष की ओर से "ना" की ध्वनि)

"ना" पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह : "हां" पक्ष जीता।

श्री गिरधारीलाल व्यास : Ayes have it Sir.

(मत-विभाजन घंटी)

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है। क्योंकि यह संकल्प भ्रष्टाचार के विरुद्ध है इसलिए उन सदस्यों को मतदान से हटाया जाय जो भ्रष्टाचार के कारण इधर से उधर गए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

प्रश्न यह है कि सदन की सम्मति है कि राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्यपाल

(श्री उपाध्यक्ष)

महोदय द्वारा प्रसारित "उत्तर प्रदेश सार्वजनिक व्यक्ति जांच अध्यादेश, १९६७" के समान एक विधेयक इसी सत्र में प्रस्तुत किया जाय।

विपक्ष के कई माननीय सदस्य : एज हेव इट।

सरकारी पक्ष के कई माननीय सदस्य : नोज हेव इट।

श्री भैरोंसिह : डिवीजन।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय, इस संकल्प पर सदन निर्णय दे उस समय तक के लिऐ बढ़ाया जाता है। जो संकल्प के पक्ष में हैं वे एज पक्ष का लॉबी में जायेंगे और जो इसके विपक्ष में हैं वे नोज पक्ष की लॉबी में जायेंगे।

(मतदान.)

[विभाजन सूचियों के अनुसार "हां" व "ना के सदस्य]

"हां" पक्ष की सूची

डॉ० अम्बालाल
श्री आलम अली खां
श्री ओमदत्त भाटी
श्री कृष्णकुमार गोयल
प्रो० केदारनाथ
महाराज श्री केसरीसिह हाड़ा
डॉ० गंगासहाय
श्री गोरधन सैनी
श्री चुन्नीलाल जेनिया (खंडार)
श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई)
श्री जुझारसिह
श्री डूंगाराम राजोरिया
राजकुमार श्री दिग्विजयसिह
श्री दुर्गालाल बाढ़दार
श्री नाथूदास
श्री पृथ्वीसिह
श्री बालसिह सोठा
श्री भगवानदास ईसरदास शास्त्री
श्री भैरोंसिह शेखावत
कैप्टेन ठाकुर श्री मदनसिह (दांतारामगढ़)
श्री मनोहरसिह मेहता
श्री रामकिशन
श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर)
श्री रामसिह कुंडा
श्री लादूराम सुल्तानिया
श्री विजयसिह रावत (नसीराबाद)
ठाकुर श्री विजयसिह (मकराना)
श्री विट्ठल भाई
श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा
श्री श्रवणलाल
श्री सुमेरसिह
श्री सुवालाल चौधरी
श्री हरजीराम बुरड़क
श्री हरलालसिह खर्रा
श्री हरिवल्लभ शर्मा
श्री हीराभाई

"ना" पक्ष की सूची

श्री अब्दुल हादी
श्री अमीनुद्दीन अहमद
श्री अमृतलाल यादव
श्री कन्हैयालाल पटेल (पिड़ावा)
श्री कल्याणमल
श्रीमती कान्ता कथूरिया
श्री कालूराम आर्य
श्री खेतसिह राठौर

श्री गंगाराम चौधरी
श्री गणेशलाल
श्री गामा फताजी
श्री गिरधारीलाल व्यास
सरदार श्री गुरदोपसिंह
श्री गुलाबसिंह शक्तावत
श्री गोकुलचन्द
श्रीमती गौरी पूनिया
श्री छुट्टनलाल
श्री जगन्नाथ
श्री जयकृष्ण शर्मा
श्री जयनारायण (लसाड़िया)
श्री जवाहरमल
श्री जेपाराम
श्री दामोदरलाल व्यास
श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा)
श्री नथमल चोहला
श्री नन्दलाल बेरवा (पाटन)
श्री नाथूराम
राव श्री नारायणसिंह (मसूदा)
श्री परसराम मदेरणा
श्री पुखराज कालानी
श्री पृथ्वीराज पटेल
श्री प्रद्युम्नसिंह
श्रीमती प्रभा मिश्रा
श्री बनवारीलाल
श्री बलवन्त
श्री बिरधीचन्द्र जैन
श्री विशम्भरनाथ जोशी
श्री बीरबल
श्री बृजसुन्दर शर्मा
श्री बृजप्रकाश गोयल
श्री भीमसेन
श्री भूरालाल
श्री मजलिस खां
श्रीमती मदन कौर
श्री मनफूलराम
श्री महेन्द्रकुमार
श्री मूलचन्द डागा
श्री मूलचन्द कटेवा
श्री मोतीलाल
श्री मोहनलाल मोदी
श्री यशवंतसिंह नाहर
श्री रतनलाल रोत
श्री रामदेवसिंह
श्री रामनारायण
श्री रामप्रसाद लड्ढा
श्री रिद्धिचन्द पालीवाल
श्री रोशनलाल
श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
श्री ललितसिंह
श्री विद्यासागर
श्री शंकरलाल जाट (कपासन)
श्री शंकरलाल (जैतारण)
चौधरी श्री शिवचरणसिंह
श्री शीशराम पूनिया
श्री शोभाराम
श्री श्रीराम रावत
मास्टर श्री समर्थलाल
श्री हंसराज आर्य
श्री हरलाल मीणा
श्री हरिदेव जोशी
श्री हरिसिंह
श्री हीरालाल देवपुरा
श्री हुकमसिंह

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

विभाजन का परिणाम इस प्रकार है—

"हां" पक्ष ३१ और

'ना' पक्ष ७३

(श्री उपाध्यक्ष)

"ना" पक्ष जीता।

संकल्प गिर गया।

संकल्प अस्वीकार किया गया।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५-०५ मिनट पर समाप्त होकर मंगलवार दिनांक ५ मार्च, १९६८ के प्रातः ११-०० बजे तक के लिये स्थगित की गई)

परिशिष्ट—१

(तारांकित प्रश्न संख्या ४०८ की सूची)

बीड़ों से घास कटने बाद चराई की दरें

वन मण्डल	भैंस-भैंसा	झोठी	ऊंट-सांडे	गाय	बैल नारकिया	गधे-गधी	घोड़े-घोड़ी	भेड़-बकरी
१	२	३	४	५	६	७	८	९
सिरोही (पालड़ी जोड़)	१.२५	—	२.५०	०.७५	०.७५	०.७५	०.७५	०.१२
अन्य जोड़	१.००	—	२.००	०.२५	०.२५	०.२५	०.२५	०.०६
चित्तौड़गढ़	१.००	—	०.५०	०.५०	१.००	०.५०	०.५०	—
अजमेर	६.००	—	३.७५	३.००	३.००	—	—	०.०६
जोधपुर	२.००	—	२.५०	०.७५	०.७५	१.५०	१.५०	०.०६
जयपुर	०.५३ से ४.२५	०.४० से ३.१९	०.५० से ३.१९	०.४० से २.१२	०.२७ से २.१२	०.२७ से १.६०	०.५० से १.६०	०.२७ से २.१२

परिशिष्ट—२

(तारांकित प्रश्न संख्या ४१० की सूची)

आवंटित जिले का कोटा	वास्तव में जो बोरियां सांचोर के लिए उठीं
जनवरी, ६६, १३ वेगन	३८७ बोरियां
फरवरी, ६६, १३ ,,	१८४ ,,
मार्च, ६६, १३ ,,	२८४ ,,
अप्रेल, ६६, १४ ,,	१२३ ,,
मई, ६६, १४ ,,	२८४ ,,
जून, ६६ १४ ,,	२४७ ,,
जुलाई, ६६, १४ ,,	१५२ ,,
अगस्त, ६६, १४ ,,	३२९ ,,
सितम्बर, ६६ १४ ,,	२९१ ,,
अक्टूबर, ६६ १४ ,,	१२५ ,,
नवम्बर, ६६, १४ ,,	१४७ ,,
दिसम्बर, ६६, १४ ,,	१५३ ,,
जनवरी, ६७, १४ ,,	४२१ ,,
फरवरी, ६७, १४ ,,	निल
मार्च, ६७, १४ ,,	१८५ बोरियां
अप्रेल, ६७, ९ ,,	२०४ ,,
मई, ६७, ९ ,,	७० ,,
जून, ६७, ९ ,,	१६४ ,,
जुलाई, ६७, ९ ,,	१४८ ,,
अगस्त, ६७, ९ ,,	१२३ ,,
सितम्बर, ६७, ९ ,,	२०५ ,,
अक्टूबर,) नवम्बर,) ६७, २० ,,	३१२ ,,
दिसम्बर, ६७, ५ ,,	४२१ ,,

परिशिष्ट–३

(तारांकित प्रश्न संख्या ४२२ की सूची)

डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले में नियुक्त छात्रावासों के अधीक्षकों की सूची

क्रमांक	छात्रावास अधीक्षक का नाम	छात्रावास का स्थान	छात्रावास अधीक्षक की शैक्षणिक योग्यता
१.	श्री गिरिजाशंकर	बांसवाड़ा	इण्टर
२.	श्रीमती राजरानी त्रिपाठी	बांसवाड़ा	विद्याविनोदनी
३.	श्री भंवरलाल	गढ़ी	मैट्रिक
४.	,, रसिकलाल कोठारी	घाटोल	मैट्रिक
५.	,, हीरालाल	सज्जनगढ़	हायर सेकन्ड्री
६.	,, जनार्दनराय डामोर	कुशलगढ़	मैट्रिक
७.	,, नर्बदाशंकर	सागवाड़ा	मैट्रिक
८.	,, शिवलाल गुप्ता	साबला	मैट्रिक
९.	,, सोमेश्वर	पीपली	हायर सेकन्ड्री (१० वीं)
१०.	,, कल्याणप्रसाद	बनकोड़ा	मैट्रिक
११.	श्रीमती कलावती	सागवाड़ा	प्रथमा

परिशिष्ट–४

(समयाभाव के कारण समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

चम्बल कमान्ड एरिया में सिंचाई की भूमि का मूल्य तथा नहरों में आई भूमि का मुआवजा

४२३. श्री सुमेरसिंह (किशनगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चम्बल कमान्ड एरिया में सिंचाई की भूमि का क्या मूल्य निर्धारित किया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त कमान्ड एरिया में कई काश्तकारान व भूमिधारियों की खुदकाश्त भूमि की जमीनों में काफी संख्या में नहरें निकाली गई हैं और नहर निकालने में जो भूमि काम में आई है उसका उनको मुआवजा दिया जाना है ?

(३) उक्त नहर निकालने वाली भूमि का क्या मुआवजा दिया जा रहा है ?

(४) सरकार द्वारा भूमि के बेचने की रेट और मुआवजा देने की रेट में कितना अन्तर है ?

(५) उक्त अन्तर क्यों है ?

उत्तर

(१) चम्बल प्रोजेक्ट कॉलोनी एरिया में कमान्ड भूमि का अपेक्षित विक्रय मूल्य निम्न प्रकार है:—

(अ) माल प्रथम—२५०) रु० प्रति बीघा।

(ब) माल द्वितीय व तृतीय—१७०) रु० प्रति बीघा।

(स) माल चतुर्थ —१००) रु. प्रति बीघा।

(२) जी हां।

(३) राजस्थान लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट के अन्तर्गत लैण्ड एक्वीजीशन ऑफिसर द्वारा दिये गये एवार्ड के अनुसार कम्पनसेशन का भुगतान किया जाता है।

(४) कोई खास अन्तर नहीं रहता।

(५) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

चीनी की मात्रा

४२४. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

क्या यह सही है कि इन दिनों उप-भोक्ताओं को राशन में चीनी की मात्रा कम कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक यह मात्रा बढ़ाई जा सकेगी ?

उत्तर

भारत सरकार द्वारा मासिक आवंटन मात्रा में कमी कर दिये जाने के परिणाम-स्वरूप उपभोक्ताओं की मात्रा में कमी की गई है। भारत सरकार द्वारा मासिक आवंटन की मात्रा में बढ़ोतरी किये जाने पर ही उप-भोक्ताओं को राशन में दी जाने वाली मात्रा की बढ़ोतरी संभव है।

को-ऑपरेटिव सोसायटी, ग्राम चन्देरिया को एलॉट की गई भूमि

४२५. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि स्टेशन चंदेरिया, पटवार हल्का पूठोली, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ में आराजी नं० १४६६ रकबा ४९ बीघा ५ बिस्वा, १४६७ रकबा ४७ बीघा १० बिस्वा तथा रकबा नं० १४७२ १८ बीघा एवं रकबा नं० १४७१ ७ बीघा १५ बिस्वा टीनेन्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी, ग्राम चन्देरिया का एलॉट की गई थी ? यदि हां, तो कुल कितनी भूमि एलॉट की गई ?

(२) क्या यह सच है कि टीनेन्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी से यह भूमि राज्य सरकार द्वारा वापस ली जाकर बिना नाम सरकार घोषित करदी गई ?

(३) क्या यह सही है कि इस भूमि पर अभी किसी अन्य व्यक्ति का अवैध कब्जा है ? यदि हां, तो किसका है और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(४) क्या इस भूमि को पंचायत पूठोली द्वारा आबादी हल्के में लिये जाने की कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो कार्यवाही की क्या स्थिति है ?

उत्तर

(१) जी हां। स्टेशन चन्देरिया, पटवार हल्का पूठोली, तहसील गंगरार में आ० नं० १४६१/२ रकबा ४६।)४ बीघा, नं० १४६७/१ रकबा ४१।)१ बीघा, नं० १४७५/१ रकबा १३।)३ बीघा व नं० १०५३/३ रकबा १६।।)२ जुमले किता ४ रकबा १४१।।।)२ बीघा भूमि टीनेन्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी, चन्देरिया को सन् १९५९ में एलॉट हुई।

(२) जी हां। उपरोक्त सोसाइटी द्वारा भूमि को मुआफिक शर्त समय पर आबादान न करने से राजस्व विभाग के आदेश एफ. २ (४१०) राज/ख/६३, दिनांक २८-१२-६३ से जमीन वापस बिला नाम मे लेने की स्वीकृति जारी हुई है।

(३) जी हां। श्री शान्तिस्वरूप द्वारा इस भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया है, उसके खिलाफ नाजायज कब्जे की कार्यवाही चलकर तहसील से कब्जा हटाने का आदेश हुआ। उसके खिलाफ अतिक्रमणी ने न्यायालय, अतिरिक्त जिलाधीश कोर्ट में अपील कर रखी है।

(४) जी हां। इस पर आ० नं० ६२ रकबा ९।।) बीघा, आ० नं० ७१/२ रकबा १) बीघा, आ० नं० ७१/३ रकबा १) बीघा, आ० नं० ७१/५ रकबा ।) बीघा, आ० नं० ७२ व ७२/३ रकबा ४।।)२ बीघा

कुल किता ६ रकबा १६।)४ बीघा आबादी विस्तार के लिये दिला दी गई है।

राज्य सरकार की जीवन बीमा निगम से आय

४२६. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान के राज्य कर्मचारी जो कि सेलेरी सेविंग स्कीम के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम से अपने जीवन का बीमा करवाते हैं, उससे राज्य सरकार को उस प्रीमियम में से १२ न. पै. कमीशन जीवन बीमा निगम से मिलता है ?

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(२) यदि हां, तो जब से जीवन बीमा निगम में यह स्कीम लागू की गई है तब से राज्य सरकार को प्रति वर्ष कितना रुपया कमीशन का मिला ? सन् ६७-६८ तक की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सन् ६७-६८ के बजट में इस आय की रकम को नही बतलाया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या इस स्कीम के अन्तर्गत काटी गई बीमा की किश्त की रकम की रसीद जीवन बीमा निगम द्वारा कर्मचारी को दी जाती है ?

उत्तर

(१) जीवन बीमा निगम से सैलेरी सेविंग स्कीम के अन्तर्गत काटी गई मासिक प्रीमियम्म की कुल राशि का १/८% राज्य सरकार को कमीशन के रूप में मिलता है, न कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रीमियम में से ०.१२ न. पे. के हिसाब से।

(२) जीवन बीमा निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रति वर्ष कमीशन का विवरण निम्न प्रकार हैः—

वित्तीय वर्ष	कमीशन की राशि
	रु० पै०
१९६२-६३	२२.८०
१९६३-६४	८६.४०
१९६४-६५	८५०.८०
१९६५-६६	२३७४.८०
१९६६-६७	३७७७.६०
१९६७-६८ (३१-१-६८ तक)	४६५४.८०
योग	११,७६७.२०

(३) जी नहीं। इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त कमीशन की राशि को राज्य की आय के मद "४१-विविध (स) की गई सेवाओं के भुगतानों का संग्रहण" में जमा कराया जाता है। प्रश्न २ के उत्तर में दिये गये आंकड़ों से ज्ञात होगा कि वर्ष भर में सरकारी कमीशन की राशि कम होने के कारण आय-व्ययक में इस रकम को अलग से नहीं दिखाया जाता है।

(४) जी नहीं।

जवाई बांध के बगीचे पर व्यय

४२७. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) जवाई बांध पर लगाये गये बगीचे पर आज-दिन तक कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है ?

(२) उक्त बगीचे का क्या उपयोग है ?

(३) अब भविष्य में इस बगीचे पर कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

(४) यह राशि किस मद से खर्च की जाती है ?

उत्तर

(१) लगभग १२,००० रुपये का व्यय हो चुका है।

(२) स्थान की सुन्दरता बढ़ाने एवं जनता के आमोद-प्रमोद के लिए उपयोग में लाया जाता है।

(३) अधिक व्यय करने का कोई विचार नहीं है।

(४) यह खर्चा मेन्टीनेन्स की मद से होता है।

पंचायत समिति, निवाई द्वारा सामान की खरीद

४२८. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, निवाई ने परिवार नियोजन के प्रचार के नाम पर करीब ८००० (आठ हजार) के मोडन चित्र आदि सामान खरीदा यदि हां, तो क्या इसके नियमानुसार टेन्डर लिये गये थे ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सच है कि उक्त सामान खरीदने के विषय में पहले सब-कमेटी ने निर्णय किया था पर बाद में सरकार ने इस निर्णय को कैन्सिल कर दिया था ? यदि हां, तो फिर यह सामान किस मजबूरी में किस आधार पर खरीदा गया ?

उत्तर

(१) जी हां। प्राप्त हुए टेण्डर की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां। राज्य सरकार द्वारा निर्णय निरस्त करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

जिला बांसवाड़ा में अकाल से प्रभावित ग्रामों में लगान की माफी

४२९. श्री विठ्ठल भाई (पीपलखूंट) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सम्वत् २०२२ व २०२३ में रेवेन्यू एक्ट के अनुसार गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर जिला बांसवाड़ा में अकाल मान लिया गया था ? यदि हां, तो किस-किस तहसील के कितने-कितने गांव अकाल से प्रभावित माने गये ?

(२) क्या उक्त गांवों के किसानों का लगान माफ होना चाहिये था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां। सं० २०२२ व २३ में निम्नलिखित तहसीलों के निम्न गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया:—

क्र. सं.	तहसील	ग्रामों की संख्या सं० २०२२	२०२३
१.	बांसवाड़ा	३०१	३२३
२.	गढ़ी	१६७	१९७
३.	घाटोल	२४८	३१५
४.	बागीडोरा	२५८	२४९
५.	कुशलगढ़	३६९	३९५

(२) नियमानुसार जिलाधीश से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायगा।

मनोरंजन कर की दर

४३०. श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार की जानकारी में है कि एन्टरटेनमेन्ट टैक्स की दर देहली जैसे नगर में २५ प्रतिशत है। लेकिन राजस्थान जैसे पिछड़े राज्य में स्लेब सिस्टम से ३५ प्रतिशत, ४० प्रतिशत व ५० प्रतिशत है तथा ६० प्रतिशत है ?

(श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल)

(२) क्या राज्य सरकार इस रेट को स्लेब सिस्टम से हटाकर फ्लैट रेट करने तथा देहली के समान ही राज्य के बड़े नगरों पर लागू करने तथा ५० हजार से कम आबादी वाले स्थानों पर उससे भी कम दर लागू करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब से ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) सरकार की जानकारी के अनुसार दिल्ली की रेट सभी टिकटों पर २५% नहीं है। कुछ पर ज्यादा भी है। किसी-किसी पर लगभग ५०% तक है। अन्य राज्यों में इससे अधिक भी है।

(२) सरकार का ऐसा विचार नहीं है। इसका कारण यह है कि स्लेब सिस्टम में नीचा दरों के टिकटों पर कर भार ऊंची दरों के टिकटों की दरों से कम है, जो वांछनीय स्थिति है। स्लेब सिस्टम होने की स्थिति में, आबादी के आधार पर निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं है।

कोटा बैराज पर संगमरमर के पत्थर पर नाम

४३१. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कोटा बैराज पर जो पत्थर संगमरमर का लगा हुआ है उस पर किन-किन के नाम लिखे हुए हैं ?

(२) मार्बल पर नाम लिखने का आधार क्या है ?

(३) क्या यह सही है कि कई व्यक्तियों के नाम जिन्होंने कि इस बैराज पर वर्षों तक कार्य किया, इस पर नहीं लिखे गये हैं ? अगर हां, तो सरकार क्या उक्त नाम लिखवायगी ?

उत्तर

(१) नाम सूची 'क' व 'ख' में अंकित है।

(२) इस पर राजपत्रित अभियन्ताओं के नाम अंकित हैं। इसके अतिरिक्त वे श्रमिक जो निर्माण कार्य के प्रगति के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए तथा मुख्य गणों जैसे कि मुख्य मंत्री, सिंचाई मंत्री इत्यादि के नाम भी हैं।

(३) जी हां। कुछ व्यक्तियों के नाम इसमें अंकित नहीं हैं ऐसे लोगों के नाम अब लिखवाने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

ब्यावर में अतिरिक्त एस. डी. ओ. की नियुक्ति

४३२. श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ब्यावर उपखण्ड के एस. डी. ओ. के पास राजकीय (एग्जीक्यूटिव) काम इतना अधिक है कि उन्हें न्यायालय सम्बन्धी कार्य के लिये बहुत कम समय मिलता है और जब कभी न्यायालय के काम के लिये समय मिलता भी है तो वह भी अपराह्न २ बजे के बाद ही कभी-कभी मिलता है ?

(श्री फतेहसिंह)

(२) यदि हां, तो क्या सरकार जनता की परेशानी को समझते हुए ब्यावर उप-खंड के लिये एक अतिरिक्त एस. डी. ओ. केवल न्यायालय के काम के लिये नियुक्त करने पर गम्भीरता से विचार करेगी ?

उत्तर

(१) ब्यावर उप-खंड में ब्यावर व विजयनगर औद्योगिक केन्द्र हैं जहां हर तरह की समस्यायें रहती हैं साथ ही राशन व्यवस्था व केस वर्क भी अधिक है। इतना होते हुए भी किसी विशेष अपवाद को छोड़कर न्यायालय का कार्य ११ बजे पूर्वाह्न ही शुरू किया जाता है।

(२) ब्यावर में फौजदारी मामले के भार को ध्यान में रखते हुए तथा जनता की परेशानी को दूर करने हेतु जिलाधीश कार्यालय अजमेर द्वारा एक सहायक कलेक्टर एवम् दण्डनायक प्रथम श्रेणी को पिछले करीब दो वर्षों से ब्यावर एक महीने में दो सप्ताह कोर्ट करने हेतु भेजा जा रहा है।

पिछले क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लोगों के क्षेत्रों के विकास के लिए सुविधाएं

४३३. श्री रतनलाल रोत (चोरासी-सु.) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों को, जहां अनुसूचित जन-जाति और अनुसूचित जाति के अधिकांश लोग रहते हैं, सुविधाएं देने की दृष्टि से माननीय श्री ढेबर भाई की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया था और इस कमीशन ने यह सिफारिश की थी कि पिछले क्षेत्रों में तालाबों, बांधों, एनीकटों एवं नदी-घाटियों की योजनाओं को बांधने में कम से कम रिटर्न बैठता हो तब भी ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाय ? यदि हां, तो क्या राजस्थान सरकार ने इसकी पालना की है ?

(२) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

उत्तर

(१) श्री ढेबर भाई की अध्यक्षता में एक कमीशन अवश्य नियुक्त किया गया था उसकी क्या-क्या सिफारिशें थीं वे राजस्थान सरकार के सामने विचारार्थ नहीं आई लेकिन राजस्थान राज्य में आदिवासियों, पिछड़े एवं पहाड़ी क्षेत्रों में बसने वाले लोगों के लिए जो सिंचाई योजनाएं स्वीकार की जाती हैं उन्हें कम रिटर्न होते हुए भी स्वीकार कर हाथ में ली जाती हैं।

(२) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

वार्षिक योजना सन् ६७-६८ के लिए निर्धारित धनराशि

४१४. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९६७-६८ की वार्षिक योजना के लिए प्रारम्भ में कितनी धनराशि रखी गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि चालू वित्तीय वर्ष में खर्च में कटौती करदी गई है ? यदि हां, तो कितनी और किस-किस मद में ?

Page No. 131

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(३) सन् १९६६-६७ के मुकाबले इस वर्ष कितना कम खर्च होने की सम्भावना है ?

उत्तर

(१) अन्तःकालीन बजट के अन्तर्गत राज्य योजना ३३ करोड़ रु० की रखी गई थी परन्तु बाद में अन्तिम बजट के बनाते समय वार्षिक योजना का आकार ४४.५० करोड़ रु० कर दिया गया। आम तौर पर वार्षिक योजना का बजट आयोजना आयोग के विचार-विमर्श के पश्चात् ही प्रस्तुत किया जाता रहा है परन्तु इस वर्ष अन्तिम बजट के उपरान्त आयोजना आयोग के दल द्वारा जून में वार्षिक योजना पर विचार-विमर्श हुआ जिसके फलस्वरूप राज्य की योजना ४३.०० करोड़ रु० की अन्तिम रूप में हुई, जिसमे वे ४ करोड़ रु० भी शामिल हैं जो जीवन बीमा निगम से ऋण के रूप में विद्युत् एवं नगर जलप्रदाय योजनाओं के लिए प्राप्त होने को हैं। इस प्रकार कई मद में काफी रद्दोबदल करने पड़े जिनका मदवार ब्योरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(२ व ३) सन् १९६६-६७ की वार्षिक योजना के अन्तर्गत ३९.९६ करोड़ रु० का प्रावधान रखा गया था। इसके पश्चात् रु० ६ करोड़ का प्रावधान राजस्थान नहर परियोजना तथा उससे लाभान्वित क्षेत्रों के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त समय-समय पर लघु सिचाई, ग्रामीण जल-प्रदाय, बाढ़ नियन्त्रण एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की तथा राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के लिए जीवन बीमा निगम से २ करोड़ का ऋण प्राप्त किया गया। इस प्रकार वार्षिक योजना का आकार ३९.९६ करोड़ रु० से बढ़कर ४८.८७ करोड़ रु० हो गया जिसके मुकाबले वास्तविक व्यय ४८.९० करोड़ रुपये हुआ है। जब कि इस वर्ष सिर्फ ४३.०० करोड़ रुपयों का ही प्रावधान है और यह आशा की जाती है कि व्यय करीब ४० करोड़ रु० का ही होगा क्यों कि अभी तक जीवन बीमा निगम से विद्युत् योजनाओं के लिए सिर्फ १ करोड़ रु० ही प्राप्त होने की आशा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

स्थगित प्रश्न

(२२-२-६८)

जोधपुर शहर के नागरिकों का हवाई हमलों से नुकसान

२२५. श्री केशरीसिंह हाडा (हिण्डोली): क्या सैनिक कल्याण विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

(१) पाकिस्तान के हवाई हमलों से जोधपुर शहर के नागरिकों का कितना जान व माल का नुकसान हुआ और सरकार द्वारा इसकी पूर्ति के लिये अब तक क्या-क्या किया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि क्षतिपूर्ति में बहुत अधिक विलम्ब हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) हवाई हमलों से सरकारी इमारतें कितनी ढह गई थीं और क्या वे वापिस ठीक करा दी गई है ?

(श्री केशरीसिंह हाडा)

(४) सरकारी नुकसान का क्या अनुमान है ?

(५) नगरवासियों के नुकसान का क्या अनुमान है ?

उत्तर

(१) जोधपुर नगर में रहने वाले ८ व्यक्ति सन् १९६५ के पास वायुसेना के बम्बारी से और करीब ९९००० की सम्पत्ति नगर में नष्ट हुई। मृतकों के परिवार को १५००) रु० व जिन लोगों की सम्पत्ति नष्ट हुई उनको ११,८२५) रु० दे दिये गये हैं कुछ कर्जे देने में भी सहायता दी गई जिससे कुल रकम ३१,८२५) रु० हो जाती है।

(२) राज्य सरकार की अविलम्ब सहायता देने की आज्ञा के अनुसार सहायता समय पर दे दी गई और जिन लोगों को बाद में निकाले गये आदेशों के अनुसार सहायता देनी थी। उनमें से कुछ को दे दी गई है और कुछ को देनी है।

(३) केन्द्रीय कारागृह की सरकारी इमारत व उससे मिली हुई कारागृह अस्पताल की इमारत को नुकसान हुआ, जो जरूरी मरम्मत समझी गई वह करा दी गई है।

(४) २,५०,०००.०० रुपये।

(५) ९९,१९२) रुपये।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी)

परिशिष्ट—(५)

(अतारांकित प्रश्न संख्या १४४ की सूची)

सूची

(१) बयाना
(२) मंडावर
(३) राजसमंद
(४) बोली
(५) रायपुर
(६) अलसीगढ़
(७) डूंगरपुर
(८) नीमराना
(९) झुंझुनूं
(१०) पिडावा
(११) उदयपुरवाटी
(१२) करौली
(१३) नादौती
(१४) खेरवाड़ा
(१५) कुम्भलगढ़
(१६) ओसियां
(१७) चित्तौड़गढ़
(१८) मनोहरथाना
(१९) शिवगंज
(२०) शाहपुरा (जयपुर)
(२१) जामल
(२२) सावला
(२३) श्रीमाधोपुर
(२४) गंगानगर
(२५) बीकानेर
(२६) रेणी
(२७) नोहर
(२८) भादरा
(२९) त्रिचट

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक ४ मार्च, १९६८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१	१२	चुन्डावत	चून्डावत
३	१८	माच	मार्च
३४	अन्तिम से ८	गेम	गेम्स
४२	६	आपके	आपकी
४३	अन्तिम से १२	बहादूर जी	बहादुरजी
५१	अन्तिम से १०	छात्रों में	के छात्रों का
७८	११	वले	वाले
९०	अन्तिम से २	श्री अयध्क्ष	श्री अध्यक्ष
९४	अन्तिम से ३	ओर	का
९७	अन्तिम से ६	ज्योंहि	ज्योंही
९९	८	जसा	जैसा
१०६	अन्तिम से १५	वसूल	वसूली
१२४	१२	श्री वृिद्वचन्द्र	श्री वृद्धिचन्द्र
१४८	अन्तिम से १३	Supyrior	Supirior
१५५	अन्तिम से १०	फूलप्रफ	फूलप्रूफ
१५६	अन्तिम से १०	सन्यानम	सन्यानम
१६१	अन्तिम से ११	नहीं	न ही
१६९	१८	कुज	कुछ
२३७	१४	को	की
२३८	६	सोठा	सोढा

———